खण्ड–501, अंक–01
बुधवार, 28 आषाढ़, शक संवत् 1939
(19 जुलाई, 2017 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2017)

(खण्ड 501 में 6 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2017

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य ...	1–8
प्रश्नोत्तर	9–119
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें (जारी)	119
सदन में आरोप प्रत्यारोप का प्रकरण	119–126
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	126–128
जनपद–सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के विकास खण्ड पहला के कतिपय स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	128
जनपद–कानपुर नगर में घाटमपुर चौराहे पर भीषण जाम से हो रही दुर्घटनाओं के निराकरण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	128–129
जनपद–कानपुर देहात के तहसील बिल्हौर एवं घाटमपुर के प्रशासनिक मुख्यालय एवं न्यायिक क्षेत्र को कानपुर नगर में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	129
जनपद–चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में गड़ई नदी पर पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	129–130
जनपद–फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत कारीकान खागा में निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	130
जनपद–कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था की बदहाल स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	130
उ0प्र0 राजर्षि मुक्त वि0वि0 व इन्दिरा गांधी मुक्त वि0वि0 से बी0एड0 किये अभ्यर्थियों के समायोजन के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	131
आगरा कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नगला अरहर एवं नवपुरा को नगर निगम आगरा में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	131
जनपद–रायबरेली के विधान क्षेत्र बछरावां अन्तर्गत शिवपुर ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत	131–132

विषय	पृष्ठ–संख्या
सूचना	
जनपद–अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के कतिपय मार्गों के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	132
जनपद–उन्नाव के कतिपय विकास खण्डों में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	132–133
जनपद–सहारनपुर के कतिपय ग्रामों के ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	133
जनपद–आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के ब्लाक ठेकमा के ग्राम इरनी में डॉ अम्बेडकर की मूर्ति के उत्तर में नहर पुलिया के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	133–134
प्रदेश के क्षेत्र पंचायत सदस्य को सामाजिक कार्यों में सहभागी बनाने के लिये अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	134
जनपद–बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के अन्तर्गत आने वाले मन्दिरों को पर्यटक स्थल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	134–135
विधान भवन स्थापित वी0आई0पी0 कैफेटेरिया में खाने की गुणवत्ता निम्नकोटि की होने से सदस्यगण के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	135–136
रियलवुड (वास्तविक लकड़ी) पर हुयी नक्काशी के फर्नीचर को वैट मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री हैदर रउफ आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	136
सहारनपुर नगर अन्तर्गत मातागढ़ चौक से पुराना चिलकाना बस अड्डा की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित नाले की मरम्मत/पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	136

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष, 2009 में आयोजित संस्कृत प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द आदि निवासीगण जनपद कन्नौज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	136
औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर को औद्योगिक विश्वविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में डॉ एस0के0 उपाध्याय आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	136
प्रदेश के जिला सहकारी बैंको का विलयकर एकीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल शर्मा आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	137
ग्राम सभा कोनिया (परसिया), तहसील चन्दौली, जनपद चन्दौली में कर्मनासा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री भगौती सिंह आदि निवासीगण जनपद चन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	137
ग्राम–उरगांव, ब्लाक साहबगंज, जनपद चन्दौली में चन्द्रप्रभा नहर पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवाकान्त उपाध्याय आदि निवासीगण जनपद चन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	137
प्रदेश के पूर्वांचल में बाढ़ की विभिषिका से उत्पन्न स्थिति पर कल दिनाक 18 जुलाई, 2017 को जारी चर्चा को अभी आधे घण्टे के लिये, लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	137–138
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	138–144
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित)	144–150
उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के अनेक जिलों में प्रचण्ड बाढ़ के उपरान्त भी राहत कार्य न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर डेढ़ घण्टे की चर्चा	151–158
वित्तीय वर्ष (2017–2018) के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा	158–225
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	225–228
जनपद–सीतापुर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि द्वारा	228–229

विषय	पृष्ठ–संख्या
01 अरब 16 करोड़ के घोटाले की जांच सी0ए0जी0/टी0ए0सी0 से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञान तिवारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	
जनपद–बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के विकास खण्ड म्याऊ के ग्राम चितरी एवं सिमरिया दूदूखाम में बाढ़ के खतरे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	229
जनपद–पीलीभीत में गजरौला में तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयशराम सरन वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य... ...	230–231
जनपद–मुजफ्फरनगर में किसान गंगा सहकारी चीनी मिल, मोरना की उत्पाद क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री अवतार सिंह भड़ाना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री का वक्तव्य	231
जनपद–प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास की सई नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	232–233
जनपद–उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में विद्युत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	233–234
जनपद–महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु पानी की टंकी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजभूषण राजपूत द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	234–235
जनपद–फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत भेलसर रुदौली उमापुर मार्ग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	235–236
नत्थियां	237

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2017 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–373

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 इलाहाबाद
4. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
5. अजय प्रताप सिंह, ''लल्ला भइया'' कुंवर गोण्डा
6. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री सम्भल
7. अतुल गर्ग, श्री गाजियाबाद
8. अदिति सिंह, सुश्री रायबरेली
9. अनिल कुमार, श्री बुलन्दशहर
10. अनिल कुमार मौर्य, श्री सोनभद्र
11. अनिल पाराशर, श्री अलीगढ़
12. अनिल राजभर, श्री वाराणसी
13. अनिल सिंह, श्री उन्नाव
14. अनीता, श्रीमती अम्बेडकर नगर
15. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0बुलन्दशहर
16. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती बहराइच
17. अनुराग सिंह, श्री मिर्जापुर
18. अनूप प्रधान, श्री अलीगढ़
19. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री प्रतापगढ़
20. अभिजीत सिंह सांगा, श्रीकानपुर नगर
21. अमर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
22. अमर सिंह चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
23. अमिताभ बाजपेई, श्री कानपुर नगर
24. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री लखनऊ
25. अरविन्द गिरि, श्री खीरी
26. अरूण कुमार, डॉ0 बरेली
27. अरूण कुमार यादव, श्री आजमगढ़
28. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती कन्नौज
29. अलका राय, श्रीमती गाजीपुर
30. अवधेश सिंह, श्री वाराणसी
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री खीरी
32. अविनाश त्रिवेदी, श्री लखनऊ
33. अशोक कुमार राणा, श्री बिजनौर
34. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्रीहमीरपुर
35. असलम अली, श्री हापुड़
36. आजाद अरिमर्दन, श्री आजमगढ़
37. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री बलिया
38. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
39. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमतीप्रतापगढ़
40. आलमबदी, श्री आजमगढ़
41. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री हरदोई
42. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
43. आशुतोष टण्डन

''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
44. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
45. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
46. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
47. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
48. उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
49. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
50. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
51. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
52. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
53. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
54. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
55. कपिल देव अग्रवाल, श्रीमुजफ्फरनगर
56. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
57. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
58. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
59. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
60. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
61. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
62. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
63. काली प्रसाद, श्री देवरिया
64. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
65. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
66. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
67. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
68. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
69. केसर सिंह, श्री बरेली
70. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
71. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
72. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
73. गंगा, श्री कुशीनगर
74. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
75. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
76. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
77. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
78. गौरी शंकर, श्री जालौन
79. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
80. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
81. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्रीचित्रकूट
82. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
83. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
84. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
85. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
86. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
87. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
88. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
89. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
90. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
91. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
92. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
93. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
94. जयमंगल, श्री महाराजगंज
95. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
96. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
97. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
98. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
99. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
100. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
101. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
102. तेजपाल सिंह नागर, श्रीगौतमबुद्ध नगर
103. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली

104. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
105. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
106. दल बहादुर, श्री रायबरेली
107. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
108. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
109. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
110. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
111. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
112. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
113. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
114. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
115. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
116. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
117. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
118. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
119. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
120. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
121. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
122. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
123. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
124. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
125. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
126. नन्द किशोर, श्री गाजियाबाद
127. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
128. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
129. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
130. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
131. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
132. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
133. नसीर अहमद खाँ श्री रामपुर
134. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
135. नाहिद हसन, श्री शामली
136. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
137. निर्मला संखवार, श्रीमतीकानपुर देहात
138. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
139. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
140. नीलम करवरिया, श्रीमतीइलाहाबाद
141. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
142. नीलिमा कटियार, श्रीमतीकानपुर नगर
143. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
144. पवन कुमार, श्री कुशीनगर
145. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
146. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
147. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
148. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
149. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमतीकानपुर देहात
150. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
151. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
152. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
153. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
154. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्रीचन्दौली
155. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
156. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
157. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
158. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
159. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
160. फागू चौहान, श्री मऊ
161. बजरंग बहादुर सिंह, श्रीमहाराजगंज

162. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
163. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
164. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
165. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
166. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
167. बावन सिंह, श्री गोण्डा
168. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
169. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
170. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
171. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
172. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
173. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
174. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
175. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
176. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
177. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
178. भगवती प्रसाद सागर, श्रीकानपुर नगर
179. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
180. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
181. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
182. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
183. मनोज कुमार पाण्डेय, श्रीरायबरेली
184. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
185. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
186. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
187. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
188. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्रीरायबरेली
189. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
190. महबूब अली, श्री अमरोहा
191. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
192. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
193. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्रीअमरोहा
194. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
195. महेश चन्द्र, श्री कानपुर नगर
196. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
197. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
198. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
199. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
200. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
201. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
202. मुख्तार अन्सारी, श्री मऊ
203. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
204. मो0 आजम खां, श्री रामपुर
205. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्रीइलाहाबाद
206. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
207. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
208. मौ0 फईम, श्री मुरादाबाद
209. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
210. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
211. योगेश धामा, श्री बागपत
212. योगेश वर्मा, श्री खीरी
213. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
214. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्रीकुशीनगर
215. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
216. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
217. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
218. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
219. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
220. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर

221. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
222. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
223. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
224. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
225. रवि शर्मा, श्री झांसी
226. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
227. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
228. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
229. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
230. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
231. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
232. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
233. राकेश सिंह बघेल, श्रीसन्तकबीर नगर
234. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीसिद्धार्थनगर
235. राज करन कबीर, श्री बांदा
236. राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजिया, श्री हरदोई
237. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
238. राजबाला, श्रीमती रामपुर
239. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
240. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
241. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
242. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
243. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
244. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
245. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
246. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
247. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
248. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
249. राधा कृषण शर्मा, पं0 बदायूं
250. राम अचल राजभर, श्रीअम्बेडकर नगर
251. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
252. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
253. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
254. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
255. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
256. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
257. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
258. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
259. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
260. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
261. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
262. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
263. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
264. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
265. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
266. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
267. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
268. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
269. लाखन सिंह, श्री औरैया
270. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
271. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
272. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
273. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
274. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
275. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
276. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
277. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
278. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद

279. विजय कुमार कश्यप, श्रीमुजफ्फरनगर
280. विजय मिश्र, श्री भदोही
281. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
282. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
283. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
284. विनय शाक्य, श्री औरैया
285. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
286. विनोद कुमार कटियार, श्रीकानपुर देहात
287. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
288. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
289. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
290. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
291. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
292. वीरेन्द्र, श्री एटा
293. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्रीबुलन्दशहर
294. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
295. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
296. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
297. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
298. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
299. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
300. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
301. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
302. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
303. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
304. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
305. शोभा सिंह चौहान, श्रीमतीफैजाबाद
306. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
307. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
308. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
309. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
310. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
311. श्री राम चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
312. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
313. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
314. संगीता, श्रीमती गाजीपुर
315. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
316. संजय, श्री बुलन्दशहर
317. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
318. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
319. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
320. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
321. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
322. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
323. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
324. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
325. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
326. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
327. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
328. सत्यपाल सिंह बघेल, श्रीफिरोजाबाद
329. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
330. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
331. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
332. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
333. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
334. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
335. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
336. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
337. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
338. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
339. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
340. सुनील कुमार शर्मा, श्रीगाजियाबाद

341. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजरफर्रुखाबाद
342. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
343. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट, श्रीबहराइच
344. सुरेन्द्र, श्री बलिया
345. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
346. सुरेश कुमार, श्री शामली
347. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
348. सुरेश कुमार खन्ना, श्रीशाहजहांपुर
349. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्रीलखनऊ
350. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
351. सुरेश राही, श्री सीतापुर
352. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
353. सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0 बिजनौर
354. सुशील कुमार शाक्य, श्रीफर्रुखाबाद
355. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
356. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
357. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
358. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
359. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
360. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
361. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
362. सौरभ सिंह, श्री खीरी
363. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
364. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
365. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
366. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
367. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
368. हरीराम, श्री सोनभद्र
369. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
370. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
371. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
372. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
373. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :– मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्य नाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 महेन्द्र सिंह), परिवहन एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह), पंचायती राज एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) तथा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, मुलिस्म वक्फ, हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

ख1ण्00, प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1

प्रदेश में वर्षाकाल में नदियों के जल स्तर बढ़ने से हो रहे नुकसान से बचाने की प्रभावी कार्य–योजना विषयक

"01–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रतिवर्ष नदियों का जल स्तर बढ़ने से वर्षा काल में बाढ़ से सैकड़ों गांव प्रभावित होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इससे होने वाले नुकसान की रोकथाम हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्य नाथ)–

जी हां।

प्रदेश में प्रतिवर्ष नदियों का जल स्तर बढ़ने से वर्षाकाल में बाढ़ से होने वाली जन–धन की हानि के दृष्टिगत होने वाले नुकसान से बचाव हेतु नदियों पर तटबंधों का निर्माण, कटाव निरोधक कार्य व इनकी पुनर्स्थापना की योजनाएं एवं निर्मित बाढ़ संरचनाओं/जल निकास हेतु ड्रेनों के अनुरक्षण कार्य कराने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 आर0 के0 वर्मा–

मान्यवर, सभी विषय आ चुके हैं मैं सहमत हूं।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

ख्उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

प्रदेश में नहरों की सफाई कराकर किसानों के फसलों की सिंचाई हेतु पानी टेल तक पहुंचाने विषयक जानकारी

'01–श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नहरों की सफाई न कराने से पानी टेल तक नहीं जा रहा है, जिससे किसानों को फसलों की सिंचाई में काफी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार नहरों की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं सिंचाई यांत्रिक मन्त्री (श्री धर्मपाल सिंह)–

जी नहीं।

सिंचाई विभाग द्वारा 1425 खरीफ फसली वर्ष 2017–18 में दिनांक 30–06–2017 तक 5246 कि0मी0 लम्बाई में नहरों की सिल्ट सफाई करायी जा चुकी है। नहर संचालन हेतु स्वीकृत क्षेत्रीय रोस्टर अनुसार नहरें चलाकर टेल तक पानी पहुंचाया जा रहा है।

स्वीकृत पाक्षिक टेल फीड लक्ष्य के अनुसार दिनांक 30–6–2017 तक 4352 नहरों के टेल तक पानी पहुचाने का लक्ष्य प्रस्तावित था, जिसके सापेक्ष 5699 नहरों की टेलों तक पानी पहुचाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है यह सिर्फ कागज का उत्तर है। मौके पर ऐसी स्थिति नहीं है मेरा निश्चित मानना है नहरों में सिल्ट की सफाई के नाम पर जैसे 15 जून तक गड्ढ़ों की भराई के नाम पर बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है उसी तरह से नहरों की सिल्ट की सफाई पर बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है। हालांकि यह बात सही है (शोर)।

श्री अध्यक्ष–

शान्त रहें।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह पूछना चाहता हूं जिन अधिकारियों ने यह दर्शा दिया नहरों की सिल्ट की सफाई हो गई और उसका भुगतान भी हो गया परन्तु वास्तव में, भुगतान हो गया यह सही बात है, माननीय मंत्री जी के पास आंकड़ा आ गया कि सफाई हो गई, लेकिन मौके पर नहरों की सफाई नहीं हुई है। तो क्या माननीय मंत्री जी अधिकारियों और उन जनपदों के माननीय विधायकों की एक संयुक्त टीम बनाकर, इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ प्रदेश भर में कार्यवाही करने का काम करेंगे।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, योगी सरकार का अभिमत है कि किसान तब तक समृद्ध नहीं होगा जब तक उसके खेतों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता नहीं होगी। निश्चित रूप से फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए माननीय अध्यक्ष जी सिंचाई बहुत आवश्यक है। माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले हमारे माननीय सदस्यों ने भी आशंका जाहिर कर दी।

आशंका जाहिर कर दी। 14 सालों में नहरों की सफाई हुई ही नहीं अब तीन महीने में सफाई का ब्योरा माननीय सदस्य मांग रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं इस बार जो भी धनराशि थी जिलों को भेज दी गई और विभाग को निर्देशित कर दिया गया था कि 15 जून तक नहरों की सफाई करा दें उसकी फोटो खिंचवा लें और जो माननीय सदस्य हैं विधायक हैं उनको भी संदेश देने का काम करें इसलिए योगी सरकार सिंचाई के लिए

प्रतिबद्ध है और जहां माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया है हम उस पर चिन्ता कर लेंगे।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने बताया कि कुल 5246 कि0मी0 नहरों की सफाई की गई तो मैं जानना चाहता हूं कि कुल कितने कि0मी0 नहरें हैं नम्बर एक दूसरा इन्होंने कहा कि 30–6–17 तक 4352 नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य प्रस्तावित था जिसके सापेक्ष 5699 नहरों की टेलों तक पानी पहुंचाया गया है। कुल ऐसी कितनी नहरें हैं जिनकी टेलों तक पानी नहीं पहुंचा मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में कुल टेल 9,777 हैं और इसमें हमने सिल्ट सफाई का लक्ष्य रखा था 8961.59 और प्रदेश में लगभग 75 हजार कि0मी0 नहरें हैं इसमें हमने सफाई भी करा दी जिसको अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से बता भी दिया था सापेक्ष से ज्यादा हमने सफाई करा दी। हमारा लक्ष्य था 5352 का और हमने सफाई करा दी 5699 की।

श्री अध्यक्ष–

अब तो उत्तर आ गया।

श्री शैलेन्द यादव 'ललई'–

अभी उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

आपने कहा था कि क्या इसकी जांच कराएंगे तो मंत्री जी ने कहा कि इस सुझाव पर हम विचार कर लेंगे।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, अभी तो प्रश्न बना है। मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि 75 हजार कि0मी0 नहरें हैं और सफाई हुई 5246 की तो यह कैसे पानी पहुंचायेंगे। दूसरी तरफ 9477 नहरें हैं और सफाई कराई गई टेल तक पानी पहुंचाया गया 5699 तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो अवशेष नहरें हैं क्या उनके भी टेल तक पानी पहुंचाने की कृपा करेंगे। अगर करेंगे तो कब तक करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न ठीक है।

श्री धर्मपाल सिंह–

हम प्रतिवर्ष 20 हजार कि0मी0 नहरों की सफाई कराते हैं। तय समय हर तीन वर्ष बाद हर नहर का नम्बर आ जाएगा जो नहरें रह जाएंगी तो तीन वर्ष बाद नहरों का नम्बर सिस्टम से आता है।

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि नहरों की सफाई के लिए जिलों को हमने धनराशि भेज दिया हैं वह धनराशि भेजने की तिथि क्या है और कितना धन कुल भेजे हैं उसके सापेक्ष कितना खर्च हुआ है कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का मैं सम्मान भी करता हूं आप स्पेशफिक जिले को बताओगे तभी तो मैं बताऊंगा कि कौन से जिले को कितनी धनराशि भेजी है हर जिले की धनराशि अलग–अलग गई है।

श्री सुखदेव राजभर–

आप हमारे आजमगढ़ का बता दीजिए।

श्री धर्मपाल सिंह–

हमने यहां 5 मई को भेज रखा था और 15 जून तक विभाग को अधिकार से लैस कर दिया गया था। 15 जून अन्तिम तिथि है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 शैलेन्द्र यादव जी, अब आप अपना अन्तिम अनुपूरक प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री शैलेन्द यादव 'ललई'–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं पुनः अपने प्रश्न को दोहरा रहा हूं। सफाई के नाम पर धन का जो गोलमाल हुआ है, कागजों में तो नालों की सफाई दिखाई गयी है, लेकिन वास्तव में मौके पर सफाई नहीं हुयी है। सिल्ट की कहीं कोई सफाई नहीं हुयी है। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी सम्बन्धित जिलों के मा0 विधायकगण और बड़े अधिकारियों की एक टीम बनाकर इस भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे और कब तक करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी ने इस पर विचार करने का आश्वासन पहले ही दे दिया है।

श्री धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, हम पहले ही अवगत करा चुके हैं। हम आपके निर्देश का पालन करेंगे। सिंचाई विभाग में अब सच में सच्चाई होगी भ्रष्टाचार नहीं होगा।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा भेजें थपथपाई गयी)

श्री राकेश सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, कल सदन में मा0 सदस्य बाढ़ पर चर्चा कर रहे थे तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उन्नाव व रायबरेली जनपदों

के पुरवा, भगवन्तनगर, हरचन्दपुर और सरैनी चार विधान सभा क्षेत्रों में बुन्देलखण्ड जैसे हालात हैं, वहां पर पानी कब तक पहुंच जायेगा ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन अगर मा0 सदस्य की कोई और आशंका है तो हमें लिखकर दे दें हम बता देंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। अब अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये का ब्याज सहित भुगतान कराये जाने विषयक जानकारी

'02–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का ब्याज सहित शत–प्रतिशत भुगतान किये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है एवं कब तक गन्ना किसानों के बकाए गन्ना मूल्य का भुगतान करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुरेश राणा)–

गन्ना कृषकों के गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 एवं तद्विषयक नियमावली, 1954 के अन्तर्गत व्यवस्था विद्यमान है, जिसके प्राविधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराया जाता है।

पेराई सत्र 2016–17 के अन्तर्गत दिनांक 14–07–2017 तक, कुल देय गन्ना मूल्य रु0 25,386.46 करोड़ के सापेक्ष रु0 22,807.53 करोड़ का भुगतान हो चुका है, जो कुल देय का 89.84 प्रतिशत है तथा रु0 2,578.93 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष प्रदेश की चीनी मिलें द्वारा दिनांक 14–07–2016 तक कुल रु0 14,007.58 करोड़ (77.82 प्रतिशत) का गन्ना मूल्य भुगतान हुआ था, जबकि वर्तमान पेराई सत्र 2016–17 में अभी तक रु0 22,807.53 करोड़ (89.84) गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को कराया जा चुका है, जो गत वर्ष से रु0 8,799.95 करोड़ अधिक है। गन्ना मूल्य भुगतान में यह प्रगति सरकार के विशेष प्रयासों के कारण सम्भव हुयी है। बकाया गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु सभी बकायेदार चीनी मिलों को समय–समय पर यथा–दिनांक 08–12–2016, 01–03–2017, 17–03–2017 एवं 21–03–2017 को नोटिसें निर्गत की गयीं। इसके पश्चात् दिनांक 14–07–2017 को गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के द्वारा कम गन्ना मूल्य भुगतान करने वाली चीनी मिलों को कारण बताओं नोटिस निर्गत किया

गया है कि उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई क्यों न की जाये। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि चीनी मिलों के गन्ना मूल्य के भुगतान की साप्ताहिक समीक्षा करें। राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु पूर्णतः सजग एवं प्रयासरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे गन्ना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं। जैसा कि मा0 मंत्री जी ने बताया और मा0 मंत्री जी जब विपक्ष में थे तो गन्ना मूल्य और गन्ना चीनी मिलों के प्रति बड़ी संवेदना दिखाते थे और लगातार गन्ना के मूल्यों पर सवाल उठाते थे।

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कुल बकाया राशि 2578.93 करोड़ रुपये बताया, जबकि विधान परिषद् में माननीय मंत्री जी जो गये थे उन्होंने 2637 करोड़ रुपये बताया। इस प्रकार दोनों उत्तरों में एक विरोधाभास है। महोदय, मैं 11 चीनी मिलों का नाम बता रहा हूं। मोदी चीनी मिल पर 200 करोड़, बजाज समूह की 15 चीनी मिलों पर 1386.10 करोड़, सिम्भावली की तीन मिलों पर 187 करोड़, मवाना चीनी मिल पर 98.87 करोड़, शामली चीनी मिल पर 109 करोड़, कप्तानगंज पर 109 करोड़, एरा चीनी मिल पर 38 करोड़, मुजफ्फरनगर की भसना चीनी मिल पर 188 करोड़, बागपत की मलपुर चीनी मिल पर 300 करोड़ और बजाज शुगर मिल बिनोई पर 69 करोड़ और पड़रौना और कठकुईयां इन दो चीनी मिलों पर कुल मिलाकर 2755 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य बकाया है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री जी सदन को बताने की कृपा करेंगे कि तय सीमा के अन्तर्गत बकाये चीनी मिल का भुगतान कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मेरा दूसरा सवाल यह है कि यह किसानों के हित से जुड़ा हुआ मामला है तो क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना मूल्य चार सौ रुपये प्रति क्विंटल निर्धारण करने की सरकार की क्या कोई योजना है ?

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, लल्लू जी बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं और लगातार विभिन्न समस्याओं पर बोलते भी हैं, पर आज मुझे बड़ा आश्चर्य है कि मात्र इस थोड़े से समय में सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए इन्हें निश्चित रूप से सकारात्मक बोलना चाहिये था। मैं इन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि अक्टूबर, नवम्बर में जाकर सदन में चिंता होती थी बकाया भुगतान की। यह पहला साल है कि 19 मार्च को सरकार बनी और हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्य नाथ जी ने 19 मार्च को शपथ लेने के बाद 23 मार्च को बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान की चर्चा कर दी, यह अपने आप में ऐतिहासिक बात है। मैं माननीय सदस्य के जिले कुशीनगर की मिलों का ही पढ़ दूं तो

इन्हें अंदाजा हो जायेगा, यह हमारे बहुत विद्वान साथी हैं। पहली चीनी मिल खड्डा का पिछले साल के सापेक्ष इस वर्ष 198700000 रुपये ज्यादा हुआ है, दूसरी मिल कप्तानगंज में 574768000 रुपऐ का भुगतान ज्यादा हुआ है, तीसरी रामकोला में 872337000 का भुगतान ज्यादा हुआ है, चौथी मिल सेवरही में 504398000 का भुगतान ज्यादा हुआ है, पांचवी मिल हाटा में 218235000 रुपये का भुगतान ज्यादा हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा था कि यह हमारे साथी भी हैं और बहुत सक्रिय भी हैं कि जो भुगतान में तेजी आई है उस तेजी के लिए सदन में धन्यवाद करेंगे। माननीय विपक्ष के नेता ने कहा था कि सकारात्मक सोच से सदन चलता है, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तेजी के साथ काम कराया है यह अपने आपमें अविस्मरणीय है और हम लगातार जो अवशेष बना हुआ है उसका भुगतान कराने के लिए लगातार प्रयास जारी किये हुये हैं। हमने बताया भी है कि जिन जिलों में भुगतान बचा हुआ है वहां हमने नोटिस भी जारी की है और अतिशीघ्र भुगतान कराया जायेगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक तो इन्होंने मेरे जनपद की इतनी चीनी मिलों की गणना करा दी। पड़रौना और कठकुइयां चीनी मिल का पैसा वर्षों से बकाया है और यह दोनों चीनी मिल नीलाम भी कर दी गई हैं। पड़रौना में तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने आकर उस चीनी मिल को चलवाने की घोषणा की थी जो आज तक नहीं चल पाई है। दूसरी, आपके ही जनपद की दो चीनी मिलों का पैसा अब तक बकाया है, तो क्या इन चारों चीनी मिलों का और जितने चीनी मिलों के बारे में मैंने सदन को सूचना दी है श्रीमन्, तो क्या सभी चीनी मिलों का जिनकी मैंने आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को सूचना दी है इन चीनी मिलों का तय सीमा के अन्तर्गत भुगतान कराने का कोई निर्देश जारी करेंगे। दूसरा मैंने पूछा था जिसका जवाब नहीं आया है। चूंकि चीनी का दाम बढ़ा है। मान्यवर, गन्ना किसानों के हित को देखते हुए क्या सरकार चार सौ रुपये प्रति कुंतल की घोषणा इस सदन में करेगी ?

श्री सुरेश राणा–

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा है कि पूरी गति के साथ मेरी सरकार ने भुगतान किया है। मान्यवर, इन्होंने अभी मेरे जनपद की चर्चा की है। मान्यवर, मेरे जनपद में तीन मिले हैं पहली मिल है शामली। शामली मिल का गत वर्ष के सापेक्ष 108 करोड़ पंद्रह लाख तिरासी हजार रुपये का भुगतान ज्यादा हुआ है। दूसरी मिल ऊन है जहां पिछले वर्ष के सापेक्ष पचहत्तर करोड़ बीस लाख एक हजार रुपये का भुगतान ज्यादा हुआ है। तीसरी मिल है थानाभवन जहां गत वर्ष के सापेक्ष 107 करोड़ सत्तावन लाख अठहत्तर हजार रुपये का भुगतान ज्यादा हुआ है। मान्यवर, हम लगातार प्रयासरत्

हैं। और, मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा कि हमारी चिंता और मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता इस बात से प्रकट होती है कि 15–16 में ब्याज शून्य दिलाया गया किसानों को। 14–15 में शून्य दिलाया गया। 13–14–15 का 1976 करोड़ रुपये का मामला कैबिनेट के द्वारा किसानों का जो ब्याज था पिछली सरकार ने मिल मालिकों पर माफ कर दिया। मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि कुछ ही समय में हम लोगों ने चार करोड़ चार लाख रुपये का पहली बार किसानों को ब्याज दिलवाया है यह योगी जी की सरकार की किसानों के प्रति चिंता है और हमारे संकल्प पत्र में भी पहले दूसरे नंबर पर किसानों की चर्चा है। मा0 योगी जी ने बड़ी प्रतिबद्धता के साथ और गंभीरता के साथ गन्ना किसानों की चिंता की है मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हम बहुत तेजी के साथ गन्ना भुगतान में लगे हुए हैं जो अवशेष बकाया भुगतान है उसकी लगातार नोटिस के माध्यम से बकाया भुगतान कर रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी चार सौ रुपये प्रति कुंतल गन्ने का मूल्य निर्धारित करेंगे यह तो बता दें। मान्यवर, मैंने दो सवाल पूछे थे एक सवाल का जवाब आ गया। एक सवाल का जवाब और दे दिया जाये कि क्या गन्ना किसानों का चार सौ रुपये प्रति कुंतल रुपये निर्धारित करने का कार्य सरकार करेगी कि नहीं करेगी।

(उत्तर न आने पर)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, सरकार की गन्ना किसान विरोधी नीति के दृष्टिगत मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों सहित सदन से बर्हिगमन कर चले गये।)

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाह रहे हैं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष पूरे प्रदेश में गन्ना का उत्पादन कितना ज्यादा हुआ। दूसरा, पिछले वर्ष की अपेक्षाकृत चीनी के रेट का जो अनुपात बढ़ा उससे गन्ना मूल्य कितना बढ़ा और तीसरा प्रदेश की सहकारी और निगम की चीनी मिलों पर आज तक कितना बकाया है? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो किसान उसी मिल या समिति में बकायेदार हैं, जिन किसानों का गन्ना का भुगतान उसी मिल या समिति में बाकी है और उसी मिल या समिति से उन्होंने गन्ना का बीज, कीटनाशक दवायें ली हैं तो क्या उस बकाये पैसे को उस मूल पैसे में अदा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न गन्ना मूल्य पर है।

श्री सुरेश राणा–

मा0 अध्यक्ष जी यह स्वयं गन्ना मंत्री रहे हैं। मुझे आश्चर्य यह है कि सवाल क्या है और यह पूछ क्या रहे हैं। एक बात इनके सवाल में आयी है कि निगम की चीनी मिलों पर कितना बकाया है निगम की चीनी मिल ने सौ प्रतिशत भुगतान किया है। कोई बकाया निगम की चीनी मिल पर नहीं है और जहां तक इन्होंने कहा कि कितना क्षेत्रफल बढ़ा है, कितना उत्पादन बढ़ा। इसका कोई संबंध सवाल से नहीं है। लेकिन एक जानकारी आपको दे रहा हूं कि कई प्रदेशों में इतना गन्ना क्षेत्रफल नहीं है जितना मा0 योगी जी के चेहरे को देखकर मा0 योगी जी की प्रतिबद्धता को देखकर इस सरकार के काम को देखकर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों ने दो लाख हे0 गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाया है।

(श्री लालजी वर्मा के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष–

मा0 वर्मा जी, इस सवाल पर आधा घण्टा लग गया।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं आया। मैं खुद गन्ना का किसान हूं।

श्री अध्यक्ष–

इस सवाल पर आधा घण्टा हो गया है। आप हमारा सहयेाग करें।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मान्यवर, यह किसान से जुड़ा हुआ आवश्यक मुद्दा है। मैंने मा0 मंत्री जी से जानना चाहा है कि गत वर्ष की अपेक्षाकृत इस वर्ष पूरे प्रदेश में गन्ना का उत्पादन कितना बढ़ा और चीनी का रेट कितना बढ़ा और बढ़े हुये मूल्य को लेकर वह अंतर कितना हुआ और कोआपरेटिव पर कितना बकाया है?

श्री सुरेश राणा–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि विपक्ष के नेता इतने शानदार हैं और वास्तव में कल हमारी मंत्री जी ने भी कहा था कि जब हम लोग इन्हें सुनते हैं और इनका बहुत लम्बा अनुभव भी है। तो इनको कम से कम इतना तो बता दें कि सवाल क्या है और पूछ क्या रहे हैं। इस प्रश्न से इसका कोई मतलब नहीं है। आप जो जानकारी चाहते हैं वह लिखकर दे दें आपके पास जानकारी भिजवा देंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

इस सवाल पर आधे घण्टे से ज्यादा हो गया। अब अगला प्रश्न लेते हैं।

नत्थी–ग

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में शराब बन्दी कानून लागू कराने विषयक जानकारी

'01–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में जहरीली शराब से हो रही मौतों के नियन्त्रण के लिये गुजरात, बिहार, पंजाब प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश में भी शराब बन्दी कानून लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 की सातवीं अनुसूची की सूची संख्या–2 की प्रविष्टि संख्या–8 के अन्तर्गत राज्य को मदिरा के उत्पादन, वितरण एवं विनियमन का अधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार द्वारा मदिरा व्यापार के अनन्य विशोषाधिकार को अनुज्ञापी के पक्ष में हस्तान्तरित किया जाता है, जिसके बदले में राज्य सरकार को प्रतिफल शुल्क के रूप में राजस्व की प्राप्ति होती है। प्राप्त राजस्व का उपयोग राज्य की जनकल्याण एवं विकास योजनाओं को संचालित किये जाने में किया जाता है। शराब के उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने से अवैध मद्य निष्कर्षण एवं अवैध मदिरा के व्यापार का परोक्ष रूप से प्रश्रय मिलेगा तथा जन सामान्य अवैध स्रोतों से क्रय कर मदिरा का सेवन करने के लिये दुष्प्रेरित होगा जो जनस्वास्थ्य के सर्वथा प्रतिकूल होगा तथा इससे व्यापक जनहानि की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अतः व्यापक राजस्वहित एवं जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में शराब बंदी लागू किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मा0 अध्यक्ष जी, गांधी जी ने कहा था, शराब, शरीर और आत्मा का नाश करता है। महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में केन्द्र और राज्य सरकार को 47वें अनुच्छेद पर अमल करने को कहा था और यह कहा था कि शराब की खपत घटायें और लगातार जिस तरह से मौतें हुई हैं, अभी उस दिन भी हम लोग आजमगढ़ के रौनापार क्षेत्र के 28 लोगों की मृत्यु का, 2016 में एटा में 24 लोगों का, 2015 में लखनऊ और उन्नाव में 42 लोगों का, 2013 में आजमगढ़ के मुबारकपुर में 47 लोगों को और वाराणसी में 2011 में 12 लोगों और इसी प्रकार कुशीनगर, बहराइच, सुल्तानपुर, सीतापुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, एटा, उन्नाव, बाराबंकी और भदोही, इन तमाम जनपदों में बहुत सारी मौतें पिछले 2009 से लगातार घटनाएं घटी हैं। महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी जो लगातार जहरीली शराब के सेवन से मौतें हो रही हैं, उसको देखते हुए, संवेदना दिखाते हुए जिस तरह बिहार में और पंजाब में अभी कांग्रेस सरकार ने इसे बन्द किया और जगह–जगह प्रदेश भर में महिलाएं भी आन्दोलित हैं, उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए, इससे घरेलू हिंसा भी बढ़ रही है।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू' –

मान्यवर, इस गंभीर विषय को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी शराब बन्द करने की घोषणा इस सदन में करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आपने संविधान के जिस 47वें अनुच्छेद का उल्लेख किया है, वह नीति निदेशक तत्वों में है और वह न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। माननीय मंत्री जी उत्तर दे दीजिए।

श्री जय प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे लल्लू जी ने महात्मा गांधी का जिक्र किया और जब से यह देश आजाद हुआ, 50 साल से कांग्रेस पार्टी इस देश में राज्य कर रही है, तब आपको बापू का ध्यान नहीं आया, न आपने शराब सेवन को बन्द किया। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई) आज 70 साल के बाद आपने यह प्रश्न उठाया और अधिकांश राज्यों में आज भी मदिरा का वितरण, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसका कन्ट्रोल करना हर राज्य के राजस्व हित में होता है। इससे अनेकों लाभकारी काम भी होते हैं और इस प्रश्न के उत्तर में भी हमने शुरूआत में दिया है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में शराब बन्दी पर कोई फैसला नहीं होगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू' –

मा0 अध्यक्ष जी, अभी पंजाब में कांग्रेस की सरकार आते ही शराब पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाने का आदेश जारी कर दिया।

श्री अध्यक्ष–

हम लोग दूसरे राज्यों का यहां डिस्कस नहीं कर सकते।

श्री अजय कुमार 'लल्लू' –

मान्यवर, चूँकि राजस्व से सम्बन्धित मामला माननीय मंत्री जी ने बताया है, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, जिस तरह बिहार में, गुजरात में, पंजाब में राजस्व वृद्धि के लिए अन्य चीजों पर टैक्स लगाकर उसको प्राविधानित करके उसकी खानापूर्ति की जा रही है। महोदय, तो क्या अन्य चीजों पर टैक्स लगाकर इसको प्रतिबन्धित करने का काम करेंगे? यह प्रदेश की महिलाओं के सम्मान का भी मामला है।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी कह चुके हैं कि वह नहीं करेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय अध्यक्ष जी, जब से भारत आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक सर्वाधिक प्रदेशों में और सबसे ज्यादा केन्द्र में ये हुकूमत में रहे, जब मा0 मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब उसने पहली बार शराब बन्दी का निर्णय लिया

था, तो जिम्मेदारी मान्यवर जो ज्यादा सत्ता में रहा उसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, आज यह सीख दे रहे हैं यहां पर खड़े होकर के और उसका नतीजा क्या हुआ मान्यवर, जो हमारी पार्टी की बुनियाद थी मा0 मोरारजी देसाई के साथ भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन जनसंघ एक घटक के रूप में था जनता पार्टी के और हमने यह फैसला किया था कि शराब बन्दी हो, हम आज भी शराब के फेवर में नहीं हैं मान्यवर, हम शराब के खिलाफ हैं, हम नशे के खिलाफ हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हम किसी चीज से नफरत करते हैं तो नशे से, लेकिन व्यवहारिक स्थिति क्या हुई, व्यवहारिक स्थिति उसकी यह हुई कि नकली शराब बनना शुरू हो गई, लोगों ने अपनी आदतें नहीं छोड़ी, मान्यवर अंग्रेज चले गये हिन्दुस्तान से, चिलम की जगह सिगरेट छोड़ गये, अग्रेज चले गये पैंट और बुशर्ट छोड़ गये। तो वर्षों तक जिस व्यवस्था में हम रहे मान्यवर, आज ये कानून और व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, कानून और व्यवस्था देन इनकी है, इतनी खराब स्थिति 10 साल में कर दी कि पूरा प्रदेश त्राहि–त्राहि कर रहा है, इतनी कानून–व्यवस्था को खराब करने की जड़ें जमा दीं मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

आप शराब पर बताइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, शराब के ऊपर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी, शराब बन्दी के ऊपर, इस देश को सही संस्कार देने के लिए मान्यवर, उन्होंने सत्ता तो चलाई, लेकिन ठीक से संस्कार इस देश को नहीं दिये। आज जितनी बुराइयां देने की हैं, अगर हम हिस्सेदारी करें तो सबसे ज्यादा बुराई देने की हिस्सेदारी अगर जाती है, तो कांग्रेस के जिम्मे जाती हैं, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो शराब बन्दी के ऊपर यह भाषण दे रहे हैं, यह पूरी तरीके से अनैतिक भी है, अवैधानिक भी है और सरकार के सामने ऐसा कोई प्रश्न विचारणीय नहीं है, हमारे सामने कई विवशतायें हैं, कई हमारी मजबूरियां हैं, इसलिए ऐसा कोई विचार, सरकार के पास विचारणीय नहीं है। मान्यवर, ज्यादा जिम्मेदारी बन्द करने की इनकी थी, जो इन्होंने नहीं किया।

नेता विरोधी दल (श्री रामगोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने प्रश्न किया, मा0 मंत्री जी उसका उत्तर दे रहे थे, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने जनता पार्टी सरकार की बात कही, मा0 मोरारजी भाई की सरकार ने शराब बन्दी की पूरे देश में, यह बात सही है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने जनता पार्टी से अपने को अलग कर लिया, इसी कारण से और कोई कारण नहीं था, सिर्फ दो कारण थे, शराब बन्दी और शिक्षा का एक समान होना, यह भी आया था मा0 मोरारजी भाई की सरकार में।

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, दोहरी सदस्यता का मामला था।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

मान्यवर, यह बात भी सही है और एक बात और इन्होंने कही ठीक है शराब बन्दी ये नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस के जमाने में अवैध शराब से इतनी मौतें कभी नहीं हुईं, इतिहास है, कांग्रेस की सरकारों में इतनी अवैध शराब से लोगों की मौतें नहीं हुईं,

जो 10–15 साल से हो रही हैं। तीसरा, मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि यह सवाल चल रहा था शराब बन्दी पर ठीक है, इन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे। हमारी भी सरकार ने कहा कि राजस्व को देखते हुए हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं लेकिन उसमें कानून व्यवस्था का फिर सवाल उठा जबकि कोई मतलब नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के इतिहास में गुण्डे और अपराधियों का साथ अगर इस प्रदेश में किसी ने दिया तो 1991 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ तहसीलदार सिंह को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। प्रदेश में अपराधियों को सबसे पहले मंत्रिमण्डल में शामिल करने का काम अगर किसी ने किया तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने किया। अपराधियों का हौसला बढ़ाने का काम इन्होंने किया।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न का भाग नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक तो हम यह समझते थे कि इधर के लोगों को केवल उत्तरप्रदेश की ही गलत जानकारियां हैं लेकिन आज यह साबित हो गया कि पूरे देश के बारे में गलत जानकारी इनके पास हैं। मान्यवर, जनता पार्टी जिस बिना पर टूटी है यह पूरा हाउस जानता है, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, पत्रकार दीर्घा और मान्यवर ये सारे लोग जानते हैं कि किस बुनियाद पर जनता पार्टी टूटी, सारे लोग जानते होंगे। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है 365 दिन में 366 अपहरण हुए आपकी सरकार में 2005 में। एक अपहरण रोज। एक साल में 365 दिन में 366 अपहरण मान्यवर, रिकार्ड निकाल कर देख लीजिए। और एक–एक अपहरण में फिरौती और वे फिरौती में मालूम क्या पूछते थे कि चले जाओ वहां, उनसे बात कर लो, पुलिस से कुछ नहीं होगा, फलाने नेता के पास चले जाओ, फलाने के पास चले जाओ, समाजवादी पार्टी के नेता के पास चले जाओ अपहरण तुम्हारा छूट जायेगा यह किसे नहीं मालूम और मान्यवर, ये जो सरकार इधर बैठी है यह इनके सत्कर्मों की वजह से बैठी है। अगर ये इतनी खराब कानून व्यवस्था न करते और हमारी पार्टी वाले इतना संगठन और मोदी जी का नेतृत्व न होता तो हम इधर न बैठे होते। इनका बहुत बड़ा योगदान है।

श्री अध्यक्ष–

आपको इनको धन्यवाद दीजिए इनसे नाराज क्यों हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी, मान्यवर, हम इनको रोज धन्यवाद देते हैं। इनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ये कहां खोएं हैं। इनको तो इस बात के लिए रोज धन्यवाद देते हैं कि इन्होने कानून व्यवस्था को इतना खराब किया, इतना खराब किया कि जनता त्राहि–त्राहि करने लगी, ये उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी के बाद 1977 के बाद पहली बार 325 सीटे इस सदन को मिली, पहली बार। ये क्या कहेंगे कानून व्यवस्था। ये पैरों से

लेकर सिर तक रंगे हुए हैं कानून व्यवस्था में। गुण्डे, अपराधियों को संरक्षण देने में अगर कोई नोबल पुरस्कार मिलता होता तो ये सबसे पहले बाजी मार ले जाते।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्नों का घण्टा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, इनके मंत्रिमंण्डल में विधानसभा सदस्यों ने अपराधिक रिकार्ड बना लिया, इनका अपराधिक रिकार्ड है। सत्ता पक्ष के लोगों का कितना अपराधिक रिकार्ड है विपक्ष के लोगों का कितना, वह सदन के पटल पर है। माननीय अध्यक्ष जी, यहां तो अपराध की बढ़ोतरी नहीं, सुनामी आई है। रोज डकैती, बलात्कार, हत्या, रोडवेज बस से 80 किलो चांदी लूटी गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, स्टेट बैंक से पैसे लूटे जा रहे है, बैंक लूटे जा रहे हैं आप कहां खड़े हो, संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं जिस बात का प्रश्न किया कि 1991 में माननीय अध्यक्ष जी आप गवाह हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जैसे समाजवादी नेता के खिलाफ तहसीलदार सिंह को टिकट कौन दिया? और दूसरी बार जब फिर मुलायम सिंह लड़े तब फरूखाबाद से पहलवान को टिकट कौन दिया जो सबसे बड़ा अपराधी का प्रदेश का। अपराधियों को संरक्षण देने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देखे और आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के अपराधिक रिकार्ड आपके सदन के पटल पर रख दिये गये, मान्यवर मै आग्रह करता हूं, स्थिति स्पष्ट हो जायेगी, इस तरह से कुछ भी कह देना, ठीक नहीं है, नहीं तो इस पर चर्चा करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

हम आप नेताओं के साथ बैठ करके चर्चा पर विचार कर लेंगे। मा0 वर्मा जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मा0 वर्मा जी क्या प्रश्न के बारे में पूछ रहे हैं? मा0 अध्यक्ष जी, ऐसा है, मैंने तो केवल शराब बन्दी के ऊपर जो बात थी, सरकार की विवशता के बारे में बता दिया। मान्यवर, राजस्व की वजह से यह सम्भव नहीं है। यह बता दिया कि ऐसा कोई विचार नहीं है। मान्यवर, वह तो विषय इसलिए कि रोज कानून व्यवस्था, रोज कानून व्यवस्था, रोज कानून व्यवस्था। मान्यवर, ये उसके जनक हैं। हमने जैसा कहा कि अंग्रेज छोड़ गए, चिलम को सिगरेट में बदल गए। हमारे कुर्ते पायजामे, कुर्ते धोती को पैण्ट में बदल गए। यह आपकी छोड़ी हुई छाप हम वर्षों तक मिटाते रहेंगे। जो अपराधी प्रवृत्ति इस देश और प्रदेश में इन्होंने पैदा की है, जो अपराधी प्रवृत्ति इन्होंने दी। मान्यवर, उसकी छाप वर्षों तक नहीं मिटेगी और इनके कुकर्मों की वजह से हम यहां पर बैठे हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा यह अनुरोध है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आप सभी मा0 सदस्यों का आपराधिक रिकार्ड मंगवाइए। ये कह रहे हैं कि हम जनक हैं। मैंने तो एक ही सवाल किया है कि 1991 में मुलायम सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने किसको टिकट दिया। मान्यवर, फिर जब मुलायम सिंह उप चुनाव लड़े तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने किसको टिकट दिया। यह इसका रिकार्ड और दूसरी जो मैंने मांग की है कि विपक्ष के सभी मा0 सदस्यों का आपराधिक रिकार्ड और सत्ता पक्ष के सभी मा0 सदस्यों का आपराधिक रिकार्ड सदन के पटल पर आ जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलग–अलग विचार हैं। हम उस पर नहीं कह सकते।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह प्रश्न प्रहर है और शराब बन्दी पर प्रश्न किया गया।

श्री अध्यक्ष–

आप देखिए कि शराब का कितना असर है कि प्रश्न प्रहर में ही सब हो गया।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न आ जाने दीजिए। आपने जब अनुमति दी है तो प्रश्न भी आ जाने दीजिए। मेरा यह अनुरोध है कि चूँकि इस उत्तर से लोग सन्तुष्ट नहीं हैं और इस पर वाद–विवाद बढ़ गया इसलिए इस प्रश्न पर, शराब बन्दी पर आप नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा स्वीकार कर लें।

प्रदेश में नीलगाय तथा आवारा पशुओं द्वारा फसल को बर्बाद करने से रोकने विषयक जानकारी

'02–श्री नितिन अग्रवाल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नीलगाय एवं जंगली पशु हर वर्ष किसानों की लाखों हेक्टेयर फसल को बर्बाद कर देते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त के निराकरण हेतु कोई कार्ययोजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं उद्यान मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)–

प्रदेश में नीलगाय एवं जंगली पशुओं द्वारा कृषि फसलों को क्षति पहुंचाये जाने की छुट–फुट घटनायें प्रकाश में आती रहती है।

जी हां, किसानों की फसलों को वनरोज/नीलगाय एवं जंगली सूअरों से निजात दिलाने हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 यथा संशोधित धारा–4(1) के अन्तर्गत विशेष कार्ययोजना के तहत शासनादेश संख्या–446/14–4–2013, दिनांक 04–03–2013 द्वारा वनरोजों/नीलगाय एवं जंगली सुअर द्वारा कृषि फसलों को क्षति पहुंचाये जाने की समस्या से निजात दिलाने हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है :––

1–जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–प्रभागीय वनाधिकरी	सदस्य सचिव
3–जिला कृषि अधिकारी	सदस्य

4–जिला पशुधन अधिकारी सदस्य

5–जिला उद्यान अधिकारी सदस्य

उक्त समिति द्वारा जिले के प्रत्येक ब्लाक में वनरोज एवं जंगली सुअरों से फसलों को होने वाले नुकसान की समीक्षा की जायेगी। इस समिति द्वारा वनरोज एवं जंगली सुअर को परमिट द्वारा मारने की त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी तथा इनके नष्ट होने की 70 प्रतिशत तक की सीमा प्राप्त हो जाने पर परमिट जारी नहीं किया जायेगा।

यह समिति चिन्हित वनरोज एवं जंगली सुअर से समस्याग्रस्त क्षेत्र में किसानों से वनरोज एवं जंगली सुअर को मारने हेतु आवेदन पत्र ब्लाक स्तरीय कृषि अधिकारी के माध्यम से एकत्र कराकर उसे खण्ड विकास अधिकारी या वन अधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा जिले में ऐसे आग्नेयास्त्र लाइसेंसधारी जिनके पास रायफल हों या 12 बोर की बन्दूक के साथ एलजी कार्टरेज हों एवं आतंकी वनरोजों को नष्ट करने के इच्छुक हों, का पैनल तैयार करेगी।

यह समिति एक पंजिका संधारित करेगी इस पंजिका में परमिट के विवरण के साथ–साथ निस्तारण हेतु कृत कार्यवाही का विवरण अंकित किया जायेगा तथा समिति द्वारा इसकी मासिक सूचना संलग्न प्रपत्र में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 को प्रत्येक माह संकलित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

वनरोज/नीलगाय एवं जंगली सुअर को नष्ट करने की अनुमति क्षेत्रीय वनाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में विस्तृत शर्तें शासनादेश संख्या–446/14–4–2013 दिनांक 04–03–2013 में अंकित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य प्रश्न पूछिये।

(श्री प्रभात कुमार वर्मा के उत्तर से संतुष्ट होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप संतुष्ट हैं उत्तर से।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह एक बहुत बड़ी समस्या है और मान्यवर किसानों की काफी फसलें चाहे वह इस पक्ष के हो या उस पक्ष के हो, यह सबकी चिंता है सबके क्षेत्रों में नीलगाय के नाम से जिनको पुकारा जाता है जिनका असली नाम वनरोज है, इनकी अत्यधिक संख्या हो गई है और मान्यवर, निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये–ये कमेटी है इसके द्वारा उसकी परमिट दी जायेगी। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किसी एक जिले में भी मैं उदाहरण के रूप में अम्बेडकरनगर जिले के बारे में ही पूछ लेता हूं मान्यवर, कि क्या अम्बेडकरनगर में किसी को इस आवेदन के आने के बाद भी मारने की परमिट दी गई? किसी भी एक जिले का बता दें

कि इस प्रदेश में कितने जिलों में मारने की परमिट दी गई, एक–दो भी जगह दी गई तो आप बता दें।

श्री दारा सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे वनरोज है जो देहातों में नीलगाय के नाम से जानते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि इसका नाम नीलगाय नहीं यह वनरोज है, लेकिन बोल–चाल की भाषा में नीलगाय कहते हैं। चूँकि इसमें अंतर बहुत है, जो अंतर लोगों में है और जब यह शब्द जुड़ जाता है गाय का, तो लोगों का एक सेन्टीमेंट उससे जुड़ जाता है।

(विपक्ष की तरफ से आवाज आई कि ''गौरक्षा वाले'')

श्री दारा सिंह चौहान–

केवल गौरक्षा वाले ही नहीं, ये तो सारे लोग हैं, क्योंकि उन्हीं के नाते आज पूरे देश में गाय बची हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न के बारे में बताना है कि वर्ष 2013 में पूर्व की सरकार में यह शासनादेश जारी हुआ था और जो सवाल आज पैदा हो रहा है, इसके लिए विधान सभा में एक नहीं दर्जनों बार सवाल उठाये गए और वर्ष 2017 में विधान सभा में 6 प्रश्न ऐसे लाए गए हैं और उसके लिए जितनी समितियां बनाईं गईं जिलाधिकारी के नेतृत्व में वर्ष 2013 में जितने भी लोग मैंने पहले ही इस सवाल के उत्तर में दे दिया है कि जितने भी इच्छुक लोग हैं, उस जिले में, इसको समाप्त करना चाहते हैं, उनका नुकसान करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसमें परमिट उनको दी जाती है, चाहे माननीय सदस्य के जिले में हो या प्रदेश में कोई भी सदस्य हो, यह परमिट जारी की जा सकती है और माननीय मैं बता दूं कि यह नियम लागू है 2013 से, जब शासनादेश हुआ। वर्ष 2017 में संख्या आई लेकिन जब प्रदेश में एक भी लोग एप्लाई नहीं करेंगे, उस समिति के सामने अपने जिले की समस्या को लेकर परमिट उनको नहीं दी जाती है। वर्मा जी अगर चाहेंगे परमिट तो उन्हें क्यों नहीं मिलेगा, अगर चाहेंगे उनके जिले का तो निश्चित दिया जाएगा। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है और प्रदेश में जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ के जानकार हैं, जितने भी पर्यावरणविद् हैं और जितने भी एन0जी0ओ0 हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, चूँकि पूरी तरीके से हमारी सरकार गंभीर है। फसलों का नुकसान न हो इसका क्या रास्ता निकाला जा सकता है इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

श्री रितेश पाण्डेय–

आदरणीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो समिति बनाई गई है, जो ये लाइसेन्स परमिट देगी जिसमें तमाम जिलाधिकारी, प्रभारी वन अधिकारी वगैरह इसमें सम्मिलित हैं। जैसा कि सिंगल विण्डो की बार–बार बात की जाती है कि उससे आसानी से तमाम लाइसेंसेज दिए जा सकते हैं। मेरे ही क्षेत्र जलालपुर में हम देखते हैं कि तमाम ऐसे अन्त्योदय के लोग हैं जो जंगली सुअर तथा इन सब चीजों का शिकार करते हैं लेकिन वह लोग जब शिकार से लौटते हैं तो उनके पास बंदूकों का लाइसेंस या परमिट नहीं है। वह शिकार अपने औजारों से करते हैं। जब वह शिकार करके लौटते हैं तो वहां पर जो पुलिस प्रशासन रहता है, वह उनको रोक करके उनसे उनका शिकार भी छीन

लेता है। इस स्थिति में क्या एक सिंगल विण्डो सिस्टम तैयार किया जायेगा जिसमें एक ही जगह जाने पर क्योंकि जो गरीब लोग हैं वह इतने लोगों के पास जा कर पत्राचार भी नहीं कर पाएंगे। बहुत–से लोग अनपढ़ रहते हैं तो क्या उन लोगों की सुविधा के लिए एक सिंगल विण्डो सिस्टम, एक ही व्यक्ति के जरिए इन लोगों को परमिट देने का काम सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, आप भी पूछ लीजिए तो दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही आ जायेगा।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, निश्चित रूप से एक कमेटी बनी है लेकिन इसमें परमिट दिए नहीं जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सुनिशचित करेंगे कि किसान जो इस संबंध में इन दोनों जानवरों को मारने के लिए परमिट चाहेंगे तो उनके आवेदन करने के एक माह के अंदर ही या दस दिन के अंदर उनको परमिट सुशिचित रूप से दे दिया जायेगा ?

श्री दारा सिंह चौहान–

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि परमिट नहीं दिया जाता है, 2009–10 से लेकर के 2017 तक 518 परमिट दिए गए हैं। अगर वह चाहेंगे तो निश्चित रूप से इस पर विचार किया जायेगा। माननीय रितेश पाण्डेय जी ने जो सवाल किया है उसका मूल जो इनके सवाल से लगता था कि जिनके पास असलहें हैं उनको सिंगल विण्डो के आधार पर अगर असलहा चाहते हैं।

श्री रितेश पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, वह अपने औजारों से जैसे बल्लम आदि से अगर वह शिकार कर रहे हों तो उनको एक सिंगल विण्डों से परमिशन दे दिया जाये।

श्री दारा सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि यह एक ऐसा मामला है जिससे लोगों का थोड़ा–सा भावनात्मक जुड़ाव रहता है लेकिन इसके बावजूद भी वही लोग इसके परमिट के हकदार होंगे या परमिशन ले सकते हैं जिनके पास सरकारी लाइसेंस हों और जो अगर असलहे से लैस हैं तो वह अप्लाई करें, उनको परमिट दे दी जायेगी।

प्रदेश के महानगरों तथा शहरों के बाहरी क्षेत्रों में सम्पूर्ण अवस्थापना सुविधायें प्रदान कराने विषयक जानकारी

'03–श्री संजय गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों तथा शहरों के बाहरी क्षेत्रों में बढ़ती हुई आबादी के दृष्टिगत उक्त क्षेत्रों में जनसामान्य को सम्पूर्ण अवस्थापना सुविधायें प्रदान कराने हेतु क्या सरकार ने कोई नीति बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

' **नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)**–

जी हां।

प्रदेश के महानगरों में बढ़ती आबादी को दृष्टिगत रखते हुए महानगरों के बाहरी क्षेत्र का समुचित विकास करने हेतु उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 एवं विशेष क्षेत्र विकास अधिनियम, 1986 में समुचित प्राविधान किए गए हैं। उक्त के साथ ही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–455/आठ–1–14–129 विविध/2012, दिनांक 04–03–2014 द्वारा राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2014 लागू की गयी है।

शहरी क्षेत्रों की ऐसी आबादी जो नागर निकायों द्वारा अधिग्रहीत कर ली जाती है उस आबादी में अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं को विकसित किये जाने का दायित्व नागर निकायों का है। नगर विकास विभाग द्वारा अवस्थापना सुविधाओं हेतु अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय झील/तालाब/पोखर योजना, सड़क सुधार योजना, जल निकासी योजना, पेयजल/सीवरेज योजना/आदर्श योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल दो सवाल करना चाहता हूं। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना के आधार पर यूं तो केन्द्र सरकार और आपका बहुत लगाव है और गांव से शहरों की तरफ जो आबादी का पलायन बढ़ रहा है उसमें आम तौर पर नगर में काम करने के लिए आने वाला श्रमिक सस्ते तौर पर जानकारी के अभाव में 20 से 50 गज तक की छोटी जमीन के टुकड़े लेकर जो अविकसित कांलोनियों में बमुश्किल अपना मकान बना लेता है, उन कालोनियों को यह कहकर की यह अवैध कांलोनियां हैं, उन्हें अवस्थापना संबंधी सुविधाओं से महरूम किया जाता है। मैं केवल इतनी बात जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की कांलोनियों को भी पीने का पानी, पानी की निकासी और सड़कों की सुविधा के लिए सरकार कोई नियोजित योजना बनाने पर विचार करेगी। मान्यवर, प्रश्न नं0 2 है महानगरों में जो बढ़ती हुई जनसंख्या और आबादी है यह जो पुराना सीवेज सिस्टम है वह ब्लाक हो गया है उसकी जो पानी निकासी की कैपेसिटी है इसलिए उस पुराने सीवेज सिस्टम के बजाय नई टेकिंग प्रणाली के तहत बड़े सीवर प्लांट को सीवेज की व्यवस्था करने हेतु बड़े गाइन्टर का पाइप लगाने के लिए भी समुचित बजट की व्यवस्था करते हुए क्या शहर के उन पुराने शहर के सीवेज सिस्टम को भी बदलने की व्यवस्था सरकार करेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को यह जानकारी होगी कि एक यह बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने पड़ रही है जो आउटर स्कर्ट में लोग मकान बनाकर, गुमटी रखकर, झोपड़ी डालकर या विभिन्न तरीके से वहां पर जमीन खरीदकर वहां अवैध कालोनी काट रहे हैं तो हमने इसको विनियमित करने के लिए व्यवस्था बनाई है कि उन लोगों की एक एसोसियेशन अगर बन जाय और एसोसियेशन के माध्यम से हमने यह प्रयास किया है कि जो शहरी क्षेत्र में आते हैं उनके मानको को शिथिल करके उन क्षेत्रों में जो बेसिक सुविधाएं हैं जो सड़क की सुविधा है और नाली वगैरा की सुविधा है, जो बेसिक सुविधायें हैं हम उनको उपलब्ध करा देंगे। हालांकि मान्यवर, यह बहुत बड़ी

चुनौती है विकास प्राधिकरणों में जहॉ–जहॉ विकास प्राधिकरण हैं जिन महानगरों में वहां पर तो यह विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी है और जहॉ पर विकास प्राधिकरण नहीं हैं उन शहरों के बाद जो इस प्रकार की कालोनीज डेवलप हो जाती है वहॉ आरबीओ ऐक्ट जैसा कि मैने इसमें बताया आपको उसके तहत उन क्षेत्रों में विकास, जो कालोनी बसती है उनकी हम एक ऐसोसियेशन बनाते हैं उस एसोसियेशन से कांट्रेक्ट करते हैं हम चाहते हैं कि इसको जो बेसिक मिनिमम सुविधायें हैं उन लोगों को प्रोवाइड की जाय। जहॉ तक दूसरा सवाल आपका है हमने उसके लिए एक भारत सरकार की अमृत योजना 2015 में लांच हुई उसमें 11000 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गयी है उसमें स्टेट और केन्द्र दोनों मिलकर चाहे सीवेज सिस्टम हो, चाहे पेयजल हो और चाहे पार्किंग की सुविधा हो, शहरी अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हम हर प्रकार की सुविधा इस संबंध में बनाई है और हम लगातार उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। इस वर्ष भी हमने अमृत योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई पीने के पानी की योजना और खास तौर से सीवरेज जिसके लिए यह योजना बनी है उसके माध्यम से लोगों तक जो बेसिक एम्युनिटीज है उसको पहुंचाने का काम कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे।

हाजी इरफान सोलंकी–

अध्यक्ष जी, हम संसदीय कार्यमंत्री जी के संज्ञान में बात लाना चाहते हैं हमारे सतीश महाना जी बैठे हैं क्योंकि इनका भी क्षेत्र वही है कानपुर नगर से आते हैं हमारी बात से सहमत होंगे। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि वहॉ की जो डेवलपमेन्ट एथारिटी है उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए पानी के लिए हमारी विधान सभा बहुत पिछड़ी विधान सभा है जहॉ 33 से ज्यादा मलीन बस्तियां हैं और यह बात मैं इसलिए यहॉ कह रहा हूं कि शायद महाना जी हमारी बात पर बल देंगे और इनको बताने की कोशिश भी करेंगे। महाना जी, महराजपुर विधान सभा से आते हैं जहॉ और भी मलीन बस्तियां हैं हमारी सरकार ने वहॉ पर बहुत काम कराया और पानी की सुविधा दी अभी जो अमृत योजना इन्होंने बताई हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी ने वहॉ पर मैंने दो नलकूप का प्रस्ताव भेजा, हमारा उसमें पैसा ही नहीं स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष–

यह तो आप अपनी कठिनाई बता रहे हैं यह तो प्रश्नोत्तरकाल है, आप प्रश्न पूछिये।

हाजी इरफान सोलंकी–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी बात आ जाने दीजिए। आदरणीय संसदीय कार्य–मंत्री जी हमारी योजना में जो हमने प्रस्ताव भेजे हैं न तो उसमें पैसा आया और जो नलकूप हैं वह आपके आरएसएस संसद भवन के पीछे ही लगने की बात चल रही है वहीं के लोगों को पानी पिलाने की बात हो रही है वहीं के जो डी0एम0 साहब हैं उन्होंने साफ–साफ कहा कि पैसा नहीं है हमारे पास। आपने कहा कि कानपुर की जो डेवलपमेन्ट एथारिटी है उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए नगर निगम कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप माननीय मंत्री जी को सब लिखकर भेज देना।

हाजी इरफान सोलंकी–

जी भेज चुके हैं, कल भी हमने दिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इसको दिखवा भी लेंगे। हमने कल भी इनसे कहा था, यह हमसे बराबर मिलते रहते हैं, सहयोग करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं पिछले 15 वर्षों से इस इश्यू को वहॉ पर बैठकर बराबर उठाता रहा हूं। पुराने सदस्य इस बात को जानते हैं। मान्यवर, यह बड़ा गंभीर विषय था, जिसको आज माननीय सदस्य ने उठाया है। जिस समय मैं कहता था, इन कालोनियों के बारे में, तो यहॉ बैठे हुये नेताजी जो पहले थे, वह कहते थे कि इन कालोनियों का कुछ नहीं हो सकता, यह सारी अवैध कालोनियॉ हैं, इनको उजाड़ देना चाहिये। मान्यवर, मैं बराबर 15 सालों से इस विषय को यहॉ बोलता रहा हूं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री और नगर विकास मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो सुनना चाहते थे, वह आज वर्षों बाद सुनने को मिला है कि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये जल निकासी, सड़कों और पानी की व्यवस्था होगी। पहली बार ऐसा सुनने को मिला है। मैं इसके लिये माननीय संसदीय कार्य और नगर विकास मंत्री जी को बहुत–बहुत बधाई देता हूं।

प्रदेश में कचरा के प्रबंधन की दीर्घकालिक और अंशकालिक परियोजना के सम्बन्ध में

'04–श्री पंकज सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जन स्वास्थ्य के लिये खिलवाड़ बन गये कचरा के प्रबंधन की कोई दीर्घकालिक और अंशकालिक परियोजना सरकार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

प्रदेश में जन स्वास्थ्य के लिए कचरा के प्रबन्धन हेतु स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सरकार द्वारा दीर्घकालिक योजना तैयार की गयी है। इस योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त 653 नगर निकायों में अक्टूबर, 2019 तक किया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 621 नगर निकायों में क्लस्टर आधार पर योजना क्रियान्वित की जायेगी। अवशेष 32 नगर निकायों में योजना स्वीकृत है।

अंशकालिक परियोजनाओं के अन्तर्गत 105 नगर निकायों में डोर–टु–डोर कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन का कार्य सुनिश्चित करने हेतु एक योजना स्वीकृत की गयी है, जिससे नगर निकायों में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़ा गया)

श्री पंकज सिंह–

मान्यवर, हम इससे सहमत हैं।

प्रदेश के बन्द पड़ी गन्ना मिलों को पुनः चालू कराने विषयक कार्य योजना की जानकारी

'05–श्री उमाशंकर सिंह–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बन्द पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार राणा–

प्रदेश में बन्द पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू करने की सरकार की कोई योजना नहीं है, परन्तु प्रदेश के कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए जनहित में उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 के अधीन बन्द चीनी मिलों को यथा सम्भव पुनः संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम चरण में मात्र उन चीनी मिलों को चिन्हित किया गया है, जहां गन्ना विकास कार्य कराये जाने के पश्चात् मिलों की आवश्यकतानुसार पेराई हेतु आवश्यक गन्ना उपलब्ध होने की सम्भावना है तथा चीनी मिलों में मय–कोजन, मय–आसवानी हेतु अविवादित पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।

इस क्रम में उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की बन्द 10 चीनी मिलों यथा–पिपराईच (गोरखपुर), मुण्डेरवा (बस्ती), महोली (सीतापुर), छाता (मथुरा), बुढ़वल (बाराबंकी), नवाबगंज (गोण्डा), नन्दगंज (गाजीपुर), घाटमपुर (कानपुर), रामपुर (रामपुर) एवं मेरठ (मेरठ) में से पिपराईच (गोरखपुर) तथा मुण्डेरवा (बस्ती) चीनी मिल परिसर में नई चीनी मिल 3,500 टी0सी0डी0 क्षमता (5,000 टी0सी0डी0 तक विस्तार योग्य) मय कोजन एवं आसवानी स्थापित किये जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी गयी है। उक्त परियोजनाओं हेतु डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त चीनी निगम की 03 चीनी मिलों यथा–बुढ़वल, छाता एवं नन्दगंज में इन्टीग्रेटेड शुगर काम्प्लेक्स विकसित करने हेतु निजी निवेशक को दीर्घकालीन लीज पर दिये जाने की कार्रवाई प्रगति पर है।

इसी प्रकार उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की 04 बन्द पड़ी यथा–रसड़ा (बलिया), मझोला (पीलीभीत), धुरियापार (गोरखपुर) तथा औराई (संत रविदासनगर) में से रसड़ा (बलिया) एवं मझोला (पीलीभीत) चीनी मिलों को दीर्घकालीन लीज पर दिये जाने की कार्रवाई गतिमान है। जहां तक निजी क्षेत्र की चीनी मिलों का प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निजी क्षेत्र की चीनी मिलों का अपना प्रबन्धतन्त्र होता है जिनके द्वारा मिल को चलाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

श्री उमाशंकर सिंह –

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 चीनी उद्योग मंत्री जी अपने विभाग में काफी सक्रिय हैं और इनके प्रयास का परिणाम दिख भी रहा है। मेरा प्रश्न पूछने का तात्पर्य निजी क्षेत्र की चीनी मिलों से नहीं था। मा0 मंत्री जी ने जो दूसरे पैरा में जवाब दिया है जो संघ लिमिटेड की चार सहकारी चीनी मिले हैं उसमें से एक हमारे बलिया जनपद की चीनी मिल रसड़ा है। पूरे बलिया जनपद में उद्योग के नाम पर वही चीनी मिल है, पिछली

सरकार में यह चीनी मिल बन्द हो गई। लगातार हमारे प्रयास के बावजूद भी सरकार की तरफ से यह आश्वासन आया कि हम इनको लीज पर दे रहे हैं और फिर आज भी मा0 मंत्री जी का यही जवाब है। जवाब में मा0 मंत्री जी ने कहा है कि कार्यवाही गतिमान है तो मेरा आपके माध्यम से दो सवाल हैं पहला यह कि क्या यह संभव है चूंकि यह सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड की मिल है तो जिस तरह से अन्य चीनी मिलों की क्षमता बढ़ा रहे हैं, मोडीफाई कर रहे हैं तो क्या उस व्यवस्था में आप अपने सरकारी फण्ड से या अपने डिपार्टमेंट से इस चीनी मिल को चालू कराने का प्रयास करेंगे? दूसरा सवाल यह है कि अगर किसी कारणवश कोई व्यावहारिक कठिनाई है या कोई ऐसा एग्रीमेंट है उस स्थिति में जो आपने गतिमान शब्द दिया है यह कितने दिन में गतिमान अपने मुकाम तक पहुंच जायेगा।

श्री सुरेश कुमार राणा –

मा0 अध्यक्ष जी, उमाशंकर जी बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं लेकिन आज बड़ा आश्चर्य है कि जब प्रदेश के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई योगी कोई सन्यासी बैठता है तो कितना परिवर्तन प्रदेश के अन्दर आता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज सदन में देखने को मिला। जिन्होंने 21 निगम की चीनी मिलें कौड़ियों के दाम बेच दीं वह लोग चीनी मिल चलाने का प्रश्न पूछ रहे हैं। यह वास्तव में कहीं न कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा का परिचायक है, जो सकारात्मक ऊर्जा सदन के अन्दर आ रही है, जो सकारात्मक ऊर्जा प्रदेश के अन्दर आ रही है, यह उसका परिणाम है, यह अच्छी बात है। रसड़ा की बात आपने की है और आप लगातार रसड़ा की चिन्ता करते हैं और कई बार आपने व्यक्तिगत रूप से भी इस बात को कहा है। रसड़ा चीनी मिल के लिए दीर्घकालीन नीति पर स्थानान्तरित किये जाने की जो कार्यवाही गतिमान है उसके लिए हमने आपको बताया है लेकिन कारण यह है मा0 अध्यक्ष जी कि पिछली सरकार भी जब इसको कैबिनेट में लायी थी तो कई सारी चीजें ऐसी थीं जैसे वहां की जमीन का मूल्य का अवलोकन नहीं कराया, यह बड़े आश्चर्य की बात थी हमारे लिए और जब हमने वहां 15 जुलाई 2017 को जमीन के मूल्य का अवलोकन कराया तो 32.87 हेक्टेयर जमीन वहां उस मिल के पास है और 221 करोड़ 85 लाख रुपए जमीन की कीमत बैठती है। हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जैसा पूर्ववर्ती सरकारों ने किया है कि करोड़ों की मिल को कौड़ियों में बेचा गया है तो सोच समझ करके पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई गतिमान है। इस मामले में सरकार पूरी तरह से गम्भीर है और निश्चित रूप से हम इसके लिए प्रयासरत हैं सारी वैल्यूएशन निकाल करके जल्दी ही इसका टेण्डर हम लायेंगे।

श्री उमाशंकर सिंह –

मा0 अध्यक्ष जी, चूंकि हमारे सवाल का आधा जवाब आ गया है। हालांकि जब कोई चीनी मिल पर सवाल होता है तो एक ही जवाब से शुरूआत होती है कि कौड़ियों के भाव बेच दिया गया है।

(श्री उपेन्द्र तिवारी द्वारा कुछ बोलने पर)

सुन लीजिए तिवारी जी, आपको मौका नहीं मिला है, मौका मिलेगा तो आप खुद खरीद लेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाह रहा था उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने। चूंकि इस चीनी मिल के लैण्ड का वैल्यूवेशन भी नहीं कराया था, उसकी कास्ट भी डिसाइड नहीं करायी थी और बार–बार जवाब आ रहा था कि नहीं यह लीज पर दिये जाने के लिए गतिमान है अर्थात उस पर कार्यवाही चल रही है। तो माननीय मंत्री जी अगर वैल्यूवेशन इस समय कराये हैं और इनको लगता है कि हमारे संघ लिमिटेड के पास इतने रुपये की एक अच्छी चीनी मिल पड़ी हुई है तो फिर उसको लीज पर देने की आवश्यकता क्या है ? क्या माननीय मंत्री जी उसको स्वयं अपने विभाग से, जिस तरह से आपने 22 हजार करोड़ रुपया खर्च करके तमाम किसानों के बकाये मूल्य का भुगतान कराया है और जब आपको लगता है कि इतनी जेन्यून चीनी मिल है तो क्या आप उसको लीज पर न दे करके सरकार एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखायेगी कि, नहीं सरकार खुद उस चीनी मिल को चालू कराकर वहां के जनता के सुपुर्द करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

वह तो इच्छा शक्ति प्रकट कर चुके हैं।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे विद्वान साथी ने कहा है कि जब भी कोई बात आती है तो चर्चा होती है कि चीनी मिल को कौड़ियों के दाम बेच दिया गया है। मैं खाली बात करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, मैं यह बताना चाहता हूं और पूरे सदन की जानकारी में भी यह विषय लाना चाहता हूं कि यह पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। इस पूरी रिपोर्ट में जो दिया गया है कि 21 निगम की चीनी मिलें बेची गयी, 31.05.2011 को।

श्री लालजी वर्मा–

इस प्रश्न को नहीं पूछा गया है, एक स्पैसिफिक प्रश्न पूछा गया है अगर आप चर्चा कराना चाहते हैं तो चर्चा करा लें सारी बात आ जाये। एक ही बात को बार–बार कहना ठीक नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने/टोका–टाकी करने पर शोर/व्यवधान)

मान्यवर, किसानों की मेहनत की कमाई का 2500 करोड़ रुपया बकाया है उसका जिक्र नहीं करते हैं कि हम उसका कब तक ब्याज सहित भुगतान करायेंगे। मान्यवर, बार–बार कहते हैं कि हम इतना ज्यादा कर दिये, इतना ज्यादा कर दिये, क्या जेब से ज्यादा कर दिया? हमारी मेहनत की कमाई का पैसा हमें मिला है।

श्री अध्यक्ष–

गन्ना किसानों वाला तो पहला प्रश्न था, यह तो चीनी मिलों वाला है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक स्पैसिफिक प्रश्न किया गया कि क्या रसड़ा चीनी मिल को सरकार स्वयं चलाने पर विचार करेगी ? इसका उत्तर हां या ना में आयेगा। अगर यही एक

सवाल है और इस पर पूरा आप डिबेट कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह उचित नहीं है। या तो आप चर्चा स्वीकार करके इस पर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष–

अगर आप कहेंगे तो चर्चा भी करा लेंगे।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, या तो आप चर्चा करा लें, हमें भी बोलने का अवसर मिले, हम इनकी बातों का जवाब दे सकें। लेकिन बार–बार एक ही बात कही जाती है। इतने काबिल ये हैं कि 3000 हजार करोड़ रुपया किसानों का बकाया है, भुगतान नहीं करा पा रहे हैं और आप बड़े भारी तीस मार खां बने हुए हैं।

(ब0स0पा0 के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहिये, मा0 मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

श्री सुरेश राणा–

वर्मा जी, जरा सुनिये, विद्वान साथी हो आप। आप जरा सुनने की हिम्मत रखिये।

श्री लालजी वर्मा–

एक प्रक्रिया के तहत कैबिनेट में ला करके वह कार्रवाई की गयी। एक ही बात बार–बार आती है, स्पैसिफिक प्रश्न आया है तो स्पैसिफिक प्रश्न का उत्तर आ जाये, नहीं तो मा0 अध्यक्ष जी, आप चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि यह इतना सामान्य विषय नहीं है, जैसा वर्मा जी ने बोल दिया। यह हजारों किसानों की गाढ़ी कमाई का सवाल है। ये हजारों किसानों का सवाल है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयी।) माननीय सदस्य ने बोला कि बार–बार इसकी चर्चा आती है इसलिए मैंने जवाब दिया और कितना भी हल्ला काट लें, बचेंगे नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, कितना भी हल्ला काट लें बचेंगे नहीं। यदि गड़बड़ी है तो बचेंगे नहीं। मान्यवर, सदस्य ने पूछा कि बार–बार चर्चा आती है तो मैंने जो उनकी इच्छा जानी उसका जवाब दे रहा हूं। तो जवाब सुनें।

(सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कहना क्या चाहते हैं।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा कि बार–बार चर्चा आती है। सदस्य ने पूछा तो मैंने उनकी इच्छा जो जानी उसके अनुसार मैं जवाब दे रहा हूं तो फिर पेट में दर्द क्यों है। मैं जवाब दे रहा हूं ना तो जवाब सुनो। मान्यवर, यह

सी0ए0जी0 की रिपोर्ट है। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट ने 1179.84 करोड़ रुपये का इस प्रकार से गड़बड़ी है।

श्री लाल जी वर्मा–

चर्चा की बात ही नहीं है। जो कार्यवाही की गई थी वह एक प्रक्रिया के तहत की गई थी। यह एक स्पेसिफिक प्रश्न आया। स्पेसिफिक प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। अगर चर्चा ही करानी है तो चर्चा करा लीजिये।

श्री सुरेश राणा–

वर्मा जी, विद्वान साथी हैं आप, सुनिये, सुनने की हिम्मत रखिये। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है आपसे कि यह इतना सामान्य विषय नहीं है जैसा वर्मा जी ने बोल दिया। यह हजारों किसानों की गाढ़ी कमाई का सवाल है। (सत्ता पक्ष से मेजों की थपथपाहट) मैंने नहीं बोला, माननीय सदस्य ने बोला कि बार–बार इसकी चर्चा आती है इसलिये मैंने जवाब दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यह कितना भी हल्ला काट लें बचेंगें नहीं। एक एक रुपये का हिसाब लेंगें। क्यों परेशान हो रहे हैं।

(सदस्यों के बोलते रहने/टोका टाकी करने व सत्ता पक्ष की तरफ से मेजों के थपथपाते रहने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। आप चाहें तो यह उत्तर सदन के पटल पर भी रख सकते हैं।

श्री सुरेश राणा–

मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि माननीय सदस्य ने पूछा कि बार–बार चर्चा क्यों होती है। चर्चा आती है तो मैं जवाब दे रहा हूं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। माननीय मंत्री जी आप लोग भी बैठ जायं।

प्रदेश के तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, कानूनगो, लेखपालों के कुल स्वीकृत पदों पर भर्ती का विवरण

'06–श्री अमन मणि त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, कानूनगो, लेखपालों आदि के पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों पर क्या सरकार भर्ती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां।

तहसीलदार के 301, नायब तहसीलदार के 802 (सीधी भर्ती के 275 व पदोन्नति के 527 पद), कानूनगो (राजस्व निरीक्षक) के 1122 तथा लेखपाल के 4710 पद रिक्त हैं। तहसीलदार के रिक्त 301 पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हेतु दिनांक 24–07–2017 को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक नियत है। इसी प्रकार नायब तहसीलदार के सीधी भर्ती के रिक्त पदों का भर्ती वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 का अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है, जो आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है तथा प्रोन्नति कोटे के पदों पर पोषक संवर्ग से भरे जाने हेतु आयोग को प्रस्ताव प्रेषित है। आयोग से संस्तुति प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर शीघ्र तैनाती की जायेगी। कानूनगो (राजस्व निरीक्षक) के सीधी भर्ती व पदोन्नति कोटे के कुल 1122 पद रिक्त हैं। उक्त पदों पर भर्ती/पदोन्नति हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को शीघ्र भेजा जायेगा। लेखपाल के कुल 4710 पद सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हैं। वर्ष 2015 में लेखपाल के 13300 पदों पर चयन सम्पन्न कराकर उक्त चयनित लेखपालों का प्रशिक्षण अभी दिलाया जा रहा है। चयनित लेखपालों का प्रशिक्षण एवं अर्हकारी परीक्षा समाप्त हो जाने के उपरान्त रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रवासी पक्षियों तथा जलाशयों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य योजना बनाने विषयक जानकारी

'07–श्री रितेश पाण्डेय–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने क्षेत्र या जलाशय ऐसे हैं जहां प्रवासी पक्षी आते हैं और आने वाले प्रवासी पक्षियों की कुल कितनी और कौन–कौन सी प्रजातियां चिन्हित की गई हैं ? क्या सरकार उक्त क्षेत्रों या जलाशयों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये कोई योजना चला रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान–

वन विभाग द्वारा अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 14 पक्षी बिहार, वन्य जीव विहारों के जलाशयों तथा कुछ अन्य जलाशयों यथा सरसई नावर–इटावा, चन्दोताल–बस्ती, बघेलताल–श्रावस्ती, नगरिया– लखीमपुर–खीरी, सेमरई–लखीमपुर–खीरी में आने वाले प्रवासी पक्षियों का विवरण रखा जाता है। आने वाले प्रवासी पक्षियों की मुख्यतः 29 प्रजातियों चिन्हित की गयी है। वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के बाहर के जलाशयों में आने वाले प्रवासी पक्षियों का विवरण वन विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है।

जी हां।

प्रदेश सरकार द्वारा पक्षी विहारों, वन्यजीव विहारों के अन्तर्गत जलाशयों तथा 5 अन्य जलाशयों यथा–सरसई नावर–इटावा, चन्दोताल–बस्ती, बघेलताल–श्रावस्ती,

नगरिया–लखीमपुर–खीरी, सेमरई–लखीमपुर–खीरी के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत किया जा रहा है :––

(क) नेशनल प्लान फॉर कन्जरवेशन ऑफ एक्वटिक इको–सिस्टम योजना।

(ख) इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेबिटेट।

(ग) वेटलैण्डस का पारिस्थितिकीय एवं अवस्थापना विकास योजना।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सिंचाई योजना के अन्तर्गत 2015–16 में डार्क जोन विकास खण्डों में नहरों का निर्माण कराकर टेल तक पानी पहुंचाने विषयक जानकारी

'08–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015–16 में हर खेत को पानी के अन्तर्गत नये जल स्रोतों का विकास एवं सिंचाई जल वितरण प्रणाली को विकसित करना है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में जो विकास खण्ड डार्क जोन में हैं, में नई सिंचाई नहरों का निर्माण कराकर टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत नये जल स्रोतों पर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, बाणसागर नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना एवं मध्यगंगा नहर परियोजना–द्वितीय चरण का निर्माण कराकर सिंचाई जल वितरण प्रणाली विकसित की जा रही है।

प्रदेश में जो विकास खण्ड डार्क जोन में हैं, यदि वे तकनीकी रूप से साध्य पाये जाते हैं एवं सिंचाई नहरों हेतु जल की उपलब्धता है, तो नई सिंचाई नहरों का निमार्ण कराने पर विचार किया जायेगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत मध्यगंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण का निर्माण चल रहा है, जिसके अन्तर्गत अमरोहा, सम्भल एवं मुरादाबाद जनपदों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त जिलों के 12 ब्लाकों में से 11 ब्लाक डार्क जोन में हैं। इस परियोजना को वर्ष 2020 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कचरों को व्यापक स्तर पर रिसाइकिल करने की योजना बनाने विषयक जानकारी

'09–सुश्री अदिति सिंह–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इलेक्ट्रानिक उपकरणों में प्रयुक्त प्लास्टिक, फाइबर, शीशा, पुराने कागज तथा टिन आदि को रिसाइकिल करके पुनः प्रयोग में लाकर पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान–

जी हां।

पर्यावरण एवं जल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–एस0ओ0 2035(ई), दिनांक 12–05–2011 द्वारा ई–वेस्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2011 जारी किया गया है। इसके पश्चात् इसको अधिक्रमित करते हुए ई–वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 लागू किये गये हैं जो कि दिनांक 01–10–2016 से प्रभावी हैं। ई–वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन कराया जा रहा है।

प्रदेश में ई–वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत ई–वेस्ट के प्रकरण, पुनः चक्रण तथा भंजक (कलेक्शन सेन्टर, रिसाइकलिंग एवं डिस्मेन्टलिंग) हेतु 27 इकाइयां चिन्हित की गई हैं। उक्त के अनुसार कुल ई–वेस्ट के प्रकरण की क्षमता 25725 टन/वर्ष है। पुनः चक्रण की क्षमता 4560 टन/वर्ष है तथा एकत्रण एवं भंजक की क्षमता 59590 टन/वर्ष है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की नगर पालिकाओं में सड़क के किनारे ठेले लगाकर काम कर रहे गरीबों पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने विषयक कार्य योजना की जानकारी

'10–श्री मनोज कुमार पारस–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगर पालिकाओं में सड़क के किनारों पर अपने ठेले आदि लगाकर फल, सब्जी एवं रोजमर्रा की जरूरतों के सामान को बेचकर अपने परिवार का पालन–पोषण करने तथा बेरोजगार होने से बचने के लिये इस कार्य को करने वालों के लिये सरकार कोई नीति बनाकर उन्हें उत्पीड़न/अवैध वसूली से बचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां।

भारत सरकार के पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा–36 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत नगरीय पथ विक्रेताओं के अधिकारों का संरक्षण और पथ विक्रय की गतिविधियों तथा इससे सम्बद्ध या आनुवांशिक मामलों के विनियमन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियावली, 2017 को अधिसूचना संख्या–111/नौ–9–2017–170ज/2016, दिनांक 10 मई, 2017 द्वारा लागू किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कच्चे संपर्क मार्ग को पक्का करके मुख्य मार्ग से जोड़ने विषयक कार्य योजना

'11–श्री विनोद कुमार कटियार–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़कों को गड्ढामुक्त करने की योजना की भांति क्या कच्चे सम्पर्क मार्गों को पक्की सड़क बनाने एवं उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़े जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)–

प्रदेश में विभाग द्वारा केवल उन कच्चे सम्पर्क मार्गों को पक्के किए जाने की योजना है, जो निम्न परिभाषा के अनुसार बिना जुड़ी बसावटों के पहुंच मार्ग हैं ––

1–वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 500 या उससे अधिक आबादी की समस्त अनजुड़ी बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने हेतु।

2–वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 250 या उससे अधिक आबादी की मरम्मत अनजुड़ी बसावटें जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 25 प्रतिशत से अधिक हो, को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने हेतु।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में बाढ़ की विभिषिका से बचने के लिए पूर्वी उ0प्र0 की नदियों को आपस में जोड़ने विषयक कार्य योजना की मांग

'12–श्री सुखदेव राजभर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिये उक्त क्षेत्र की नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली मुख्य नदियां घाघरा, राप्ती, कुआनो, रोहिन, छोटी गण्डक, बड़ी गण्डक आदि नदियां हैं जो नेपाल राष्ट्र के पहाड़ी भाग से उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में उतरती हैं एवं पहाड़ों में भारी बारिश होने पर कम समय में अचानक बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है जो प्राकृतिक रूप से बहते हुए आगे के जनपदों की नदियों में मिलती हैं। समस्त नदियों/नालों के बाढ़ का पानी अन्नतः गंगा नदी में मिल जाता है। बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए नदियों को आपस में जोड़ना एवं बाढ़ का पानी दूसरी नदियों में डालना व्यवहारिक दृष्टिकोण एवं तकनीकी रूप से सम्भव नहीं है, क्योंकि बाढ़ के समय समस्त बैराज के फाटकों को खोल दिये जाने के विभागीय रेगुलेशन आदेश हैं।

प्रदेश में वृक्षा रोपण कार्यक्रम चलाकर हरा–भरा बनाने विषयक जानकारी

'13–श्री शैलेन्द्र यादव ललई–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम वर्ष, 2017 में चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनहित में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाकर प्रदेश को हरा–भरा बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान–

जी हां।

वृक्षारोपण कार्यक्रम वर्ष 2017–18 में वन विभाग एवं अन्य राजकीय विभागों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस हेतु शासनादेश संख्या–1343/14–5–2017–31/2014, दिनांक 23–6–2017 के द्वारा 6.5458 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वृक्षारोपण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

सहारनपुर के बेहट में स्थित बन्द पड़ी शाकम्भरी शुगर मिल, टोडरपुर को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में

01–श्री नरेश सैनी–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र में स्थित विगत चार सालों से बन्द शकम्भरी शुगर मिल, टोडरपुर को सरकार प्रोत्साहन देते हुये गन्ना किसानों के हित में पुनः चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा–

जी नहीं। क्योंकि जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र में स्थित निजी क्षेत्र की चीनी मिल शाकम्भरी शुगर एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज लि0, टोडरपुर जनपद सहारनपुर पेराई सत्र 2014–15 से बन्द है। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों का अपना प्रबन्ध तन्त्र होता है जिनके द्वारा मिल को चलाये जाने अथवा न चलाये जाने का निर्णय उनके द्वारा लिया जाता है।

जनपद रायबरेली के थाना गुरुबक्शगंज द्वारा अवैध कब्जा की गयी आस–पास के अनेक गरीबों की भूमि एवं जिला पंचायत के कांजी हाउस भवन को मुक्त कराने के सम्बन्ध में

02–श्री राकेश सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–रायबरेली के थाना–गुरबक्शगंज द्वारा थाने के आस–पास अनेक गरीबों की भूमि एवं जिला पंचायत के कांजी हाउस भवन को अवैध रूप से अपने कब्जे में ले रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

ग्राम ओनई पहाड़पुर की गाटा सं0 665मि0/0.018हे0 व 668/0.889 हे0 राजस्व अभिलेखों में थाना के नाम अंकित है। जिस पर थाना बना हुआ है तथा थाना

गुरुबक्शगंज द्वारा किसी गरीब की भूमि अथवा जिला पंचायत के कांजी हाउस भवन पर कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के देदौर से सेमरी चौराहे तक बनने वाले मार्ग के निर्माण की कार्यवाही के सम्बन्ध में

03–श्री राकेश सिंह–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद में देदौर से सेमरी चौराहा तक बनने वाले मार्ग के निर्माण को पूर्ण करने की तिथि समाप्त हो जाने के बावजूद अभी तक निर्माण कार्य सुचारु रूप से प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार विलम्ब के कारणों की जांच कराकर निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुद्ढ़ीकरण का कार्य केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है, जिसका लगभग 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्ग निर्माण का कार्य पूर्ण होना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ में विद्युत उपकेन्द्र स्थापना हेतु चौक/हुसैनाबाद एवं जानकीपुरम् में विद्युत विभाग को भूमि उपलब्ध कराये जाने विषयक जानकारी

04–डॉ0 नीरज बोरा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र के चौक/हुसैनाबाद एवं जानकीपुरम क्षेत्र में दो नये विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता है तथा इस कार्य हेतु विद्युत विभाग के पास धनराशि भी है किन्तु जमीन के अभाव में विद्युत उपकेन्द्र नहीं बन पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु चौक/हुसैनाबाद एवं जानकीपुरम में आवश्यक भूमि विद्युत विभाग को उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां।

चौक/हुसैनाबाद में लखनऊ नगर निगम भूमि उपलब्ध नहीं है। जानकीपुरम् में विद्युत उपकेन्द्र हेतु ग्राम–मडियांव की खसरा संख्या–267 क्षेत्रफल 0.367 हेक्टेयर भूमि को निर्धारित देय मूल्य भुगतान पर लखनऊ नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में एशिया का सबसे बड़ा पार्क सरदार पटेल गार्डेन बनाने के सम्बन्ध में

05–डॉ0 नीरज बोरा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के प्रबन्ध नगर में एशिया का सबसे बड़ा पार्क सरदार पटेल इको गार्डेन बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्य नाथ–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर के उत्तर वि0स0क्षे0 फैजुल्लागंज स्थित सेमरा गौढ़ी में आश्रयहीन योजना के अन्तर्गत शहरी/गरीबी के लिए आवास बनाये जाने के सम्बन्ध में

06–डॉ0 नीरज बोरा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के उत्तर विधान सभा क्षेत्र के फैजुल्लागंज स्थित सेमरा गौढ़ी में राज्य/जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा आश्रयहीन योजना के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिए बनाये गये आवासों के आवंटन के मानक क्या हैं तथा कुल कितने लोगों को आवास आवंटित किये गये हैं ? क्या सरकार उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर रहे आवंटियों की वास्तविकता जानने हेतु भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

भारत सरकार द्वारा संचालित जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) के उपघटक शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बी0एस0यू0पी0) के अन्तर्गत लखनऊ नगर के उत्तर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत फैजुल्लागंज स्थित राज्य/जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा आवासों का निर्माण कराया गया है। योजनान्तर्गत आवास आवंटन के निमित्त निर्धारित मानक के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0 श्रेणी) अथवा अल्प आयवर्ग के व्यक्ति आवास आवंटन हेतु पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी अथवा गैर सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करके बसे उपर्युक्त श्रेणी के जीवन–यापन करने वाले परिवारों को नगर निकाय/राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निःशुल्क भूमि पर निर्मित किये जा रहे रिलोकेशन प्रोजेक्ट में आवास आवंटित किये जा सकते हैं।

इंगित बस्ती में प्रश्नगत योजनान्तर्गत पात्रता के आधार पर 288 आवास आवंटित किये गये हैं।

निर्धारित मानकों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटित किये गये हैं, तथापि आवंटन में किसी प्रकार की विसंगति होने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में आने पर पारदर्शिता के दृष्टिगत भौतिक सत्यापन कराया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के बेवर फीडर की अनुबन्ध सं0 04/एस0ई0/आई0डब्लू0सी0ए0/2015–16 की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में

07–श्री योगेश वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के बेवर फीडर की अनुबन्ध सं0 04/एस0ई0/आई0डब्लू0सी0ए0/ 2015–16 की जांच आख्या मध्य/सी–66/मु0अभि0स्तर ध की जांच में दोषी पाये गये तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल, अलीगढ़ एवं अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, एटा द्वारा गुपचुप तरीके से अनियमित डेबिटेबिल, अनियमित प्रतिभूति (एफ0डी0आर0) लगाकर भुगतान की प्रक्रिया को दूषित किया है ? यदि हां, तो क्या जांच में दोषी पाये गये अभियन्ताओं के विरुद्ध शासकीय कार्यवाही कर धन की वसूली की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

उक्त जांच–आख्या के आधार पर प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर कार्यालय ज्ञाप सं0–853/17–27–सिं0– 5–07/2017, दिनांक 20–03–2017 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0–888/17–27–सिं0–5–07/2017, दिनांक 20–03–2017 द्वारा क्रमशः तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, अलीगढ़ एवं तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, एटा के विरुद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर दी गयी है। प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में दोष प्रमाणित पाये जाने पर यथोचित दण्ड अधिरोपित करते हुए शासकीय क्षति कारित करने वाले अधिकारियों से शासकीय धन की वसूली की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर में शहजाद बांध से साथ ग्राम तेहई फाटक से होते हुए बरोदाडांग तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में

08–श्री रामरतन कुशवाहा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित शहजाद बांध से ग्राम तेरई फाटक से बरोदांडांग होते हुए निर्मित सड़क रख–रखाव के अभाव में क्षतिग्रस्त होने से 40 ग्रामों के नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धमपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ में ग्राम कल्यानपुर पुल पर ग्राम कल्यानपुर की ओर पहुंच मार्ग का निर्माण कराने विषयक जानकारी

09–श्री दलवीर सिंह–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में ग्राम कल्याणपुर के निकट वर्ष 2005–2006 में पुल का निर्माण कराया गया था किन्तु, इस पुल पर ग्राम कल्याणपुर की ओर पहुंच मार्ग का निर्माण अभी तक लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया गया है ? क्या सरकार जनहित में पुल की उपयोगिता के लिए पहुंच मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रश्नगत सेतु एवं उसके पहुंच मार्ग के निर्माण की स्वीकृति त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 05–08–05 द्वारा प्रदान की गयी थी। सेतु का निर्माण कार्य एवं उसके दोनों ओर 200–200 मी0 का पहुंच मार्ग वर्ष 2007 में पूर्ण किया जा चुका है।

ग्राम कल्याणपुर की ओर अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है। इस ओर अतिरिक्त पंहुच मार्ग का निर्माण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों को बीमा आच्छादन कार्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

10–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों को बीमा आच्छादन कार्ड दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16 व 2016–17 में वर्षवार कितने किसान उक्त कार्ड से वंचित रह गये हैं ? क्या सरकार कार्ड उपलब्ध न कराने वाले दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां। शासनादेश संख्या–2885/1–9–12–रा0–9, दिनांक 22 अक्टूबर, 2012 में कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों को एक बीमा आच्छादन कार्ड दिये जाने की व्यवस्था थी, तत्पश्चात् संशोधित शासनादेश संख्या–997/1–9–2014–रा–9, दिनांक 10 जुलाई, 2014 में उ0प्र0 के खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए संचालित

कृषक दुर्घटना बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु उक्त निर्गत शासनादेश के पृष्ठ–2 के बिन्दु–9 से स्पष्ट किया गया है कि कृषकों का नाम खतौली में दर्ज होना ही बीमा आच्छादन माना जायेगा।

जनपद आगरा में वर्ष 2012–13 में 185 कार्ड, वर्ष 2013–14 में 211 कार्ड तथा वर्ष 2014–15 में 208 कार्ड जारी किये गये हैं। इस मद में कोई बजट प्राप्त न होने के कारण अन्य जनपदों में कार्ड जारी नहीं किये जा सके। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति जिनके नाम बीमा आच्छादन कार्ड जारी नहीं हो सके थे, किन्तु जिन्होंने आवेदन किया और शासनादेश के अनुसार नियमों के अधीन पात्रता श्रेणी में आते हैं, उन्हें बीमा के लाभ से वंचित नहीं रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के रामनगर ब्लाक के अन्तर्गत करमहिया ग्राम पं0 के झलरिहवा गांव में नलकूप सं0 135 विषयक जानकारी

11–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के रामनगर ब्लाक के करमहिया ग्राम पंचायत के झलरिहवां गांव में स्थापित राजकीय नलकूप सं0 135 जो पिछले 2 वर्षों से खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस नलकूप को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

जनपद बस्ती के रामनगर ब्लाक के करमहिया ग्राम पंचायत के झलरिहवां गांव में राजकीय नलकूप सं0–135 स्थापित नहीं है, अपितु यह नलकूप ग्राम तुरकौलिया–1 में स्थापित है। नलकूप वर्तमान में सिंचाईरत है। नलकूप द्वारा 2015–16 में फसली 1423 में 430 घण्टे चलकर 22 एकड़ असल रकबा एवं 2016–17 में 1424 फसली में 746 घण्टे चलकर 47 एकड़ असल रकबा सींचा गया। वर्ष 2017–18 में खरीफ 1425 फसली में अन्तिम पक्षान्त दिनांक 25–06–2017 तक नलकूप द्वारा 100 घण्टे चलकर 03 एकड़ असल रकबे की सींच की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के नगर पंचायत रूधौली के अन्तर्गत कैडिहवा में स्वीकृत अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक जानकारी

12–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती के नगर पंचायत रुधौली अन्तर्गत कौडिहवा में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

देश के सफाई सूची में प्रदेश के लखनऊ शहर की रैंकिंग विषयक जानकारी

13–श्री उमाशंकर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देश के 434 शहरों की सफाई सूची में प्रदेश के लखनऊ शहर का स्थान 234वें स्थान पर है ? यदि हां, तो उक्त के सुधार हेतु सरकार ने कोई कार्य–योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

भारत सरकार द्वारा 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 नागर निकायों हेतु स्वच्छ सर्वेक्षण वर्ष 2017 में कराया गया है, जिसमें लखनऊ शहर 269वें स्थान पर है।

जी हां।

लखनऊ नगर निगम की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार हेतु नगर निगम स्तर पर कार्य योजना के अन्तर्गत मार्च, 2018 तक सम्पूर्ण नगर को खुले में शौच से मुक्त किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु जिन घरों में शौचालय नहीं हैं एवं शौचालय बनाने के लिए स्थान उपलब्ध है, उनका चिन्हीकरण करके स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है।

नगर को स्वच्छ रखने हेतु प्रत्येक घर से कूड़े का संग्रहण किया जाना है। वर्तमान में जोन–4, 5 व 8 में डोर–टु–डोर कूड़े का संग्रहण किया जा रहा है। आगामी 03 माह में पूरे शहर में डोर–टु–डोर कूड़े के संग्रहण का कार्य किया जाना लक्षित है। खुले में कूड़ा कचरा को डाले जाने को प्रतिबन्धित करने हेतु मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किये जा रहे हैं। वर्तमान में 4 स्थानों (प्राणि उद्यान, चंदरनगर, अवध हास्पिटल, विधि विश्वविद्यालय) पर मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। मोहान रोड स्थित शिवरी ग्राम में 1350 मीट्रिक टन क्षमता का कूड़े का प्रोसेसिंग प्लाण्ट भी पूर्ण क्षमता पर कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर के महाराजगंज एवं अन्य जिलों में नहर पर ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्यों के भ्रष्टाचार की स्थलीय निरीक्षण एवं कार्रवाई विषयक जानकारी

14–श्री ज्ञानेन्द्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज, गोरखपुर व कुशीनगर में गण्डक नहर प्रणाली के सुधार व रख–रखाव हेतु वर्ष 2015–16 में प्रदेश सरकार द्वारा रु0 250 करोड़ (दो सौ पचास करोड़ रुपया) आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त धनराशि द्वारा किस–किस नहर पर कौन–कौन सा कार्य कराया गया है ? क्या यह सही है कि कराये गये कार्य मानक के अनुसार नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या कराये गये कार्यों का स्थलीय निरीक्षण व भौतिक सत्यापन कराकर सरकार दोषियों के

विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर एवं देवरिया में गण्डक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के सम्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 108.81 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था।

आवंटित धनराशि से स्वीकृत परियोजना के प्रस्तावित कार्यों को गण्डक नहर प्रणाली की नहरों में सम्पादित कराया गया। (सूची संलग्न)

कार्य मानक के अनुसार कराये गये हैं।

सम्पादित कार्यों की गुणवत्ता, धनराशि, उपयोगिता एवं मात्रात्मकता की जांच हेतु शासनादेश संख्या–1709/17–27–सिं0–6–30/17, दिनांक 28–04–2017 द्वारा दो मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारियों की गठित समिति द्वारा जांच की गयी जिसके अनुसार कार्य मानक के अनुसार कराये जा रहे हैं। प्रश्नगत जांच में किसी अधिकारी को उत्तरदायी नहीं पाया गया है। इसलिए किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही नहीं किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के दि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद की कार्यक्षमता वृद्धि करने के सम्बन्ध में

15–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार दि किसान सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद, सीतापुर जो काफी जर्जर अवस्था में है, का आधुनिकीकरण/क्षमता विस्तार कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

चीनी मिल महमूदाबाद को विगत 10 वर्षों में अधिकतम 24.74 लाख कुन्तल गन्ना प्राप्त हुआ है। चीनी मिल की क्षमता 2750 टन प्रतिदिन से विस्तार कर 5000 टन प्रतिदिन तक किया जाता है तो उसे लगभग 70.00 लाख कुन्तल गन्ने की आवश्यकता होगी जिसकी आपूर्ति वर्तमान में चीनी मिल में सम्भव नहीं है तथा विस्तारीकरण किये जाने पर लगभग रु0 270.00 करोड़ का व्यय आयेगा। मार्च 2016 तक चीनी मिल महमूदाबाद को कुल रु0 369.91 करोड़ की संचित हानि हो चुकी है। अतः नेटवर्थ ऋणात्मक होने के कारण किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त न हो सकने के कारण आधुनिकीकरण/क्षमता विस्तार किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद सीतापुर के दि सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद में आसवनी (अल्कोहल प्लान्ट) लगवाये जाने विषयक

16–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद, सीतापुर में आस्वानी (अल्कोहल प्लान्ट) लगाये जाने हेतु डी0पी0आर0 बनकर तैयार हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार आगामी सत्र में उपरोक्त मिल में आस्वनी प्लाण्ट लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा–

जी हां।

जी नहीं।

सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद में आसवनी प्लान्ट लगाये जाने हेतु राष्ट्रीय सहकारी शर्करा संघ, नई दिल्ली से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करायी गयी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परियोजना लागत रु0 52.50 करोड़ अनुमानित बतायी गयी। चीनी मिल की नेटवर्क ऋणात्मक होने के कारण वित्तीय संस्थाओं से मिल को आसवनी प्लान्ट लगाये जाने के लिए ऋण प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के मुफ्तीगंज, पराऊगंज व अन्य क्षेत्रों में जलभराव की समस्या के निदान कराने विषयक जानकारी

17–श्री दिनेश चौधरी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के केराकत विधान सभा क्षेत्र के मुफ्तीगंज, पराऊगंज तथा चन्दवक बाजार में जल भराव की समस्या से संक्रामक बीमारियाँ फैलने के कारण जनमानस को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार मुफ्तीगंज, पराऊगंज तथा चन्दवक में पक्की नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के मुफ्तीगंज, पराऊगंज तथा चन्दवक बाजार के आबादी वाले भाग में नाली न होने के कारण वर्षा ऋतु में जलभराव की समस्या अल्प समय हेतु होती है। मुफ्तीगंज बाजार लखनऊ मांझीघाट राज्य मार्ग सं0–36 पर स्थित है व पराऊगंज बाजार कुण्डाहा–सुजानगंज–मछलीशहर–मड़ियाहूं –जलालपुर–केराकत–सुल्तानपुर प्रमुख जिला मार्ग सं0–151ई पर स्थित है तथा चन्दवक बाजार वाराणसी आजमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–233 पर स्थित है। मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है तथा उनके द्वारा चन्दवक बाजार में बाईपास का निर्माण किया जा रहा है तथा चन्दवक में नाली निर्माण स्वीकृत नहीं है। अतः मुफ्तीगंज, पराऊगंज व चन्दवक बाजार में नाली निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बागपत के गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कराये जाने विषयक जानकारी

18–श्री सहेन्द्र सिंह रमाला–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में स्थित एस0बी0सी0 चीनी मिल, लॉयन मलकपुर द्वारा वर्तमान पेराई–सत्र 2016–2017 के बकाया गन्ने का भुगतान किसानों को आज तक नहीं किया गया है जिस कारण किसान परेशानी व आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या तक करने को मजबूर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिलों पर किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा–

पेराई–सत्र 2016–17 के अन्तर्गत दिनांक 14–07–2017 तक की स्थिति के अनुसार एस0बी0ई0सी0 शुगर मिल, मलकपुर–जनपद–बागपत पर कुल देय गन्ना मूल्य रु0 327.49 करोड़ के सापेक्ष रु0 54.32 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका है, जो कुल देय का 16.59 प्रतिशत है तथा रु0 273.17 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है। बकाया गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु, मलकपुर चीनी मिल सहित, सभी बकायेदार चीनी मिलों को समय–समय पर यथा–दिनांक 08–12–2016, 01–03–2017, 17–03–2017 एवं 21–03–2017 को नोटिसें निर्गत की गयी। इसके पश्चात् दिनांक 14–07–2017 को गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के द्वारा कम गन्ना मूल्य भुगतान करने वाली चीनी मिलों, जिसमें मलकपुर चीनी मिल भी सम्मिलित है, को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है कि उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही क्यों न की जाये। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि चीनी मिलों के गन्ना मूल्य के भुगतान की साप्ताहिक समीक्षा करें। राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु पूर्णतः सजग एवं प्रयासरत है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के वि0स0क्षे0 बेहटा में दिल्ली यमुनोत्री मार्ग से लाण्डापुल तक जर्जर मार्ग के मरम्मत एवं नवनिर्माण विषयक जानकरी

19–श्री नरेश सैनी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र में स्थित दिल्ली यमुनोत्री मार्ग के कि0मी0 196 से मलकपुर–ताहरपुर होते हुए महमूदपुर तक हथनीकुण्ड मार्ग के किमी0 9 में स्थित ढाब्बा से लाण्डापुल तक, नियामतपुर से वाया कबीरपुर थौला कुआं तक तथा सुन्दरपुर नौरंगपुर जसमोर मिर्जापुर तक जर्जर मार्ग को जनहित में सरकार निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रश्नगत सभी मार्गों की मरम्मत एवं नवनिर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0क्षे0 दीदारगंज में माइनरों/रजवाहों की सफाई कराने विषयक जानकारी

20–श्री सुखदेव राजभर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा कुल कितनी माइनर बनायी गयी हैं ? क्या सरकार बताएगी कि कितने माइनरों की सफाई की गयी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त माइनरों की सफाई न होने से टेल तक पानी नहीं पहुंचता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनरों/रजवाहों की समयबद्ध सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद आजमगढ़ के दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 84 माइनरें बनायी गयी हैं।

वर्ष 2016–17 में 38 माइनरों की सिल्ट सफाई की गयी है।

उक्त माइनरों में सिल्ट सफाई का आवश्यक कार्य कराकर टेल तक पानी पहुंचाया गया है।

जी हां, वर्ष 2017–18 में उक्त 84 माइनरों में से 28 माइनरों तथा इसके अतिरिक्त 06 रजवाहों की सिल्ट सफाई का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में बारिश के समय घाघरा नदी से होने वाली व्यापक क्षति को रोकने के सम्बन्ध में

21–श्री सुखदेव राजभर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में बारिश के दौरान घाघरा नदी में जल स्तर बढ़ने से आई बाढ़ से नदी के कटान के कारण आजमगढ़ शहर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में जन–जीवन अस्त–व्यस्त होने के साथ–साथ जन–धन की भी व्यापक क्षति होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार बाढ़ से होने वाले कटान को रोकने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद आजमगढ़ में वर्षा काल के दौरान घाघरा नदी में जल स्तर बढ़ने से आई बाढ़ से आजमगढ़ शहर प्रभावित नहीं होता है। बल्कि जनपद आजमगढ़ में पड़ने वाली सगड़ी तहसील का क्षेत्र जो महुला गढ़वल के किनारे पड़ता है प्रभावित होता है।

शासन की नीति के अनुसार बाढ़ से होने वाले कटान को रोकने हेतु आवश्यक सुरक्षोपाय सम्पादित किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद एटा के शिकायत सन्दर्भ संख्या–15153170026801 बेवर फीडर की अनुबन्ध संख्या 04/एस0ई0/I.W.C.A./2015–16 के सम्बन्ध में

22–श्री रामकुमार वर्मा, पटेल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक शिकायत सन्दर्भ सं0–15153170026801 जो कि जनपद एटा के बेवर फीडर की अनुबन्ध सं0–04/एस0ई0/आई0डब्लू0सी0ए0/ 2015–16 लागत 11,62,40,151.00 (ग्यारह करोड़ बासठ लाख चालीस हजार एक सौ इक्यावन) के निष्पादित कार्यों का अवशेष रु0– 5.30 करोड़ का भुगतान प्रकरण की जांच आख्या मध्य सी–66/मुख्य अभियन्ता मध्य स्तर 1/दिनांक– 08–03–2017 उन्हें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त जांच आख्या पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

उक्त जांच–आख्या के आधार पर कार्यालय ज्ञाप सं0–853/17–27–सिं0–5–07/2017 दिनांक– 20–03–2017 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0–888/17–27–सिं0–5–07/2017 दिनांक–20–03–2017 द्वारा क्रमशः तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, अलीगढ़ एवं तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, एटा के विरुद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के वि0स0 क्षेत्र हरचन्दपुर में तहसील बनवाने के सम्बन्ध में

23–श्री राकेश सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र–हरचन्दपुर में तहसील मुख्यालय न होने के कारण नागरिकों को अपने राजस्व कार्यों के लिए दूरस्थ स्थित तहसील मुख्यालयों पर निर्भर है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इस विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्ड हरचन्दपुर, सतांव अथवा खीरों को नई तहसील बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी नहीं।

हरचन्दपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्डों क्रमशः सतांव व हरचन्दपुर की तहसील मुख्यालय सदन से दूरी 16 कि0मी0 व विकास खण्ड खीरों की तहसील लालगंज से दूरी 15 किमी0 है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर के अन्तर्गत आने वाले उक्त तीनों विकास खण्डों को जोड़कर भी हरचन्दपुर में नई तहसील के सृजन हेतु निर्धारित मानक पूर्ण नहीं होता है।

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे सवर्णों को आवास उपलब्ध कराने विषयक

24–श्री राकेश सिंह

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे के सामान्य वर्ग को आवास उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार गरीबी रेखा से नीचे के सामान्य वर्ग को आवास उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 में सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी नीति वर्ष 2013 में प्रख्यापित की गयी है, जिसके अनुसार सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय (भूखण्डीय विकास एवं ग्रुप हाउसिंग) योजनाओं में प्रस्तावित कुल आवासीय इकाइयों (भू–खण्ड/फ्लैट्स) का न्यूनतम 10 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का निर्माण किया जाना अनिवार्य है। आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग परिवार की वार्षिक आय रु0 1.00 लाख तक निर्धारित की गयी थी, जिसे शासनादेश संख्या–3267/आठ–1–16–80विविध/10, दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 द्वारा पुनरीक्षित करते हुए रु0 3.00 लाख किया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए केन्द्रीय एवं राज्य की वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के प्राविधान हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों को आवासीय सुविधा प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के शारदा नहर पर बने पुलों को नवीनीकरण एवं रीमांडलिंग कराये जाने विषयक

25–श्री राकेश सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में कुन्दनगंज, रजबहा और हरचन्दपुर माइनर के ऊपर बने पुलों का डिजाइन ठीक न होने के कारण पानी का बहाव अवरुद्ध होता है और माइनर का हेड भाग शिल्ट–अप हो जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त पुलों को तोड़कर नए पुल बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के फैजाबाद रोड स्थित ग्राम उतरधौना, तिवारीगंज आदि में सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने विषयक

26–डा0 नीरज बोरा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिले में फैजाबाद रोड स्थित ग्राम उतरधौना, तिवारीगंज आदि में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

ग्राम उतरधौना प0 व0 तह0 व जिला लखनऊ में मूल ग्राम उतरधौना के अतिरिक्त कुल दो मजरे तिवारीगंज, तारा का पुरवा है। तिवारीगंज कोई राजस्व ग्राम नहीं है बल्कि यह राजस्व ग्राम उतरधौना का मजरा है। राजस्व ग्राम उतरधौना में आबादी भूमि को छोड़कर कुल 236 गाटे जिनका क्षेत्रफल 27.243 हे0 है विभिन्न श्रेणियों में ग्राम सभा भूमि के रूप में दर्ज है। उक्त भूमियों में से कुल 11 गाटों में 3.624 हे0 भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया था जिसमें से 2.812 हे0 भूमि से अवैध कब्जा हटवाया जा चुका है शेष 0.812 हे0 भूमि पर बेदखली के बाद न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ व निगरानी के स्तर पर न्यायालय अपर आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ में विचाराधीन है।

न्यायालय से बेदखली के आदेश पारित होने के उपरान्त 0.812 हे0 ग्राम सभा भूमि से अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

27–डा0 आर0 के0 वर्मा–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

जनपद अलीगढ़ में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना कराने हेतु

28–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अलीगढ़ में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना के लिए ट्रान्सपोर्टरों को भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु पंजीकरण राशि जमा करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि अलीगढ़ में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना हेतु ट्रान्सपोर्टरों को भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु डिमाण्ड सर्वे के उपरान्त विज्ञप्ति के माध्यम से टोकन पंजीकरण शुल्क के रूप में दिनांक 31–03–1992 तक धनराशि जमा करायी गयी थी।

वर्तमान में महायोजना 2021 के अन्तर्गत दो स्थानों पहला जी0टी0 रोड पर कानपुर की ओर धनीपुर–सिंधौली ग्राम के अन्तर्गत तथा दूसरा जी0टी0 रोड पर ही देहली की ओर ग्राम सारसौल के पास ट्रान्सपोर्ट नगर प्रस्तावित दर्शाया गया है परन्तु

ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसलिए वर्तमान में प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ के नालों को साफ कराये जाने विषयक जानकारी

29–श्री दलवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में स्लॉटर हाउसों द्वारा कट्टी का मल अलीगढ़ नाले में डाले जाने के कारण नाला जगह–जगह अवरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार नाले को साफ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

नगर निगम अलीगढ़ द्वारा संचालित पशुवधशाला उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त न होने के कारण वर्ष 2014 से बन्द है। निजी क्षेत्र के पशुवधशालाओं से निकलने वाले मल को नाले में डाले जाने से नाले में सिल्ट जमा होने की जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद अलीगढ़ में सी0आर0एफ0 योजना के तहत स्वीकृत मार्ग के निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

30–श्री दलवीर सिंह–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में सी0आर0एफ0 योजना के तहत कौन–कौन से मार्ग निर्माणाधीन हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त हेतु कितना–कितना धन आवंटित किया जा चुका है एवं कितना–कितना अवशेष है ? क्या सरकार अवशेष धनराशि जारी कर शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जनपद अलीगढ़ में सी0आर0एफ0 योजना के तहत निम्न कार्य निर्माणाधीन है :–

अलीगढ़ रामघाट मार्ग से गांव खेड़ा सी0टी0के0 मार्ग (अन्य जिला मार्ग) लम्बाई–15.300 किमी0 के चौड़ीकरण एवं सुन्दरीकरण का कार्य।

अलीगढ़ गोण्डा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) लम्बाई–16.200 किमी0 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।

उक्त दोनों कार्य के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–10/2016/1158/23–12–16–107– जी0आई/16 दिनांक 02–08–2016 द्वारा कार्य की लागत क्रमशः रु0 2944.00 एवं रु0 2701.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए रु0 38.37 लाख एवं रु0 35.11 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। कार्य को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मऊ की घोसी तहसील में घोसी–नगरा तथा घोसी से मऊ–बलिया मार्ग का मरम्मत/पुनर्निर्माण कराने विषयक

31–मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ की घोसी तहसील में घोसी–नगरा मार्ग घोसी से मऊ–बलिया सरहद तक की सड़क अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जनपद मऊ की घोसी तहसील में घोसी–नगरा मार्ग घोसी से मऊ–बलिया सरहद तक जाने वाला घोसी–मझवारा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत एवं प्रगति पर है। कार्य को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

32–मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

ख03रे गुरुवार के अता0प्र0सं0–58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

लखनऊ नगर के भोलाखेड़ा एवं आसपास की प्राइवेट कालोनियों में सीवर लाइन डालने की व्यवस्था कराने विषयक

33–मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के भोलाखेड़ा एवं आस–पास की प्राइवेट कालोनियों में सीवर की व्यवस्था न होने के कारण नागरिकों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है एवं गन्दगी से कभी भी महामारी फैलने की सम्भावना है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर उक्त क्षेत्र में सीवर लाइन डालने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

वर्णित क्षेत्रों में सीवर प्रणाली की व्यवस्था कराने हेतु इसे अमृत योजना में सम्मिलित कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के दि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद में काली राख की रोकथाम के सम्बन्ध में

34–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद, सीतापुर से उड़ने वाली काली राख को रोकने के लिए संयन्त्र लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा–

जी हां।

चीनी मिल महमूदाबाद में स्थापित ब्वायलर से उड़ने वाली काली राख को रोकने के लिए वेट स्क्रबर लगाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के दि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद से निकलने वाली गन्दे पानी के शोधन सन्यन्त्र को ठीक कराने विषयक कार्य योजना

35–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद, सीतापुर से निकलने वाले गन्दे पानी का संयन्त्र काफी पुराना हो गया है जिस कारण पानी का शोधन नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मिल में जल उत्प्रवाह संयन्त्र सरकार ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा–

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, महमूदाबाद, सीतापुर से निकलने वाले गन्दे पानी का सन्यन्त्र सत्र 1992–93 से स्थापित है। उक्त का रख–रखाव नियमित रूप से किया जा रहा है। पानी का शोधन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो रहा है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2016 हेतु सहमति प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के छपरौली (उत्तर प्रदेश)–समालखा (हरियाणा) प्रस्तावित पुल का निर्माण कराये जाने विषयक

36–श्री सहेन्द्र सिंह रमाला–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छपरौली (उत्तर प्रदेश)–समालखा (हरियाणा) मार्ग पर पुल नहीं है, जबकि पुल बन जाने से इस मार्ग से समालखा (हरियाणा) पहुंचने का रास्ता लगभग 30 किलोमीटर कम हो जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रश्नगत सेतु का निर्माण हरियाणा व उ0प्र0 दोनों राज्यों की सहभागिता से निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्यांश के सापेक्ष धनराशि

स्वीकृत की जा चुकी है और हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्यांश की स्वीकृति अभी निर्गत नहीं की गयी है। उक्त परियोजना अनारम्भ की श्रेणी में है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा का विस्तार करके फूल कालोनी एवं इन्दिरा कालोनी को इसमें सम्मिलित करने विषयक

37–श्री नरेश सैनी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र में स्थित बेहट नगर पंचायत की सीमा का विस्तार करते हुए सीमा से सटी फूल कालोनी एवं इन्दिरा कालोनी को भी इसमें सम्मिलित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

नगर पंचायतों के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–450/9–1–2015–426सा/2014, दिनांक 31–01–2015 द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है। नगर पंचायत बेहट का सीमा विस्तार उपरोक्त शासनादेश में निर्धारित मानक पूर्ण होने पर निर्भर करता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती की रुधौली तहसील में प्रस्तावित आवासीय भवनों का निर्माण कराये जाने विषयक

38–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की रुधौली तहसील परिसर में आवासीय भवनों का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां।

जनपद बस्ती के तहसील रूधौली के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–1676/एक–5–2016–98/2016, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा कार्य की मानकीकृत लागत रु0 264.23 लाख पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रथम किश्त के रूप में रुपये 132.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। नियमानुसार अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 क्षेत्र रूधौली के ग्राम–रूस्तमपुर में स्थापित राजकीय ट्यूबवेल का मरम्मत कराये जाने विषयक जानकारी

39–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के रामनगर विकास खण्ड अन्तर्गत ग्राम रुस्तमपुर में स्थापित राजकीय ट्यूबवेल खराब होने से किसानों का सिंचाई कार्य बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार रुस्तमपुर के ट्यूबवेल को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद बस्ती के रामनगर विकास खण्ड अन्तर्गत ग्राम रुस्तमपुर में राजकीय नलकूप संख्या 114 डी0जी0 स्थापित है, जो वर्तमान में कार्यशील है। नलकूप द्वारा वर्ष 2017–18 में खरीफ 1425 फसली में पक्षान्त दिनांक 25–06–2017 तक 170 घण्टे चलकर 07 एकड़ असल रकबे की सींच की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

40–श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

[04थे गुरुवार के अता0प्र0सं0–33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

लखनऊ के फैजुल्लागंज वार्ड के नायक नगर, अग्रसेन नगर, कृष्णलोक कालोनी आदि मुहल्लों के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सीवर पाइप लाइनों को दुरुस्त कराये जाने विषयक

41–डॉ0 नीरज बोरा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के फैजुल्लागंज वार्ड के अन्तर्गत आने वाले नायक नगर अग्रसेन नगर, प्रीति नगर, दाऊदनगर गौरभीट, श्रीनगर, भरत नगर, कृष्णलोक कालोनी आदि मुहल्लों में सीवर लाइन जगह–जगह टूटी हुई है तथा आपस में जुड़े न होने के कारण सीवर सम्बन्धी समस्या से उक्त क्षेत्रों के लोग पीड़ित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को दुरुस्त कराने तथा इन्हें जोड़ने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां। उक्त क्षेत्रों में सीवर लाइन जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा बिछायी गयी थी। उक्त योजना के शेष कार्यों एवं संचालन के उपरान्त देखी गयी कमियों को दूर करने के कार्यों को अमृत योजनान्तर्गत सम्मिलित कर पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

जी हां।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज वार्ड के बसन्त विहार और प्रीतिनगर में पेयजल की समस्या विषयक

42–डॉ0 नीरज बोरा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के फैजुल्लागंज वार्ड के अन्तर्गत बसन्त विहार और प्रीतिनगर क्षेत्र में पानी आपूर्ति की व्यवस्था न होने से उत्पन्न पेयजल संकट से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में पानी की टंकी सहित पाइप लाइन बिछाकर पेयजल आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां।

उक्त वर्णित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की सम्पूर्ण योजना को उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड पर केशव नगर पुलिस चौकी मोड़ से मड़ियांव तक सड़क के किनारे नाला निर्माण कराये जाने विषयक

43–डॉ0 नीरज बोरा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के सीतापुर रोड पर स्थित केशव नगर पुलिस चौकी मोड़ से मड़ियांव थाने तक के मार्ग पर वर्षा के दिनों में जलभराव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क के किनारे नाला का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

लखनऊ–सीतापुर–दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग सं0–24 के कि0मी0–489 से 491 के बीच स्थित केशवनगर पुलिस चौकी से मड़ियांव थाना तक के भाग में दोनों ओर व्यवसायिक प्रतिष्ठान बने हुए हैं। इस भाग में जल निकासी हेतु कोई नाला नहीं है। नाला निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद लखनऊ के लाला लाजपत राय वार्ड के मीरजापुर गांव में वाटर लाइन तथा सीवर लाइन को आरम्भ कराये जाने विषयक

44–डॉ0 नीरज बोरा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के लाला लाजपत राय वार्ड के अन्तर्गत आने वाले मीरजापुर गांव में पेयजल आपूर्ति पाइप लाइन तथा सीवर लाइन का कार्य पूर्ण होने के बावजूद इसे चालू नहीं किया गया है ? यदि हां,

तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र की स्थापित वाटर लाइन तथा सीवर लाइन को जनहित में चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

लाला लाजपत राय वार्ड के अन्तर्गत मीरजापुर गांव में पेयजल आपूर्ति की पाइप लाइन तथा सीवर लाइन चालू है तथा स्थानीय निवासियों को इसका लाभ मिल रहा है।

वर्तमान में उक्त क्षेत्र की पेयजल एवं सीवर लाइन चालू है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

45–श्री संजय गर्ग–

[04थे मंगलवार के अता0प्र0 सं0–77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद सुल्तानपुर में गोमती नदी के गुंदराघाट पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में

46–श्री संजय गर्ग–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सुल्तानपुर के सूरापुर–बिजेथुआ महाबीरन–गुदराघाट से कोइरी पुर के मध्य तक जाने हेतु गोमती नदी पर पुल न होने के कारण ग्रामीणों को अत्यन्त असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार गुदराघाट के गोमती नदी पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रस्तावित स्थल के अप स्ट्रीम में 20.00 किमी0 की दूरी पर कादीपुर–बनकारी बहाउद्दीनपुर मार्ग के धोपाप घाट पर सेतु निर्माणाधीन है तथा डाऊन स्ट्रीम में लगभग 12 किमी0 की दूरी पर करउंदीकला–इमलिया–जमऊमट्टी–बहरीपुर मार्ग पर इमलियाघाट पर सेतु निर्मित है। प्रस्तावित स्थल पर जनहित में पुल की आवश्यकता बतायी गयी है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित पुरनिया से फैजुल्लागंज होते हुए लाल पुल तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सर्विस रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

47–डॉ0 नीरज बोरा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के सीतापुर रोड स्थित पुरनिया से फैजुल्लागंज होते हुये लाल पुल तक बने बन्धा मार्ग पर भारी वाहन एवं अन्य वाहनों के आवागमन का भारी दबाव रहता है तथा आये दिन दुर्घटना की

आशंका बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं एक सर्विस रोड का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी नहीं।

उक्त बन्धा मार्ग सिंचाई विभाग के अधीन है। इस पर सड़क निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के लाला लाजपत राय वार्ड अन्तर्गत बटहा, सबौली, नन्दपुर, अकिलापुर, मीरजापुर आदि क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त नालियों की मरम्मत/निर्माण कराये जाने की कार्य योजना

48–डॉ0 नीरज बोरा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के लाला लाजपत राय वार्ड के अन्तर्गत बटहा सबौली, नन्दपुर, अकिलापुर, मीरजापुर आदि क्षेत्रों में जगह–जगह नालियां टूटी होने तथा चोक होने से नाली का पानी सड़क व लोगों के घर तक चला जाता है ? यदि हां, तो क्या जनता की समस्याओं के दृष्टिगत सरकार उक्त क्षतिग्रसत नालियों की मरम्मत, नई नालियों का निर्माण तथा सफाई की सुचारु व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी नहीं। अतिवृष्टि होने पर कुछ समय के लिए पानी भर जाता है।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नवयुवकों में मदिरा के बढ़ते सेवन की रोकथाम के लिए शराब की दुकानों की संख्या सीमित कराये जाने के सम्बन्ध में

49–श्री दलवीर सिंह–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत 5 वर्षों में वर्षवार देशी, विदेशी शराब व बीयर की बिक्री में कितनी वृद्धि हुई है ? क्या सरकार प्रदेश के नवयुवकों में मदिरा के बढ़ते सेवन की रोकथाम के लिये शराब की दुकानों की संख्या सीमित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह–

प्रदेश में विगत 05 वर्षों में देशी, विदेशी शराब व बीयर की बिक्री में वृद्धि निम्नानुसार रही हैः–

(1) देशी शराब–

वर्ष देशी शराब में गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि/ह्रास गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि/ह्रास
(लाख ब0ली0 में) (प्रतिशत में)
2012–13 151.15 () 6.0
2013–14 157.47 () 6.2
2014–15 167.38 () 6.2
2015–16 229.67 () 8.0
2016–17 134.26 () 4.4

(2) विदेशी शराब–

वर्ष विदेशी शराब में गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि/ह्रास गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि/ह्रास
(लाख बोतल में) (प्रतिशत में)
2012–13 84.9 (–) 6.9
2013–14 56.64 (–) 4.9
2014–15 155.91 (–) 14.4
2015–16 169.19 (–) 18.3
2016–17 545.34 () 72.2

(3) बीयर–

वर्ष बीयर में गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि/ह्रास गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि/ह्रास
(लाख बोतल में) (प्रतिशत में)
2012–13 400.93 (–) 22.1
2013–14 255.56 () 14.2
2014–15 211.72 () 10.3
2015–16 452.72 () 20.0
2016–17 180.77 (–) 6.7
जी नहीं।

मदिरा व्यसनियों को मानक मदिरा उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की संस्तुति पर मदिरा के असेवित क्षेत्रों पर शराब की दुकानें खुलवायी जाती हैं। यदि शराब की दुकानों की संख्या सीमित कर दी जायेगी, तो मदिरा व्यसनियों को मानक मदिरा उपलब्ध नहीं हो पायेगी तथा उक्त क्षेत्रों में अवैध स्रोतों से प्राप्त मदिरा के सेवन से व्यापक जनहानि की सम्भावना के दृष्टिगत आबकारी दुकानों की संख्या सीमित किये जाने पर विचार करना उचित नहीं है।

जनपद अलीगढ़ में स्लॉटर हाउस के मल स्थानीय नालों व बड़े पाइपों के बोरिंग द्वारा जमीन में डाले जाने की जांच के सम्बन्ध में

50–श्री दलवीर सिंह–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–अलीगढ़ में स्लॉटर हाउसों द्वारा मल स्थानीय नालों व बड़े पाइपों के बोरिंग द्वारा जमीन में डाली जाती रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्लॉटर हाउसों द्वारा किये गये मल निस्तारण की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान–

जी नहीं।

जनपद अलीगढ़ में वर्तमान में 08 स्लॉटर हाउस स्थापित हैं। एक स्लॉटर हाउस का संचालन वर्तमान में बन्द है। समस्त संचालित स्लॉटर हाउसों से जनित प्रदूषित जल के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण सन्यन्त्र स्थापित एवं संचालित हैं। बोन आदि जैसे ठोस अपशिष्ट के समुचित निस्तारण हेतु संचालित स्लॉटर हाउसों में रेण्डरिंग प्लांट स्थापित एवं संचालित हैं। संचालित स्लॉटर हाउसों द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का अनुपालन किया जा रहा है। उक्त समस्त स्लॉटर हाउसों का औचक निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर किया जाता है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा अद्यतन सर्वेक्षण दिनांक 07–07–2017 को किया गया है। सर्वेक्षण के दौरान किसी भी स्लॉटर हाउस में जमीन में बोरिंग कर मल एवं जल का डाला जाना नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड हरचन्दपुर के ढाड़ी नाला को सफाई कराने विषयक जानकारी

51–श्री राकेश सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–रायबरेली के विकास खण्ड–हरचन्दपुर अन्तर्गत ढाडी नाला जो कि पैडेपुर से निकला है और हरचन्दपुर नइया नाले में मिला है इस नाले की सफाई न होने के कारण कठवारा ग्राम के आस–पास हजारों एकड़ भूमि जलमग्न रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

माह जनवरी–2016 में सफाई करायी जा चुकी है। वर्तमान में सफाई की कोई आवश्यकता नहीं है।

जनपद बरेली की टाउन एरिया नबाबगंज में वर्ष 2015–16 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यों का विवरण के सम्बन्ध में जानकारी

52–श्री केसर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बरेली की टाउन एरिया नबाबगंज हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में किस कार्य के लिये कितना–कितना धन स्वीकृत किया गया तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पूर्ण कराये गये कार्यों की लागत क्या है ? क्या सरकार स्वीकृत शेष कार्यों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

नगर पालिका परिषद्, नवाबगंज, जनपद बरेली को वित्तीय वर्ष 2015–16 में निम्न धनराशि स्वीकृत/आवंटित की गयी है :–

1–राज्य वित्त आयोग	–	रु0 5,60,40,450.00
2–13वां/14वां वित्त आयोग	–	रु0 49,92,754.00
3–बैंक से प्राप्त ब्याज	–	रु0 1,56,075.00
4–अवस्थापना निधि 2 प्रतिशत	–	रु0 8,45,502.00
कुल योग	–	रु0 6,20,34,781.00

उक्त धनराशि के सापेक्ष कार्यवार स्वीकृत/आवंटित धनराशि का विवरण संलग्न[†] है।

नगर पालिका परिषद्, नवाबगंज, जनपद बरेली में कोई भी स्वीकृत कार्य निर्माण हेतु शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के वि0स0क्षे0 नवाबगंज में सुन्दरी मटुकापुर मार्ग का निर्माण विषयक जानकारी

53–श्री केसर सिंह–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज में सुन्दरी मटुकापुर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी हां।

जनपद बरेली में विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज में सुन्दरी मटुकापुर मार्ग का विभागीय नाम नवाबगंज–बीजामऊ–कटैया–कैमुआ मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 28.100 कि0मी0 है तथा यह अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। प्रश्नगत मार्ग के कि0मी0 13 में सुन्दरी ग्राम तथा कि0मी0 17 में मटकापुर ग्राम स्थित है। उक्त मार्ग के चैनेज 8.000 से चैनेज 17.000 अर्थात 9.000 कि0मी0 एवं चैनेज 24.00 से चैनेज 28.100 अर्थात 4.100

[†] देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 237 पर ।

कि0मी0, कुल 13.100 कि0मी0 लम्बाई में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य शासनादेश दिनांक 30–06–2016 द्वारा स्वीकृत हुआ था।

स्वीकृत कार्य माह नवम्बर, 2016 में पूर्ण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के नवाबगंज–कुडरा का निर्माण एवं लागत के सम्बन्ध में जानकारी

54–श्री केसर सिंह–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बरेली में निर्माणाधीन नवाबगंज–कुडरा मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी हां।

नवाबगंज–कुण्डरा–बहादुरगंज मार्ग (लम्बाई 22.400 कि0मी0) के सापेक्ष 12.00 कि0मी0 लम्बाई में नवाबगंज से कुण्डरा कोठी तक का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री सड़क योजना में फेज–10 के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में स्वीकृत था। अनुबन्ध के अनुसार इसे पूर्ण करने का लक्ष्य दिनांक 19–02–2016 था, परन्तु सीमित वित्तीय संसाधन के कारण कार्य दिनांक 19–03–2016 को पूर्ण किया गया। मार्ग का शेष भाग पूर्व से निर्मित है तथा उसकी दशा संतोषजनक है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज हाफिजगंज–जादोपुर मार्ग का निर्माण तथा लागत के सम्बन्ध में जानकारी

55–श्री केसर सिंह–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज में हाफिजगंज–जादोपुर मार्ग के दोनों साइड में कच्ची पटरी बनाने का प्रावधान था ? यदि हां, तो क्या पटरी बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र दीदारगंज की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने विषयक जानकारी

56–श्री सुखदेव राजभर–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में लोक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए कार्य योजना बनायी गयी है। इसके अन्तर्गत गड्ढामुक्ति हेतु 117 मार्गों में पैच मरम्मत के अन्तर्गत 57 मार्गों विशेष मरम्मत के अन्तर्गत 19 मार्गों तथा सामान्य मरम्मत के अन्तर्गत 38 मार्गों पर कार्य कराये जाने की कार्य–योजना बनायी गयी है। सड़कों की मरम्मत आदि का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र दीदारगंज के विभिन्न विकास खण्डों में गेहूं के क्रय विषयक जानकारी

57–श्री सुखदेव राजभर–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में गेहूं क्रय का क्या लक्ष्य रखा गया था तथा क्या सरकार बतायेगी कि विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज स्थित विभिन्न विकास खण्डों से लक्ष्य के अनुरूप खरीद हुई ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल सम्पूर्ति, परती भूमि विकास एवं सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री उपेन्द्र तिवारी)–

जी हां।

जनपद आजमगढ़ में पी0सी0एफ0 का गेहूं क्रय का लक्ष्य 28000 मै0 टन रखा गया था।

विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज स्थित पी0सी0एफ0 के 02 क्रय केन्द्र (साधन सहकारी समिति खरसहनकलां तथा साधन सहकारी समिति नर्वे) स्थापित किये गये थे जिनका लक्ष्य 2240.00 मै0 टन रखा गया था। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कुल 1111.100 मै0 टन की खरीद हुई है।

उपरोक्तानुसार।

किसानों द्वारा क्रय केन्द्रों पर लाये गये समस्त गेहूं की खरीद की गयी है।

जनपद अम्बेडकर नगर के तहसील टाण्डा के ग्राम नन्दापुर परगना के श्री अभिषेक वर्मा द्वारा दिनांक 13–06–2014 के गाटा संख्या 130 के तालाब पर अतिक्रमण हटाने जाने की जानकारी

58–श्री लाल जी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नन्दापुर, परगना व तहसील टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर में तालाब गाटा संख्या–130 पर से अतिक्रमण सरकार हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

ग्राम नन्दापुर, परगना व तहसील टांडा जनपद अम्बेडकर नगर में तालाब गाटा संख्या 130 क्षेत्रफल 0.0820 हे0 पर कोई अतिक्रमण नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग के ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी अपनी पोस्टिंग के स्थान में ही निवास सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में

59–श्रीमती नीलम करवरिया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सिंचाई विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी द्वारा अपने नियुक्ति क्षेत्र में निवास न करने के कारण नहरों का समयबद्ध संचालन बाधित होने से नहरों में बड़े पैमाने पर कटिंग करके टेल तक पानी पहुंचने में बाधा उत्पन्न होती है ? यदि हां, तो क्या सिंचाई की सुचारु व्यवस्था को लागू करने के दृष्टिगत सरकार उक्त कर्मचारी/अधिकारी को उनकी पोस्टिंग के स्थान में ही निवास करने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मीरजापुर से जनपद इलाहाबाद की मेजा वि0स0 क्षेत्र को नहर से जोड़कर 2017–2018 में अधूरे कार्य को पूर्ण करने की मांग

60–श्रीमती नीलम करवरिया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मीरजापुर से जनपद इलाहाबाद की मेजा विधान सभा क्षेत्र को नहर से जोड़कर सिंचाई की व्यवस्था की परियोजना हेतु किये जा रहे कार्य के विलम्ब तथा अधूरे रहने के कारण किसानों की फसल सूख जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सिंचाई (नहर) परियोजना को वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

बाणसागर नहर परियोजना, भारत सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 99 वरीयता प्राप्त परियोजनाओं में सम्मिलित है। बाणसागर परियोजना के समस्त कार्य वित्तीय वर्ष 2017–18 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

61–श्री पंकज सिंह–

[04थे गुरुवार के अता0प्र0 सं0–34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

62–श्री पंकज सिंह–

[3सरे गुरुवार के अता0 प्र0सं0–16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के गोमती नदी पर बीरमपुर, मई, पसेवा घाट पर पक्के पुल का निर्माण पूरा कराने विषयक जानकारी

63–श्री दिनेश चौधरी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के केराकत विधान सभा क्षेत्र में गोमती नदी पर बीरमपुर, मई व पसेवा घाट पर स्वीकृत पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण न होने से जनमानस को आवागमन में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

सन्दर्भित पुल राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। विषयगत पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में गोमती नदी पर निर्माणाधीन इन सेतुओं की भौतिक प्रगति क्रमशः बीरमपुर (भडेहरी घाट) पर 58 प्रतिशत एवं मई व पसेवाघाट पर 84 प्रतिशत है। सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना वित्तीय संशाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के सीवरेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में बनायी गयी योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

64–डा0 नीरज बोरा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सीवरेज सिस्टम पेयजल कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष पूर्ण कराये गये कार्यों का विवरण क्या है ? क्या सरकार जनहित में उक्त स्वीकृत योजनाओं के कार्यों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

लखनऊ नगर में सीवरेज एवं पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व में कराये गये कार्यों को जनोपयोगी बनाने हेतु ''अमृत कार्यक्रम'' के अन्तर्गत सैप वर्ष 2015–2016 एवं सैप वर्ष 2016–17 में सीवर लाइनों पर हाउस कनेक्टिंग चैम्बर के निर्माण हेतु 03 योजनाओं हेतु कुल रु0 295.35 करोड़ तथा राइजिंग मेन के रिहेविलीटेशन के कार्य हेतु रु0 17.64 करोड़ की स्वीकृति ''अमृत कार्यक्रम'' के अन्तर्गत प्रदान की जा चुकी है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उक्त के साथ ही पेयजल लाइनों पर गृह संयोजन के लिए कुल 02 योजनाओं हेतु कुल रु0 77.09 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जी हां।

उपरोक्त कार्यों को माह दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बरसात के जल को कृषकों के फसलों की सिंचाई के उपयोग हेतु नदियों से जोड़ने विषयक जानकारी

65–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषकों की फसलों की सिंचाई के उपयोग हेतु नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां, भारत सरकार के राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों को जोड़ना प्रस्तावित है :–

केन–बेतवा

कोसी–घाघरा

चुनार–सोन बैराज

गण्डक–गंगा

घाघरा–यमुना

शारदा–यमुना

यमुना–राजस्थान

केन–बेतवा को जोड़ने की परियोजना अभिकरण से परियोजना प्राप्त होने के पश्चात् इसकी साध्यता पाये जाने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

रायबरेली डलमऊ कैनाल पम्प जिसमें नहरों की सिंचाई हेतु/किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए बन्द पड़े पम्पों को चालू कराने की मांग

66–श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में डलमऊ कैनाल पम्प जिसमें नहरों की सिंचाई हेतु लगाये गये 18 लिफ्टिंग पम्पों में से वर्तमान में मात्र 6 लिफ्टिंग पम्प ही चल रहे हैं, जिससे ऊंचाहार विधान सभा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बन्द पम्पों को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद रायबरेली के डलमऊ तहसील में चौधरी चरण सिंह डलमऊ ''ए'' पम्प नहर स्थित है, जो चरणों में स्थापित है। उक्त नहर के पम्प हाऊस में कुल 20 अदद पम्प स्थापित हैं, जिनमें से 6 अदद पम्प स्टैण्डबाई के रूप में है। उक्त पम्पों का संचालन अधिशासी अभियन्ता, रायबरेली खण्ड दक्षिणी शारदा नहर, रायबरेली की मांग के

अनुसार एवं गंगा नदी के जल स्तर के आधार पर किया जाता है। दिनांक 01–05–2017 से 05–05–2017 तक 8 पम्पों की मांग के सापेक्ष 8 पम्पों का संचालन किया गया। दिनांक 06–05–2017 से 31–05–2017 तक गंगा नदी के जल स्तर में कमी आने के कारण 8 पम्पों की मांग के सापेक्ष 6 पम्पों का संचालन किया गया। वर्तमान में गंगा नदी के जल स्तर में सुधार होने के कारण मांग के अनुसार 12 पम्पों के सापेक्ष 12 पम्पों का संचालन किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद–रायबरेली के वि0स0क्षे0 ऊंचाहार के वि0खं0 रोहनिया में स्थित बकुलाही नाले की खुदाई कराने की मांग

67–श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड रोहनिया में स्थित बकुलाही नाला जो कि उमरन से होते हुए सई नदी, प्रतापगढ़ में मिला हुआ है, उक्त नाले की खुदाई न होने के कारण रोहनिया ब्लाक की लगभग 10 हजार एकड़ कृषि योग्य भूमि सीपेज के कारण कृषि के कार्य में नहीं आ पा रही है, जिससे हजारों किसान भुखमरी के कगार पर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि गत सरकार द्वारा रोहनिया ब्लाक के उक्त नाले की खुदाई की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बकुलाही नाले की खुदाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद–रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड–रोहनिया में मझिहार झील से निकल कर रायबरेली–प्रतापगढ़ होते हुए सई नदी में गिरने वाले बकुलाही नाले के खुदाई की एक परियोजना लागत रु0 2194.96 लाख जी0 एफ0 सी0सी0 पटना से अनुमोदित हुई थी। परियोजना के वित्त पोषण हेतु नाबार्ड को प्रस्ताव भेजा गया था परन्तु परियोजना में 15 प्रतिशत से अधिक मृदा कार्य होने के कारण नाबार्ड से वित्त पोषण स्वीकृत नहीं हो सका। नाबार्ड से वित्त पोषण के अभाव में परियोजना की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति अब तक निर्गत नहीं हुई है। पुनः सर्वेक्षण उपरान्त एक संशोधित परियोजना लागत रु0 1107.40 लाख तैयार की गयी है जो परीक्षणाधीन है।

परियोजना के सक्षम स्तर से अनुमोदन एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के पश्चात् कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ के वि0स0क्षे0 के ग्राम शिवसत में भूमि का अधिग्रहण कर स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण के सम्बन्ध में

68–श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के ग्राम शिवसत में स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण 11 अगस्त, 2016 को कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त विद्यालय हेतु शहर से 30 किलोमीटर दूर अतरसन्ड में उप जिलाधिकारी, पट्टी द्वारा पुनः सर्वे किया जा रहा है ? यदि हां, तो पुनः सर्वे कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण पूर्व स्वीकृत स्थान पर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

केन्द्रीय विद्यालय हेतु कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की गयी है बल्कि जनपद प्रतापगढ़ के केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु ग्राम शिवसत, परगना पट्टी, तहसील रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ की गाटा संख्या– 30/0.504हे0, 31ग/1.546हे0, 32क/1.998हे0 कुल 03 किता/4.048हे0 गांव सभा भूमि का पुनर्ग्रहण दि0 08–08–2016 को किया गया है।

मा0 विधायक, विधान सभा सदर श्री संगमलाल गुप्ता द्वारा उप जिलाधिकारी, पट्टी से केन्द्रीय विद्यालय हेतु ग्राम अतरसन्ड में भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु दि0 15–04–2017 को पत्र भेजा गया था। मा0 सदस्य, विधान सभा क्षेत्र, रानीगंज के पत्र दिनांक 09–05–2017 द्वारा उप जिलाधिकारी, पट्टी को अवगत कराया गया कि ग्राम शिवसत, तहसील रानीगंज में केन्द्रीय विद्यालय हेतु पूर्व में भूमि पुनर्ग्रहीत की जा चुकी है, तथ्य प्रकाश में आने के उपरान्त सर्वे नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत बिन्दु का सम्बन्ध भारत सरकार से है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ को जाम से मुक्त करने हेतु सड़कों के मध्य बने कट मोड़ों को बन्द कराने विषयक जानकारी

69–श्रीमती जय देवी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24 अप्रैल, 2017 जोकि सड़कों के मध्य बने डिवाइडरों के कट/मोड़ों को बन्द कराये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी हां। डिवाइडरों के कट/मोड़ों को बन्द करने की कार्यवाही यातायात पुलिस द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले सुझावों/प्रस्तावों के अनुसार किया जाता है। उक्त पत्र को पुलिस अधीक्षक, यातायात लखनऊ को यातायात की दृष्टि से परीक्षण करने हेतु प्रेषित कर दिया गया है। वर्तमान में यातायात पुलिस द्वारा दिया गया कोई सुझाव लम्बित नहीं है।

जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर के फैजाबाद रोड को उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 में एकल दिशा मार्ग किये जाने का निर्देश का अनुपालन करने विषयक

70–श्री संजय गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के इन्दिरा नगर कालोनी में भूतनाथ मन्दिर मार्ग जो इन्दिरा नगर को फैजाबाद रोड से जोड़ता है, को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 में एकल दिशा मार्ग किये जाने का निर्देश दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि क्या उक्त निर्देश का अनुपालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रकरण यातायात विभाग से सम्बन्धित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में हावर्ड–माधोपुर तटबन्ध को ग्राम सभा मनीराम तक फोरलेन बनाने की मांग

71–श्री अमन मणि त्रिपाठी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में आवागमन की सुविधा हेतु हावर्ड तटबन्ध माधोपुर तटबन्ध को ग्राम सभा मनीराम तक सरकार फोरलेन बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग पर यातायात घनत्व फोर लेन निर्माण हेतु निर्धारित मानक से कम है।

जनपद गोरखपुर में महेशरा ताल, चिलुआताल आदि तालाबों के गिरते हुए जल स्तर को रोकने की कार्य योजना के सम्बन्ध में जानकारी

72–श्री अमन मणि त्रिपाठी–

क्या सिंचाई जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में महेशरा ताल, चिलुआताल, गोड्ढोइया नाला, रामगढ़ ताल, सुमेर सागर, जटाशंकर एवं विभिन्न तालाबों के गिरते जल स्तर को रोकने हेतु तालाब विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

वर्तमान में सरकार द्वारा 0.5 हेक्टे0 से अधिक क्षेत्रफल के तालाबों का संरक्षण एवं पुनरोद्धार की योजना है, जिसके लिए तालाब विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। उक्त के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर में महेशरा ताल, चिलुआताल, गोड्ढोइया नाला, रामगढ़ताल, सुमेर सागर, जटाशंकर सहित 0.5 हेक्टे0 से बड़े तालाबों की योजना तैयार है। जिनका संरक्षण एवं पुनरोद्धार किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बस्ती के वि0स0 क्षेत्र रूधौली के सुगम सिंचाई हेतु सरजू नहर परियोजना से माइनरों में पानी पहुंचाने विषयक जानकारी

73–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में सुगम सिंचाई हेतु बनी सरजू नहर परियोजना से निकली कुडिया से पिपरपाती होते हुये करमहिया तक, सिसवा से बाघाडीहा होते हुये परसा तिवारी आमी नदी तक, कुडियाडीह से द्वारिका चक तक तथा वंसडिलिया से रामपुर तक माइनरों में टेल तक पानी सरकार पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

सरयू परियोजना अभी निर्माणाधीन अवस्था में है। परियोजना पूर्ण होने पर उक्त नहरों में पानी पहुंचाया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज में बघेला नदी के जीर्ण–शीर्ण तटबन्ध का जीर्णोद्धार करने विषयक जानकारी

74–श्री अमन मणि त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज में बघेला नदी के जीर्ण–शीर्ण तटबन्ध का जीर्णोद्धार तथा सरजू नहर प्रणाली का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद महराजगंज की बघेला नदी वास्तविक रूप से नाला है जिसके कारण इस पर कोई तटबन्ध निर्मित नहीं है। अतः जीर्णोद्धार का प्रश्न नहीं उठता है। सरयू नहर प्रणाली का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिसे वर्ष 2019–20 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में कैम्पियरगंज स्थित वन पौधशाला एवं शोध संस्थान के भारतीय शोध वन संस्थान बनाने विषयक जानकारी

75–श्री अमन मणि त्रिपाठी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन शोध संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड में जाने के बाद क्या सरकार जनपद गोरखपुर में कैम्पियरगंज स्थित वन पौधशाला एवं शोध संस्थान को शोध वन संस्थान बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान–

जी नहीं।

राज्य सरकार का वन शोध संस्थान राज्य के विभाजन के पूर्व से ही कानपुर में अवस्थित है, अतएव नये शोध संस्थान की आवश्यकता नहीं है।

वन शोध संस्थान, देहरादून भारत सरकार का संस्थान है, अतएव राज्य विभाजन से इसके कार्यक्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

रायबरेली के वि0खं0 डलमऊ के कैनाल पम्प ऊंचाहार के ग्राम कन्दरावां व हुरेसा खरौली आदि क्षेत्रों में सिंचाई हेतु नहर द्वारा पानी देने की मांग

76–श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के रायबरेली–डलमऊ कैनाल पम्प से ऊंचाहार विकास खण्ड के ग्राम कन्दरावां व हुरेसा, खरौली आदि क्षेत्रों को सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है परन्तु उक्त भाग की नहरें ऊंची होने के कारण सिंचाई हेतु पानी टेल तक नहीं पहुंच पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नहर की खुदाई कराकर पानी टेल तक उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

शारदा सहायक संगठन के अन्तर्गत जनपद रायबरेली के डलमऊ कैनाल पम्प–ए से ऊंचाहार विकास खण्ड के ग्राम कन्दरावां व हुरेसा, खरौली आदि क्षेत्रों को सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है व उक्त भाग की नहरों में सिंचाई हेतु टेल तक पानी पहुंच रहा है। उक्त भाग की नहरें ऊंची नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रायबरेली शहर के मोहल्ला निराला नगर में अवैध बिल्डिंग का काम रुकवाकर मानकों के विरुद्ध हुए निर्माण को ध्वस्त कराने की मांग

77–श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली शहर के मोहल्ला निराला नगर की घनी बस्ती में 12 फिट चौड़ी सड़क पर बन रहा बहुमंजिला आवासीय भवन जिसमें पार्किंग की कोई व्यवस्था न होने के कारण उक्त भवन विकास प्राधिकरण रायबरेली के मानकों को पूरा नहीं करता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर बन रहे अवैध भवन का काम रुकवा कर मानक के विरुद्ध हुये निर्माण को ध्वस्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

रायबरेली शहर के मोहल्ला निरालानगर में निर्माणाधीन बहुमंजिला आवासीय भवन व शमनित मानचित्र की जांच कराये जाने पर यह पाया गया कि उक्त निर्माण में पार्किंग का प्राविधान स्टिल्ट फ्लोर पर किया गया है। तद्नुसार यह मौके पर भी है।

उक्त बहुमंजिला भवन के अनधिकृत निर्माणकर्ता के नाम से वाद संख्या 248/2015 पंजीकृत करके कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए उक्त निर्माण कार्य को बन्द करने के आदेश दिये गये, जिस पर सम्बन्धित निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य बन्द न करके निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिस पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 28–ए के अन्तर्गत उक्त निर्माण को सीलबन्द किये जाने के आदेश दिनांक 11–09–2015 को पारित किये गये। उक्त सीलिंग आदेश का संज्ञान होने के बाद प्रश्नगत निर्माण के शमन का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए निर्माणकर्ता द्वारा सीलिंग की कार्यवाही को स्थगित रखने का अनुरोध किया गया। तत्क्रम में उक्त निर्माण का शासन दिनांक 11–01–2016 को स्वीकृत किया गया और शमन आगणन के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का भुगतान होने के बाद शमनित मानचित्र दिनांक 10–02–2016 को निर्गत किया गया।

उक्त निर्गत किये गये शमनित भवन मानचित्र में शमनित भाग के अतिरिक्त प्रस्तावित निर्माण हेतु प्रदत्त अनुमति के सापेक्ष सम्बन्धित निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण पूर्ण कराया गया और तदुपरान्त अतिरिक्त निर्माण कार्य भी प्रारम्भ किया गया, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही संचालित करते हुए वाद संख्या 83/2017 पंजीकृत हुआ है, जो विचाराधीन है। उक्त विचाराधीन वाद पर निर्गत नोटिस के उपरान्त पक्ष द्वारा निर्माण कार्य बन्द नहीं कराया गया, जिसके कारण उक्त निर्माण को सीलबन्द किये जाने का आदेश दिनांक 18–05–2017 को पारित करते हुए अवैध निर्माण को मौके पर सील करा दिया गया है।

उक्त सील कराये गये अवैध निर्माण से सम्बन्धित विचाराधीन वाद संख्या 83/2017 पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार आदेश पारित कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

आगरा के वि0स0क्षे0 में बुन्दूकटरा एवं मधुनगर में बन्द पड़ी पानी की टंकियों को पुनः चालू कराने की मांग

78–डा0 जी0 एस0 धर्मेश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के छावनी विधान सभा क्षेत्र में बुन्दूकटरा एवं मधुनगर में पानी की दो बड़ी–बड़ी टंकियां अनेकों वर्षों से बन्द होने के कारण जनता को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पानी की टंकियों को पुनः चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आगरा शहर की जल की वर्तमान में पेयजल मांग लगभग 386 एम0एल0डी0 के सापेक्ष मात्र 290 एम0एल0डी0 ही शोधित जल प्राप्त हो पाता है। फलस्वरूप शहर में जलापूर्ति किये जाने में कठिनाइयां हो रही हैं। छावनी विधान सभा क्षेत्र के बुन्दूकटरा एवं मधुनगर क्षेत्र में नौलक्खा जोनल पम्पिंग स्टेशन पर पर्याप्त शोधित जल की उपलब्धता न होने के परिणाम स्वरूप उच्च जलाशयों के माध्यम से जनता को जलापूर्ति का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में पम्पिंग स्टेशन के माध्यम से ही आंशिक भाग में जलापूर्ति की जा रही है।

जी हां।

शहर की पेयजल समस्या के स्थायी निदान हेतु गंगाजल परियोजना निर्माणाधीन है, जिसके वर्ष, 2018 में पूर्ण होने की सम्भावना है। गंगाजल परियोजना के पूर्ण एवं जनोपयोगी होने के उपरान्त शहर की जनता को मांग के अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा एवं उच्च जलाशयों के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

सरजू नहर परियोजना की नहरों की दशा दिशा की शिकायतों के लिए परियोजना का कार्यालय बस्ती मण्डल में स्थापित करने की मांग

79–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरजू नहर परियोजना की नहरों की बस्ती मण्डल की जन शिकायतों के निस्तारण के लिये किसानों को गोण्डा, फैजाबाद जनपदों में स्थापित कार्यालयों में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या बस्ती मण्डल की शिकायतों हेतु उपरोक्त परियोजना का कार्यालय बस्ती मण्डल में सरकार स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद–गोण्डा एवं फैजाबाद में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के कार्यालय स्थापित हैं तथा बस्ती–मण्डल के जनपद–बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं सन्तकबीरनगर में अधीक्षण अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं के कार्यालय स्थापित हैं। बस्ती मण्डल के जनपद स्तर एवं मण्डल स्तर पर स्थापित कार्यालयों में शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। अतः किसानों को गोण्डा, फैजाबाद जनपदों में आने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार, सरयू परियोजना का कार्यालय बस्ती मण्डल में स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ शहर स्थित इन्दिरा नगर कालोनी में भूतनाथ मन्दिर इन्दिरानगर को फैजाबाद से जोड़ता है आ0सं0 बी–417 से बी–410 तक रोड के अवैध कब्जे को हटाकर स्थानान्तरित करने की मांग

80–श्री संजय गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर स्थित इन्दिरा नगर कालोनी में भूतनाथ मन्दिर मार्ग जो इन्दिरा नगर को फैजाबाद रोड से जोड़ता है, पर स्थित आवास सं0–बी–417 से बी–410 तक रोड पर अवैध कब्जा जमाए रेड़ी/ठेला वालों से यातायात व्यवस्था बाधित है तथा वहां रह रहे लोगों को भी समस्या है ? यदि हां, तो उक्त से निजात दिलाने हेतु क्या सरकार रेड़ी/ठेला वालों को अन्यत्र स्थानान्तरित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

वर्तमान में प्रश्नगत स्थल पर कोई अस्थाई अतिक्रमण नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जालौन के भोगनीपुर के वि0स0क्षे0 बुन्देलखण्ड में विकास निधि का लाभ दिलाने विषयक जानकारी

81–श्री विनोद कुमार कटियार–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन लोक सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कालपी, जालौन, गरौठा व उरई विधान सभा क्षेत्रों को बुन्देलखण्ड विकास निधि का लाभ मिल रहा है किन्तु एक विधान सभा क्षेत्र 208 भोगनीपुर को बुन्देलखण्ड विकास निधि का लाभ नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार भोगनीपुर विधान सभा क्षेत्र को भी बुन्देलखण्ड विकास निधि का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

विधान सभा क्षेत्र 208 भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत आता है। यह बुन्देलखण्ड क्षेत्र का भाग नहीं है। अतः बुन्देलखण्ड विकास निधि का लाभ नियमानुसार दिया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

अमरहर पम्प कैनाल के द्वितीय चरण का निर्माण भोगनीपुर तक करने विषयक जानकारी

82–श्री विनोद कुमार कटियार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात में अमरहर पम्प कैनाल के स्वीकृत द्वितीय चरण का निर्माण भोगनीपुर तक स्वीकृत करके सरकार निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

भोगनीपुर शाखा के टेल से निकलने वाली नहर प्रणालियों में जल उपलब्धता की कमी को पूरा करने के लिए जनपद कानपुर देहात में उमरहट पम्प कैनाल द्वितीय चरण परियोजना निर्माणाधीन है। इस परियोजना के अन्तर्गत ग्राम उमरहट पर यमुना नदी का जल उठाकर भोगनीपुर शाखा के कि0मी0 169.50 पर फीडर चैनल लम्बाई 6. 415 कि0मी0 के मध्य से डाला जाना प्रस्तावित है। भोगनीपुर शाखा के कि0मी0 169.50 पर 300 क्यूसेक जल फीड होने पर भोगनीपुर शाखा की टेल भाग की नहरों में पानी पहुंचाना प्रस्तावित है। उमरहट पम्प नहर परियोजना द्वितीय चरण के स्वीकृत पुनरीक्षित प्राक्कलन में भोगनीपुर शाखा के कि0मी0 169.50 से आगे भोगनीपुर तक कोई निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित नहीं है और न ही इसकी आवश्कता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 में ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का किसानों को मुआवजा देने की मांग

83–श्री रमेश चन्द्र मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2015 में ओलावृष्टि से नुकसान हुई फसलों का मुआवजा किसानों को नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मुआवजा किसानों को दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

वर्ष 2015 में ओलावृष्टि से नुकसान हुई फसलों से प्रभावित 1,21,03,712 (एक करोड़ इक्कीस लाख तीन हजार सात सौ बारह) किसानों को मुआवजा वितरित किया गया है। शेष 18,82,331 (अठारह लाख बयासी हजार तीन सौ इकतीस) किसानों को कृषि निवेश अनुदान का वितरण नहीं हुआ है।

जी नहीं।

वर्ष 2015 में हुई ओलावृष्टि के सापेक्ष अब राहत उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचार योग्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदलापुर में रामगंज रजवाहा, धरौली रजवाहा, भीमपुर रजवाहा, जौनपुर रजवाहा माइनरों की सिल्ट सफाई कराकर पानी टेल तक पहुंचाने की मांग

84–श्री रमेश चन्द्र मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में रामगंज रजवाहा, धरौली रजवाहा, भीमपुर रजवाहा तथा जौनपुर रजवाहा एवं इससे सम्बद्ध माइनर में इसके पूर्व की सरकार द्वारा कागजों में सिल्ट सफाई की गई है ? क्या उक्त माइनरों में टेल तक सरकार पानी पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न में उल्लिखित नहरें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम–2009 एवं नियमावली–2010 के अन्तर्गत जल उपभोक्ता समिति द्वारा सफाई करायी जाती है। प्रत्येक फसल में जल उपलब्धता के आधार पर रोस्टर के अनुसार राजवाहों/माइनरों के टेल तक पानी पहुंचाया जाता है। वर्तमान खरीफ 1425 फसली में भी नहरों को संचालित किया जा रहा है एवं टेलों तक पानी पहुंचाने की कार्यवाही सतत् की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में किसानों को सिंचाई हेतु जल स्तर बढ़ाने विषयक जानकारी

85–श्री रमेश चन्द्र मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के जलस्तर घटने के कारण डार्क जोन घोषित 11 ब्लाकों में किसानों की सिंचाई सुविधा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां, जनपद जौनपुर में 5 अतिदोहित एवं 6 क्रिटिकल विकास खण्ड घोषित कर दिये गये हैं। प्रश्नगत विकास खण्डों में 615 किमी0 लम्बाई में नहरें विद्यमान हैं, जिनके माध्यम से पानी उपलब्ध कराकर कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदलापुर में नीलगाय एवं जंगली सुअर से फसलों को बचाने की कोई योजना बनाने विषयक जानकारी

86–श्री रमेश चन्द्र मिश्र–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में नीलगाय एवं जंगली सुअर के द्वारा नष्ट की जा रही फसल को बचाने के लिए क्या सरकार कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान–

जी हां। कृषि फसलों को वनरोज (नीलगायों)/जंगली सुअरों से बचाने हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 यथा संशोधित धारा–4(1) (ख) के अन्तर्गत विशेष कार्य योजना के तहत शासनादेश संख्या–446/14–04–2013, दिनांक 04–03–2013 द्वारा

जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया, जो निम्न प्रकार है :–

1–जिलाधिकारी – अध्यक्ष

2–प्रभागीय वनाधिकारी – सदस्य सचिव

3–जिला कृषि अधिकारी – सदस्य

4–जिला पशुधन अधिकारी – सदस्य

5–जिला उद्यान अधिकारी – सदस्य

उक्त समिति द्वारा जिले के प्रत्येक ब्लाक में वनरोजों एवं जंगली सुअरों से फसलों को होने वाले नुकसान की समीक्षा की जायेगी। इस समिति द्वारा वनरोज एवं जंगली सुअर को परमिट द्वारा मारने की त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी तथा इनके नष्ट होने की 70 प्रतिशत तक की सीमा प्राप्त हो जाने पर परमिट जारी नहीं किया जायेगा।

यह समिति चिन्हित वनरोज एवं जंगली सुअर से समस्याग्रस्त क्षेत्र में किसानों से वनरोज एवं जंगली सुअर को मारने हेतु आवेदन पत्र ब्लाक स्तरीय जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से एकत्र कराकर उसे खण्ड विकास अधिकारी या वन क्षेत्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा उनके द्वारा संयुक्त रूप से अनुज्ञा जारी की जायेगी। जिले के ऐसे आग्नेयास्त्र लाइसेन्सधारी जिनके पास राइफल हों या 12 बोर की बन्दूक के साथ एलजी कार्टरेज हों एवं आतंकी वनरोजों को नष्ट करने के इच्छुक हों, का पैनल तैयार करेगी। इस पैनल में रखे गये व्यक्तियों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–11(1) (बी) के अन्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन आतंकी वनरोज एवं जंगली सुअर को नष्ट करने की अनुमति जारी किये जाने का प्रावधान है।

शासनादेश में दिये गये प्रावधानों के पालन करने के विषय में किसानों को जानकारी दिये जाने पर उनके द्वारा सुअरों एवं वनरोजों को मारने में कोई रूचि नहीं दिखाई जा रही है। जनपद जौनपुर में किसी भी किसान/आवेदक द्वारा वनरोजों एवं सुअरों को मारने हेतु परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदलापुर के गांव गौरा, गजेन्द्रपुर, रमनीपुर, रामनगर, राऊतपुर आदि गांव को गोमती नदी के कटान के सम्बन्ध में

87–श्री रमेश चन्द्र मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के गौरा, गजेन्द्रपुर, रमनीपुर, रामनगर, राऊतपुर, तिलवारी, बरसड़ा, सुतौली आदि गांव गोमती नदी के कटान से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों को बाढ़ से बचाने के लिये कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न से आच्छादित ग्राम ऊंचाई पर हैं। आबादी एवं कृषि भूमि सुरक्षित है नदी का प्रवाह सीधी रीच में है और नदी का कटान नगण्य है।

88–श्री मोहम्मद रिजवान–

[दिनांक 18–7–2017 को अता0 प्र0 सं0–90 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बढ़ रहे अतिक्रमण को हटाने विषयक जानकारी

89–श्री मोहम्मद रिजवान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने एवं हटाये गये अतिक्रमण पर दोबारा अतिक्रमण न होने के लिये सरकार ने कोई प्रभावी नीति बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

लखनऊ नगर निगम द्वारा प्रत्येक कार्यदिवस में अतिक्रमण हटाये जाने हेतु तिथिवार कार्ययोजना बनाकर अतिक्रमणों को हटवाया जाता है एवं वर्तमान में भी दिनांक 03–07–2017 से 29–07–2017 तक कार्ययोजना बनाकर प्रत्येक कार्यदिवस में अतिक्रमणों को हटवाया जा रहा है तथा हटाये गये अतिक्रमण स्थलों पर यदि पुनः अतिक्रमण होता है तो उसके लिए क्षेत्रीय थाने का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।

नगर क्षेत्र से अवैध अतिक्रमणों को हटवाकर क्षेत्रीय थाने को सूचित कर दिया जाता है, ताकि जिस स्थल से अतिक्रमण हटाये गये हैं उस हटाये गये स्थल पर पुनः अतिक्रमण न होने पाये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के वि0स0क्षे0 किदवई नगर में सीवर लाइन/नालों की सफाई कराने विषयक जानकारी

90–श्री महेश चन्द्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र किदवईनगर में सीवर लाइन एवं नाले ओवर फ्लो होने से सड़कों पर जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सीवर लाइन, खुले नालों की सफाई, नई सीवरेज लाइन बिछाने एवं सीवरेज पम्पिंग स्टेशनों की क्षमतावृद्धि का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर में जल निकासी हेतु नाले की सफाई का कार्य कराया गया, किन्तु सीवेज के अवजल के निस्तारण हेतु स्थापित सीवेज पम्पिंग स्टेशन की क्षमता कम होने के कारण जल भराव की स्थिति यदा–कदा उत्पन्न होती है।

नयी सीवर लाइन बिछाने एवं सीवेज पम्पिंग स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी कार्यों को अमृत योजना में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

योजना स्वीकृतोपरान्त क्रियान्वयन होने में 3 वर्ष का समय लगना सम्भावित है

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के वि0स0क्षे0 किदवई नगर में 25–25 एच0पी0 के पम्पसेट एवं 63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने की मांग

91–श्री महेश त्रिवेदी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर की किदवईनगर विधान सभा क्षेत्र के बर्रा–2 सीवर पम्प स्टेशन में स्थापित 20–20 एच0पी0ए0 2 ओरिजनल पम्प क्षमता बहुत कम तथा जोन–5 कानपुर का बड़ा क्षेत्र इस सीवर पम्पिंग स्टेशन में जोड़ने के कारण सीवर भराव की समस्या हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुराने पम्पिंग स्टेशन का अनुरक्षण करते हुये सम्पवेल पर 25–25 एच0पी0 के पम्प सेट लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां। वर्तमान में जनसंख्या घनत्व बढ़ने के कारण क्षमता बढ़ाया जाना आवश्यक है।

क्षमता वृद्धि का कार्य अमृत योजना में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर के वि0स0क्षे0 विराट नगर में 63 के0वी0 का ट्रान्सफार्मर लगा कर क्षमता वृद्धि की मांग के सम्बन्ध में

92–श्री महेश त्रिवेदी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र किदवईनगर कानपुर के विराट नगर सम्पवेल में लगे समरसेविल सीवेज पम्प वाई ब्लाक किदवईनगर, बसन्त बिहार पशुपति नगर, हमीरपुर रोड, बिराट नगर सोसायटी तथा सम्पूर्ण वार्ड 55 का पानी आता है, जिससे सम्पवेल ओवर लोड हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का और क्षमता विस्तार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां। वर्तमान में जनसंख्या घनत्व बढ़ने के कारण क्षमता बढ़ाया जाना आवश्यक है। क्षमता वृद्धि का कार्य अमृत योजना में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर के वि0स0क्षे0 किदवई नगर में खराब पड़े इण्डिया मार्का हैण्डपम्प व समरसेविल को ठीक कराने की मांग

93–श्री महेश त्रिवेदी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र किदवईनगर में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प व समरसेविल पम्प फेल होने से उक्त क्षेत्र की जनता को पीने का पानी की गम्भीर समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के हैण्डपम्पों की रि–बोरिंग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जनपद–कानपुर के विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प के अतिरिक्त जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित पाईप पेयजल योजना के माध्यम से भी पेयजल की आपूर्ति प्रारम्भ की गयी है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ आवास योजना के अन्तर्गत जानकीपुरम् के से0–8 व 9 में अवैध रूप से चल रही दूध डेरी को बन्द कराने की मांग

94–डा0 हरगोविन्द भार्गव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवास योजना जानकीपुरम विस्तार के सेक्टर–8 व 9 में रिहायशी क्षेत्रों में संचालित अवैध दूध डेरियों से बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त अवैध दूध डेरियों को बन्द करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

प्रश्नगत क्षेत्र नगर निगम सीमा अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिये नगर निगम द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपयुक्तानुसार।

उपयुक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में कमलापुर सरौरा में बन्द पड़ी मैग्ना चीनी मिल को पुनः चालू कराने विषयक जानकारी

95–डा0 हरगोविन्द भार्गव–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के कमलापुर सरौरा में बन्द पड़ी मैग्ना चीनी मिल को पुनः चालू कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में स्थित कमलापुर शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, कमलापुर निजी क्षेत्र की चीनी मिल है जिसका अपन प्रबन्ध तन्त्र है। चीनी मिल पेराई सत्र 2009–10 से बन्द है। अतः चीनी मिल को चलाये जाने अथवा न चलाये जाने का निर्णय उनके द्वारा लिया जाता है।

कानपुर नगर के घाटमपुर में बन्द पड़ी चीनी मिल को पुनः चालू कराने की मांग

96–श्रीमती कमल रानी–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घाटमपुर, कानपुर नगर में लगी चीनी मिल विगत 15 वर्षों से बन्द होने के कारण किसानों का आर्थिक नुकसान हो रहा है तथा चीनी मिल के कर्मचारी एवं उनके परिवार भी रोजी–रोटी को परेशान हैं ? यदि हां तो, तो क्या सरकार उक्त चीनी मिल को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा–

घाटमपुर चीनी मिल के क्षेत्र में गन्ने की कम उपलब्धता एवं मिल की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत घाटमपुर शुगर कं0 लि0 को बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया एवं मिल क्षेत्र के किसानों के उपलब्ध गन्ने को निकटवर्ती चीनी मिलों को व्यावर्तित कर दिया गया तथा मिल के समस्त कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करते हुए समस्त देयों का भुगतान भी कर दिया गया। फलस्वरूप क्षेत्र के किसानों एवं मिल के कर्मचारियों को कोई आर्थिक नुकसान की स्थिति दृष्टिगोचर नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर के बेहट रोड पर शाकुम्भरी कालोनी से जनता रोड गांव खुर्द अड्डे तक सड़क का निर्माण ढमोला नदी पर पुल बनाने की मांग

97–श्री मसूद अखतर–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के बेहट रोड पर शाकुम्भरी कालोनी से जनता रोड गांव खुर्द अड्डे तक सड़क का निर्माण तथा इसी सड़क पर ढमोला नदी पर पुल का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी नहीं।

प्रस्तावित मार्ग पर नगर निगम का स्वामित्व है। ढमोला नदी के डाउन स्ट्रीम में 1 कि0मी0 की दूरी पर सेतु तथा अप स्ट्रीम में 02 कि0मी0 की दूरी पर रपटा पूर्व से निर्मित है। प्रस्तावित सेतु की दूरी 10 कि0मी0 से कम होने के कारण प्रश्नगत स्थल पर सेतु का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रचलित मानकों से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर के ग्राम साधारणसिर के मुख्य चौराहे पर ओवरब्रिज अथवा अण्डरपास का निर्माण विषयक जानकारी

98–श्री मसूद अखतर–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड नागल से होकर मुजफ्फरनगर गागलहेडी फोर लेन मार्ग के कराये जा रहे निर्माण में पड़ने वाले ग्राम साधारणसिर में पड़ने वाले मुख्य चौराहे पर ओवरब्रिज अथवा अण्डरपास का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी नहीं।

मुजफ्फरनगर–सहारनपुर वाया देवबन्द (एस0एच0–59) मार्ग पर चार लेन चौड़ीकरण सार्वजनिक–निजी–सहभागिता (पी0पी0पी0) पर कराया जा रहा है। कन्शेसन एग्रीमेन्ट में प्राविधान नहीं होने तथा मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण अण्डर पास का निर्माण सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बाराबंकी के शहरी भाग के निकट टाउन एरिया देवां शरीफ में जाम से निजात दिलाने के लिए बाईपास बनाने की मांग

99–श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के शहरी भाग के निकट टाउन एरिया देवां शरीफ में जायरीनों एवं जनता के आने पर प्रायः भीषण जाम लगता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जाम से निजात दिलाने हेतु बाई पास का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

टाउन एरिया देवा शरीफ में विशेष अवसरों पर अत्यधिक भीड़ हो जाने से सड़कों पर होने वाली जाम की समस्या के समाधान हेतु स्थानीय स्तर पर उचित व्यवस्था करने के निर्देश दे दिये गये हैं। देवा कस्बे की आबादी एक लाख से कम होने के कारण बाईपास का निर्माण मानकों से आच्छादित नहीं है।

जनपद बाराबंकी के ग्राम बस्ती के निकट गोयल ग्रीन सिटी में अवैध प्लाटिंग को रोकने की मांग

100–श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम बस्ती निकट गोयल ग्रीन सिटी में लगभग कई एकड़ सरकारी भूमि एवं तालाब पर कब्जा करके अवैध प्लाटिंग की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर सरकारी भूमि को खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

ग्राम बस्ती परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की वर्तमान गाटा संख्या 2126/0.253 हे0, 212ग/0.696 हे0, 2107/0.354हे0, 2111ख/0.265हे0, 2154/0.215हे0 (बंजर), 2122घ/0.013 हे0 (नवीन परती), 2170/0.215हे0(ग्राम समाज) (पुरानी गाटा संख्या : 953/0.210 हे0, 974/0.696 हे0 तालाब, गाटा संख्या 654/0.215 हे0, 958 मि0/ 0.285,960/0.354 बंजर 975/1.030 हे0, 976/0.670 हे0 प्राथमिक विद्यालय, 980/0.215 हे0 ग्राम समाज) से बेदखली की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय तहसीलदार नवाबगंज, बाराबंकी द्वारा बेदखली आदेश पारित किया गया था। जिसके अनुसार आरोपी से मु0 रु0 53,489.00 (तिरपन हजार चार सौ नवासी रुपया मात्र) क्षतिपूर्ति वसूल की गयी तथा मौके पर आराजी से अतिक्रमणकर्ता से कब्जा हटवा दिया गया। दिनांक 14–07–2017 को भूमि के गाटो की पुनः जांच की गयी तो मौके पर रिक्त पाये गये। जांच और सीमांकन के दौरान गाटा संख्या : 2085ख/0.290 हे0, 2210/0.367 हे0 (तालाब), 2097/0.017 हे0 (नाली), 2098/0.034 हे0 (चकमार्ग) के आंशिक भू–भाग पर अतिक्रमण पाया गया चिन्हित होने के उपरान्त अतिक्रमण व कब्जा हटा लिया गया। वर्तमान में सरकारी भूमि खाली है।

वर्तमान में भूमि पर अवैध कब्जा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सदर के वि0स0क्षे0 अन्तर्गत हाफिजपुर चौराहे से रेलवे स्टेशन तक सड़क के अधूरे कार्य को पूर्ण करने विषयक जानकारी

101–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत हाफिजपुर चौराहे से हर्रा की चुंगी, चौक होते हुये रेलवे स्टेशन तक निर्माणाधीन सड़क का निर्माण कार्य वर्तमान में रोक दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त सड़क के निर्माण कार्य को रोके जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार उक्त सड़क को बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी नहीं। प्रश्नगत सड़क निर्माण का कार्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत है और प्रश्नगत कार्य निम्न तीन भागों में स्वीकृत है :––

प्रथम कार्य हाफिजपुर चौराहे से हरहा चुंगी चौक होते हुये रेलवे स्टेशन तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 29–7–15 द्वारा स्वीकृत किया गया था जिसे दिनांक 31–05–17 को पूर्ण कर लिया गया है।

2–द्वितीय कार्य उक्त मार्ग के संरेखण में ही बाईपास के रूप में शासनादेश दिनांक 31–03–15 द्वारा स्वीकृत किया गया था जिसे दिनांक 30–06–17 को ही पूर्ण कर लिया गया है।

3–तृतीय कार्य जनपद आजमगढ़ में मुहल्ला हरबंशपुर स्थित टौंस नदी पर पुराने/जर्जर पुल के स्थान पर नये सेतु के निर्माण से सम्बन्धित है जिसकी स्वीकृति (लागत रु0 752.71 लाख) शासनादेश दिनांक 30–06–16 द्वारा प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत कार्य हेतु रु0 300.00 लाख का आवंटन भी किया जा चुका है। कार्य हो पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

आजमगढ़ के वि0स0क्षे0 सिधारी रेलवे क्रासिंग पर बने ओवर ब्रिज के अधूरे कार्य को पूर्ण करने की मांग

102–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सदर, आजमगढ़ के अन्तर्गत सिधारी रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज के निर्माण का कार्य वर्तमान में रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ओवरब्रिज का निर्माण पुनः प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी नहीं।

प्रश्नगत रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति 39 प्रतिशत है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। कार्य की पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र सदर के अन्तर्गत टौंस नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराने विषयक जानकारी

103–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में टौंस नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के बाद रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कार्य पुनः आरम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी नहीं।

प्रश्नगत रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति 39 प्रतिशत है।

निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में मई, 2017 तक भौतिक प्रगति 25 प्रतिशत है। इसे वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूर्ण करना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम गौहन्ना की भूमि एन0एच0–232 एवं भू–खण्ड संख्या–264 के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा का भुगतान कराने की मांग

104–श्री राम अचल राजभर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम गौहन्ना परगना व तहसील अकबरपुर के किन–किन भू–स्वामियों की भूमि एन0एच0 232 के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी है तथा उसके मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम गौहन्ना परगना एवं तहसील अकबरपुर में उक्त निर्माण कार्य हेतु अधिग्रहीत भू–खण्ड सं0–264 (क) का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त भू–खण्ड का मुआवजा का भुगतान भू–स्वामियों को करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम गौहन्ना परगना व तहसील अकबरपुर के जिन–जिन भूस्वामियों की भूमि एन0एच0 232 के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी है, उन स्वामियों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दि0 26 अगस्त, 2013 में उल्लिखित भू–स्वामियों (संलग्नक–1) व अधिसूचना दि0 25 सितम्बर, 2014 में उल्लिखित भूमियों के नाम (संलग्नक–2) में दिये गये विवरण के अनुसार अधिग्रहण की कार्यवाही की गयी है और प्रतिकर का भुगतान किया जा रहा है।

जी नहीं।

जी हां।

ग्राम गौहन्ना की गाटा संख्या–264(क) के स्वामित्व/अंश का विवाद मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ में विचाराधीन है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के उपरान्त प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के रामगंगा नदी के गोराघाट पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक जानकारी

105–डॉ0 डी0 सी0 वर्मा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में रामगंगा नदी के गोराघाट पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण तहसील आँवला व मीरगंज के लोगों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुल का निर्माण पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

संदर्भित पुल राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है। इसका निर्माण कार्य चल रहा है। नदी की धारा बदलने के कारण और सेतु की लम्बाई बढ़ जाने के कारण आगणन में वृद्धि हो गयी है। इसका परीक्षण कर सक्षम स्तर से निर्णय लिया जा रहा है। वर्तमान में यह पुल लगभग 70 प्रतिशत बन चुका है। सेतु को शीघ्र पूरा कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के रामगंगा नदी पर बाबा कैलाश गिरी की मणि के पास नये पुल का निर्माण कराने की मांग

106–डॉ0 डी0 सी0 वर्मा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में रामगंगा नदी पर बाबा कैलाश गिरी की मणि के पास नाव से नदी पार करने में दुर्घटनाएं हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त स्थान पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रस्तावित स्थल पर सेतु निर्माण की आवश्यकता बतायी गयी है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज मुख्यालय से ब्लाक फतेहगंज पश्चिमी के बीच भाखड़ा नदी पर पुल बनाने विषयक जानकारी

107–डॉ0 डी0 सी0 वर्मा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तहसील मीरगंज मुख्यालय से ब्लाक फतेहगंज पश्चिमी को जोड़ने वाली जी0टी0 रोड के मध्य भाखड़ा नदी पर पुल न होने के कारण लोगों को 4–5 कि0मी0 के बजाय 25 कि0मी0 घूम कर आना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुल व रोड का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रस्तावित स्थल पर के 11.00 किमी0 की दूरी पर भाखडा नदी पर सेतु निर्मित है तथा डाउनस्टीम में कोई सेतु निर्मित नहीं है। जनहित में प्रस्तावित स्थल पर सेतु निर्माण की आवश्यकता बतायी गयी है। जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

काशीपुर नैनीताल में ढेला नदी पर बने पुल का पुनः निर्माण की मांग

108–श्री हाजी इकराम कुरैशी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में काशीपुर नैनीताल मार्ग पर ढेला नदी का पुल जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद–काशीपुर–नैनीताल मार्ग पर ढेला नदी पर पूर्व से निर्मित पुल काफी पुराना हो चुका है। जनहित में निर्मित पुल के समीप एक नये पुल के निर्माण की आवश्यकता बतायी गयी है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संशाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद में बन्द स्लाटर हाउस को नगर निगम द्वारा मार्डन स्लाटर हाउस बनवाये जाने विषयक

109–श्री हाजी इकराम कुरैशी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में लगभग 3 वर्ष पूर्व हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार मुरादाबाद नगर निगम स्लाटर हाउस (बूचड़खाना) को सील किया था तथा हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट आदेश दिया था कि नगर निगम द्वारा मार्डन स्लाटर हाउस बनाया जाये ? यदि हां, तो क्या हाईकोर्ट के आदेशानुसार सरकार मार्डन स्लाटर हाउस बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

नगर निगम मुरादाबाद के अन्तर्गत मोहल्ला असालतपुरा स्थित पुरानी पद्धति की पशुवधशाला मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27–11–2013 के अनुपालन में 31–12–2013 को सील की जा चुकी है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नगर निगम मुरादाबाद में पी0पी0पी0 माडल पर आधुनिक पशु वधशाला के निर्माण हेतु ग्राम धीमरी में 5.49 हेक्टेयर भूमि चयनित कर विस्तृत कार्य योजना एवं आरएफक्यू व आरएफपी स्वीकृत है। पी0पी0पी0 पद्धति पर पार्टनर के चयन हेतु 03 बार की निविदा प्रक्रिया में एक या एक से अधिक निविदादाताओं द्वारा भाग न लिए जाने के कारण निविदा निरस्त की गयी। शासनादेश दिनांक 17–10–2016 के क्रम

में चौथीबार दिनांक 19–05–2017 को निविदाएं प्राप्त हुई हैं, जिनका नियमानुसार परीक्षण किया जाना प्रक्रियाधीन है।

मुरादाबाद–काशीपुर मार्ग का पुनः निर्माण करवाये जाने विषयक

110–श्री हाजी इकराम कुरैशी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में काशीपुर मार्ग अधिक जर्जर स्थिति में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग तथा जनपद से प्राप्त फील्ड रिपोर्ट के अनुसार सड़क की स्थिति संतोषजनक बतायी गयी।

प्रदेश में जनेश्वर मिश्र समग्र योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में स्वीकृत लाइटें लगवाने विषयक

111–श्री मोहम्मद रिजवान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2016 में स्वीकृत जनेश्वर मिश्र समग्र विकास योजना के अन्तर्गत सी0सी0 रोड के अलावा 8–8 सोलर लाइटें लगाये जाने का भी प्राविधान था ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2016–17 में सोलर लाइटें लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के वि0ख0 कुचरकी भूढौ पान्डे के ग्रा0 रोडा व कुचरकी की डोमघर साधन सरकारी समितियों के जर्जर भवन व गोदामों का पुनः निर्माण विषयक

112–श्री मोहम्मद रिजवान–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के विकास खण्ड मूढ़ॉ पान्डे के ग्राम रोडा व विकास खण्ड कुन्दरकी के ग्राम डोमघर की साधन सरकारी समितियों के जर्जर भवनों व गोदामों को सरकार पुनः बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मन्त्री (श्री मुकुट बिहारी वर्मा)–

जी हां।

प्रस्ताव विचाराधीन।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के वि0स0 क्षेत्र कुन्दरकी में गागन नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में

113–श्री मोहम्मद रिजवान–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 29, कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद में गॉगन नदी पर जैतिया फिरोजपुर व जैतिया सादुल्लापुर के बीच बनने वाला सेतु की वित्तीय स्वीकृति सरकार प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

सन्दर्भित स्थल पर पुल बनाये जाने के संबंध में राज्य सरकार में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पुल बनाया जाना राज्य सरकार के निर्णय और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद सुल्तानपुर के वि0स0 क्षेत्र लम्भुआ के धोपाप में गोमती नदी के ऊपर का कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक

114–श्री देवमणि द्विवेदी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र लम्भुआ के धोपाप में गोमती नदी के ऊपर निर्माणाधीन पुल को पूर्ण करने की कोई समय–सीमा है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी हां।

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र लम्भुआ के घोपाप में गोमती नदी के ऊपर निर्माणाधीन पुल का कार्य प्रगति पर है वर्तमान में मई 2017 तक भौतिक प्रगति 72 प्रतिशत है। सेतु को वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूर्ण करना प्रस्तावित है जो कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

सुल्तानपुर सहित प्रदेश के छोटे शहरों एवं जनपद में नगर विकास प्राधिकरण जैसी संस्था स्थापित करने विषयक

115–श्री देवमणि द्विवेदी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर सहित प्रदेश के छोटे शहरों एवं जनपद मुख्यालयों के नियोजित शहरीकरण को मजबूत करने के लिए शहर/नगर विकास प्राधिकरण जैसी संस्था स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

प्रदेश के अन्दर छोटे शहरों एवं जनपद मुख्यालयों के नियोजित शहरीकरण को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत 28 विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत 05 विशेष सत्र विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत 73 विनियमित क्षेत्र गठित किये जा चुके हैं।

शासनादेश संख्या–2133/37–3–83–59 एन0के0वी0/82, दिनांक 11–08–1983 द्वारा अमेठी, शासनादेश संख्या–3312/37–3–86 आर0ए0/86, दिनांक 28–02–1987 द्वारा सुल्तानपुर तथा शासनादेश संख्या–361/9–आ–3–96–आर0ए0/95, दिनांक 22–07–1996 द्वारा जगदीशपुर विनियमित क्षेत्र घोषित किये जा चुके हैं। जनपद

सुल्तानपुर में विकास प्राधिकरण बनाये जाने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 के सभी तहसील मुख्यालय को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में

116–श्री देवमणि द्विवेदी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों को नगर पंचायत का दर्जा देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के वि0स0क्षे0 बेहट में स्थित गंगेरू नदी पर पुल बनवाये जाने विषयक

117–श्री नरेश सैनी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में स्थित गंगेरू नदी जो कि ग्राम इसबखेडी तालबपुर उर्फ उसन्ड गांव से होकर गुजरती है, पर पुल न होने के कारण पठानपुरा, रसूलपुर, हरिपुर, चाटका, रतनपुरा, शाकुम्बरी शुगर फैक्ट्री सहित लगभग 50 ग्रामों के लोगों का आवागमन बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम इसबखेडी तालबपुर में गंगेरू नदी पर पुल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रस्तावित सेतु स्थल के अप स्ट्रीम में 5 किमी0 की दूरी पर 74.85 मी0 लम्बाई का पक्का सेतु तथा डाउन स्ट्रीम में 10 किमी0 की दूरी पर 187.84 मी0 लम्बाई का सेतु निर्मित है। प्रस्तावित सेतु की दूरी अप स्ट्रीम में 10 किमी0 से कम होने के कारण सेतु का निर्माण शासन के मानक के अनुरूप नही।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के वि0ख0 डोभी के ग्राम अमरौना में स्थित साधन सहकारी भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक

118–श्री दिनेश चौधरी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड डोभी के ग्राम सभा अमरौना में स्थित साधन सहकारी समिति का भवन जर्जर हो गया है

? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट में वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 में किसानों को बेमौसम बरसात/सूखे के कारण बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में

119–श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 में बेमौसम बारिस तथा सूखे के कारण रबी एवं खरीफ की फसलें नष्ट हो गयी थीं जिसके लिये प्रभावित किसानों को शासन की ओर से मुआवजा धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद चित्रकूट के कितने किसानों को मुआवजा की धनराशि प्राप्त हो चुकी है तथा कितने को शेष है ? क्या सरकार बतायेगी कि जो किसान अभी तक मुआवजा से वंचित रह गये हैं, को कब तक मुआवजे की अवशेष धनराशि उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां।

जनपद चित्रकूट में वर्ष 2015 एवं 2016 में चक्रवाती तूफान/ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई कृषि फसलों से प्रभावित 201771 एवं कृषकों को रु0 139.87 करोड़ की धनराशि का वितरण किया गया है। मुआवजा हेतु 45322 कृषक अवशेष हैं।

खरीब सूखा से प्रभावित 102331 कृषकों के मध्य रु0 32.29 करोड़ की धनराशि का वितरण किया गया है। रबी सूखा से प्रभावित 141838 कृषकों के मध्य रु0 88.21 करोड़ की धनराशि का वितरण किया गया है। मुआवजा हेतु 25670 कृषक अवशेष हैं।

वर्ष 2015 में हुई बेमौसम बारिश/ओलावृष्टि के सापेक्ष अब राहत उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचार योग्य नहीं पाया गया है।

सूखा प्रभावित अवशेष किसानों को मुआवजा दिये जाने हेतु जनपद चित्रकूट से मांग प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम बेनी माधवपुर में पानी की निकासी हेतु नाला/ड्रेन के निर्माण सम्बन्धी

120–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम बेनी माधवपुर के उत्तर में सीपेज की वजह से सैकड़ों एकड़

जमीन जलमग्न होने के कारण किसान अपने खेतों में फसल नहीं बो पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सीपेज को साफ करने हेतु नाला/नया/ड्रेन खोद कर सीपेज मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

शारदा सहायक पोषक नहर शारदा बैराज, शारदा नगर से निकलती है। इसका शीर्ष पर परिकल्पित डिस्चार्ज 27000 क्यूसेक है। यह नहर जनपद सीतापुर में लहरपुर, बिसवां, महमूदाबाद तहसील से होकर गुजरती है। यह पोषक नहर विगत 43 वर्षों से लगातार प्रवाहित हो रही है। इस कारण से शारदा सहायक पोषक नहर की सेंट्रल लाइन के दोनों तरफ का काफी सीपेज के कारण प्रभावित रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि नहर के लगातार चलने के कारण नहर के दोनों तरफ कुछ भागों में भू–गर्भ जल स्तर जमीन की सतह पर आ गया है। भू–गर्भ जल के कारण कृषक अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। सीपेज की समस्या के निराकरण हेतु नीतिगत निर्णय के आधार पर भू–गर्भ जल विभाग, कृषि विभाग एवं सिंचाई विभाग द्वारा तकनीकी अध्ययन के उपरान्त प्राप्त निष्कर्षों पर दूरगामी विस्तृत परियोजना तैयार कर निरन्तरता के साथ सीपेज के निराकरण हेतु कार्य किया जाना अनिवार्य होगा। तभी शारदा सहायक नहर प्रणाली से सीपेज की समस्या का निराकरण किया जाना संभव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के दरियाबाद में नहर ब्रान्च से जलापूर्ति की क्षमतावृद्धि विषयक

121–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद की महमूदाबाद तहसील के अन्तर्गत दरियाबाद ब्रान्च से किसानों की फसलों की सिंचाई हेतु पानी दिया जा रहा है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त ब्रांच की क्षमता कम होने के कारण उक्त क्षेत्र के किसानों की फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर की क्षमता विस्तार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

दरियाबाद ब्रांच से किसानों को पर्याप्त पानी पहुंचा कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर जनपद में बन्द राजकीय नलकूपों को चालू करने विषयक

122–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में कितने राजकीय नलकूप वर्तमान समय में बन्द हैं ? क्या सरकार बन्द सरकारी नलकूपों को चलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

अद्यतन सूचना के अनुसार कार्यशील राजकीय नलकूपों में से यांत्रिक दोष से 7, विद्युत दोष से 24 अर्थात् कुल 31 राजकीय नलकूप बन्द हैं।

जी हां।

राजकीय नलकूपों का बन्द होना एवं चालू किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। यांत्रिक दोष से बन्द राजकीय नलकूपों को विभागीय मानकों के अनुसार निर्धारित अवधि में ठीक कराकर चालू करा दिया जाता है। विद्युत दोष से बन्द राजकीय नलकूपों को विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक/समन्वय करके नलकूपों को ठीक कराने की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर के चहलारी घाट पर गांव को बाढ़ से बचाने हेतु तटबंध बनाने विषयक

123–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में चहलारी घाट से पूरब बाढ़ से बचाने हेतु बनाये गये बन्धे व घाघरा नदी के बीच में पड़ने वाले गांवों के ग्रामीणों को सरकार वहां से बाहर निकाल कर सरकारी जमीन देकर अन्यत्र बसायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में गन्ना किसानों के बकायों का भुगतान कराने विषयक

124–श्री राम अचल राजभर–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि बकाया धनराशि का भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा–

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य की दरों के अनुसार चीनी मिलों द्वारा की गयी गन्ने की खरीद पर देय गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा स्वयं किया जाता है। पेराई सत्र 2016–17 के अन्तर्गत दिनांक 14–07–2017 तक, कुल देय गन्ना मूल्य रु0 25,386.46 करोड़ के सापेक्ष रु0 22,807.53 करोड़ का भुगतान हो चुका है, जो कुल देय का 89.84 प्रतिशत है तथा रु0 2,578.93 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है।

उपरोक्तानुसार।

बकाया गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु सभी बकायेदार चीनी मिलों को समय–समय पर यथा– दिनांक 08–12–2016, 01–03–2017, 17–03–2017 एवं

21–03–2017 को नाटिसें निर्गत की गयी। इसके पश्चात् दिनांक 14–07–2017 को गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के द्वारा कम गन्ना मूल्य भुगतान करने वाली चीनी मिलों को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है कि उनके दण्डात्मक कार्यवाही क्यों न की जाये। इस संबंध में संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि चीनी मिलों के गन्ना मूल्य के भुगतान की साप्ताहिक समीक्षा करें। राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु सजग एवं प्रयासरत है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के गणेश पार्क फूलबाग में निर्मित पानी की टंकी को चालू करवाये जाने के सम्बन्ध में

125–श्री अमिताभ बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गणेश पार्क फूलबाग, कानपुर नगर में पानी की टंकी से पानी की आपूर्ति सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां। गणेश पार्क फूलबाग में निर्मित जलाशय एवं शिरोपरि जलाशय से नियमित जलापूर्ति माह जून, 2017 से प्रारम्भ कर दी गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के सरोजनी नगर वार्ड प्रथम शान्ति नगर में क्रियेटिव कान्वेंट स्कूल के पीछे के जर्जर मार्ग की मरम्मत करवाये जाने विषयक

126–मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के सरोजनी नगर वार्ड प्रथम के शान्तिनगर स्थित क्रियेटिव कान्वेन्ट स्कूल के पीछे उत्तर की तरफ से विकास चन्द्र त्रिवेदी के मकान से लाखन यादव के मकान से होते हुए श्रीमती अनुराधा सिंह चौहान के मकान तक का रास्ता क्षतिग्रस्त होकर गड्ढायुक्त हो गया है एवं वहां निरन्तर जल भराव की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को सी0सी0 रोड एवं नाली बनवाना सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां।

जी नहीं। सी0सी0 सड़क निर्माण पर प्रतिबंध है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

127–श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव–

खदिनांक 18–7–2017 को अता0 प्र0 सं0–91 द्वारा उत्तरित,

प्रदेश के राजमार्गों पर प्रत्येक 100 कि0मी0 दूरी पर सुलभ शौचालय के निर्माण कराने विषयक

128–श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाली जनता के लिए प्रत्येक 100 किमी0 या उससे कम दूरी पर सुलभ शौचालय बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

राष्ट्रीय राजमार्गों का स्वामित्व सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) भारत सरकार का है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की गाइडलाइन्स दिनांक 08–08–2016 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत पुरुषों एवं महिलाओं के लिये अलग–अलग शौचालय बनाये जाने की व्यवस्था है। उक्त के अतिरिक्त सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन्स दिनांक 03–04–1998 एवं 24–07–2013 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित पेट्रोल पम्पों पर एवं सड़क के किनारे दी जाने वाली सुविधाओं के अन्तर्गत यात्रियों के लिये शौचालय की सुविधा दिये जाने की व्यवस्था है।

बाराबंकी में नहरों/माइनरों से निकलने वाली सिल्ट को हटवाये जाने के सम्बन्ध में

129–धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र 268–बाराबंकी के अन्तर्गत आने वाली नहरों/माइनरों, छोटी माइनर की सफाई से निकलने वाली बालू को सरकार हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

नहरों की सिल्ट सफाई से निकाली गयी बालू को नहरों के बैंकों पर डालकर उपयोग किया गया है।

जनपद गाजियाबाद की नगर पालिका लोनी को नगर निगम बनाने के सम्बन्ध में

130–श्री नन्द किशोर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद की नगरपालिका लोनी की आबादी वर्तमान में लगभग 12 लाख है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बढ़ी हुई आबादी को दृष्टिगत रखते हुए मानकानुसार उक्त नगरपालिका को नगर निगम बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगर पालिका परिषद् लोनी की जनसंख्या 5,12,296 है।

गाजियाबाद स्वयं नगर निगम है। शासन स्तर पर नगर पालिका परिषद, लोनी को नगर निगम बनाये जाने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सिसवा टाउन एरिया को नगर पालिका बनाने विषयक जानकारी

131–श्री प्रेमसागर पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज में प्रदेश की सबसे पुरानी सिसवा बाजार टाउन एरिया को सरकार नगरपालिका बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां। जिलाधिकारी, महाराजगंज से शासनादेश संख्या–2212/9–6–2014–181मिस/2014, दिनांक 10 नवम्बर, 2014 के क्रम में निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्राप्त होने पर नगर पालिका बनाने की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सिसवा के ब्लाक निचलौल की बड़ी ग्राम पंचायत जो इण्टरनेशनल बार्डर पर स्थापित है उसे ग्राम पंचायत बनाने के सम्बन्ध में

132–श्री प्रेमसागर पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र ठूठीबारी सिसवा निचलौल ब्लाक की बड़ी ग्राम पंचायत ठूठीबारी है नगर पंचायत बनने की अधिमान्य योग्यता रखती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत ठूठीबारी को नगर पंचायत बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी नहीं। नगर पंचायत सृजन संबंधी शासनादेश संख्या–2997/9–1–2016–426 सा/14, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 में निर्धारित जनसंख्या के मापदण्ड को पूर्ण न करने के कारण प्रश्नगत ग्राम पंचायत, ठूठीबारी नगर पंचायत बनने की अधिमान्य योग्यता नहीं रखती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महराजगंज की तीन ग्राम पंचायतें सुदूर इलाके नेपाल, बिहार कुशीनगर जिले में समायोजित करने के संबंध में

133–श्री प्रेमसागर पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज की सोहगी वरवा, शिकारपुर एवं भोथीयाही ग्राम पंचायतें जो सुदूर इलाके नेपाल, बिहार, कुशीनगर बार्डर पर स्थित है, को महराजगंज के बजाय कुशीनगर जिले में शामिल करा दिया जाय तो विकास तेजी से होगा ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तीनों ग्राम पंचायतों सोहगी

वरवा, शिकारपुर, भोथीयाही को कुशीनगर जिले में समायोजन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने/प्रक्रिया पूर्ण होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के वि0स0क्षे0 399, मड़िहान में सिंचाई हेतु मानक अनुसार पम्प कैनाल या सरकारी ट्यूबवेल की स्थापना के सम्बन्ध में

134–श्री रमा शंकर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र 399–मडिहान में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है ? क्या सरकार को जानकारी है कि पठारी क्षेत्र होने के कारण उक्त क्षेत्र में पम्प कैनाल अथवा सरकारी ट्यूबवेल के माध्यम से ही सिंचाई हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में मानकानुसार पम्प कैनाल या सरकारी ट्यूबवेल स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

विधान सभा क्षेत्र 399, मड़िहान में कुल 08 लघु डाल नहरें, जिनकी चलित क्षमता 100 क्यूसेक एवं सिंचन क्षमता 33371 हे0 है, सिंचाईरत हैं, जिन्हें नदियों में जल उपलब्धता के आधार पर कृषकों की मांग के अनुरूप चलवा कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

जी हां, पठारी क्षेत्र होने के कारण विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में सरकारी ट्यूबवेल लगाया जाना साध्य नहीं है। पम्प नहर की स्थापना हेतु पर्याप्त जल स्रोत एवं समतल खेती योग्य भूमि उपलब्ध होने पर केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति उपरान्त पम्प नहर का निर्माण कराया जाता है।

पठारी एवं क्रिटिकल क्षेत्र होने के कारण सरकारी ट्यूबवेल लगाया जाना साध्य नहीं है। क्षेत्र का सर्वेक्षण कराकर जल उपलब्धता होने पर पम्प नहर की स्थापना की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत लावा से पारा रोड तक जर्जर मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

135–श्री विरेन्द्र कुमार यादव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत लावा से पारा रोड जर्जर है ? यदि हां, तो सरकार उसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जनपद गाजीपुर में जंगीपुर लावा मार्ग (जंगीपुर पारा मार्ग) भारी वाहनों के आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। मार्ग का नवनिर्माण/मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

136–श्री विरेन्द्र कुमार यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

जनपद गाजीपुर के वि0स0 क्षेत्र जमनिया में पुल का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

137–श्रीमती सुनीता–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के जमानियां में निर्माणाधीन गंगा पुल का 60 प्रतिशत से ज्यादा कार्य हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि शेष बचे कार्य को कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी हां।

जनपद गाजीपुर के जमानियां में निर्माणाधीन गंगा पुल पर कार्य प्रगति में है। वर्तमान में सेतु की भौतिक प्रगति माह मई, 2017 के अन्त में 85 प्रतिशत है। सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के वि0स0 क्षेत्र जमानियां पम्प कैनाल को बदलने की मांग

138–श्रीमती सुनीता–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के जमानियां पम्प कैनाल अपनी अधिकतम 20 हजार घण्टे चलने की क्षमता से अधिक 80 हजार घण्टे से ज्यादा चलने के कारण अपनी क्षमता से आधा पानी ही दे पा रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त पम्प को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

जमानियां पम्प नहर पर स्थापित पुराने पम्प सेट एवं अन्य सहायक उपकरण अपनी निर्धारित मितव्ययी आयु 12 वर्ष अथवा 20 हजार घण्टे से लगभग 3 गुने से अधिक संचालित हो चुके हैं। वर्तमान में जमानियां पम्प नहर अपनी पूर्ण क्षमता 1050 क्यूसेक के सापेक्ष 756 कयूसेक (72 प्रतिशत) क्षमता से संचालित हो रही है।

जमानियां पम्प नहर के पम्प सेट एवं अन्य सहायक उपकरणों को बदलने हेतु सिंचाई (यांत्रिक) विभाग द्वारा एक परियोजना गठित की गयी है। व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 30–06–2016 में समिति द्वारा रु0 2516.08 लाख की परियोजना अनुमोदित की गयी है। शासन द्वारा परियोजना के वित्त पोषण का प्रस्ताव नाबार्ड को प्रेषित किया गया है।

परियोजना के वित्त पोषण के उपरान्त बजट उपलब्धता पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–लखनऊ के गजरिया फार्म हुसैनाबाद में चन्दन आदि के पेड़ों के कटान की अनुमति दिये गये अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कराने विषयक जानकारी

139–श्री चेतराम–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के गजरिया फार्म हुसैनाबाद में चंदन आदि के पेड़ों के कटान की अनुमति किन अधिकारियों ने दी तथा उससे कितने राजस्व की क्षति हुई ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान–

लखनऊ जनपद में गंजरिया फार्म हुसैनाबाद नाम की कोई जगह नहीं है। चकगंजरिया फार्म में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में निर्माण कार्य में बाधित प्रोसोपिस ब बबूल के 4,244 वृक्ष, कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा वन विभाग की पातन अनुज्ञा के बिना अवैध कटान किया गया। प्रकरण में रु0 96,41,625 की राजस्व क्षति हुई।

हुसैनाबाद क्षेत्र में मार्ग चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण हेतु नियमानुसार पेड़ों के कटान की अनुमति प्रभागीय वनारधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ द्वारा दी गयी। इस पातन में चन्दन का कोई पेड़ नहीं था। नियमानुसार पातन की अनुमति दिये जाने के कारण राजस्व की क्षति नहीं हुई।

उपर्युक्त प्रकरण में जांचों परान्त निम्नवत् कार्यवाही की गई :–

(क) प्रश्नगत प्रकरण में वन अपराध संख्या–07/2017–18 दिनांक 08–05–2017 को इजरा किया गया एवं थाना गोसाईगंज में केस क्राईम संख्या–0270, दिनांक 10–05–2017 को दर्ज कराया गया।

(ख) विभागीय रूप से प्रथम दृष्टया दोषी वन रक्षक/बीट प्रभारी को निलंबित किया गया तथा सेक्शन अधिकारी/वन विद के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के वि0सं0क्षे0 सिधौंली से महमूदाबाद तक सड़क के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के सम्बन्ध में

140–डा0 हरगोविन्द भार्गव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में सिधौली से महमूदाबाद निर्माणाधीन मार्ग का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य बंद है, जिससे आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कार्य पुनः चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी नहीं, कार्य प्रगति पर है। मार्ग पर यातायात का सुचारू रूप से आवागमन हो रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद के वि0ख0 कुन्दरकी व ठाकुरद्वारा में आवारा कुत्तों को पकड़ने के सम्बन्ध में

141–श्री मोहम्मद रिजवान–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड कुन्दरकी व ठाकुरद्वारा में आवारा कुत्तों द्वारा काटने के कारण अनेकों बच्चों की जानें जा चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में आवारा कुत्तों को पकड़वाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान–

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–62 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की अनुसूची में आवारा कुत्ते वन्य जीव की श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं हैं।

प्रकरण वन एवं वन्य जीव विभाग से सम्बन्धित न होने के कारण अपेक्षित कार्यवाही वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा नहीं की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर के अधिशासी अभियन्ता वैराज निर्माण खण्ड–2 में अभियन्ताओं द्वारा फर्जी भुगतान किये जाने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

142–श्री दिनेश चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, वैराज निर्माण खण्ड–2, कानपुर द्वारा बिना कार्य कराये माह अक्टूबर, 2016 में रुपये 1 करोड़ तथा दिनांक 31–03–2017 को रुपये 2 करोड़ 92 लाख 32 हजार का भुगतान फर्जी मेजरमेंट करके कार्यदायी संस्था को किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फर्जी भुगतान में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर आबादी तथा आवासीय क्षेत्र पर कृषि योग्य भूमि की कटान से सुरक्षा हेतु गाइड बन्ध के डाउन स्ट्रीम से रानी घाट तक 975 मीटर तटबन्ध निर्माण की परियोजना हेतु स्वीकृत कुल धनराशि रु0 1392.00 लाख के सापेक्ष अब तक कुल धनराशि 802.32 लाख अवमुक्त की गयी है। रु0 589.68 लाख का धनावंटन अभी शेष है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस परियोजना हेतु रु0 392. 32 लाख की धनराशि आवंटित की गयी, जिससे परियोजना के लांचिग एप्रेन व स्लूस रेगुलेटर के निर्माण एवं परियोजना के कार्यों की निर्माण सामग्री की खरीद पर व्यय किया

गया है। बिना कार्य कराये फर्जी मेजरमेन्ट करके कार्यदायी संस्था को कोई भुगतान नहीं किया गया है। इस परियोजना के कार्य अभी अवशेष है, जो धनावंटन होने पर सम्पादित कराये जायेंगे।

कानपुर के अधिशासी अभियन्ता वैराज निर्माण खण्ड 2 में वर्ष 2016–17 में 1 करोड़ 65 लाख रुपये के फर्जी भुगतान की जांच कराने विषयक जानकारी

143–श्री दिनेश चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, बैराज निर्माण खण्ड–2, कानपुर नगर द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–2017 के अन्त में बैराज के रख–रखाव हेतु एम0 एण्ड आर0 मद में प्राप्त रुपये 1 करोड़ 65 लाख की धनराशि से कौन–कौन से कार्य कराये गये ? क्या सरकार कृत कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

प्रश्नगत मद में प्राप्त धनराशि से कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :–

(धनराशि लाख रु0 में)

1	2	3
1	बैराज निर्माण खण्ड–प्रथम, कानपुर को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	40.00
2	गेटों के रख–रखाब, मरम्मत/पहियों को बदलना, गाइड रोलर्स रोप्स स्टील्स गेटों की पेंटिग, आपरेटिंग प्लेटफार्म, सुपर स्ट्रक्चर एवं बैलेन्स बाक्स आदि।	17.00
3.	बिजली बिल 150 के0वी0ए0 इलेक्ट्रिक कनेक्शन।	16.00
4.	बेयरिंग कोट व फर्श, लॉचिंग एप्रन, सी0सी0 ब्लाक्स की बाढ़ के कारण मरम्मत।	17.00
5.	मार्जिनल बन्ध, एफलक्स बन्ध, गाइड बन्ध की मरम्मत।	40.00
6.	लाइट फिटिंग व इलेक्ट्रिक लाइट की मरम्मत।	3.00
7.	नालों की सफाई व रख–रखाव।	1.00
8.	रिजर्वायर एरिया व जलकुम्भी की सफाई।	1.00
9.	बैराज के ऊपर पुल का रख–रखाव।	8.00
10.	सिक्योरिटी स्टाफ एवं गनर, 2 गार्ड दो जगह पर प्रत्येक शिफ्ट के लिये तथा सामान्य सुरक्षा हेतु 2 गार्ड प्रत्येक शिफ्ट के लिये।	10.00
11.	साइट आफिस व कन्ट्रोल रूम का रख–रखाव।	4.00
12.	बिल्डिंग मेन्टीनेन्स–अनावासीय आफिस, फील्ड हास्टल,	6.00

	आवासीय भवनों का रख–रखाव, मार्ग प्रकाश जलापूर्ति, विद्युत देयों को शामिल करते हुये सेनीटेशन।	
13.	अधिष्ठान व्यय।	2.00
	कुल योग :	**165.00**

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के ग्राम सभा जमुआ हरिजन बस्ती से चरहुआ डंगराडीह व गड़खड़ा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

144–श्री दिनेश चौधरी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के केराकत विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड केराकत, ग्राम सभा जमुआ की अनुसूचित जाति बस्ती से चरहुआ डंगराडीह व गड़खड़ा सम्पर्क मार्ग जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर मार्ग का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड केराकत में ग्राम सभा–जमुआ की अनुसूचित जाति बस्ती से चरहुआ तक मार्ग की लम्बाई 1300 मी0 है जिसमें 700 मी0 खड़न्जा व 600 मी0 कच्चा है। अनुसूचित जाति बस्ती चरहुआ डंगराडीह अलग–अलग लेपित मार्गों से संतृप्त हैं। इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग के किसी योजना से आच्छादित नहीं है। गड़खड़ा सम्पर्क मार्ग की दशा संतोषजनक है।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड मुफ्तीगंज के मुफ्तीगंज बाजार से ग्राम भदेवरा तक का मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

145–श्री दिनेश चौधरी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के केराकत विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मुफ्तीगंज के मुफ्तीगंज बाजार से ग्राम सभा असवारा से होते हुये भदेवरा तक का 10 कि0मी0 मार्ग अत्यधिक जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर मार्ग का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड मुफ्तीगंज में मुफ्तीगंज बाजार से ग्राम सभा असवारा होते हुये भदेवरा तक मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद कानपुर के वि0स0 क्षेत्र घाटमपुर के अति पिछड़े क्षेत्रों के लिये बुन्देलखण्ड जैसी सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

146–श्रीमती कमल रानी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र की यमुना पट्टी के ग्रामों की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां पूर्णतया बुंदेलखण्ड जैसी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र को भी बुंदेलखण्ड जैसी राहत एवं सुविधायें यथा बुंदेलखण्ड विकास निधि देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर जनपद कानपुर नगर के क्षेत्र में स्थित है। यह बुन्देलखण्ड का भाग नहीं है। अतः इस क्षेत्र में स्थित ग्रामों को बुन्देलखण्ड जैसी सुविधायें दिया जाना तथा बुन्देलखण्ड विकास निधि से आच्छादित किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकर नगर में किसानों के जिनके मकान/झोपड़ी जल कर नष्ट हुये उनके मुआवजा उपलब्ध कराने विषयक जानकारी

147–श्री रितेश पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मार्च, 2017 से 15–5–2017 तक जनपद अम्बेडकर नगर में आगजनी से कितनी फसल एवं कितने मकान व झोपड़ी जल कर नष्ट हुई हैं ? तथा नष्ट हुई फसलों एवं मकान व झोपड़ी की क्षतिपूर्ति हेतु सरकार द्वारा कितनी–कितनी धनराशि मुआवजे के रूप में दी गयी ? क्या सरकार उक्त का ब्यौरा उपलब्ध कराते हुए अवशेष को भी मुआवजा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जनपद अम्बेडकर नगर में माह मार्च, 2017 से 15–5–2017 तक आगजनी से 50.100 हे0 फसल, 79 मकान एवं 93 झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। नष्ट हुई फसलों, मकानों एवं झोपड़ियों की क्षतिपूर्ति हेतु कुल रु0 21.32 लाख की धनराशि प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में दी गयी हैं।

क्षतिग्रस्त फसल के अन्तर्गत रु0 17.00 लाख, मकानों के अन्तर्गत रु0 1.92 लाख एवं झोपड़ियों के अन्तर्गत रु0 2.40 लाख की सहायता वितरित की जा चुकी है। मुआवजा दिलाये जाने हेतु कोई अवशेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के वि0स0 क्षेत्र जलालपुर के विकास खण्ड जलालपुर एवं भियांव में बन्द पड़े नलकूपों को चालू कराने के सम्बन्ध मे

148–श्री रितेश पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के विकास खण्डों जलालपुर एवं भियांव में कुल कितने राजकीय नलकूप स्थापित हैं तथा उक्त नलकूपों में से कितने कार्यशील हैं तथा कितने बन्द हैं ? क्या सरकार बन्द नलकूपों को ठीक कराकर पुनः चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के विकास खण्ड जलालपुर में 72 राजकीय नलकूप स्थापित हैं, जिनमें से 68 नलकूप कार्यशील हैं एवं 04 नलकूप असफल हैं। विकास खण्ड भियांव में 37 राजकीय नलकूप स्थापित हैं, जिनमें से 36 नलकूप कार्यशील हैं एवं 01 नलकूप असफल हैं। दिनांक 29–06–2017 की नलकूप बन्दी के अनुसार ब्लाक जलालपुर में यांत्रिक दोष से 01 राजकीय नलकूप बन्द हैं एवं विकास खण्ड भियांव में यांत्रिक दोष से 01 नलकूप एवं विद्युत दोष से 01 नलकूप अर्थात् कुल 02 राजकीय नलकूप बन्द हैं।

जी हां।

राजकीय नलकूपों का बन्द होना एवं चालू किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। यांत्रिक दोष से बन्द नलकूपों को विभागीय मानकों के अनुसार निर्धारित अवधि में ठीक कराकर चालू करा दिया जाता है। विद्युत दोष से बन्द नलकूपों को विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक/समन्वय करके नलकूपों को ठीक कराने की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में असफल नलकूपों के पुनःनिर्माण की कोई परियोजना प्रचलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अम्बेडकर नगर के वि0ख0 जलालपुर के ग्राम पेठिया में भूमिहीन पात्रों को वृक्ष लगाने के पट्टा दिये जाने विषयक जानकारी

149–श्री रितेश पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड जलालपुर के ग्राम सभा पेठिया में कृषि हेतु पट्टा के आवंटन में भूमिहीन पात्रों का चयन न करके बड़े काश्तकारों का चयन करने, जो भूमि कृषि योग्य नहीं हैं तथा पुराने फलदार वृक्ष लगे हैं, का भी पट्टा कृषि हेतु करने, मृतकों को भी पट्टा का आवंटन करने तथा पेठिया ग्राम से बाहर के लोगों को भी पट्टा आवंटन करने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

आवंटन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये किया गया है। आवंटन के विरुद्ध न्यायालय जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर में आवंटन निरस्तीकरण वाद राजस्व संहिता की

धारा 128 के अन्तर्गत विचाराधीन है, किसी आवंटी के मृतक होने की जानकारी किसी अन्य स्रोत से संज्ञान में नहीं आयी है। प्रश्न द्वारा संज्ञान में आने पर तहसीलदार जलालपुर को जांच अधिकारी नामित करते हुये तथ्यात्मक जांच आख्या मांगी गयी है।

जांचोपरान्त प्रभावी विधिक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के जिला पंचायत कार्यालय पुरानी सब्जी मण्डी तक के ओवर ब्रिज के निर्माण के सम्बन्ध में

150–श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र बाराबंकी में शहरी भाग के अन्तर्गत आने वाले आबादी क्षेत्र के विभिन्न चौराहे पर लगने वाले जाम से जनता को निजात दिलाने हेतु जिला पंचायत कार्यालय के सामने से पुरानी सब्जी मण्डी तक ओवर ब्रिज का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

वर्तमान में मार्ग के प्रश्नगत भाग में डिवाइडर के साथ 4 लेन का 17 मीटर चौड़ाई का मार्ग निर्मित है। इसमें जनता का आवागमन होता है। प्रश्नगत स्थल पर ओवर ब्रिज बनाने का राज्य सरकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपयुक्र्तानुसार।

उपयुक्र्तानुसार।

जनपद चित्रकूट में आग लगने से हुये नुकसान का मुआवजा दिये जाने हेतु

151–श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में अधिकांश घरों में आग लगने वाली घटनाओं में पूर्णतया जले घरों को भी प्रायः 90 प्रतिशत जले हुये लिखकर आंशिक क्षति के रूप में 3,500.00 रुपये का ही भुगतान किये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त पर अंकुश लगाने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जनपद चित्रकूट में अग्निकाण्ड से क्षतिग्रस्त हुये मकानों से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को जांचोपरान्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दरों के अनुसार ही राहत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

आग लगने/अन्य आपदा से क्षतिग्रस्त हुये मकानों हेतु सहायता के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक निम्नवत् हैं :–

(1) पूर्णतया क्षतिग्रस्त पक्का मकान (मैदानी क्षेत्र)–रु0 95,100/–

पूर्णतया क्षतिग्रस्त कच्चा मकान (पहाड़ी क्षेत्र)–रु0 1,01,900/–

(2) आंशिक क्षतिग्रस्त (कम से कम 15 प्रतिशत क्षतिग्रस्त)।

पक्का मकान (झोपड़ी के अतिरिक्त)–रु0 5,200/–

कच्चा मकान (झोपड़ी के अतिरिक्त) रु0 3,200/–

(3) क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ी–रु0 4,100/–

जनपद चित्रकूट के मंदाकिनी नदी पर नये पुल का निर्माण की मांग

152–श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के मुख्यालय में स्थित मंदाकिनी नदी का पुल बहुत पुराना एवं जर्जर है जिस पर आवागमन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नये पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रश्नगत पुल, जनपद चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–76 झांसी–इलाहाबाद –मिर्जापुर मार्ग के कि0मी0 संख्या 281 में मंदाकिनी नदी पर स्थित है। इस पुल का निर्माण वर्ष 1952 में किया गया था। यह पुल पुराना और आर्च–सेतु है। पुल की वर्तमान दशा ठीक है और यातायात का आवागमन सुचारु रूप से हो रहा है।

उक्त पुल पुराना है, अतएव इसके स्थान पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की नीति के अनुसार 16 मीटर चौड़े पुल की आवश्यकता है। अतः इस पुल के स्थान पर नया पुल बनाने हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

जनपद चित्रकूट की मन्दाकिनी नदी को नर्मदा नदी से जोड़ने विषयक जानकारी

153–श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के साथ नर्मदा नदी के पानी को चित्रकूट जनपद की मंदाकिनी नदी में जोड़ने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

नर्मदा नदी के पानी को जनपद चित्रकूट में मंदाकिनी नदी से जोड़ने की कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के 34 स्थानों पर निर्मित चेकडैमों के निर्माण कार्यों के जांच कराने विषयक जानकारी

154–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व सरकार द्वारा जनपद बस्ती में 34 स्थानों पर निर्मित किये गये चेकडैमों के निर्माण में मानक के विपरीत कराये गये कार्यों की जांच कराकर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं।

जनपद–बस्ती में सिंचाई विभाग द्वारा कोई चेकडैम का निर्माण नहीं कराया गया है। अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बस्ती के कुंवानो नदी पर पीपा पुल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में

155–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में कुंआनो नदी पर अमहट पुल टूट जाने से उत्पन्न भीषण समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार पीपा पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जनपद–बस्ती में कुंआनो नदी पर अमहट पुल टूट जाने के कारण जनता को कठिनाई हो रही है। तकनीकी कारणों से प्रस्तावित स्थल पर पान्टून पुल का निर्माण किया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है। इस स्थल पर स्थाई पुल का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद–बस्ती के प्रवाहित आमी, कुंआनो आदि नदी को प्रदूषण मुक्त करने विषयक जानकारी

156–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती से प्रवाहित होने वाली आमी, कुंआनो नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिये सरकार कोई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान–

प्रदेश सरकार द्वारा जनपद–बस्ती से प्रवाहित होने वाली आमी, कुंआनो नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिये कोई पृथक से नीति नहीं बनायी जा रही है।

पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिये उ0प्र0 राज्य पर्यावरण नीति प्रख्यापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें प्रदेश की प्रमुख नदियों जैसे गंगा, यमुना, गोमती, राप्ती, रामगंगा, काली, हिण्डन और बेतवा इत्यादि में जल प्रदूषण के लिये उत्तरदायी स्रोतों की पहचान करना एवं प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण हेतु कार्य योजना (सीवेज उपचार संयंत्र, संयुक्त उत्प्रवाह उपचार संयंत्र, विद्युत शवदाह गृह, सामुदायिक शौचालय व स्नान घाटों का विकास/सुधार इत्यादि) का विकास/क्रियान्वयन करना आदि प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के वि0ख0 डोभी के ग्राम सभा हरिहरपुर के जर्जर मार्ग को ठीक कराने के सम्बन्ध में

157–श्री दिनेश चौधरी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड डोभी के ग्राम सभा हरिहरपुर के अन्तर्गत जय प्रकाश पाण्डेय के घर से प्रा0 पा0 व रघुपत माली कान्ता का मशीन–कोमल यादव व राम बचन निषाद के घर तक तथा ग्राम सभा हरिहरपुर, शिव महाविद्यालय, बाबा कीना राम कुटी, लालता निषाद के घर व जनार्दन निषाद के घर तक खड़न्जा जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खड़न्जों पर लेपन स्तर तक कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रश्नगत खंड़जा मार्ग ग्रामों के आंतरिक मार्ग हैं। ग्राम के आंतरिक मार्गों का लेपन निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के वि0ख0 डोभी के ग्राम सभा कसली मोड़ से मरिकपुर बाजार तथा बरहपुर से ग्राम सभा बहरी तक के जर्जर मार्ग की निर्माण कराने के सम्बन्ध में

158–श्री दिनेश चौधरी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड डोभी के ग्राम सभा कसली मोड़ से मरिकपुर बाजार तक तथा ग्राम सभा बरहपुर पिच रोड से ग्राम सभा बहरी तक एवं वाराणसी–आजमगढ़ मुख्य मार्ग से ग्राम सभा बलुआ तक की सड़कें जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रश्न में वर्णित मार्गों की अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :–

(1) कसिली मोड़ एवं मारिकपुर बाजार तक मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी0 है, जिसमें से कसिली मोड़ पोखरा तक लेपित मार्ग है, जिसकी दशा संतोषजनक है। मार्ग का शेष भाग लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

(2) ग्राम सभा बरहपुर पिच रोड से ग्राम सभा–बहरी तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

(3) वाराणसी–आजमगढ़ मुख्य मार्ग से ग्राम सभा बलुआ तक जाने वाले मार्ग की मरम्मत का कार्य लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के वि0ख0 मुफ्तीगंज के आई0टी0आई0 कालेज के पीछे तथा गौराबादशाहपुर से मुसहर बस्ती तक खड़न्जा पर लेपन कार्य हेतु

159–श्री दिनेश चौधरी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुफ्तीगंज रेलवे स्टेशन कन्या विद्यालय से ग्राम सभा अमरा मुफ्तीगंज पिच मार्ग तक, ग्राम सभा पसेवा आई0टी0आई0 कालेज के पीछे टावर के पूर्व जू0हा0 स्कूल होते हुए पिच रोड तक तथा ग्राम सभा निशान में गौरा बादशाहपुर रोड से मुसहर बस्ती तक खड़न्जा पर लेपन जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर खड़न्जा पर लेपन का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रश्न में वर्णित मार्गों का विवरण निम्नवत् है :–

(1) मुफ्तीगंज रेलवे स्टेशन कन्या विद्यालय से ग्राम सभा अमरा मुफ्तीगंज पिच मार्ग तक की कुल लम्बाई 2.500 कि0मी0 है, जिसमें 0.350 कि0मी0 पूर्व से लेपित सतह है, शेष 2.150 कि0मी0 लम्बाई में खड़न्जा लगा है, जो लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का न होकर ग्राम पंचायत विभाग से सम्बन्धित है।

(2) ग्राम सभा पसेवा आई0टी0आई0 कालेज के पीछे टावर के पूर्व जू0हा0 स्कूल होते हुए पिच रोड तक कुल लम्बाई 1050 मी0 है, जो खड़न्जा स्तर का है। यह मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का न होकर ग्राम पंचायत विभाग से सम्बन्धित है।

(3) ग्राम सभा निशान में गौराबादशाहपुर रोड से मुसहर बस्ती तक 0.750 कि0मी0 खड़न्जा का मार्ग है, जो ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है। लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के वि0ख0 मुफ्तीगंज के ग्राम पसेवा से झुरिया तक एवं ग्राम सभा भदेवरा मोड़ से बसवत तक खड़ंजा पर लेपन का कार्य कराने हेतु

160–श्री दिनेश चौधरी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुफ्तीगंज के ग्राम सभा पसेवा झुंरिया स्कूल से पसेवा चौहान बस्ती तक, ग्राम सभा भदेवरा (परोआ) मोड़ से विशुनपुर बसवत तक एवं ग्राम सभा पेसारा मुर्तजाबाद सम्पर्क मार्ग पर पतौरा नहर पुल के आगे वाली पिच रोड रामपुर चौहान बस्ती होते हुए सुरैला पानी की टंकी तक सड़क जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खड़न्जा मार्गों पर लेपन स्तर तक का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रश्न में उल्लिखित मार्गों का विवरण निम्नवत् है :–

(1) विकास खण्ड मुफ्तीगंज के ग्राम सभा पसेवा झुरिया स्कूल से पसेवा चौहान बस्ती (दक्षिण) तक मार्ग खड़न्जा स्तर तक निर्मित है तथा पसेवा गांव का आंतरिक मार्ग है। अतः इस मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

(2) ग्राम सभा भदेवरा (परोआ) मोड़ से विशुनपुर बसवत तक मार्ग कच्चा मार्ग है। प्रश्नगत मार्ग लेपित मार्ग से जुड़े हैं। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

(3) ग्राम सभा पेसारा मुर्तजाबाद सम्पर्क मार्ग पर पतौरा नहर के पुल के आगे किसी पिच रोड रामपुर चौहान बस्ती होते हुए सुरैला पानी की टंकी तक मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। ग्राम सुरैला, उमरी सुरैला ग्रामीण मार्ग से संतृप्त है। सुरैला पानी टंकी एवं रामपुर चौहान बस्ती को परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के थानागद्दी–मौढ़ोला सम्पर्क मार्ग तथा डिहिया पुल रतनपुर नहर से रुदलपुर तक खड़न्जा पर लेपन का कार्य कराने हेतु

161–श्री दिनेश चौधरी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड केराकत, थाना गद्दी–मौढ़ोला सम्पर्क मार्ग पर रतनूपुर बाजार से मौजा रूदलपुर तक तथा ग्राम सभा नुआंव में डिहिया पुल रतनूपुर नहर होते हुए ग्राम सभा रूदलपुर तक एवं मौढ़ेला रतनूपुर ग्राम सभा घोड़ दौर मार्ग से राजभर बस्ती के बगल व मिश्रान बस्ती होते हुए प्राथमिक विद्यालय देवराई तक मार्ग जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों को पुनः बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जनपद से सूचना प्राप्त की गयी। प्रश्नगत सम्पर्क मार्गों की स्थिति निम्नवत् है :–

(1) थानागद्दी–मोढ़ैला सम्पर्क मार्ग पर रतनपुर बाजार से मौजा रुदलपुर तक खड़न्जा स्तर का मार्ग ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है।

(2) ग्राम सभा नुआंव में डिहिया पुल रतनपुर नहर से होते हुए ग्राम सभा रुदलपुर तक खड़न्जा स्तर के मार्ग ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है।

(3) मौढ़ैला रतनपुर ग्राम सभा घोड़दौर मार्ग से राजभर बस्ती के बगल व मिश्रान बस्ती होते हुए प्राथमिक विद्यालय देवराई तक खड़न्जा स्तर के मार्ग ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है।

उपरोक्त मार्ग आबादी के अंदर के सम्पर्क मार्ग की श्रेणी में है और पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत हैं। इन मार्गों पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

जानकीपुरम विस्तार योजना लखनऊ के आवास सं01/174 बी के सामने कुछ लोगों द्वारा बन्द की गयी नाली के संबंध में कार्यवाही

162–नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जानकीपुरम् विस्तार योजना लखनऊ के आवास सं0–1/174 बी के सामने पानी का निकास अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली का अवरुद्ध हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जानकीपुरम् विस्तार योजना आवासीय कालोनी लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी है, जिसका रख–रखाव लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर में 06 अप्रैल 2017 में हुई ओलावृष्टि से तबाह गेहूं की फसल व आम की फसल का मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में

163–श्री मसूद अखतर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 06 अप्रैल, 2017 को जनपद सहारनपुर में हुई ओलावृष्टि से तबाह हुई गेहूं व आम की फसल के किसानों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

दिनांक 06–04–2017 को जनपद सहारनपुर में हुई ओलावृष्टि से तबाह हुई गेहूं व आम की फसलों के प्रभावित 394 किसानों के बैंक खातों में ई–पेमेंट के माध्यम से रु0 8,37,445/– की धनराशि का भुगतान सीधे कोषागार के माध्यम से करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में एन0जी0टी0 द्वारा खनन पर रोक तथा उखड़ चुकी सड़कों को गड्ढ़ामुक्त करने हेतु

164–श्री मसूद अखतर–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में मानसून के पूर्व 15 जून, 2017 तक पूरी तरह उखड़ चुकी व गड्ढ़ायुक्त सड़कों को सरकार गड्ढ़ामुक्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

15 जून, 2017 तक पैच रिपेयर से लगभग 65 प्रतिशत गड्ढ़ायुक्त मार्गों को पैच रिपयेर कर गड्ढ़ामुक्त कर दिया गया है। शेष मार्गों के पैच रिपेयर/मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड डोभी के ग्राम सभा हरिहरपुर से हटवा तथा ग्राम सभा हिसामपुर रामनाथ राय के घर से जौनपुर सीमा तक खड़न्जा मार्ग के लेपन कार्य कराने के सम्बन्ध में

165–श्री दिनेश चौधरी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड डोभी में ग्राम सभा हरिहरपुर व ग्राम सभा हटवा सम्पर्क मार्ग से बाबा कीनाराम कुटी तक तथा ग्राम सभा कुसुमही कोइलारी मार्ग से राम भुवन के दरवाजे तक एवं ग्राम सभा हिसामपुर से जौनपुर सीमा तक खड़न्जा पर लेपन का कार्य जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खड़न्जों पर लेपन का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग ग्राम पंचायत द्वारा खड़न्जा स्तर तक निर्मित हैं, जो ग्राम के अन्दर के आंतरिक सम्पर्क मार्ग हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा इन मार्गों पर कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड डोभी के ग्राम सभा करनेहुआ, उचहुवा के ब्राहमण बस्ती से राजभर बस्ती तक ग्राम सभा बिरहपुर (गोठौली) से ओम प्रकाश सिंह के घर तक के खड़न्जा पर लेपन कार्य

166–श्री दिनेश चौधरी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड डोभी के ग्राम सभा करनेहुआ, उचहुआ के ब्राह्मण बस्ती से राजभर बस्ती तक, ग्राम सभा अमरौना में तूफानी यादव के घर से शम्भू कनौजिया के घर तक, ग्राम सभा अमरौना में कुशल सिंह के घर से मिठाई की मशीन तक तथा ग्राम सभा बिरहदपुर (गोठौली) में ओम प्रकाश सिंह के घर से मुसहरान व पाल के घर तक खड़न्जा पर लेपन का कार्य जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खड़न्जा पर लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रश्न में उल्लिखित मार्गों का विवरण निम्नवत् है :–

(1) विकास खण्ड डोभी के ग्राम सभा करनेहुआ, उच्चेहुवा के ब्राम्हण बस्ती से राजभर बस्ती तक खड़न्जा एवं कच्चा मार्ग है। इस मार्ग पर लेपन कार्य कराया जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

(2) ग्राम सभा अमरौना में तुफानी यादव के घर से शम्भू कनौजिया के घर तक, ग्राम सभा अमरौना में कुशल सिंह के घर से मिठाई की मशीन तक खड़ंजा मार्ग ग्राम के आंतरिक मार्ग हैं। ग्राम के आंतरिक मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

(3) ग्राम सभा बिरहदपुर (गोठौली) में ओम प्रकाश सिंह के घर से मुसहरान व पाल के घर तक खड़ंजा मार्ग है, जो बिरहदपुर ग्राम सभा का आंतरिक मार्ग है। इस मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड डोभी के ग्राम सभा अवहदपुर प्राइवेट स्कूल से ग्राम सभा करनेहुवा सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य हेतु

167–श्री दिनेश चौधरी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड डोभी में ग्राम सभा अवहदपुर से ग्राम सभा करनेहुआ तक, ग्राम सभा भीमपुर ब्राह्मणपुर सम्पर्क मार्ग से रामआसरे का पुरवा होते हुए हीरापुर पाल बस्ती तक, ग्राम सभा करनेहुआ रमेश सिंह के कुडेरहरा सरहद तक तथा ग्राम सभा करनेहुआ से नैनिया तक सड़क जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कें बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रश्न में उल्लिखित मार्गों का विवरण निम्नवत् है :–

(1) विकास खण्ड डोभी के ग्राम अबहदपुर व ग्राम करनेहुवा एकल लेपित मार्ग से जुड़े हैं। इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

(2) ग्राम सभा भीमपुर ब्राहमणपुर सम्पर्क मार्ग से रामआसरे पुरवा होते हुए हीरापुर पाल बस्ती तक खड़न्जा स्तर का मार्ग है। ग्रामों की आबादी 250 से कम है। अतः प्रश्नगत मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

(3) ग्राम सभा करनेहुवा रमेश सिंह के कुडेरहरा सरहद तक मार्ग खड़ंजा स्तर का मार्ग है। इस मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

(4) ग्राम सभा करनेहुवा से नैनिया तक मार्ग ग्राम का आंतरिक मार्ग है। ग्राम नैनिया ग्राम सभा करनेहुवा की एक बसावट है, जिसकी आबादी 150 है। इस मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड जलालपुर के ग्राम सभा बिन्द से शारदा सहायक नहर मार्ग पर लेपन कार्य हेतु

168–श्री दिनेश चौधरी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर के ग्राम सभा बिन्द से शारदा सहायक नहर मार्ग पर ग्राम सभा सोहनी तक, ग्राम सभा भाऊपुर से शारदा सहायक नहर पर रायगंज बाजार से ग्राम सभा गोड़िया तक, ग्राम सभा बिन्द पिच रोड से शिव मन्दिर होते हुए ग्राम सभा थौर पराउगंज सम्पर्क मार्ग पर तथा ग्राम सभा जगापुर से भौर ग्राम सभा सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जा पर लेपन का कार्य जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खड़न्जा से लेपन स्तर तक कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जनपद जौनपुर में विकास खण्ड जलालपुर के ग्राम सभा बिन्द से शारदा सहायक नहर मार्ग पर ग्राम सभा सोहनी तक नहर पटरी मार्ग है। इस मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है। रायगंज बाजार, ग्राम सभा गोडिया, ग्राम सभा बिन्द, ग्राम सभा थौर एवं ग्राम सभा जगापुर एकल लेपित मार्ग से जुड़े हुए हैं। इन ग्रामों को परस्पर जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड मुफ्तीगंज के पेसारा बाजार से चौहान बस्ती तक खड़न्जा मार्ग पर लेपन कार्य हेतु

169–श्री दिनेश चौधरी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुफ्तीगंज पेसारा बाजार से चौहान बस्ती तक, ग्राम सभा झमका से ग्राम सभा डेहरी तक तथा ग्राम सभा जमुआरी से ग्राम सभा महुआरी सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जा जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खड़न्जा पर लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रश्न में उल्लिखित मार्गों का विवरण निम्नवत् है :–

(1) विकास खण्ड मुफ्तीगंज में पेसारा बाजार से चौहान बस्ती तक खड़न्जा मार्ग पेसारा ग्राम का आंतरिक मार्ग होने तथा चौहान बस्ती की आबादी 250 से कम

हाने के कारण मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

(2) ग्राम सभा झमका से ग्राम सभा डेहरी तक लेपित मार्ग है, जो आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त है। इसके क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। गांव के आंतरिक मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। यह कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायतों अथवा क्षेत्र पंचायतों द्वारा कराये जाते हैं।

खड्डा विधान सभा क्षेत्र में बड़ी गण्डक नदी से बाढ़ से होने वाली हानि के सम्बन्ध में

170–श्री जटाशंकर त्रिपाठी–

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल से निकलने वाली बड़ी गण्डक नदी के बाढ़ के प्रकोप से खड्डा विधान सभा क्षेत्र के नागरिकों को बाढ़ से होने वाली क्षति से बचाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

खड्डा विधान सभा क्षेत्र में नेपाल से निकलने वाली गण्डक नदी के दायें तट पर छितौनी तटबन्ध का निर्माण पूर्व में कराया जा चुका है। जिससे क्षेत्र को बाढ़ से होने वाली क्षति से बचाया गया है। वर्तमान में तटबन्ध की स्थिति संतोषजनक है तथा इसका रख–रखाव एवं देख रेख सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के छोटे बीफ मीट की दुकानों को शुरु कराने के सम्बन्ध में

171–श्री मनोज कुमार पारस–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में बीफ/मीट के छोटे दुकानदारों की दुकानें बन्द करा दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बन्द दुकानों को शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नगीना में बीफ/मीट की अवैध रूप से संचालित मीट की दुकानों को ही बन्द किया गया है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–330/2001 कामनकाज बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17–02–2017 के दृष्टिगत कम्पेडियम एवं मांस एवं मांस उत्पाद के सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम 2011 की अनुसूची 4 में उल्लिखित विशिष्ट स्वच्छता एवं साफ सफाई के प्राविधानों का खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा अनुपालन करने के पश्चात ही दुकानों को संचालित करने हेतु अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किये जाने की व्यवस्था है।

जनपद बिजनौर के वि0स0 क्षेत्र नगीना के ब्लाक किरनपुर के पत्रांक संख्या 4463 नि0/110–01 नि0/2016–2017 दिनांक 10–11–2016 के सम्बन्ध में

172–मनोज कुमार पारस–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के ब्लाक किरनपुर के ग्राम शाहलीपुर असरनार मार्ग से ग्राम रतनपुर तक मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जनपद बिजनौर के ब्लाक किरतपुर के ग्राम शाहलीपुर अ0 सत्तार मार्ग से ग्राम रतनपुर तक मार्ग का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद गाजीपुर के वि0स0 क्षेत्र जमानियां में पम्प कैनाल को चालू कराने तथा स्टाफ के तैनाती के सम्बन्ध में

173–श्री विरेन्द्र कुमार यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र संख्या–379 स्थित पम्प कैनाल पुरैना सिंचाई हेतु चालू नहीं है और कोई स्टाफ आदि भी तैनात नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्टाफ की तैनाती कर पम्प कैनाल चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड, करण्डा में गंगा नदी के बायें तट पर पुरैना पम्प नहर स्थित है, जिसकी क्षमता 10 क्यूसेक है। प्रत्येक वर्ष पम्प नहर के शीर्ष पर गंगा नदी का तीव्र बहाव व कटान रहता है। अतः उपकरणों की सुरक्षा हेतु 25 जून से उपकरणों को हटाकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। माह सितम्बर के बाद गंगा नदी का बहाव स्थिर होने पर पुनः उपकरणों को शीर्ष पर स्थापित कर नहर का संचालन किया जाता है। तदनुसार इस वर्ष भी 25 जून, 2017 के पूर्व नहर पूर्ण क्षमता से संचालित थी परन्तु वर्षा काल में सुरक्षा के दृष्टिगत 25 जून के उपरान्त उपकरणों को खोलकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया है। माह सितम्बर के बाद नदी का जल स्तर/बहाव सामान्य होने पर उपकरणों को पुनःस्थापित कर नहर चालू कर दी जायेगी।

उक्त पम्प नहर पर तैनात पम्प आपरेटर के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद वर्तमान में श्री सुरेश यादव, पम्प आपरेटर को द्वैत कार्यभार में पदस्थापित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर की तह0 मुहम्मदाबाद के अन्तर्गत शहीदी गांव से शेरपुर शिवराम तक कटान को रोकने हेतु बोल्डर लगाने के सम्बन्ध में

174–श्री विरेन्द्र कुमार यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद तहसील के अन्तर्गत शहीदी गांव सेमरा शेरपुर, शिवराम का पुरा का अधिकांश भू–भाग गंगा नदी की कटान से नदी में समाहित होने के कारण स्थानीय परिवार अन्य क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नदी की कटान रोकने हेतु बोल्डर आदि की व्यवस्था कर विस्थापित परिवारों को पुनः बसायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

जी हां।

नदी का कटान रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनायें बनाई गई है। उक्त परियोजनाओं के साध्य पाये जाने एवं सक्षम से अनुमोदन एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

विस्थापित परिवारों को बसाने हेतु ग्राम शेरपुर व ग्राम जलालपुर में दिनांक 15–04–2015 को 4.670 हेक्टेयर भूमि क्रय की गयी है तथा गांव सभा की 0.098 हेक्टेयर कुल 4.768 हेक्टेयर भूमि का आवास आवंटन 377 कटान पीड़ितों को किया गया है। परन्तु विस्थापित परिवार उक्त भूमि पर बसने को सहमत नहीं है। कटान पीड़ितों को बसाने हेतु तहसील मुहम्मदाबाद में गांव सभा की अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। विस्थापित परिवारों को यथाशीघ्र बसाया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

अम्बेडकरनगर की तह0 टाण्डा के ग्रा0 नन्दापुर के तालाब गाटा सं0 130 से अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु

175–श्री लाल जी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम नन्दापुर, परगना व तहसील टाण्डा में स्थित तालाब गाटा संख्या–130 पर अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त तालाब पर से अतिक्रमण हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के वि0स0क्षे0 केराकत के मुफ्तीगंज के ग्रा0 बगथरी लोहार बस्ती से नहर पटरी से होते हुए ग्राम सभा असवारा फाटक तक खडंजों पर लेपन कार्य कराने सम्बन्धी

176–श्री दिनेश चौधरी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड मुफ्तीगंज में ग्राम सभा बगथरी लोहार बस्ती से नहर पटरी होते हुए ग्राम सभा असवारा फाटक तक तथा ग्राम सभा उमरी में नवीन सब्जी मण्डी से बजरडीहा तक सम्पर्क मार्ग जर्जर होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का लेपन स्तर तक का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड मुफ्तीगंज में ग्राम सभा बगथरी लोहार बस्ती से नहर पटरी होते हुए ग्राम सभा असवारा फाटक तक खड़ण्जा मार्ग है। इस मार्ग को लेपन स्तर तक बनाया जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है। ग्राम सभा उमरी एवं ग्राम बजरडीहा (बरडीहा) एकल लेपित मार्ग से जुड़े हैं। इन ग्रामों को परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद जौनपुर के वि0स0क्षे0 केराकत में सरायबीरु चौराहे से ग्रा0स0 सुल्तानपुर/ग्रा0स0 चौकिया बजरंगबली मन्दिर से महादेवराम के घर तक खड़ंजा तक लेपन कार्य नवीनीकरण कराने के सम्बन्ध में

177–श्री दिनेश चौधरी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड केराकत में सरायवीरू चौराहे से ग्राम सभा सुल्तानपुर तक तथा ग्राम सभा चौकिया बजरंगबली मन्दिर से महादेव राम के घर तक खड़ण्जा मार्ग जर्जर स्थिति में होने के कारण जनसामान्य को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का लेपन स्तर तक का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

विकास खण्ड केराकत में सरायवीरु चौराहे से ग्राम सभा सुल्तानपुर मार्ग का निर्माण कार्य केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत एवं प्रगति पर है। चौकिया बजरंग बली मन्दिर से महादेव राम के घर तक मार्ग ग्राम का आन्तरिक मार्ग है तथा लोक निर्माण विभाग के किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार स्वीकृत कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के वि0स0क्षे0 केराकत के मुफ्तीगंज के ग्रा0 सभा उदियासन माइनर से ग्रा0 सभा निशान सम्पर्क मार्ग आदि तक खड़ण्जा लेपन कार्य के संबंध में

178–श्री दिनेश चौधरी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड मुफ्तीगंज की ग्राम सभा उदियासन माइनर से ग्राम सभा निशान तक तथा ग्राम सभा बेलांव प्राइमरी स्कूल से गद्दीपुर तक व ग्राम सभा बारी में बारी मोड़ से प्रभुवा बाबा तक खड़न्जा मार्ग पर लेपन का कार्य जर्जर स्थिति में होने के कारण जनसामान्य को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों पर लेपन स्तर का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रश्न में उल्लिखित मार्गों का विवरण निम्नवत् है :–

(1) विकास खण्ड मुफ्तीगंज में ग्राम सभा उदियासन व ग्राम सभा निशान एक लेपित मार्ग से जुड़े हैं। इन ग्रामों को परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

(2) ग्राम सभा बेलांव प्राइमरी स्कूल से गद्दीपुर तक निर्मित खड़न्जा मार्ग को लेपित किया जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है। गांव के आंतरिक मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। यह कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायतों अथवा क्षेत्र पंचायतों द्वारा करायें जाते हैं।

जनपद सहारनपुर के वि0स0क्षे0 सं0–4 में हुए अवैध कब्जों को हटाने हेतु

179–श्री मसूद अखतर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी जमीनों, तालाबों, चकरोडों पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर में अवैध कब्जों को चिन्हित कर हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां।

जनपद सहारनपुर में अवैध कब्जों को चिन्हित कर लिया गया है।

अवैध कब्जों को हटाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

जनपद बिजनौर के वि0स0 क्षेत्र नगीना के ग्राम आन्नदखेडी से कोतवाली नहटौर मार्ग के पत्रांक संख्या 4463 नि0/110–01 नि/2016–17 दिनांक 11–11–2016 के संबंध में

180–श्री मनोज कुमार पारस–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के डिवीजन नजीबाबाद में ग्राम आन्नदखेड़ी से कोतवाली नहटौर मार्ग के कि0मी0 5 में ग्राम फूलसन्दा तक जर्जर मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

विधान सभा क्षेत्र नगीना के ग्राम आन्नदखेड़ी से कोतवाली नहटौर मार्ग के निर्माण के संबंध में पूर्व में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी। सड़क का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बस्ती के वि0स0क्षे0 रुधौली से जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के ग्राम कोल्हई के पास आमी नदी पर रेलिंग/पुल का निर्माण कराने सम्बन्धी

181–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के रुधौली से जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज को जोड़ने वाले मार्ग पर कोल्हई ग्राम के पास आमी नदी पर निर्मित पुल (लम्बाई 50 फुट) की रेलिंग 2 वर्ष से टूटी है जिसके कारण कई लोग वाहनों समेत नदी में गिर कर घायल हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रेलिंग का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रश्नगत पुल पर रेलिंग का पुनर्निर्माण कराया जा चुका है। सम्प्रति वाहनों का आवागमन सुचारुरूप से हो रहा है।

जनपद जौनपुर के वि0स0क्षे0 केराकत में नरहन स्थित जर्जर डाक बंगले का निर्माण हेतु

182–श्री दिनेश चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड केराकत में नरहन स्थित डाक बंगला अत्यधिक जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त डाक बंगले का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

जी हां।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड केराकत में नरहन स्थित डाक बंगले के पुनरोद्वार की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के वि0ख0 मुफ्तीगंज के ग्राम सभा पेसारा के शारदा सहायक खण्ड पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में

183–श्री दिनेश चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुफ्तीगंज के ग्राम सभा पेसारा से शारदा सहायक खण्ड पेसारा राजबाहा की पुलिया टूट जाने से जनसामान्य को अत्यधिक असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं, शारदा सहायक संगठन के नियंत्रणाधीन अधीक्षण अभियंता, चतुदर्शम् मण्डल, सिंचाई कार्य, आजमगढ़/अधिशासी अभियंता, शारदा सहायक खण्ड–36, जौनपुर के कार्यक्षेत्र में जनपद जौनपुर के विकास खण्ड–मुफ्तीगंज के ग्राम सभा पेसारा से पेसारा माइनर निकलती है न कि पेसारा राजबहा। ग्राम सभा पेसारा में स्थित माइनर पर एक ही पुलिया निर्मित है, जो क्षतिग्रस्त नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के वि0ख0 केराकत के ग्राम सभा डेढूआना में खोदी गई नहर में पानी आपूर्ति कराने की मांग

184–श्री दिनेश चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड केराकत के ग्राम सभा डेढूआना में खोदी गई नहर में पिछले 8–9 वर्षों से पानी नहीं छोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर में पानी की आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड के केरावत ग्राम सभा डेढूआना में वर्ष 2013–14 (फसली वर्ष 1421) से वर्ष 2016–17 (फसली वर्ष 1424) में क्रमशः खरीफ/रबी में 7.59/7.43, 7.44/8.43, 8.45/7.72, 7.13/7.92 हेक्टेयर की सींच हुयी। वर्ष 2017–18

(फसली वर्ष 1425) के फसली खरीफ 1425 हेतु ग्राम सभा डेढूआना में टेल तक पानी पहुंचाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रत्येक रबी एवं खरीफ की फसल में रोस्टर एवं जल उपलब्धता के आधार पर समुचित पानी प्रति वर्ष छोड़ा जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के वि0ख0 जलालपुर के ग्राम सभा मई (टहुआ) सम्पर्क मार्ग से सोनकर बस्ती तक के खड़न्जा पर लेपन कार्य कराने सम्बन्धी

185–श्री दिनेश चौधरी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर के ग्राम सभा मई (टहुआ) सम्पर्क मार्ग से सोनकर बस्ती तक खड़न्जा पर लेपन कार्य जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खड़ंजा मार्ग पर लेपन का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर के ग्राम सभा मई (टहुआ) सम्पर्क मार्ग से सोनकर बस्ती मार्ग सम्पर्क मार्ग 500 मीटर लम्बाई में है इसका निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के वि0ख0 डोभी मारिकपुर बाजार से ग्राम सभा चिटको तक खड़न्जा पर लेपन कार्य कराने के सम्बन्ध में

186–श्री दिनेश चौधरी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड डोभी में मारिकपुर बाजार से ग्राम सभा चिटको तक खड़ंजा पर लेपन कार्य जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खड़न्जा पर लेपन का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रश्नगत मार्ग खड़न्जा स्तर का है, जो लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का न होकर पंचायतीराज विभाग के अधीन है। लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जनपद गाजीपुर के जंगीपुर नगर पंचायत में पानी की टंकी में पानी सप्लाई कराने हेतु

187–श्री विरेन्द्र कुमार यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की जंगीपुर नगर पंचायत में आठ वर्षों से पानी की टंकी बनकर तैयार है, परन्तु पानी की सप्लाई नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टंकी से पानी की सप्लाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जनपद गाजीपुर की जंगीपुर नगर पंचायत में बनी पानी की टंकी से नगर पंचायत के लोगों को समय से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के वि0स0 सिधौली में नहरों में पानी की व्यवस्था न होने के कारण राजकीय नलकूप की व्यवस्था कराने की मांग

188–डा0 हरगोविन्द भार्गव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में राजकीय नलकूपों की संख्या नगण्य होने के कारण किसान अपने निजी साधनों से मंहगा डीजल खरीद कर किसी तरह सिंचाई कर पाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

विधान सभा क्षेत्र सिधौली में कुल 95 राजकीय नलकूप हैं, जिनके द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना स्वीकृत होने एवं कार्य योजना के अनुसार बजट उपलब्धता पर जनप्रतिनिधियों द्वारा दिये गये प्रस्तावों को साध्य पाये जाने की दशा में जिला नलकूप स्थल चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त राजकीय नवीन नलकूपों का निर्माण कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा के बेहट नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के अनुसार आरक्षण लगाने की मांग

189–श्री नरेश सैनी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र स्थित बेहट नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के अनुसार आरक्षण लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां। नगर निकायों के सामान्य निर्वाचनों की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें नगर पंचायत, बेहट के अध्यक्ष पद पर आरक्षण के संबध में विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मुसलमानों के धार्मिक त्योहार बकरीद (ईदुलजुहा) पर पशुओं की कुर्बानी का मानक बनाने हेतु

190–श्री मोहम्मद रिजवान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पशु वध पर रोक लगने के पश्चात् मुसलमानों के धार्मिक त्योहार बकरीद (ईदुलजुहा) पर पशुओं की कुर्बानी दिये जाने की व्यवस्था कराने पर सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 238 के अनुसार धार्मिक प्रयोजनों के लिए व्यवस्था है

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[12:22] नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

अब हम नियम–301 की सूचनाएं लेते हैं। आज बाढ़ पर भी चर्चा है, बजट पर भी चर्चा है, अनेक महत्वपूर्ण विषय लगे हैं। आप कृपया बैठें। मनोज जी बैठे। आज नियम–301 की 36 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें 15 माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं। पहली सूचना माननीय नरेन्द्र सिंह वर्मा की है। नाम लेने पर माननीय सदस्य खड़े हो जायेंगे तो उपस्थिति आ जायेगी। दूसरी सूचना माननीया श्रीमती कमल रानी वर्मा, तीसरी सूचना माननीय श्री अमिताभ बाजपेई, चौथी सूचना माननीय श्रीमती साधना सिंह...

[12:24] सदन में आरोप–प्रत्यारोप का प्रकरण

(सदस्यों के आपस में टोका टाकी करते रहने पर शोर)

माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें। माननीय तिवारी जी, आपस में बातचीत करेंगे तो सदन कैसे चलेगा। वर्मा जी, आपस में बातचीत नहीं। माननीय तिवारी जी, आप माननीय मंत्री हैं, आपकी आवाज इसमें सुनाई पड़ रही है। आप कृपया बैठें। नहीं, हम नहीं सुनेंगे आपको। आप लोग बैठिये। अरे आपके दोस्त हैं।

जलसम्पूर्ति भूमि विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री उपेन्द्र तिवारी–

इन्होंने मेरे ऊपर कहा कि इनको मौका नहीं मिला नहीं तो चीनी मिल खरीद लेते।

श्री अध्यक्ष–

माननीय उमाशंकर जी, आप कहना क्या चाहते हैं। आपकी मूल कठिनाई क्या है।

श्री लालजी वर्मा–

एक प्रक्रिया है सदन में प्रश्न पूछने की और जवाब देने की। मंत्री जी जवाब देते हैं अगर माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं संगत जवाब और संगत प्रश्न पूछा जा सकता है। मान्यवर,उसमें अलग–अलग लोग खड़े होकर, या दूसरे लोग उसमें हस्तक्षेप करते हैं या हम प्रश्न जब करते हैं और असंगत बात आ जाती है तो आप टोकते हैं या उसको निकालते भी हैं उसी तरह से मान्यवर, हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि सदन चले। पूरी तरह से स्वस्थ्य परम्परा के आधार पर वाद विवाद पूरा हो। सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उनको पूरा अधिकार है, किसी मुद्दे पर जांच भी कराने का, किसी मुद्दे पर कार्रवाई कराने का, आपके हाथ में जब ताकत है तो निश्चित रूप से आप उसका प्रयोग करिए और उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई करिए। लेकिन जो विषय जहां पर उठाया गया है उसका उतना ही जवाब आना चाहिए यह मेरा आपसे निवेदन है। इससे अतिरिक्त अगर कोई बोलता है तो मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि उसको कार्यवाही का अंग ना माना जाए और उसको निकालने का प्रयास किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई अंश आपत्तिजनक असंसदीय होगा तो पहले से ही निकाल दिया जाता है। इसमें कोई आपत्तिजनक शब्द होगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। जो आपकी कठिनाई है हमारी भी कठिनाई है।

श्री लालजी वर्मा–

श्रीमन् सदन में आरोप लगाने की प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत अगर हम आते हैं तो निश्चित रूप से हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे खड़े होकर चाहे जो जितना

बोल ले आकंठ तक डूबे हुए लोग भी बोल लें। मान्यवर निश्चित रूप से यह बहुत ही गलत बात है। (शोर)

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा आग्रह यह है कि यह बोल रहे हैं कि कुछ भी खड़े होकर बोल लेते हैं सदस्य ने पूछा बार–बार इसकी चर्चा होती है, जिनकी पहचान ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के रूप में होगी देश के अन्दर, जिनकी पहचान ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के रूप में देश के अन्दर हुई हो, पूरा प्रदेश देख रहा है पूरा प्रदेश सुन रहा है और सी0ए0जी0 की रिपोर्ट को भी झुठलाने का प्रयास कर रहे हो, तो विषय सुनने का धैर्य होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

वह बात तो उत्तर में आ गई थी।

'श्री सुखदेव राजभर–

वो शब्द जो बोला वह वापस लें मान्यवर, या तो माफी मांगें, इस तरह का जो वातावरण पैदा किया इन्होंने,यह खुद ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं इन्होंने कहा, कि जिनकी पहचान पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार के रूप में हुई है, यह खुद इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। क्या इस तरह का आचरण शोभनीय है मान्यवर

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

शान्त रहें। राजभर जी कहें क्या कह रहे हैं।

श्री सुखदेव राजभर–

जो संवाद हुआ उसका पटाक्षेप कर दिया आपने, माननीय वर्मा जी ने कह दिया। फिर माननीय मंत्री जी खड़े होकर कह रहे हैं इशारा कर रहे हैं कि जिनकी पहचान पूरे देश में भ्रष्टाचार के नाम पर बनी हुई है और भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं,.. (श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री सुखदेव राजभर–

खन्ना जी आप सब कुछ कहें कुछ करें लेकिन आज इन्होंने जिस तरह का शब्द प्रयोग किया कि जिनकी पहचान पूरे देश में भ्रष्टाचार के नाम पर और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, ऐसे लोग इस तरह की बात करेंगे, यह हम लोगों को सार्टिफिकेट देने वाले हैं, यह सार्टिफिकेट देंगे हम लोगों को। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी इस शब्द को निकलवा दें।(शोर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

'श्रम एवं सेवायोजन मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

आप रोकेंगे ना टोकेंगे इनकी राष्ट्रीय नेता ने इस्तीफा दे दिया है। अगर कहीं इन लोग ने इस्तीफा दे दिया तो, इसलिए आप रोकेंगे टोकेंगे नहीं।

इसलिए इनको आप रोकेंगे टोकेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष–

मौर्य जी आप बैठिए।

मैं संगत प्रश्न और संगत उत्तर कभी कभी बीच में हंसी मजाक चल जाए तो ठीक रहता है लेकिन इतना ज्यादा तीव्र मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं हैं सुन्दर शब्दों का टोटा है मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा था उसमें बीच में बैठे बैठे आपसी बात चीत से व्यवधान हुआ हमारी प्रार्थना है विनती है बहुत सादर, विनम्र और आत्मार्पित आई बेग टू सरेण्डर मैं बहुत आत्मभाव से प्रार्थना करता हूं कि बैठे बैठे जो बातचीत होती है मित्रता की बात अलग है, उससे पूरे सदन का ध्यान अव्यवस्थित होता है जो मैं 301 की सूचनाएं पढ़ रहा था इससे मेरे काम में बाधा हुई और सदन की कार्यवाही के संचालन में भी बाधा हुई आप सब जो बैठे हैं वह सब मेरे साथी हैं बहुत आदरणीय हैं बहुत वरिष्ठ हैं एक व्यवस्था के अन्तर्गत मैं यहां बैठा हुआ हूं मेरी आपसे प्रार्थना है कि सदन के संचालन में इस प्रदेश की सेवा में सहयोग करिए।

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मन्त्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

जो विचार आपने सदन में रखे हैं उससे हमको भी तकलीफ हुई हम और हमारा दल पूरी तरीके से इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि आपको सदन के संचालन में किसी प्रकार की असुविधा न हो हम पूरा इसके लिए सहयोग करेंगे हम और हमारे मंत्रि–मण्डल के सदस्य पूरा सहयोग करेंगे।

'नेता विरोधी दल (श्री रामगोविन्द चौधरी)–

अध्यक्ष जी आपने जो चिन्ता जाहिर की है हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि विपक्ष की तरफ से कभी भी सदन चलाने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं की जाएगी इसका उदाहरण भी है जब से आप आसन पर हैं पिछली जो सरकारें रही हैं इस सरकार के पहले उस सरकार के पहले प्रथम सदन प्रथम सत्र में उसमें विपक्ष के लोगों ने क्या किया है और आज विपक्ष आचरण कैसा कर रहा है इसका आप मंगवाकर चार पांच सरकारों का तुलना कर लीजिए यह आप पर कोई आरोप नहीं है हम लोग सदन चलाना चाहते हैं हम लोग इस बात के पक्षधर हैं कि सदन में डिबेट बढ़िया से होनी चाहिए कभी कभी श्रीमन् तकलीफ भी होती है केवल बोल देने से हम बहादुर नहीं हो जाएंगे यह जितना भी हम यहां पर बोलते हैं यह कार्यवाही में आता है लाइब्रेरी में रखा जाता है कल कोई शोध विद्यार्थी आते हैं सोचते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं तो उनके मन में हमारे प्रति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या अवधारणा होगी आज की बात छोड़िये क्या अवधारणा होगी बजट चर्चा पर तो बात में कहेंगे सारे लोगों का कुछ वरिष्ठ मंत्रियों का मैं ले आया हूं जो सदन में बोले हैं इसी सदन में विपक्ष जितना आपका सहयोग कर रहा है उतना विपक्ष ने कभी भी पीठ का सहयोग नहीं किया मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं एक दिन सदन बंद नहीं हुआ यह आपकी महानता है आपके कारण से कोई हमारी संख्या कम है इसलिए नहीं हम लोग लोकतांत्रिक परम्पराओं को बढ़िया ढंग से चलाना चाहते हैं। वेल में कोई एक दिन हमारे सदस्य गए ? आपके इशारा करते ही मैं रोक देता हूं। कांग्रेस के सदस्य कल वेल में गए मैं खुद उठकर गया हूं। हम सदन चलाना चाहते हैं लेकिन सत्तापक्ष के लोग सदन नहीं चलाना चाहते।

श्री अध्यक्ष–

आप फिर लड़ाई करा रहे हैं।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

हां लड़ाई करांएगे हम लोग अब मूड में आ रहे हैं। आपसे कहकर कि हम तो चाहते थे कि आप जैसे महान अध्यक्ष के रहते मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे खुशी है कि इस सदन में माननीय सदस्य चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के अच्छे–अच्छे पढ़े लिखे लोग आए हैं लेक्चरर आए हैं प्रोफेसर आए हैं छात्रसंघ के अध्यक्ष आए हैं छात्रसंघ के महामंत्री आए हैं छात्र राजनीति करने वाले लोग आए हैं। तो एक अच्छी डिबेट यहां पर होगी और संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप होगी। सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की है। यह खुद उत्तेजित हो जाते हैं और ऐसे आरोप लगाते हैं जिसका जवाब देना हम लोगों की मजबूरी हो जाती है। संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व होता है कि सदन शांति से चले, सभी को साथ लेकर चले। पहले तो यह परम्परा रही है कि संसदीय कार्य मंत्री विरोधी पार्टी के विधायकों से और सत्ता पक्ष के विधायकों से सम्पर्क करते थे, लेकिन अब वह परिपाटी बदल गयी है। अब वह परिपाटी नहीं रही। हम सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन इस सदन में स्वच्छ वातावरण में वाद–विवाद हो। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं आपने प्रदेश को लूट लिया, आप भ्रष्टाचार की जननी हैं, जब यही भाषण होना है तो फिर आइये आजमाइये। छूट दे दीजिये, आप छूट दे दीजिये, अगर विपक्ष पर यह भारी पड़ जायें तो हम लोग सदन छोड़कर चले जायेंगे। हम इनकी बोलती बन्द कर देंगे। लेकिन हम लोग यह नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग आचार्य नरेन्द्र देव, डा0 लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, चन्द्रशेखर जी, राजनारायण, अशोक मेहता और एस0एन0 जोशी के विचारों को लेकर के हम राजनीति में आए थे। यह भी मा0 अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, दत्तोपंत ठेंगड़ी जैसे बड़े–बड़े महान नेताओं के विचारों को लेकर राजनीति में आए। इसलिये हम क्यों न अपने नेताओं और अपने पूर्वजों के विचारों, कार्यक्रमों और उनकी नीतियों के अनुसार इस सदन में चर्चा करें। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, लेकिन न आप नोटिस ले रहे हैं और न ही सत्ता पक्ष नोटिस ले रहा है तो अगर अब होगा तो हो जाए हम तैयार हैं।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर सदन में शोर)

श्री लालजी वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, हम लोग संसदीय प्रणाली में विश्वास करने वाले लोग हैं और पहले दिन से ही हम लोग यह चाहते हैं कि इस सदन में स्वस्थ परम्पराओं के अनुसार अच्छी बहस हो। हमारी नियमावली में यह व्यवस्था दी गयी है कि किन बिन्दुओं पर विषयों को किस तरह से उठाया जायेगा। किस तरह के विषय किस तरह से उठाये जा सकते हैं। नियमावली में सब बातें दी गयी हैं और निश्चित रूप से हम उसका पालन करेंगे। मान्यवर, कोई सदस्य कभी–कभी किसी तरह से बोल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुये लोग अगर बिना सोचे–समझे ही इस तरह की बात करेंगे तो निश्चित रूप से कड़वाहट आयेगी। आप सरकार में हैं और सरकार को तमाम मुद्दों पर कार्यवाही करने का, जांच करने का, सारी बातों को फिर से कैबिनेट में लाकर पलटने का अधिकार है। अगर आप उसके अनुसार कार्य करेंगे तो हम उस पर आपत्ति करने तो नहीं आ रहे हैं, कोई बाधा डालने नहीं आ रहे हैं, लेकिन सदन में जो बातें आनी चाहियें वह नियमों के अनुसार आनी चाहियें और नियमों में तमाम व्यवस्थाएं दी गयी हैं कि किस आधार पर हम कैसा आचरण करेंगे। किसी के ऊपर अगर आरोप भी लगाना है तो किस ढंग से लगाया जायेगा, इसकी भी व्यवस्था दी गयी है। अगर मंत्रि–परिषद् के सदस्य अगर बिना नियमों का पालन किये हुये अगर कोई बात करेंगे तो यह उचित नहीं होगा। इसलिये हम लोग जिस तरह से सदन चलाना चाह रहे हैं उसके लिये मा0 संसदीय कार्य मंत्री को भी अपने सदस्यों पर पूरी तरह से नियंत्रण करने की आवश्यकता है, उनको पूरी तरह से समझाने की आवश्यकता है। मान्यवर, मुझे भी उस जगह पर बैठने का अवसर मिला है और हमनें हमेशा इस बात की कोशिश की है कि अगर कोई वाद–विवाद हो रहा है तो हमारे किसी सदस्य ने कभी भी किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करने का काम नहीं किया है जिस तरह से आज कभी–कभी हम लोग देखते हैं। चाहे वह नेता विरोधी दल बोल रहे हों, चाहे कोई नेता बोल रहा हो, जिस तरह से हूटिंग हो रही है ऐसा शायद ही पिछले कुछ समय में हुआ है मैंने जल्दी नहीं देखा है। हम सभी लोग चाहते हैं कि सदन चले, इसलिये आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि उसी मर्यादा से सदन चले, उसमें हम सभी लोग पूरा सहयोग करेंगे और हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से एक अच्छे पीठासीन अधिकारी की हैसियत से इस सदन का संचालन करने का काम कर रहे हैं। इसके लिये आपकी प्रशंसा करते हुये मैं चाहूंगा कि उसी तरह से सदन चले। धन्यवाद।

'श्री अजय कुमार लल्लू–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में हम सब लोग चुनकर आये हैं और इसमें हम अपने सवालों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर हम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार से जवाब चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर लोक सभा में आप देखें तो परसों मैं वहां की कार्यवाही पढ़ रहा था, अगर विपक्ष कोई भी सवाल करता है उसका सरकार की तरफ से स्पेसिफिक जवाब आता है और सरकार को यह करना है कि नहीं करना है यह स्पष्ट सदन में बताती है। लेकिन महोदय, यहां अक्सर यह देखा जा रहा है कि सरकार जिन जिम्मेदारियों के साथ यहां सदन में आई है उस महत्वपूर्ण विषय पर जवाब देने की बजाय सरकार हो–हल्ला मचाकर सवाल को टालने का प्रयास करती है।

श्री अध्यक्ष–

यह तो हो–हल्ला नहीं मचाते। ऐसा नहीं है।

श्री अजय कुमार लल्लू–

मान्यवर, मैं ऐसा आरोप की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। सरकार का विपक्ष आईना है और हम विपक्ष के रूप में अगर कोई सवाल उठाते हैं, जन समस्याओं को उठाते हैं तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि उन समस्याओं के ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए अपने जवाब को इस सदन में रखे। क्योंकि सदन की कार्यवाही पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। अब तो लाइव हो रहा है और किसका क्या आचरण है वह जनता के पाले में जा रहा है और जनता इसको देख रही है। महोदय, आप विद्वान हैं और आपके आने से इस पीठ की गरिमा बढ़ी है और साथ ही उत्तर प्रदेश की विधान सभा की भी बहुत गरिमा बढ़ी है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि संसदीय प्रणाली की व्यवस्था में जो भी नियमावली के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं उसका पालन इस सदन के अंदर हो और हम सब विपक्ष उत्तर प्रदेश की बाइस करोड़ जनता की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए आपका सहयोग करने के लिए अपने सवालों को उठाने के लिए इस सदन में आये हैं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

हम प्रश्न और उत्तर को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। बैठे–बैठे जो माननीय सदस्य टिप्पणी करते हैं हम उस विषय में बात कर रहे थे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने अपनी पीड़ा सदन के सामने व्यक्त की। हमने उसमें एक बात खड़े होकर कही कि हम और हमारा दल, पूरे मंत्रिमण्डल के सभी सहयोगीगण आपकी पीठ का सहयोग करेंगे। आपकी सहृदयता, आपकी विद्वता, आपका अनुभव हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायक है। इसके ऊपर नेता विरोधी दल ने कई बाते कहीं। उसमें से कुछ बाते तो ऐसी थी जो मानने लायक हैं और कुछ बाते ऐसी हैं जो घोर आपत्तिजनक हैं। जब भी हमें चुनौती दी जायेगी तो विपक्ष को यह सोच लेना चाहिये कि जनता के आदेश से ही हम यहां बैठे हैं। हम कोई चुनौती नहीं देते हैं, हम तो चुनौती को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम जवाब जरूर देंगे। हम जवाब देने के लिए यहां आये हैं। हमारी तरफ से किसी प्रकार का कोई वैसा आचरण नहीं होगा। जब हमारे ऊपर यह

जिम्मेदारी डाली गई तो मैं आपसे भी मिला था घर जाकर और टाइम लेकर। दो–तीन बार मुझे पता चला कि आप हैं नहीं। एक बार हैं तो मिल नहीं पायेंगे। तीसरी बार मुलाकात हुई थी। आज नेता विरोधी दल हमको संसदीय परिपाटी सिखा रहे थे। हम आपसे भी मिले थे घर पर, हम बसपा के नेता से भी जाकर मिले थे घर पर तो ऐसा नहीं है। हमारे अंदर न तो सत्ता का अहंकार है और न जीवन में कभी कोई पद हमारे ऊपर हावी हुआ है। जिस दिन से मैंने होश संभाला है और जिस दिन से मेरा एक भी बाल सफेद नहीं था उस दिन से मैं असेम्बली में हूं। बहुत छोटी उम्र में मैं असेम्बली में आ गया था। मैं राजनीति में इसलिये नहीं आया था कि मैं इतिहास बनाऊँगा। मैं सोचता था कि दो–चार परसेण्ट अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य कर सकूँ। लेकिन श्रीमन्, उस वक्त मालूम भी नहीं था कि कैसी राजनीति लायेंगे? मान्यवर, समझदारी भी नहीं थी उस वक्त। मान्यवर, मैं बहुत छोटी सी उम्र में एसेम्बली में आ गया था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सदन चले और हम भी चाहते हैं यह सदन चले हम यहां पर इसीलिए आये हैं। मान्यवर, हमने यहां पर धरना दे–दे कर दो–दो दिन सदन बढ़ाया है, लेकिन अगर कोई चुनौती दी जायेगी और यह कहा जा जा रहा है कि 'आ जाओ फिर' अभी कहा गया है यहां पर।

श्री अध्यक्ष–

गलत कहा गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

श्रीमन, तो हम क्या कोई चूड़ियां पहनकर आये हैं यहां पर (सत्ता पक्ष के सदस्यों की तरफ से मेजों की थपथपाहट)। मान्यवर, हम 325 सदस्य हैं और हमें इस बात का कोई अहंकार नहीं है। मान्यवर, एक प्रतिशत भी अहंकार नहीं है। न ही मेरी बातचीत में, न ही मेरे व्यवहार में लेकिन अगर उधर से जब कोई बात आयेगी तो जवाब तो जरूर दिया जायेगा। मान्यवर, हर बात का जवाब दिया जायेगा और जनता ने इसलिए भेजा है कि हम शासन करें। मान्यवर, जनता ने इसलिए भेजा है कि हम उनकी स्थिति को सुधारें और उसके लिए कोई बाधा आयेगी तो उस बाधा से हर हालत में निपटेंगें। (सत्तापक्ष के तरफ से मेजों की थपथपाहट)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविंद चौधरी)–

मा0 अध्यक्ष जी, चुनौती की बात कब आयी? आप सुन लीजिए और देख लीजिए। मान्यवर, चुनौती की बात तब आयी जब विपक्ष का कोई सदस्य अपनी बात कहता है तो उधर से हो–हो बैठ जाओ, एक मा0 सदस्य ने उधर से बोला। जब लाल जी वर्मा जब शुरू में बोल रहे थे तो उधर से इतनी आवाज आई कि कोई आदमी वैसी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मान्यवर, आप बताइये जब भी सत्ता पक्ष का कोई भी मा0 मंत्री या मा0 सदस्य बोलता है तो क्या उस तरह की आवाज इधर से आती है? श्रीमन्, अगर हमने चुनौती दिया है तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि सदन चलेगा और इसके बाद भी चलेगा। मान्यवर, हम बहस करेंगे आप उत्तर दीजिए। आप बहस करेंगे हम उत्तर देंगें यही चुनौती है और कोई यहां मारपीट की चुनौती नहीं है। मान्यवर, न ही सदन मारपीट करने के लिए है। मान्यवर, सदन बहस की चुनौती है। मान्यवर, जब संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि जब यह छोटी उम्र के थे तभी सदन में

आ गये थे। श्रीमन्, राम गोविंद चौधरी जी तो इतने छोटी उम्र में आये थे कि दो दिन तक उन्हें लड़का समझकर गेट के अंदर घुसने नहीं दिया गया था और मैंने जब से होश सम्भाला है तब से राजनीति कर रहा हूँ। मान्यवर, मैं कक्षा एक का मॉनिटर रहा, दो का रहा, तीन का रहा, चार का रहा, पांच का रहा, छः का रहा, सात का रहा, आठ का रहा, नौ का रहा, दस का रहा, ग्यारह का रहा, बारवीं का रहा, शासन का महामंत्री रहा, अध्यक्ष रहा, एम0एल0ए0 रहा। मान्यवर, हम भी राजनीति करने के लिए आये हैं। हमने जीवन में सिर्फ राजनीति ही की है और कुछ भी नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आप दोनों अगर अपना इतिहास बातायेंगे तो सब बताने लगेंगे।

श्री राम गोविंद चौधरी–

मान्यवर, यह बता रहे थे जैसे इन्होंने ही राजनीति करी और इसके लिए मैं संसदीय कार्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि यह मेरे यहां गये थे और मैंने इनको कहा था कि आप एक बढ़िया संसदीय कार्यमंत्री है आपको इसके लिए चुना गया है इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं आपको पूरा सहयोग दूंगा मैंने इनसे कहा था और मैंने मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को पूरा सहयोग दिया है, इस सदन में। मान्यवर, जो मैंने इनसे कहा उसको मैंने निभाया है। मान्यवर, एक दिन भी समाजवादी के मा0 सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में बाधा नहीं डालेंगे मैंने उस वक्त कहा था। मान्यवर, सदन लोकतांत्रिक परम्पराओं के तरीकों से चले। मान्यवर, सदन सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों के आपसी तालमेल से चले। मान्यवर, पक्ष और विपक्ष के लोग सवाल करें और सत्ता पक्ष के लोग उसका समुचित उत्तर दें। मान्यवर, यही हमारी चुनौती है कि हमारी बातों का, हमारे प्रश्नों का सही उत्तर मिलना चाहिए।

लेकिन एक मा0 मंत्री बोले और चार मंत्री उसका सहयोग करें यह ठीक नही है। मंत्री की योग्यता के अनुसार मंत्री को शपथ दिलायी जाती है चूंकि यह हमारा योग्य विधायक है इसको हम मंत्री बना देंगे। वह मंत्री जवाब देने में सक्षम है। उसमें जानबूझकर चार–पांच लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। यह सब परम्परायें बंद होनी चाहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि विपक्ष सदन चलाने में आपका पूरा सहयोग करेगा और विपक्ष की तरफ से कोई बाधा अगर सरकार नहीं चाहेगी सत्ता पक्ष नहीं चाहेगा तो नहीं आयेगा और अगर चाहेगा तो आएगा।

श्री अध्यक्ष–

आज इसमें ज्यादा चर्चा हो गयी। मेरा न तो सत्तापक्ष के किसी मा0 मंत्री या किसी वरिष्ठ सदस्य से हमको कोई शिकायत है न विपक्ष के किसी मा0 सदस्य से कोई शिकायत है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार कोई मा0 मंत्री या मा0 सदस्य बोल रहे होते हैं तो बैठे–बैठे कुछ बातें हो रही होती हैं अगर दो–तीन सदस्यों ने आपस में बैठे–बैठे कोई बात की तो उससे ध्यान भंग होता है और आज ऐसा ही हो रहा था कि जो बैठे–बैठे बोलने वाले मित्रों के द्वारा। इस वजह से मेरे मुॅह से एक वाक्य निकल गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें सबने प्रतिबद्धता व्यक्त की और मा0 संसदीय

कार्यमंत्री जी काफी भावुक भी हो गये थे। मुझे विश्वास है कि सदन में वाद प्रतिवाद का जो वातावरण और आप लोगों ने मुझे पहले दिन ही कहा था जब आपने मुझे निर्वाचित किया था और आगे भी चलेगा और आपस में पूरी विधान सभा प्रदेश की जनता के विकास से ही जुड़ी हुयी है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम विधान बनाने वाली सभा के सदस्य हैं। हम लोग साधारण व्यक्ति नहीं हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश के लिए विधान बना सकते हैं। यह बात सबके ध्यान में होगी। मैं केवल ध्यानाकर्षण करा रहा था। मुझे लगता है कि हमने, मा0 राम गोविन्द जी ने, मा0 खन्ना जी ने, मा0 वर्मा जी ने और अजय जी ने इसमें हमने आप लोगों का ज्यादा समय करीब 15 मिनट ले लिया।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)

आज दिनांक 19–07–2017 को कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुई। जिनमें 15 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी।

पहली श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद–सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के विकास खण्ड पहला के कतिपय स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में। दूसरी श्रीमती कमल रानी की जनपद–कानपुर नगर में घाटमपुर चौराहे पर भीषण जाम से हो रही दुर्घटनाओं के निराकरण के सम्बन्ध में है।तीसरी श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद–कानपुर देहात के तहसील बिल्हौर एवं घाटमपुर के प्रशासनिक मुख्यालय एवं न्यायिक क्षेत्र को कानपुर नगर में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी श्रीमती साधना सिंह की जनपद–चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में गड़ई नदी पर पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवी श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद–फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत कारीकान घाता में निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में। छठवीं श्री जटाशंकर त्रिपाठी की जनपद–कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में विद्युत व्यवस्था की बदहाल स्थिति के सम्बन्ध में है। सातवीं श्री संजय कुमार गुप्ता की उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त वि0वि0 व इन्दिरा गांधी मुक्त वि0वि0 से बी0एड0 किये अभ्यर्थियों के समायोजन के सम्बन्ध में है। आठवीं डा0 जी0एस0 धर्मेश की आगरा कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नगला अरहर एवं नवपूरा को नगर निगम आगरा में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में है। नौवीं श्री राम नरेश रावत की जनपद–रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां अन्तर्गत शिवपुर ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं श्री दलवीर सिंह की जनपद–अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के कतिपय मार्गों के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद–उन्नाव के कतिपय विकास खण्डों में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र एवं सा0 स्वा0 केन्द्र के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं श्री मसूद अख्तर की जनपद–सहारनपुर के कतिपय ग्रामों के ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं श्री आजाद अरिमर्दन सिंह की जनपद–आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के ब्लाक ठेकमा के ग्राम इरनी में डा0 अम्बेडकर की मूर्ति के उत्तर में नहर पुलिया के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं श्री राम फेरन पाण्डेय की प्रदेश के क्षेत्र पंचायत सदस्य को सामाजिक कार्यों में सहभागी बनाने के लिये अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में है तथा पन्द्रहवीं श्री विजेन्द्र सिंह की जनपद–बुलन्दशहर के

विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के अन्तर्गत आने वाले मन्दिरों को पर्यटक स्थल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष–

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी :–

1–श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट,

2–श्री वीरेन्द्र यादव,

3–श्री संजय गर्ग,

4–श्री विपिन कुमार डेविड,

5–श्री देवेन्द्र निम,

6–श्री प्रेम सागर पटेल,

7–श्री तसलीम अहमद,

8–श्री रोशन लाल वर्मा,

9–श्री वीरेन्द्र सिंह राणा,

10–श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या,

11–डॉ0 संगीता बलवन्त,

12–श्री शारदा प्रसाद,

13–श्री लाल जी वर्मा,

14–श्री राम अचल राजभर,

15–श्री राहुल प्रकाश,

16–श्री विनोद कुमार कटियार,

17–श्री उमा शंकर सिंह,

18–श्री राम प्रताप सिंह,

19–श्रीमती जय देवी,

20–श्री जवाहरलाल राजपूत तथा

21–श्री रमेश चन्द्र मिश्र।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयी)

जनपद–सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के विकास खण्ड पहला के कतिपय स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद अन्तर्गत ग्राम कोरार व ग्राम कंचनपुर विकास खण्ड पहला व ग्राम बहलोनगर व ग्राम कौदौरा विकास खण्ड रामपुर मथुरा में पी0एच0सी0 खोले जाने हेतु ग्राम सभाओं द्वारा निःशुल्क रूप से जमीन स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है। क्रम संख्या 1 व 2 स्पेशल कम्पोनेंट के अन्तर्गत व क्रमशः सं0 3 व 4 सामान्य/एन0आर0एच0एम0 बजट से निर्मित कराये जाने हेतु पत्रावली स्वास्थ्य निदेशालय/शासन में लम्बित है। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त ग्राम सभाओं में पी0एच0सी0 खोला जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में तत्काल उपरोक्त ग्राम सभाओं में पी0एच0सी0 खोले जाने की मांग करता हूं।]

जनपद–कानपुर नगर में घाटमपुर चौराहे पर भीषण जाम से हो रही दुर्घटनाओं के निराकरण के सम्बन्ध नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कमल रानी वरूण–

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत घाटमपुर चौराहे पर जाम की विकराल समस्या कई वर्षों से चली आ रही है। क्योंकि चौराहे पर सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमर्ग व मुगलरोड मिलती है। इस कारण वाहनों की संख्या अत्यधिक हो जाती है। यातायात का दबाव अधिक होने के कारण अक्सर घण्टों जाम की स्थिति रहती है जिसके कारण दुर्घटनायें भी होती है। आये दिन जाम की स्थिति से लोगों का जन–जीवन प्रभावित हो रहा है। जनहित में घाटमपुर चौराहे पर एक ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए घाटमपुर चौराहे पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद–कानपुर देहात के तहसील बिल्हौर एवं घाटमपुर के प्रशासनिक मुख्यालय एवं न्यायिक क्षेत्र को कानपुर नगर में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेयी–

ख्महोदय, जनपद कानपुर नगर के जिले की तहसील बिल्हौर एवं घाटमपुर का प्रशासनिक मुख्यालय कानपुर नगर एवं न्यायिक क्षेत्र कानपुर देहात में है। स्थानीय लोगों ने भी बिल्हौर एवं घाटमपुर न्यायिक क्षेत्र को भी कानपुर नगर में स्थानान्तरित किये जाने की मांग की है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।,

---

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद–चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में गडई नदी पर पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती साधना सिंह–

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय–380 चन्दौली सदर ग्राम सभा बिन्दपुरवा गड़ई नदी पर बांस–बल्ली के सहारे पूरे गांव का आना–जाना लगा रहता है जिससे बरसात के महीने में काफी लोग इस बांस–बल्ली के सहारे में गिर जाते हैं। जिससे काफी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। कई बार सपा व बसपा के शासनकाल में इसका औचक निरीक्षण भी कराया गया और पुल का भरोसा देकर कई बार सपा–बसपा वोट की राजनीति करती रही। इस ग्राम सभा में गड़ई नदी पर एक पुल की अति आवश्यकता है।

कुछ पुल गड़ई नदी पर और आवश्यकता है, जो निम्न हैः–

1–विकास खण्ड–चन्दौली सदर ग्राम सभा बिन्दपुरवा गड़ई नदी पर।

2–विकास खण्ड–चन्दौली, ग्राम सिन्दरपुर गड़ई नदी पर।

3–विकास खण्ड–चन्दौली, ग्राम शिवपुर (अकोढ़ाकलां) गड़ई नदी पर।

4–विकास खण्ड–चन्दौली, ग्राम खुरूहुजा काली मन्दिर के सामने गड़ई नदी पर।

5–विकास खण्ड–चन्दौली, ग्राम जलखोर के सामने गड़ई नदी पर।

6–विकास खण्ड–नियमता बाद ग्राम गोपलापुर गड़ई नदी पर।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद–फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत कारीकान धाता में निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान–

ख्महोदय, जनपद–फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा अन्तर्गत कारीकान धाता इस क्षेत्र का व्यापारिक केन्द्र है जिसकी आबादी लगभग 20 हजार है। यहां थाना व ब्लाक तथा प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र के मुख्यालय हैं तथा माध्यमिक शिक्षा की शिक्षण संस्थायें संचालित हैं। उक्त के क्रम में विद्युत की नियमित एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति न होने के कारण कल कारखाने बन्द होने पर इस क्षेत्र का जनजीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है। क्षेत्रीय जनमानस के हितार्थ विद्युत उपकेन्द्र केटमई से मात्र एक कि0मी0 लम्बी पृथक विद्युत लाइन कारीकान धाता तक बनाना आवश्यक है।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।,

जनपद–कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में विद्युत व्यवस्था की बदहाल स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जटा शंकर त्रिपाठी–

ख्महोदय, मैं इस तथ्य को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि खड्डा विधान सभा क्षेत्र, कुशीनगर में विद्युत आपर्ति की दशा शासन की मंशा के ठीक विपरीत है और सम्बन्धित अधिकारीगण के निष्क्रिय रवैये से जनता में आक्रोश है। शासन की मंशा के उलट ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम विद्युत आपूर्ति हो रही है और कमजोर विद्युत अवस्थापना की शिकायतों को अधिकारीगण द्वारा अनसुना कर दिया जा रहा है।

खड्डा विधान सभा क्षेत्र, कुशीनगर में विद्युत व्यवस्था को ठीक कराये जाने के उद्देश्य से मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से इस समस्या के निवारणार्थ जानकारी की अपेक्षा करता हूं कि खड्डा विधान सभा क्षेत्र, कुशीनगर में खड्डा, रामकोला, पडरौना और कोटवा विद्युत उपकेन्द्रों से 15–30 जून, 2017 के दरम्यान कुल कितने मेगावाट की विद्युत आपूर्ति की गयी ? क्षेत्र के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में इस समयावधि में तिथिवार कितने घंटे विद्युत आपूर्ति हुई ? क्या शासन की प्रतिबद्धता के अनुसार खड्डा तहसील को 20 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हुई ? विधान सभा क्षेत्र के असेवित/गैर–उर्जीकृत गांवों में संतोषजनक विद्युत आपूर्ति कब तक सुनिश्चितहो पायेगी ? लकड़ी के जर्जर खम्भों, जर्जर तारों तथा परिवर्तक की क्षमता वृद्धि के कार्य कब तक पूर्ण किये जायेंगे ?,

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त वि0वि0 एवं इन्दिरा गांधी मुक्त वि0वि0 से बी0एड0 अभ्यर्थियों के समायोजन के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कुमार गुप्ता–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त वि0वि0 व इन्दिरा गांधी मुक्त वि0वि0 से बी0एड0 किये हुये अभ्यर्थियों के समायोजन हेतु उनकी सीट सुरक्षित करते हुए मेरिट पर काउन्सलिंग कराकर मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ट्रेनिंग कराई गयी, परन्तु ट्रेनिंग के पश्चात् भी उनकी सुरक्षित सीटों के सापेक्ष उनको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिलाया गया ? जबकि एन0सी0इ0टी0 की निर्देशों के अनुसार जो नियुक्ति प्रक्रिया जिस समय से शुरू होती उसी समय के अर्हता संबंधित नियमों के सापेक्ष सम्पादित की जाती है। लगभग 10 वर्षों से विभागों के झंझटों को झेल रहे इन अभ्यर्थियों का सरकार कब गंभीर हो कर न्याय संगत निर्णय लेते हुए उनके साथ कब न्याय करेगी।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

आगरा कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नगला अरहर एवं नवपुरा को नगर निगम आगरा में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 जी0एस0 धर्मेश–

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र आगरा कैंट के अन्तर्गत नगला मेवाती एवं ग्राम नगला अरहर एवं नवपुरा है। जिसमें पूर्ववर्ती सरकार में छावनी विधानसभा क्षेत्र में राजनैतिक कारणों से केवल एक ग्राम नगला मेवाती को ही नगर निगम में शामिल कराया गया, शेष दो ग्राम नगला अरहर एवं नवपुरा को छोड़ दिया गया। जबकि दोनों ग्राम आगरा कैंट के मतदाता है। उक्त दोनों ग्रामों को नगर निगम आगरा में शामिल न किये जाने से मूल भूत सुविधाओं से वंचित है। यह दोनों ग्राम जिला पंचायत आगरा में भी नहीं है। जनहित में विकास कार्यों को देखते हुए ग्राम नगला अरहर एवं नवपुरा को आगरा नगर में शामिल किया जाना आवश्यक है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए आगरा नगर में ग्राम नगला अरहर एवं नवपुरा को शामिल किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद–रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां अन्तर्गत शिवपुर ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश रावत–

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद रायबरेली, विधान सभा क्षेत्र बछरावां अन्तर्गत शिवपुर ड्रेन की सफाई जो कि शारदा सहायक खण्ड–28 के द्वारा पूर्ववर्ती सरकार में मात्र कागजों में कराई गयी थी जिसमें लाखों रुपये की हेराफेरी की गयी। संबंधित विभाग के अधिकारी और ठेकेदारों की वजह से प्रदेश सरकार को लाखों रु0 की चपत लगी है। इसकी भी जांच जनहित में आवश्यक है। उक्त ड्रेन की सफाई न होने से दर्जनों गांवों की भूमि जलमग्न है। देहली, बैतीं, पिपरी, बरियारपुर, हलोर सहित कई दर्जन गांवों की कृषि भूमि जलमग्न होने से किसान भुखमरी के कगार पर है। बछरावां क्षेत्र का धान प्रदेश व देश में काफी विख्यात है। वर्तमान समय में कर्ज लेकर धान की रोपाई की फसल पूरी तरह चौपट हो गयी है। जिससे किसान कर्ज में डूब गया है। जहां एक ओर उक्त ड्रेन की सफाई न होने की वजह से किसान परेशान है वहीं अच्छी किस्म की धान/चावल से प्रदेश का उपभोक्ता वंचित हो रहा है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद–अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के कतिपय मार्गों के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री दलवीर सिंह–

ख्महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली, जनपद अलीगढ़ में निम्नलिखित मार्गों पर भारी वाहनों का संचालन अधिक होता है। इन मार्गों से प्रतिदिन काफी संख्या में वाहन दूसरे राज्यों व अन्य जनपदों को जाते हैं। यह मार्ग वर्तमान में 3.7 मीटर चौड़े हैं। इन मार्गों को जनहित में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

1–वीरपुरा से सोमना एन0एच0–91 तक।

2–अलीगढ़–अमरौली–बरौली–कटरा–एन0एच0–91 तक

3–पी0टी0ए0–अंडला–मुकटपुर–पचपेड़ा–एन0एच0–91–तकलुआ–सुमेरपुर–पोहिना–सुमेरा–एन0 एच0–93 तक। (ओ0डी0आर0)

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद–उन्नाव के कतिपय विकास खण्डों में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

[महोदय, सदर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हमारे जनपद–उन्नाव में स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है। हमारी जनपद कटरी व कई नदियों के बीच में है। यहां पर अधिकतर लोग बीमारी के कारण अन्य जनपदों में इलाज कराने जाते हैं। कृपया यहां सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 बन जाने से लाखों लोगों को राहत मिल जायेगी। अतः विधान सभा क्षेत्र भगवंत नगर के विकास खण्ड पुरवा के अन्तर्गत पनहन में पी0एच0सी0 का निर्माण, विधान सभा क्षेत्र भगवंत नगर के विकास खण्ड बीघापुर के अन्तर्गत कुम्भी में पी0एच0सी0 का निर्माण, विधान सभा क्षेत्र भगवंत नगर के विकास खण्ड सिकन्दरपुर कर्ण के ग्राम सभा चन्दनपुर विभौरा में पी0एच0सीव का निर्माण विधान सभा क्षेत्र भगवंत नगर के विकास खण्ड सुमेरपुर में भगवंत नगर पी0एच0सी0 को सी0एच0सी0 में परिवर्तन करने से, विधान सभा क्षेत्र पुरवा के विकास खण्ड असोहा के ग्राम सभा रायपुर में पी0एच0सी0 का निर्माण विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के ग्राम मुस्तफाबाद, वि0ख0–बांगरमऊ में पी0एच0सी0 का निर्माण, विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के ग्राम शिवपुरी का मजरा, अरजानीपुर, राजेपुर, वि0ख0–एफ 84 में पी0एच0सी0 का निर्माण, विधान सभा क्षेत्र पुरवा के विकास खण्ड हिलौली की ग्राम सभा असरेन्दा में पी0एच0सी0 का निर्माण हो जाने से लाखों लोगों को इलाज की सुविधा प्राप्त हो जायेगी।

इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद–सहारनपुर के कतिपय ग्रामों के ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री असूद अख्तर–

[महोदय, लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है मेरे विधान सभा क्षेत्र, 04 सहारनपुर, जनपद–सहारनपुर के अन्तर्गत ग्राम–धतौली रांघड (चिलकाना रोड, सहारनपुर) में लगा 100 के0वी0ए0 का विद्युत ट्रांसफार्मर ओवरलोड है। आये दिन ओवरलोड के कारण यह जल जाता है जिससे काफी परेशानी होती है। इसलिए इसके स्थान पर 250 के0वी0ए0 का विद्युत ट्रांसफार्मर लगाया जाना अति आवश्यक है। इसी प्रकार से ग्राम–गन्देवडा (छुटमलपुर, सहारनपुर), में एस0सी0 बस्ती एवं कब्रिस्तान के पास लगा विद्युत ट्रांसफार्मर ओवरलोड है। ओवरलोड होने के कारण अक्सर यह ट्रांसफार्मर जला रहता है। इसलिए इसके स्थान पर 250 के0वी0ए0 का विद्युत ट्रांसफार्मर लगाया जाना अति आवश्यक है। उक्त दोनों स्थलों पर बार–बार ट्रांसफार्मर जल जाने से ग्रामीणों का दैनिक जीवन यापन बहुत ही कठिनाई से बीतता है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा तत्काल उक्त दोनों ट्रांसफार्मर्स बदलने हेतु निर्देश पारित किया जाना अति आवश्यक है। प्रकरण जनहित का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विधान सभा क्षेत्र 04 सहारनपुर, जनपद सहारनपुर के ग्राम–धतौली रांघड तथा ग्राम–गन्देवडा में स्थापित 100 के0वी0ए0 के उक्त विद्युत ट्रांसफार्मर्स की क्षमता वृद्धि करते हुए इनके स्थान पर तत्काल 250 के0वी0ए0 के विद्युत ट्रांसफार्मर्स स्थापितकिये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद–आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के ब्लाक ठेकमा के ग्राम इरनी में डॉ0 अम्बेडकर की मूर्ति के उत्तर में नहर पुलिया के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आजाद अरिमर्दन सिंह–

ख्महोदय, सादर अवगत कराना है कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र, 351–लालगंज के ब्लाक ठेकमा के ग्राम इरनी डा0 अम्बेडकर के मूर्ति के उत्तर में नहर पर पुलिया का चौड़ीकरण एवं सड़क मरम्मत एवं ब्लाक लालगंज में गोसाई की बाजार पन्दहा रोड पर जय प्रकाश जयसवाल के दुकान से नहरतक सड़क के दोनों किनारे 500 मी0/500 मी0 नाले का निर्माण एवं सड़क मरम्मत/ब्लाक लालगंज के मिर्जा आदमपुर में मास्टर बनारसी के घर से डीह बाबा के स्थान होते हुए नदी तक नाले का निर्माण लगभग 1 कि0मी0/ब्लाक लालगंज में ग्राम बसही इकबालपुर में शकील के घर से बसही सलेमपुर तक पिच रोड 700 मीटर/ब्लाक पल्हना में ग्राम बेलगहना कोटा बुजुर्ग शंकर जी के मन्दिर से देवराज के घर तक पिच मार्ग का निर्माण दूरी 1 कि0मी0।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपरोक्त पुलिया एवं सड़कों को लेकर क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति काफी आक्रोश है। इन समस्याओं से शासन एवं प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।,

प्रदेश के क्षेत्र पंचायत सदस्य को सामाजिक कार्यों में सहभागी बनाने के लिये अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम फेरन पाण्डेय–

[महोदय, मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। प्रदेश के विभिन्न विकास खण्डों में क्षेत्र पंचायत समितियों के सदस्यों का प्रति 05 वर्ष में चुनाव जनता द्वारा होता है। इसके साथ ही व्यवस्था की गयी है कि उन्हें वित्तीय एवं अन्य अधिकार भी दिये जायेंगे जिससे वे क्षेत्र की जनता के बीच सामाजिक कार्य सम्पन्न करा सकें। वर्तमान में इन क्षेत्र पंचायत समितियों के सदस्यों को कोई अधिकार नहीं है। क्षेत्र पंचायत समिति को पहले 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत धन उपलब्ध कराया जाता था किन्तु अब यह योजना बन्द कर दी गयी है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र पंचायतों को धन मिलना बंद हो गया है और क्षेत्र पंचायतों की क्षेत्र के विकास में भूमिका निष्प्रभावी हो गयी है। ग्राम सभाओं में प्रधानों को प्रति वर्ष बीसों लाख दिये जाते हैं और उनकी गांव के विकास में प्रभावी भूमिका होती है। क्षेत्र पंचायत सदस्य भी जनता द्वारा चुना जाता है परन्तु उसको धन उपलब्धता न होने के कारण उसकी कोई भूमिका नहीं होती।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को भी ग्राम प्रधानों की तरह वित्तीय अधिकार से आच्छादित किया जाये जिससे ये अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं में सहभागी बन सकें।]

जनपद–बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के अन्तर्गत आने वाले मन्दिरों को पर्यटक स्थल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजेन्द्र सिंह–

ख्महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के खुर्जा शहर में नव दुर्गा शक्ति मन्दिर, महादेव सिद्धेश्वर मन्दिर क्षेत्र को पर्यटक स्थल बनवाने के विषय के सम्बन्ध में आपसे निवेदन है कि नव दुर्गा शक्ति मन्दिर क्षेत्र में तीन किमी0 की परिधि के अन्तर्गत महादेव भूड़ा मन्दिर, प्राचीन महादेव सिद्धेश्वर मन्दिर, महाकालेश्वर मन्दिर, शनिदेव मन्दिर, शांति कुंज शक्ति पीठ व जहारवीर बाबा मन्दिर आदि प्राचीन मन्दिर हैं। यहां पर देश के कोने–कोने से श्रद्धालु एवं पर्यटक दर्शन करने के लिए आते हैं। उक्त क्षेत्र का विकास कराते हुए पर्यटक स्थल घोषित कराना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

---

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्12:55, विधान भवन स्थापित वी0आई0पी0 कैफेटेरिया में खाने की गुणवत्ता निम्नकोटि की होने से सदस्यगण के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19 जुलाई, 2017 को नियम 300 के अंतर्गत 01 सूचना प्राप्त हुयी। श्री प्रभु नारायण सिंह यादव जी की विधान भवन स्थित वी0आई0पी0 कैफेटेरिया में जो खाना व नाश्ता दिया जाता है उसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब होने से मा0 सदस्यों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने के सम्बंध में है। श्री प्रभु नारायण सिंह यादव जी, यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है, मैं इसको अग्राहय करता हूं। लेकिन आप जो कहना चाहते हैं कह लें।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान औचित्य के प्रश्न पर लाना चाहता हूं। विधान भवन सचिवालय में स्थित वी0आई0पी0 कैफेटेरिया में हम विधायकों के लिए खाने व नाश्ते की व्यवस्था आप द्वारा की गयी है। सत्र के दौरान इसका हम लोग नियमित रूप से उपयोग करते हैं। परन्तु कैफेटेरिया में जो खाना, नाश्ता दिया जाता है वह बाहर से बनाकर मंगाया जाता है, जिसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है, उसका प्रतिकूल प्रभाव हम विधायकों पर पड़ता है। यही नहीं पूर्व में कल्याण निगम द्वारा यहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वर्तमान कैफेटेरिया के जो रेट निर्धारित हैं, वह भी काफी उस व्यवस्था से अधिक हैं। तमाम माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपनी भावना जाहिर की है। मैंने आपको अवगत कराया है। इस समस्या के समाधान हेतु आप अपनी पीठ से कोई व्यवस्था देने की कृपा करें।

मान्यवर, यहां सभी दलों के सदस्य हैं, एक बार पराठा ले लीजिए, चाहे खाना ले लीजिए, यह बाहर से बन करके आता है। माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारे सभी माननीय सदस्यों की सेहत का सवाल है। हम लोग सबेरे आते हैं, आपके सानिध्य में रात 8.00 बजे तक रहते हैं।

(कई सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपनी बात रखने का प्रयास किया)

श्री अध्यक्ष–

क्या सब लोग बोलेंगे? यह नियम–300 में तो आता नहीं है।

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मन्त्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो विषय अभी उठाया गया है, कई सदस्यों ने इस पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने कक्ष में एक बैठक बुलाकर इस सम्बन्ध में बात कर लें।

श्री अध्यक्ष–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ठीक है।

[12:58] रियलवुड (वास्तविक लकड़ी) पर हुयी नक्काशी के फर्नीचर को वैट मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री हैदर रउफ आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से (1) रियल वुड (वास्तविक लकड़ी) पर हुई नक्काशी के फर्नीचर को वैट मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री हैदर रऊफ व श्री इकबाल एम0ए0 निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

सहारनपुर नगर अन्तर्गत मातागढ़ चौक से पुराना चिलकाना बस अड्डा की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित नाले की पुलिया की मरम्मत/पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री संजय गर्ग–

सहारनपुर नगर अन्तर्गत मातागढ़ चौक से पुराना चिलकाना बस अड्डा की ओर जाने वाली सड़क पर स्थिति नाले की पुलिया की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित, मंगल व श्री शिव पालीवाल निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका]

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2009 में आयेाजित संस्कृत प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द आदि निवासीगण जनपद कन्नौज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री संजय गर्ग–

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2009 में आयोजित संस्कृत प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द, विजय लक्ष्मी निवासी जनपद लखनऊ व श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी निवासी जनपद कन्नौज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका]

औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र सहारनपुर को औद्योगिक विश्वविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में डा0 एस0के0 उपाध्याय आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री संजय गर्ग–

---

† छापी नहीं गयी।

औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर को औद्यानिक विश्वविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में डा0 एस0के0 उपाध्याय व डा0 योगेश गुप्ता निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

प्रदेश के जिला सहकारी बैंको का विलयकर एकीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल शर्मा आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री संजय गर्ग–

प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों का विलय कर एकीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल शर्मा व श्री राकेश कम्बोध निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

ग्राम सभा कोनिया (परसिया), तहसील चन्दौली, जनपद चन्दौली में कर्मनासा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री भगौती सिंह आदि निवासीगण जनपद चन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री शारदा प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से (1) ग्राम सभा कोनिया (परसिया), तहसील चन्दौली, जनपद चन्दौली में कर्मनासा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री भगौती सिंह व श्री रमेश पासवान निवासीगण जनपद चन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

ग्राम–उरगांव, ब्लाक साहबगंज, जनपद चन्दौली में चन्द्रप्रभा नहर पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवाकान्त उपाध्याय आदि निवासीगण जनपद चन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री शारदा प्रसाद–

ग्राम उरगांव, ब्लाक साहबगंज, जनपद चन्दौली में चन्द्रप्रभा नहर पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवाकान्त उपाध्याय व श्री राम अवध विश्वकर्मा निवासीगण जनपद चन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 6 एवं 7 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–8

प्रदेश के पूर्वांचल में बाढ़ की विभिषिका से उत्पन्न स्थिति पर कल दिनाक 18 जुलाई, 2017 को जारी आधे घण्टे की चर्चा को अभी लिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मन्त्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

---

† छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी बजट चर्चा पर साढ़े चार बजे करीब बोलेंगे। कई माननीय सदस्यगण अभी बोलने के लिए रह गए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आधे घण्टे की चर्चा तो बाढ़ पर हो जाए और उसके बाद लोग कम से कम 2.00 घण्टे बोल लें। उसके बाद माननीय नेता विरोधी दल को भी स्पष्टीकरण देना है। माननीय वित्त मंत्री जी सारे लोगों का जवाब भी दे देंगे।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रस्ताव है और यह हमारा भी अनुरोध है कि कार्य–स्थगन को संक्षिप्त कर दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, कार्य स्थगन में जो सूचनायें सुनने के लिए चयनित की गई हैं, वह हो जायें, बाकी तो आपने ध्यानाकर्षण कर दिया है, इसलिए उसमें समय बच जायेगा, तो दो घण्टे में कई मा0 पक्ष–विपक्ष के सदस्य बोल लेंगे।

[01:00] कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19.07.2017 को नियम–56 की कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्निलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम एवं दूसरी सूचना को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा एवं तीसरी, चौथी एवं पांचवी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। शेष सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं।

पहली सूचना श्री लालजी वर्मा की उ0प्र0 में नीट परीक्षा के माध्यम से बी0ए0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0 एवं बी0यू0एम0एस0 में प्रवेश दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बनध में है।

दूसरी सूचना श्री अजय कुमार लल्लू, श्री नरेश सैनी, श्री मसूद अख्तर, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना, श्री राकेश सिंह, सुश्री अदिति सिंह, श्री सुहेल अख्तर अंसारी की प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में विगत वर्ष छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ की कोतवाली आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम जीयनपुरा कोठरा के ग्राम प्रधान को गोली मारे जाने के उपरान्त पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

चौथी सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा नजीबाबाद में विद्युत तार टूटने से हुई घटनाओं के उपरान्त पीड़ितों को मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

पांचवी सूचना (1) श्री श्याम सुन्दर शर्मा (2) श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की आगरा कानपुर नेशलन हाईवे पर दिनांक 18.7.2017 को एत्मादपुर के निकट हुई लूट की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यनाकर्षण हेतु स्वीकृत।

निम्ननिलिखत सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईः–

1. श्री सोबरन सिंह यादव
2. श्री वीरेन्द्र यादव
3. श्री प्रभु नारायण सिंह यादव
4. श्री सुखदेव राजभर
5. श्री रितेश पाण्डेय

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्तमान सरकार आयुष को बढ़ावा देने का काम कर रही है। मान्यवर, भारत की जो पद्धति है, जिसके अनुसार आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों में प्रवेश होता है, जो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। मान्यवर, समस्या यह आई कि नीट ने सीबीएसई ने निर्णय लिया कि नीट के द्वारा हम प्रवेश परीक्षा करायेंगे और उसके तहत एम0बी0बी0एस0 और बी0डी0एस0 के लिए उन्होंने जो अपना स्लैबस इन्फार्मेशन बुलेटिन जारी किया, उसमें केवल एम0बी0बी0एस0 कक्षाओं के लिए और बी0डी0एस0 के लिए उन्होंने व्यवस्था की और जिन लोगों को एम0बी0बी0एस0 और बी0डी0एस0 में एडमीशन लेना था उन सब लोगों ने नीट की परीक्षा दी। मान्यवर, उस नीट की परीक्षा में कहीं भी बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0 और बी0एच0एम0एस0 का जिक्र नहीं किया गया कि इसका भी प्रवेश इसके द्वारा किया जायेगा और भारत सरकार ने मान्यवर, इस बार छूट भी दिया है कि इस बार तक हर प्रदेश जैसा चाहे वह अलग से परीक्षा करा सकता है, आयुर्वेद और यूनानी और होम्योपैथिक कालेजों में प्रवेश के लिए 20 हजार छात्र लगभग इस अपेक्षा से कि आयुष और होम्योपैथ की अलग से परीक्षा होगी, उसके लिए उसने नीट की परीक्षा में सम्मिलित होने का काम नहीं किया और मान्यवर आज प्रदेश सरकार ने यह फैसला कर लिया कि हम नीट के द्वारा इसमें भी प्रवेश कर लेंगे, हमें उस पर भी मान्यवर आपत्ति नहीं है, अगर पहले से निर्णय लिया गया होता कि इस बार कोई अलग से परीक्षा नहीं होगी, प्रदेश सरकार ने जिस तरह से पिछली बार कराया था यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कालेजों का यह पहले से लोगों को ज्ञात होता तो नीट से लेते हमें कोई दिक्कत नहीं है मान्यवर प्रदेश के लिए भी नुकसान नहीं होता सब लोग उसमें सम्मिलित होते और उसी के थ्रू आते, लेकिन आज परिस्थिति है कि उसमें तमाम लोग बैठे नहीं, उन लोगों ने अपने को उस समय बी0डी0एस0 और एम0बी0बी0एस0 लायक नहीं समझा और वह सोंचे की आयुष के लिए अलग से परीक्षा होगी, इसलिए आज प्रदेश में यह समस्या छात्रों के सामने उपस्थित हुई है। दूसरा मान्यवर, प्रदेश में तमाम मेडिकल कालेज और आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज,

यूनानी मेडिकल कालेज और होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की पिछले साल भी तमाम सीटें खाली रह गईं, जिसको हम भर नहीं पाये, हमारे प्रदेश की प्रतिभा का उनके साथ वह योग्यता हासिल न कर पायें, अगर किसी एडमीशन की प्रक्रिया के कारण वह वंचित रह जाते हैं, सीटें खाली रह जाती हैं तो मान्यवर यह तो प्रदेश के नौजवानों के साथ अन्याय होगा, इसलिए हमारी यह चाहत है कि यह महत्वपूर्ण विषय है और जैसा कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने और प्रदेश सरकार ने आयुष का एक अलग डिपार्टमेण्ट बना दिया, पहले यह चिकित्सा शिक्षा में जुड़ा हुआ था, अब इसको अलग कर लिया।

श्री अध्यक्ष–

आपका सुझाव क्या है ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, सुझाव यह है कि इसकी अलग परीक्षा जिस तरह से पिछले साल हुई थी, उत्तराखण्ड और तमाम अन्य राज्य अलग से परीक्षा करा रहे हैं, उत्तराखण्ड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां परीक्षा हो रही है अलग से, उसी तरह से इस प्रदेश में इस बार इसकी अलग से परीक्षा कराई जाय, अगली बार से तो निश्चित रूप से यह परीक्षा नहीं होनी है, नीट के द्वारा ही निर्णय लिया गया कि सारे प्रदेश के देश के आयुर्वेद और यूनानी कालेजों में प्रवेश दिया जायेगा, तो निश्चित रूप से उसकी तैयारी लोग करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि प्रदेश के छात्रों के हित में इसकी अलग से परीक्षा करा कर, इसमें प्रवेश दिया जाय।

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मन्त्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मा0 अध्यक्ष जी, जो विषय मा0 वर्मा जी ने उठाया है। इसके विषय में हम सदन को कल अवगत कराएंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, यह तो और अच्छा है। मा0 अजय जी आपका क्या है?

'श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मेरा विषय छात्र संघ चुनाव को लेकर है।

श्री अध्यक्ष–

आप बहुत संक्षेप में कह दीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, बस दो मिनट में। महोदय, यहां बहुत सारे सदन के सदस्य चुन के आए हैं जो कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहले छात्र राजनीति में आए। उसके बाद विधान सभा सदस्य, लोक सभा सदस्य या राज्य सभा सदस्य के पद की शोभा सुशोभित किया। महोदय, छात्र संघ चुनाव और छात्र संघ छात्रों की आत्मा है, राजनीति की प्रथम पाठशाला के रूप में है। अगर हम छात्र संघ में शामिल होते हैं तो उसी में हमें जाकर सीखने का मौका मिलता है। महोदय, मैं भी किसान पी0जी0 कालेज के छात्र संघ का महामंत्री, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा और संघर्षों के नाते यहां तक पहुंचा। मैं भी एक बहुत सामान्य परिवार का लड़का रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन अब यहां संघर्ष न किया करिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, पिछले कई वर्षों से पं0 दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बन्धित महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है। महोदय, यह सरकार लोकतंत्र को मानने वाली सरकार है जैसा कि ये बार–बार हर मुद्दे पर, हर जगह पर कहते हैं। महोदय, हम आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन के साथ यही आग्रह करना चाहेंगे कि दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का चुनाव, चूँकि मा0 मुख्यमंत्री जी वहीं के रहने वाले भी हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय जैसा कि अभी यहां हमारे मा0 ब्रजेश पाठक जी भी हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपका विषय तो पूरा आ गया। क्या अभी कुछ रह गया है?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

ऐसे ही तमाम विश्वविद्यालय जैसे बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय आदि के छात्र संघ चुनाव की क्या ये सरकार घोषणा करेगी? साथ ही इन विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित जो महाविद्यालय हैं तो क्या सरकार उनमें भी छात्र संघ चुनाव कराने का काम करेगी?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, जिन दो विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में मा0 नेता कांग्रेस ने कहा है। मान्यवर, उससे हमने रिपोर्ट मांगी है और यह सही है कि लिंगदोह कमेटी का जो जिक्र किया उसकी संस्तुतियां भी सभी को मालूम हैं। उसके ऊपर इस सदन में कई बार चर्चा भी हो चुकी है। मान्यवर, जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी तो वैसे ही हम उचित समय पर इसका निर्णय करेंगे।

(सुखेदव राजभर के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 राजभर जी, आपका किस विषय पर है?

'**श्री सुखदेव राजभर**–

मान्यवर, मैं संक्षेप में अपनी बात रख लूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आप किस विषय पर बोलेंगे, क्या इसके अलावा है?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, हमारा यह विषय है, हमारा नोटिस है नियम 56 में। हमारा नियम 56 में अलग से नोटिस है।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप लोगों को जितनी भी नोटिसें हैं, सब पर बोलना है।

श्री सुखेदव राजभर–

मान्यवर, हमारा अलग से नियम 56 में नोटिस है। केवल दो मिनट में अपना रखेंगे। मान्यवर, हमारा विषय यह है। खन्ना साहब, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, उनकी बात दो मिनट में मा0 अध्यक्ष तक पहुॅचा दें बस। केवल दो मिनट का समय लूॅगा, दो मिनट से ज्यादा बात हम रखते भी नहीं हैं, उससे ज्यादा बोलते ही नहीं हैं। बहुत लम्बा समय नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना किस विषय पर है?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, कल दिनांक 17–07–2017 को।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना स्वीकृत सूचनाओं में नहीं है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

आज हम प्रातः से ही सदन संचालन में आपसे ही पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए, आप बताइए। अगर सबको सुनेंगे तो आगे बहस प्रभावित होगी कि नहीं। आप लोग जो तय करो। हम तो आज प्रातः काल से ही इसी मूड में हैं इसलिए जैसा आप लोग चाहो। मा0 राजभर जी आप वरिष्ठ हैं, अब आपकी जैसी इच्छा हो।

श्री सुखदेव राजभर–

मा0 अध्यक्ष जी, कुछ ऐसे शिक्षकों के सन्दर्भ में मैं दो मिनट में कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय जो चलते हैं उनमें लगभग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

25 लाख अध्यापक हैं और लगभग ज्यादा से ज्यादा सदस्य ऐसे विद्यालयों को संचालित भी करते हैं। उन 25 लाख अध्यापकों की हालत यह है कि वे पीएच0डी0 तक किए हैं और दो हजार, ढाई हजार, तीन हजार में पढ़ाते हैं। पी0एच0डी0 तक के टीचर हैं वह तीन–तीन हजार में पढ़ाते हैं और विद्यालय में समय से जाकर शाम तक वह पढ़ाने का काम करते हैं, बीच में इनको मानदेय दिया गया था। सरकार ने ऐसे शिक्षक जो पी0एच0डी0 की डिग्री लेकर के भी आज 2500 पर पढ़ाने के लिए मजबूर हैं माननीय सदस्यों के विद्यालय भी चल रहे हैं। ऐसे शिक्षकों कल विधायक श्री उमेश द्विवेदी और एम0एल0सी0 संजय सिंह के नेतृत्व में ये सभी अध्यापक आकर के विधान भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसकी जांच करवा लें। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में यही दो–चार रास्ते होते हैं, धरना देना, प्रदर्शन करना तो मैं यह बात कहना चाहता हूं कि इतना बर्बर लाठीचार्ज हुआ है कि पांच महिलायें जो अध्यापक रही हैं वह भी घायल हुई हैं। कुछ और अध्यापक घायल हुए हैं। मैं ऐसे लोगों की सिफारिश कर रहा हूं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जो पी0एच0डी0 करने के बाद 2500 में पढ़ाते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूर्व सरकारों ने इनके जो मानदेय की व्यवस्था की थी, उसपर माननीय मंत्री जी विचार कर लें और जो कल की घटना हुई है, जो लाठीचार्ज हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस पर कोई उत्तर की आवश्यकता तो है नहीं।

श्री सुखदेव राजभर–

नहीं, नहीं उत्तर की आवश्यकता नहीं है लेकिन मान्यवर, मानवीय आधार पर उत्तर बनता है। अगर मानवीय आधार पर मैं ऐसे शिक्षकों के सम्बन्ध में अनुरोध कर रहा हूं जो 2500 रुपये में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको मानदेय देने पर सरकार विचार करे। मैं यही आपसे अनुरोध कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि अभी इन अध्यापकों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसकी जांच कराई जाए।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, हमारे आजमगढ़ जिले में कोतवाली थाना के अंतर्गत कई बार से प्रधान रहे धर्मेन्द्र यादव को 12.07.2017 की रात को गोली मारे जाने से उनकी हालत बहुत नाजुक है। आजमगढ़ से जवाब मिल गया है तो वह बनारस में भर्ती हैं और आज भी जो अपराधी हैं, मुल्जिम हैं वह पकड़े नहीं गए। मैं यही कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि इस तरह से अपराध बराबर हो रहे हैं। एक बहुत गंभीर मामला है। इस तरह से हर किसी की जान पर खतरा है मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये मामला बहुत गंभीर है, धर्मेन्द्र यादव जो कई बार से प्रधान रहे हैं और ग्राम जियनपुर कोठरा के रहने वाले हैं और मेरे विधान सभा क्षेत्र के हैं

और इनको गोली मार कर, जान से मारने की नीयत थी। ये मोटर साइकिल से आ रहे थे। करीब 8–9 बजे रात को बदमाशों ने घेरकर इनको गोली मारने का काम किया था, जिससे इनकी हालत खराब है। आजमगढ़ के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और अभी यह बनारस के सिंह हास्पिटल में भर्ती हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रकरण अभी नियम–56 की सूचना के माध्यम से माननीय दुर्गा यादव जी ने उठाया है। इसके सम्बन्ध में अपराध संख्या– 356/2017 धारा–307 सम्बन्धित थाने में थाना कोतवाली आजमगढ़ में अभियोग पंजीकृत किया गया। मान्यवर, इसमें अभी तक एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और सरकार पूरी तरह से इसमें सचेत भी है और धारा–307 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मुकद्मा पंजीकृत है। दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी जल्दी करा ली जाएगी ऐसी सूचना मिली है। यह नियम–56 में नहीं आता है। इसलिए इसको अग्राह्य किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

'श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आगरा–कानपुर हाईवे पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस में कल शाम को लगभग सवा छः, साढ़े छः बजे 80 किलो चांदी की लूट हो गई। मान्यवर, जब से यह सरकार बनी है पूरे प्रदेश में अपराध बढ़े हैं।

(कई सदस्यों के अपनी सूचना पर बोलने हेतु हाथ ऊपर उठाने पर)

श्री अध्यक्ष–

हम यह जानना चाहते हैं कि सब लोग बोलेंगे क्या? या तो आप हमको अधिकार दीजिए। मैं यह सीखने का आज प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों की इच्छा क्या रहती है?

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में जब से नई सरकार बनी है।

श्री अध्यक्ष–

मेरी इस बात पर आपका क्या कहना है कि अभी बाढ़ पर चर्चा है, यह एक अधिनियम है। आप सीनियर मेम्बर हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है ? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए ऐसे नहीं बोलना है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आगरा–कानपुर हाईवे की कल 18 तारीख की शाम 6 बजे का समय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में 80 किलो चांदी बदमाशों द्वारा लूट ली गयी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

वह 80 किलो चांदी आप बता चुके हैं अब जो चर्चा है उसके बारे में क्या करें।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मान्यवर, आए दिन लूट, हत्याएं, फिरौती, रेप की घटनाएं हो रही हैं। एफ0आई0आर0 पंजीकृत करके इतिश्री नहीं की जा सकती है। मेरा कहना यह है कि अपराधों पर अंकुश कब लगेगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को नियम–56 के अंतर्गत अग्राहय करता हूं और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

(सदस्यों के बोलने का प्रयास करने पर)

अब आप लोग कृपा करके बैठिए। आप कल किसी नियम में दे दीजिएगा। हम लोगों ने आपसे पूछा भी कि क्या विचार है, लेकिन आपने सहयोग नहीं किया।

[01.15] उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017†

पंचायती राज राज्य मन्त्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाये।

'**श्री सुखदेव राजभर**–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, अभी तो मैंने अपना संशोधन रखा, आपने सीधा प्रस्ताव रख दिया। मैं इस पर अपने विचार रखता तब आप इस पर मत लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

आप इस पर बोलेंगे, ठीक है।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को पहले बोलना चाहिए अपने विचार के लिए उन्होंने पहले प्रस्ताव रखा है, उस पर विचार हुआ होता।

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी–

---

† छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 1947 के अध्याय–6 न्याय पंचायत की धारा 42–6–94 (क) में न्याय पंचायत के गठन तथा अन्य धाराओं एवं उपखण्ड में न्याय पंचायत एवं उससे सम्बन्धित प्राविधान विद्यमान हैं। उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत की व्यवस्था उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम–1947 के अंतर्गत की गयी थी। उक्त अधिनियम को भारत के तत्कालीन गर्वनर जनरल द्वारा 7–12–1947 को स्वीकृति प्रदान की गयी थी जो उत्तर प्रदेश सरकार के गजट में दिनांक 27–12–1947 को प्रकाशित हुआ था। उस समय तक भारत एक गणराज्य घोषित नहीं हुआ था। तब से लेकर आज तक भारत के समाज में प्रगति की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। न्याय संबंधी समस्त प्रकरणों का निस्तारण न्याय पालिका के अधीन किया जा रहा है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को समय–समय पर शक्तियां एवं दायित्व सौंपे गए हैं। 73वें संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, एवं जिला पंचायत का प्राविधान है। वर्तमान में न्याय पंचायत क्रियाशील न होने के कारण अव्यावहारिक हो गयी है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम–1947 में न्याय पंचायत से सम्बन्धित अध्याय–6 न्याय पंचायत की धारा 42 से 94 (क) तक अन्य धाराओं, खण्डों में न्याय पंचायत एवं उससे सम्बन्धित प्राविधान विद्यमान हैं, को अधिनियम से निकाल दिया जाना प्रस्तावित है।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैंने प्रस्ताव शुरू में रख दिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, न्याय पंचायतों के गठन का और उसको जो परिभाषित किया गया संविधान के अनुच्छेद 243 में और 243 ''ख'' में इन पंचायतों के गठन की प्रक्रिया चाहे जिस नाम से हो चाहे न्याय पंचायत के नाम से हो, चाहे गांव पंचायत के नाम से हो, चाहे जिला पंचायत के नाम से हो, चाहे नगर पंचायत हो उसमें सभी का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 243 ''ख'' के अन्तर्गत। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब ने बहुत बुनियादी चीज को कहीं न कहीं संविधान में व्यवस्था किया कि गांव पंचायत से लेकर और संस्थाओं के साथ–साथ न्याय पंचायत का भी गठन हो वह गठन गांव स्तर पर होगा और वह न्यायपंचायत, बहुत पहले पुराने समय से उसे जुडीशियरी पावर था, फौजदारी का पावर था दीवानी का अधिकार था और फौजदारी का अधिकार रहा यह दोनों इसके अधिकार थे। छोटे छोटे विवाद न्याय पंचायत स्तर से हो जाया करते थे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राजभर जी, पंचायतों का संविधान संशोधन बाद में आया जो मूल संविधान था उसमें पंचायतों की व्यवस्था राज्य के नीति–निदेशक तत्वों में की गयी थी।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, यह इसको खत्म करने जा रहे हैं न्याय पंचायतों को इस संदर्भ में मैने कहा।

श्री अध्यक्ष–

वह जो आप बाबा साहब अम्बेडकर का उद्धरण दिये थे।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जो विधेयक लाया गया न्याय पंचायतों को खत्म करने का।

श्री अध्यक्ष–

उस समय पंचायतें नहीं थीं जो मूल संशोधन था।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, विधेयक जो लाया गया है जितनी धाराओं को निकाला गया है उसमें जो गांव पंचायत, न्याय पंचायत मान्यवर, उन्हीं धाराओं को छोड़कर शेष सभी धाराएं निकाली गयी हैं अभी माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने भी यही प्रस्ताव रखा, संशोधन रखा। न्याय पंचायतों को खत्म करने का मैं उसका औचित्य बता रहा हूं अगर उस पर विचार करेगी सरकार। न्याय पंचायतों को एक औचित्य के आधार पर संविधान निर्माताओं ने उस संस्था का गठन किया था। जो छोटे–छोटे विवादों को हल करके गांव पंचायत के मसले जो न्यायालयों तक नहीं जा पाते थे सुलभ न्याय दिलाने का काम था एक सरपंच चुने जाते थे।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी बात से सहमत हूं केवल मैं यह जोड़ रहा हूं कि संविधान निर्माताओं ने पंचायतों का विधान नहीं किया था यह मैं बताना चाहता हूं वह केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ दि स्टेट में है जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।

श्री सुखदेव राजभर–

ठीक है मान्यवर, मेरा यह कहने का मतलब है कि इतनी जल्दीबाजी क्या है। एक संस्था यह भी है संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार एक संवैधानिक संस्था है, और इस संस्था को अगर आप निष्क्रिय कह रहे हैं तो आप सक्रिय करने पर क्यों नहीं विचार करते। यह इनके जो छोटे–छोटे अधिकार दिये गये थे इन्हीं को विरसित करके आज लिटिगेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि न्यायालयों में हजारों–हजारों मुकदमें लम्बित हैं। बहुत से हमारे सीनियर लोग बैठे हैं कि छोटे–छोटे विवाद सरपंच साहब खत्म कर देते थे गांव में और एक प्रतिष्ठित आदमी का चयन हो जाता था जनता के द्वारा ऐसी संस्थाओं को मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आप इतनी जल्दीबाजी में एक संवैधानिक संस्था को एक संशोधन प्रस्ताव लाकर जो खत्म कर रहे हैं कि यह निष्क्रिय हो गयी है यह विकल्प नहीं होता है अगर सिक यूनिट होती है तो उसको जिन्दा करने के लिए कहीं न कहीं प्रोत्साहित किया जाता है अगर किन्हीं परिस्थितियों में न्याय पंचायत निष्क्रिय हैं क्योंकि आप देख रहे हैं मैं तो कह रहा हूं कि इसकी उपयोगिता आज है। आज जो इतना लिटिगेशन हो रहा है वादकारी को परेशानी हो रही है आज छोटे छोटे विवादों को आप सेन्ट्रलाइज करिये। और गांवस्तर पर जब सब कुछ विकास का पैसा ले जा रहे हैं तो उनको न्याय दिलाने का भी सिस्टम एक बना दें कि न्यायपंचायतों को हम सक्रिय करेंगे और सक्रिय करके इनके क्षेत्राधिकारों को बढ़ाने का हम काम करेंगे और यह संस्था रहनी चाहिए। संवैधानिक संस्था को इतनी जल्दी में आपने निर्णय ले लिया

कि निष्क्रिय संस्था है चल नहीं रही है इसलिए आप प्रस्ताव लाये हैं कि इसको खत्म कर दिया जाय। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा कि यह इतनी जल्दी में मत आइये कि इसको खत्म कर दिया जाय। मैं तो कह रहा हूं कि आप इसका परीक्षण करवा लें न्याय पंचायत का महत्व है और न्याय पंचायत के कार्यक्षेत्र को अगर बढ़ा देंगे तो मैं कह रहा हूं कि गांव में बहुत छोटे छोटे विवाद हल हो जायेंगे सुलभ न्याय मिलेगा सस्ता न्याय मिलेगा और इनको जो फौजदारी और दीवानी का अधिकार है उन अधिकारों का विधिवत पालन करेगी न्यायपंचायत। इसलिए मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि जल्दबाजी में मत आइये अगर निष्क्रिय को सक्रिय नहीं करेंगे तो बहुत चीजे निष्क्रिय हो गयी हैं आपके तमाम ऐसी संस्थायें हैं जो निष्क्रिय हो जाती हैं उसको सक्रिय करने के लिए सरकार प्रोत्साहित करती है, ऋण देती है उनको पैसा देती है। जैसे हमारा को–आपरेटिव था वह बैठ गयी थी लेकिन भारत सरकार ने कहीं इस तरह का कानून नहीं बनाया कि इसको खत्म कर दो बल्कि करोड़ों रुपया भारत सरकार ने देकर के ऐसी संस्थाओं का प्रोत्साहित किया है। तो आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसको प्रोत्साहित करने पर विचार करिये। संविधान की उस संस्था को, चाहे गांव पंचायत हो, न्याय पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत है उसी तरह से न्याय पंचायत को जिन्दा रहने दीजिये और इतनी जल्दबाजी में विधेयक संशोधन मत लाइये। बल्कि इसको विकसित करिये और इसका एक विकल्प है कि इसको आप प्रवर समिति को सौंप दें। यह प्रवर समिति को चला जाय, वहां इसका परीक्षण हो जाय और एक माह के अंदर समिति के सदस्यों की रिपोर्ट मंगा लें, हो सकता है कि समिति निर्णय ले। एक संवैधानिक संस्था को इतनी जल्दी में निष्क्रिय कहकर आप समाप्त करने जा रहे हैं, आज गांव में चर्चा हो गयी है कि न्याय पंचायत खत्म कर रहे हैं, यह गांव पंचायत भी खत्म कर देंगे। इसलिये माननीय मंत्री जी बहुत जल्दबाजी में इस प्रस्ताव को मत लाइये। मैं तो कहता हूं कि जनता के हित में, सुलभ न्याय, सस्ता न्याय और एक संवैधानिक संस्था की रक्षा के लिये आपको यह कह देना चाहिये कि मैं स्वीकार करता हूं कि इसको सक्रिय करने के लिये एक सक्षम मंत्री के रूप में मैं 5 साल के अंदर में दिखा दूंगा कि मैं न्याय पंचायतों को सक्रिय कर दिया हूं। इसलिये इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये आप समर्थन भी कर दीजिये। इससे पूरे प्रदेश की जनता आपका स्वागत भी करेगी कि माननीय पंचायती राज मंत्री ने इसको किया, इसलिये इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय और एक महीने में इसकी रिपोर्ट आ जायेगी। जल्दबाजी में एक संवैधानिक संस्था को खत्म न किया जाय। यह जनहित की है, यह लोकहित की है और संविधान के अनुच्छेद–243ख के आधार पर गठित संस्था है इसलिये इसको इतनी जल्दी में खत्म न किया जाय। इसलिये मैं बार–बार अनुरोध करूंगा कि आप प्रदेश के हित में, जनता के हित में, सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के हित में न्याय पंचायत अगर निष्क्रिय है तो उसको सक्रिय करने का काम करें और गहन विचार करने के लिये मैं फिर जोर देता हूं और इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब दोनों विचार आ गये हैं। माननीय मंत्री जी का विचार आ गया और माननीय राजभर जी का भी विचार आ गया। अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं, क्योंकि आगे और तमाम कार्य–सूची है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–23 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

[01:28]उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947 की धारा 2 का संशोधन

2–संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (क), (ग), (घ), (ट) तथा (ध) निकाल दिये जायेंगे।

धारा 5.क का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 5.क में, –

(क) खण्ड (ख) में, शब्द '' या किसी न्याय पंचायत'' निकाल दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ग) में, शब्द ''या न्याय पंचायत'' निकाल दिये जायेंगे ;

(ग) खण्ड (घ) में, शब्द ''या किसी न्याय पंचायत'' निकाल दिये जायेंगे।

ाारा 9.क का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 9.क में, शब्द '' या सम्बंधित न्याय पंचायत'' निकाल दिये जायेंगे।

धारा 11.घ का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 11.घ में, खण्ड (क) और (ग) में, शब्द ''और न्याय पंचायत का पंच'' तथा खण्ड (घ) में शब्द ''या न्याय पंचायत'' निकाल दिये जायेंगे।

धारा 11.ङ का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 11.ड. में, –

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''या न्याय पंचायत का पंच'' निकाल दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''यथास्थिति या न्याय पंचायत के

पंच'' निकाल दिये जायेंगे।

धारा 12.ग का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 12.ग में, उपधारा (1) में, शब्द ''जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति का भी निर्वाचन है जो धारा 43 के अधीन किसी न्याय पंचायत का पंच नियुक्त किया गया हो'' निकाल दिये जायेंगे।

धारा 12.घ का निकाला जाना

8–मूल अधिनियम की धारा 12.घ निकाल दी जायेगी।

धारा 14.क का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 14.क में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी :–

''(1) यदि कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में कार्य की समाप्ति पर ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख, धनराशि या अन्य सम्पत्ति अपने उत्तराधिकारी या नियत प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देने में, नियत प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किये जाने पर भी जान–बूझकर चूक करता है, तो वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।''

धारा 25 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (7) निकाल दी जायेगी।

धारा 25.क का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 25–क में, शब्द ''सम्बंधित ग्राम सभाओं और न्याय पंचायतों, जिसकी प्रादेशिक सीमाओं के भीतर ऐसी ग्राम पंचायतें स्थित हों'' के स्थान पर शब्द ''और सम्बंधित ग्राम सभाओं'' रख दिये जायेंगे।

12–मूल अधिनियम की धारा 27 में, शब्द ''प्रत्येक न्याय पंचायत का सरपंच, सहायक सरपंच या पंच, यथास्थिति, ग्राम सभा ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत के धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन के लिये अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन उसके ऐसा प्रधान, सदस्य, सरपंच, सहायक सरपंच या पंच की अवधि में उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हुआ हो'' के स्थान पर शब्द ''ग्राम पंचायत के धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन के लिये अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन उसके ऐसा प्रधान या सदस्य होने की अवधि में उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हुआ हो'' रख दिये जायेंगे।

धारा 27 का संशोधन

13–मूल अधिनियम की धारा 28 में, शब्द ''न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत'' के स्थान पर शब्द ''ग्राम पंचायत'' रख दिये जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन

14–मूल अधिनियम की धारा 39, निकाल दी जायेगी।

धारा 39 का निकाला जाना

15–मूल अधिनियम की धारा 40 में, शब्द ''और न्याय पंचायत'' निकाल दिये जायेंगे।

धारा 40 का संशोधन

16–मूल अधिनियम का अध्याय 6, जिसमें धारा 42 से धारा 94–क समाविष्ट है, निकाल दिया जायेगा।

अध्याय 6 का निकाला जाना

धारा 95 का संशोधन

17–मूल अधिनियम की धारा 95 में, उपधारा (1) में,–

(क) शब्द ''अथवा न्याय पंचायत'' या ''अथवा न्याय पंचायत'' जहां कहीं आये हों, निकाल दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (छ) में शब्द ''अथवा न्याय पंचायत के किसी पंच, सहायक सरपंच'' निकाल दिये जायेंगे।

धारा 100 का संशोधन

18–मूल अधिनियम की धारा 100 में, खण्ड (ख) निकाल दिया जायेगा।

धारा 106 का संशोधन

19–मूल अधिनियम की धारा 106 में, –

६

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द ''अथवा न्याय पंचायत के पदाधिकारियों व सेवकों'' निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (1) में शब्द ''अथवा न्याय पंचायत के'' और शब्द ''अथवा न्याय पंचायत'' निकाल दिये जायेंगे।

ाारा 107 का संशोधन

20–मूल अधिनियम की धारा 107 में, –

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द ''तथा न्याय पंचायत'' निकाल दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (1) निकाल दी जायेगी।

धारा 108 का संशोधन

21–मूल अधिनियम की धारा 108 में, शब्द ''तथा न्याय पंचायत'' निकाल दिये जायेंगे।

धारा 109 का संशोधन

22–मूल अधिनियम की धारा 109 में, शब्द ''किसी न्याय पंचायत के अधिकार– क्षेत्र के सम्बंध में'' निकाल दिये जायेंगे।

धारा 110 का संशोधन

23–मूल अधिनियम की धारा 110 में, उपधारा (2) में :–

(क) शब्द ''अथवा न्याय पंचायत'', ''और न्याय पंचायतों'', ''और न्याय पंचायत'' या ''न्याय पंचायत'' जहां कहीं आये हों, निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (2–छ), (25), (25–क), (25–ख), (26), (27), (28), (29), (30) निकाल दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 23 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधयेक, 2017 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[01:30] उत्तरप्रदेश के पूर्वांचल के अनेक जिलों में प्रचण्ड बाढ़ के उपरान्त भी राहत कार्य न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर डेढ़ घंटे की चर्चा

श्री अध्यक्ष–

बाढ़ पर चर्चा चल रही थी और इस पर अनेक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं लेकिन हमारे पास समय कम है और माननीय सिंचाई मंत्री को भी बोलना है। आप कुछ बोलना चाहते थे।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, बाढ़ का समय है और जुलाई, अगस्त, सितम्बर इन तीन महीने में बाढ़ के किनारे रहने वाले लोगों के लिए बहुत कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। जहां नदियां इस देश के लिए, प्रदेश के लिए, किसानों के लिए वरदान हैं, वह हमारे लिए उपयोगी भी हैं लेकिन इस तीन महीने में किसान और गांव के लोग बड़ी कठिनाई में आ जाते हैं। बलिया जनपद तो कम से कम हर साल बाढ़ से तबाह हो जाता है। बलिया के दक्षिणी हिस्से से गंगा जी आती हैं, उत्तरी हिस्से से सरयू जी जिसको ये लोग घाघरा नाम से बदल दिये हैं और बैरिया विधान सभा सुरेन्द्र जी के क्षेत्र में जय प्रकाश जी के घर के बगल में दोनों नदियां मिलती हैं और सोन भी आ करके लगभग वहीं मिल जाती है और उसका दबाव फिर पश्चिम की तरफ पड़ता है। हर साल सदन में बाढ़ पर चर्चा होती है, सरकार चाहे किसी की भी हो हमेशा कहती है कि हम इसको ठीक से संचालित करेंगे और सुविधा देंगे लेकिन इतने दिन के बावजूद जो वास्तविक चिन्ता है उस पर कभी काम अधिकारी लोग करते ही नहीं हैं। हर सरकार यह निर्देशित करती है कि मार्च, अप्रैल, मई तक अधिकांशतः जून तक बाढ़ के बचाव के लिए, कटान से बचाव के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएं लेकिन हमेशा तब काम होता है जब बाढ़ आ जाती है चाहे वह हमारी सरकार हो, आपकी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह होगा कि बाढ़ मंत्री जी हमारे ही जनपद के हैं सक्रिय हैं काफी मेहनत भी कर रही हैं मंत्री जी सिंचाई मंत्री हैं वह हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, अच्छे आदमी हैं, यह साल तो बीत गया लेकिन अगले साल से जो गांव कटने के करीब हों, बांध कटने के करीब हों तो काम जून के अन्त तक निश्चित रूप से पूरा करें क्योंकि जून में तो बाढ़ आने लगती है पानी बढ़ने लगता है। हमारे यहां मान्यता है कि दशहरा के दिन दस हाथ पानी बढ़ता है यह मान्यता है गांव के लोगों की। मेरे क्षेत्र का कुछ हिस्सा बैरिया विधान सभा क्षेत्र में कट करके गया है, हमारी सरकार भी थी, हम काफी दिलचस्पी ले रहे थे, सरकार भी दिलचस्पी ले रही थी लेकिन कम से कम आठ–दस गांव कट गये, पानी में विलीन हो गये लेकिन इतना काम हमने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस समय के मुख्यमंत्री मा0 मुलायम सिंह यादव जी से कह करके कराया और यह परम्परा सी बननी चाहिए, हमने मुआवजा दिलवाया था कि पक्का मकान गिरे तो पक्के मकान का मुआवजा, कच्चा मकान गिरे तो कच्चे मकान का मुआवजा, अगर झोपड़ी में कोई रहता है क्योंकि अधिकांश लोग झोपड़ी में भी रहते हैं, उसका मुआवजा दे करके पुनः उसको घर बनाने की व्यवस्था की जाए और कुछ लोगों को जमीन भी दिलवाया गया कि वह उस पर बस जाएं। एक बात मैंने और कही थी जब यह बांध बन रहे थे, चाहे टी0एस0 बंधा हो, चाहे गंगा के किनारे हो, तो उस समय तो हम लोग भी नहीं थे जब बांध बने। बार–बार इंजीनियर लोग, अधिकारी लोग इस बात को कहते हैं कि बांध और नदी के बीच में जो गांव हैं उसको बचाने की हमारी जिम्मेदार नहीं है हमारी जिम्मेदारी बांध बचाने की है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जब गांव ही नहीं रहेंगे, लोग ही नहीं रहेंगे तो निर्जीव वस्तु बांध को बचा करके आप करेंगे क्या। बचाना तो हमको मानव को है, बचाना हमको गरीब को है, किसान को है। तो अगर ऐसा कोई प्रतिबंध भी हो, चाहे किसी भी सरकार में हुई हो उसको अब तोड़ा जाए और गांव को बचाने पर सरकार पूरा ध्यान दे ताकि गांव कटे न।

जैसे मेरे क्षेत्र बांसडीह विधान सभा क्षेत्र में, मनियर ब्लाक में 04 गांव तीन साल से मैं बड़ी मेहनत करके, पानी में खड़ा हो करके बचवा रहा हूं। खर–पतवार और बांस की फट्टी और बोरी में मिट्टी डाल करके मैं खुद पानी में खड़ा रहता हूं। इस साल तो अभी इधर ही हूं, उधर नहीं गया। ये गॉव बचे हुए हैं किसी तरह से। लेकिन अगर एक भी चप्पा पानी में गिरा तो मकान गिरने शुरू हो जायेंगे। गंगा के किनारे मा0 सदस्य सुरेन्द्र सिंह के क्षेत्र में पिछली बार लगा कि बांध ही कट जायेगा, मेन बन्धा। साहब, जिस दिन गंगा जी वाला मेन बन्धा कट जायेगा और घाघरा वाला टी.एस. बंधा कट जाये उस दिन पूरा बलिया ही खत्म हो जायेगा। यह तो इस बार काफी मेहनत किये हैं, दौड़–धूप किये हैं, इतना तो हम लोगों से हो भी नहीं सकता, तब जाकर कुछ काम शुरू हुआ है। इन्जीनियर लोग दूसरे की बात मानते नहीं हैं। कल बहराइच या श्रावस्ती के कोई मा0 सदस्य बाढ़ पर बोले थे, बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी थी, आज वह दिखायी नहीं दे रहे हैं, सत्तापक्ष के ही हैं। श्रीमन्, जो गांव के लोग हैं, जो नदियों के किनारे रहते हैं उनको पानी के विषय में, कटाव के विषय में, कटान से कैसे बचा जाये, इसके विषय में काफी जानकारी रहती है। जैसे हमारे यहां के जो 8 गांव कट गये, 2003 से 2005 के बीच में, तो मेन नदी, उसकी छाया नदी जो गांव को काट रही थी, बीच में एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा जा रहा था, मैंने इंजीनियर लोगों से कहा कि आप इतना पैसा खर्च करने के बजाए केवल 500 मजदूर बुलाकर उस मिट्टी के टुकड़े को कटवा दीजिए, नहर बनवा दीजिए तो नदी मुड़ जायेगी और कटान रूक जायेगा। वह लोग कहे कि इससे नहीं रूकेगा, हम लोग इसको रोकेंगे। नहीं रूक पाया, गिर गया। माननीय मुख्यमंत्री जी उस बात को यहां पर कह रहे थे, उनको प्रेक्टिकल ज्ञान है। गांव के लोगों ने अपने श्रमदान से नदियों के बहाव को मोड़ा यह हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारे गांव के सामने नदी को मोड़ा गया। हमारा घर बिल्कुल नदी के किनारे है,

अंतिम घर है उत्तर प्रदेश का उसके बाद बिहार लग जाता है। जहां मैंने कहा कि नदियां हमारे लिए वरदान हैं, वहीं 03 महीने के लिए अभिशाप भी बन जाती हैं जनता के लिए। दियारे के किसान लोग काफी परेशानी में हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप मुख्य–मुख्य सुझाव दे दीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

सुझाव तो दे दे रहे हैं लेकिन एक मिनट और सुन लीजिए। एक बार पहले भी मैंने इस बात को कहा था कि नदी के किनारे रहने वाले लोग काफी कठिनाईयों में रहते हैं क्योंकि सरकरी ट्यूबवेल दियारे में लगते नहीं, नहर वहां है नहीं, इस समय बाढ़ खत्म कर देती है किसानों की सब्जी और उस समय सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होती। जब नदी हटती है तो अधिकांश हमारे खेतों में रेत जमा हो जाता है, किसान तो वहां बिल्कुल परेशान है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि चाहे जिस भी नदी के जो कछार या दियारा क्षेत्र हैं, नदियों के जो इलाके हैं उनको एक विकास परिषद बनाकर उस इलाके के किसान के विकास करने की योजना बनायी जाए जिससे वहां के किसानों को, गांव के लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ ही तय समय पर बाढ़ विरोधी, कटान विरोधी काम पहले कर दिया जाए जिससे गांव न गिरने पायें, गांव न डूबने पाये। अब तो श्रीमन्, कुछ कम हो गया है लेकिन जो मा0 सदस्य सुरेन्द्र जी का क्षेत्र है उसमें हम लोग देखे हैं कि मचान पर बैठकर लोग क्रिया–कर्म करते हैं। अब तो कुछ कम हो गया है। सबसे ज्यादा दोआबा का क्षेत्र हमारे यहां बाढ़ से डूब जाता है क्योंकि दोनों नदियां वहां पर मिल जाती हैं गंगा और घाघरा। तो इस पर सरकार सतक्र निगाह रखे। बाढ़ क्षेत्र के गांवों को कटने से बचाया जाय। मेरे चार गांव हैं मैंने एक दिन आपको नोट भी कराया था। हिलासगढ़ मनियर ब्लाक में है घाघरा के किनारे, ककड़घट्टा, नौकागांव और बुढ़ौली। यह एकदम गिरने की कगार पर है। तीन साल से बच रहे हैं उसको जरा दिखवा लीजयेगा। पूरे उत्तर प्रदेश का जहां भी गांव कटने वाले हों उन गांवों को बचाया जाय। जो लोग बाढ़ में घिरे हों उनको खाना, तेल, साबुन, नमक सारी चीजों की व्यवस्था की जाय और जो फसलों का नुकसान हो किसानों का, उसका मुआवजा दिया जाय। यहां तक अध्यक्ष जी, पता नहीं इस समय व्यवस्था है कि नहीं दोनों मंत्री जी जानते होंगें माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इतना तक किया था कि पक्का मकान गिरेगा तो पक्के मकान का मुआवजा, कच्चा मकान गिरेगा, कच्चे मकान का मुआवजा, झोपड़ी गिरेगी, झोपड़ी का मुआवजा और किसान का खेत गिरेगा तो उस खेत का भी मुआवजा सरकार देगी। हमने दिया अपने क्षेत्र में। अब पता नहीं यह व्यवस्था है कि नहीं हमने दिया था, अब पता नहीं यह व्यवस्था है कि नहीं। आप बताइयेगा कि है कि नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि आप नहीं दे रहे। मैं तो कह रहा

था कि यह व्यवस्था थी। तो वह व्यवस्था चालू रहनी चाहिए और किसी तरह से बाढ़ पीड़ित लोगों को कठिनाई नहीं आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सिंचाई मंत्री आप कहें। (कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर व्यवधान) अभी बजट पर चर्चा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलना है।

श्री सुरेन्द्र–

मान्यवर, हमको भी दो मिनट दे दीजिये। मैं भी बलिया से संबंधित हूं और विशेष संवेदनशील जगह है बैरिया, मेरा विधान सभा क्षेत्र। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मुझे भी सुन लें दो मिनट।

श्री अध्यक्ष–

कई माननीय सदस्यों के नाम मेरी सूची में हैं। माननीय मंत्री जी का उत्तर आ जाय।

'बाढ़ नियन्त्रण महिला कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती स्वाती सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, बाढ़ पर कल से ही चर्चा हो रही है। पक्ष ने भी अपनी बात रखी और विपक्ष ने भी अपनी बात रखी। और कई सवाल भी सामने आये हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि वर्तमान सरकार एक–एक सवाल का जवाब देने में सक्षम है। यह सही है कि नेपाल राष्ट्र से आने वाली नदियां शारदा, घाघरा, राप्ती, व गन्डक आदि में भारी मात्रा में जल आने से नदियों के किनारों के गांवों की आबादी और खेती की जमीन बाढ़ से प्रभावित हुई है। वर्तमान सरकार ने नदियों से कटान की रोकथाम और बाढ़ से प्रभावित लोगों को रेाहत पहुॅचाने के लिये प्रभावित व्यवस्था की है। शासन द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को कटान की रोकथाम व प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिये नाव और राहत सामग्री के वितरण के लिये प्रभावी निर्देश दिये गये हैं जिसका अनुपालन किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, कल कई सवाल भी सामने आये जिसमें से मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगी कि विपक्ष की तरफ से एक सवाल यह उठा था कि कई बॉध टूट गये हैं। मैं बताना चाहूंगी कि कई बांध नहीं, मात्र तीन बांध टूटे थे जिसमें से एक बलिया का बांध था, एक सिद्धार्थनगर का बांध था और एक गोण्डा का बांध था। मैं उनकी भी स्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी कि जनपद सिद्धार्थनगर में अशोक नगर बांध टूट गया था जिसकी लागत 1 करोड़ 41 लाख रुपये है, इस परियोजना पर राज्य आकस्मिकता निधि से 1.41 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा चुका है और बांध पूरी तरह से सुरक्षित है। अब मैं जनपद बलिया के बांध के बारे में बताना चाहूंगी कि डूबेछपरा टैहरी बांध टूट गया था इसकी लागत 29.35 करोड़ है इस परियोजना पर राज्य आकस्मिकता निधि से 14.12 करोड़ रुपये का आवंटन किया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा चुका है और यह बांध भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसके बाद एक और बांध गत वर्ष टूट गया था जो जनपद गोण्डा में है एलगिन चरसदी तटबंध की परियोजना इसकी लागत 97.35 करोड़ रुपये है। जी0एफ0सी0सी0 पटना एवं भारत सरकार की टी0ए0सी0 से माह मई 2017 में स्वीकृति हो चुका है। कार्य वर्षाकाल के उपरान्त कराये जायेंगे। इस परियोजना पर राज्य आकस्मिकता निधि से 20 करोड़ का आवंटन किया जा चुका है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि 20 वर्ष पहले प्रतिवर्ष औसत 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल बाढ़ से प्रभावित होता था जो अब घटकर लगभग 8 लाख हेक्टेयर हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बारे में मैं बताना चाहूंगी कि मैं स्वंय गई थी गोण्डा, निरीक्षण करने के लिये अभी 10 दिन पहले गई थी और मैने देखा है। चूंकि बांध तो टूट गया है उसका नया निर्माण नहीं हुआ है लेकिन जो बांध बचा है उसको बचाव कार्य पूरी तरीके से पूर्ण कर लिये गये हैं और बचे हुए बांध को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है और वह बांध कहीं से भी अब खराब नहीं होगा, जितना बांध है। दूसरा सवाल माननीय सदस्य आदरणीय लल्लू जी ने पूछा था, उन्होंने कल सदन में इस बाद का उल्लेख तो कर दिया कि उन्होंने ए0पी0 बांध के लिए धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन शायद वह यह उल्लेख करना भूल गए कि इसी महीने की 15 जुलाई को माननीय लल्लू जी अधिकारियों के साथ कुशीनगर के ए0पी0 बांध का निरीक्षण करने गये थे और वहां उन्हें कोई कमी नजर नहीं आई वह गांव वालों के साथ गए थे शायद इसका उल्लेख करना माननीय सदस्यगण भूल गए सदन में।एक चीज और बताना चाहूंगी हमारे माननीय सदस्य आदरणीय लल्लू जी ने यह भी नहीं बताया कि इस वर्ष 2017–18 में, चाहे लेखानुदान से चाहे राज्य आकस्मिकता निधि से, सबसे ज्यादा अगर कहीं वित्तीय स्वीकृति हुई है या आवंटन हुआ है तो वह कुशीनगर है कोई और नहीं है। इसका उल्लेख करना भूल गए। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमारे माननीय सदस्य सदन के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं लेकिन यह ऐसी सरकार नहीं है जो घर में बैठकर शासन चलाती है। इस सरकार के,एक–एक मंत्री, मैं बाढ़ की मंत्री हूं तो मैं वहां जाकर निरीक्षण करती हूं, हमारे सिंचाई मंत्री जी वहां जाकर निरीक्षण करते हैं,हमारे सिंचाई राज्य मंत्री जी जाकर निरीक्षण करते हैं,हमारे गिरीश जी जाकर निरीक्षण करते हैं, यहां तक कि जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं वह भी जाकर निरीक्षण करते हैं और हमारे अधिकारी भी निरीक्षण करते हैं। (मेजें थपथपाई)

यह वह सरकार है जहां मुख्य मंत्री जी और हर मंत्री यहां पर एक्टिव हैं और सब एक्टिव होकर काम कर रहे हैं तभी अधिकारी भी एक्टिव हैं।यह वह सरकार नहीं है कि मंत्री अपने घरों में बैठकर शासन चलाते हैं एक और सवाल उठा था श्राबस्ती का। यह कहा गया था कि श्राबस्ती के बारे में, कि सारी नदियां पहले नेपाल से श्राबस्ती में जाती है उसके बाद दूसरे जनपदों में जाती हैं। उन्होंने यह सवाल खड़े किए थे कि श्राबस्ती में कोई भी ऑफिस नहीं है जो बाढ़ से रिलेटिव हो। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि बाढ़ खण्ड श्राबस्ती में कार्यालय है, और सरयू नहर

खंड–6 भी कार्यालय श्राबस्ती में है तो माननीय सदस्य जिन्होंने सवाल उठाया था उनको यह अवगत करा रही हूं वहां पर आफिस है और इसकी जानकारी आपको मैंने दे दी है, माननीय सदन के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से, यह जरूर कहूंगी कि पहले पता करिए उसके बाद सदन में सवाल उठाईए। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो सवाल पूछे बलिया के बारे में, मैं अभी बता चुकी हूं कि बलिया का बांध बन चुका है सुरक्षित है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने यह बात बोली, मैं उसी क्षेत्र की हूं, यह भी आपको बताना चाहूंगी कि जिस द्आवा के आप हैं उसी द्आवा की मैं भी हूं मेरा मायका भी उसी द्आवा में है तो जो दर्द आपको है वही दर्द मुझे भी है।आप उसकी चिन्ता मत करिए, यह सरकार सिर्फ बलिया और द्आवा की चिन्ता नहीं करती है यह सरकार एक–एक क्षेत्र और एक–एक व्यक्ति की चिन्ता करती है। (मेजें थपथपाई गईं)

आपकी एक और चिन्ता थी, आपने कहा था कि बांध और नदियों के बीच में रहने वाले लोगों का क्या होगा,उनकी चिन्ता कौन करेगा,जब मुझसे यह सवाल किया गया था तो इसी सदन में, तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि बांध और नदी के बीच में जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध कराया जाएगा और सिर्फ प्रबन्ध ही नहीं कराया जाएगा उनको पूरी तरह से बचाकर हम लेकर आएंगे। मैं बताना चाहती हूं कि जिस जनपद गोण्डा में मैं गई थी वहां पर बांध टूट चुका है तो पानी कुछ घरों में आ गया था, गॉव में आ गया था, जब मैं गई थी यहां से दस दिन पहले, वहां के डी0एम0 ए0डी0एम0 पूरा प्रशासन इतना एक्टिव है कि वहां के लोगों को वहां से निकालकर, उनको सामग्री, उनकी जरूरत का जो सामान है चाहे खाद्य सामग्री हो, माचिस हो, नमक हो, जो प्लास्टिक है जो उनके टेण्ट बगैरह की जरूरत है वह सभी चीजें कर ली गई हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब इस प्रदेश की बागडोर संभाली थी तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने दस दिन के अन्दर कह दिया था कि जितने भी फ्लड सेंसिटिव जोन हैं वहां पर किसी भी तरह से जान और माल की हानि नहीं होने दी जाएगी। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से जो भी जनपद फ्लड सेंसटिव जोन हैं उसके लिए उन्होंने चिन्ता व्यक्त की थी कई बार उन्होंने इसकी बैठक ली मुझे माननीय सिंचाई मंत्री जी को और जितने भी कंसर्न मंत्री थे उन लोगों को यह आदेश दिया गया था कि आप हर तरीके से पूरा शासन प्रशासन चुस्त रहे लोगों की जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए मैं इस सदन के माध्यम से यह बताना चाहती हूं कि यह सरकार ऐसी सरकार नहीं है जो बाढ़ आने का इंतजार करती है यह सरकार ऐसी सरकार है जो बाढ़ आने के पहले ही अपना पूरा काम कर लेती है। जिस बांध की बात आप लोगों ने की है मैं यह बताना चाहूंगी कि जब यह तीनों बांध टूटे थे उसके बाद 6 महीने सरकार किसी और की थी उन 6 महीने में वह लोग बांध नहीं बना पाए लेकिन हमारी सरकार को बने हुए तीन महीने हुए और हमने बांध का निर्माण कर दिया। अध्यक्ष जी समय कम है चलते चलते मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि वहां पर लोगों के लिए कोई जगह चिन्हित की गई है कि नहीं उनकी खाद्य सामग्री के लिए योजनाएं बनी हैं कि नहीं पहले से तैयारी है कि नहीं वैक्सीनेशन के लिए तैयारी है कि नहीं इन

सारी तैयारियों के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी उत्तर प्रदेश में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बाढ़ प्रबन्धन की तैयारी को लेकर समीक्षा की गई जिसमें सभी जिलाधिकारियों, एस0डी0आर0एफ0 एवं एन0डी0आर0एफ0 के साथ वर्ष 2017 की बाढ़ पूर्व व दौरान वचाव व राहत कार्य को लेकर विचार–विमर्श किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रथम बार प्रभावित क्षेत्रों में कैपिसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाए गए जिसमें ग्रामीणों को बाढ़ के दौरान स्वयं के बचाव हादसे के दौरान किए जाने वाले प्राथमिक उपचार के विषय पर प्रशिक्षण दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रथम बार उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर एन0डी0आर0एफ0की पूर्व में तैनाती की गई मुख्यतः एन0डी0आर0एफ0की तैनाती बलिया, गोरखपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, महाराजगंज,इलाहाबाद, लखनऊ, गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी,सिद्धार्थनगर की गई। इसके अतिरिक्त चेन्नई से भी तीन टीमें बुलाई गई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के दौरान बचाव एवं राहत कार्यो के लिए माक ड्रिल का अभ्यास कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार बाढ़ के दौरान पशु आपदा शिविर स्थापित करके उनके चारे का प्रबन्धन व टीकारण के निर्देश दिए गए।

श्री अध्यक्ष–

अब आप संक्षिप्त करें।

श्रीमती स्वाती सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी दो मिनट। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर प्रथम बार सुदूर ग्रामीण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गतिशील चिकित्सा सेवा नावों के द्वारा देने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव सिंचाई सम्बंधित मंत्रियों एवं बाढ़ सम्बंधित अधिकारियों ने संभावित क्षेत्रों का एवं प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया एवं बेहतर प्रबन्धन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगी इस बार प्रदेश में 45 नियंत्रण कक्ष संचालित किए गए हैं जिसमें से एक इसी लखनऊ में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया है जहां पर सारी जानकारी हमें रोज के रोज मिलती है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने सजग हों, जिस प्रदेश के मुख्य मंत्री एक–एक व्यक्ति के बारे में सोचते हों मैं इस सदन को पूरा आश्वस्त कर सकती हूं इस प्रदेश की जनता को कि इस बार बाढ़ में फिलहाल अभी तो बाढ़ आई नहीं है अगर बाढ़ आ भी जाएगी तो किसी भी तरह से जन धन की हानि नहीं होगी बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

अब यह चर्चा समाप्त होती है।

माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। बहुत संक्षेप में ही कहिए।

सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक मंत्री) (श्री धर्मपाल सिंह)–

अध्यक्ष जी संक्षेप में ही बताएंगे। कल से बाढ़ की चर्चा पर पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने भाग लिया और अच्छे विचार आए सरकार अच्छी बातें मानने के लिए हमेशा तैयार है बाढ़ जैसे विषय पर जो सुझाव आए हैं माननीय सदस्यों के उन पर विभाग काम कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी मैं दो तीन बातें तुलनात्मक बताना चाहूंगा आज 15 जुलाई 2017 तक प्रदेश में 238 एम0एम0 बारिस हुई है। गत वर्ष 15 जुलाई 2016 तक प्रदेश में 230 एम0एम0 बारिस हुई थी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं 2016 में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे।

मा0 अध्यक्ष जी, नियम–56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को आपने स्वीकार किया और अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से उस पर विस्तार से चर्चा का समय भी बढ़ाया, जिससे अच्छे विचार भी आए। कहीं पर भी जनहानि नहीं हुयी है। हमारी मा0 बाढ़ राज्य मंत्री जी ने सारी चीजों को विस्तार से सदन के संज्ञान में ला दिया है। जो सुझाव आए हैं उन सुझावों को पहले ही अमल में लाया जा चुका है। वर्ष 2016 में जब बाढ़ आयी थी तो पूर्वांचल के कई जिलों को बाढ़ का सामना करना पड़ा था। 31 जनपदों में 22.36 लाख जनसंख्या बाढ़ से, जलाप्लावन से प्रभावित हुयी थी तथा 4.21 लाख हेक्टेयर बोया गया क्षेत्रफल प्रभावित हुआ था। जनपद गोण्डा में घाघरा नदी के बायें तट पर निर्मित एल्गिन चरसरी तटबंध बह गया। जनपद सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी पर असोगवां नौगवां बांध बह गया। जनपद बलिया जहां से मा0 नेता प्रतिपक्ष आते हैं जो मा0 मुख्यमंत्री जी के बारे में कह रहे थे, जनपद बलिया में गंगा नदी के बायें तट पर निर्मित हुआ दुबे छपरा टैगरई रिंग बांध टूट गया। यह वर्ष 2016 का एक दृश्य है। मा0 योगी आदित्यनाथ जी अब मुख्यमंत्री हैं। वर्ष 2016–17 में अभी कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, कहीं कोई जनहानि नहीं हुयी है, कोई धनहानि नहीं हुयी है। जब राजा सदाचारी होता है, न्यायकारी होता है तो प्रदेश में बरसात होती है, लेकिन जब राजा अत्याचारी और अन्यायी होता है तो बाढ़ आती है और सूखा पड़ता है। आज उत्तर प्रदेश का राजा न्यायकारी है और जहां से राजाओं का राज समाप्त होता है वहां से योगी राज प्रारम्भ होता है। यह जनता का सौभाग्य है। कल सुझाव आए थे कि बाढ़ आनी चाहिये। किसान भी चिन्ता करता है कि बाढ़ आवे तो किसान का उत्पादन बढ़ता है। पहले बाढ़ आती थी तो एक–दो दिन में ढल जाती थी। कल बात आई थी कि नदियों के बीच मकान बनाकर खड़े कर दिये गये हैं, शापिंग मॉल्स बन गये हैं। हम इस संबंध में प्रस्ताव भी लायेंगे। लोगों ने नदियों के किनारे पर और नदियों के बीच में घर बना लिये हैं जिसके कारण बाढ़ आती है। इतना ही नहीं, नदियों की शक्ल बिगाड़ने का काम किया है। अत्यधिक खनन करके नदियों को विकृत कर दिया, जिस कारण पानी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिये बाढ़ आने का मुख्य कारण नदियों की शक्ल बिगाड़ देना, अतिक्रमण और अतिखनन कर लेना है। मा0 सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप सरकार की योजना बता दीजिये।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूं। अभी हमारी मा0 राज्य मंत्री जी ने बताया कि इन सभी की मानीटरिंग के लिये हमनें प्रथम श्रेणी के, 'ए' श्रेणी के अधिकारियों को तैनात कर दिया है। हर रोज 2 बजे के बाद बाढ़ बुलेटिन जारी होगा कि किस नदी का स्तर किस तरीके का है, कौन नदी खतरे के स्तर पर है और कौन नदी सामान्य स्थिति में है। वास्तव में पूर्वांचल में जो नदियां बहती हैं, सिंचाई विभाग की यह नदियां अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय हैं। अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से कई नदियां नेपाल से निकलती हैं और अंतरराज्यीय दृष्टि से कई नदियां बिहार की ओर चली जाती हैं। हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी नेपाल में भी काम करते हैं और कभी–कभी बाढ़ का जो दृश्य आता है तो बैराज के सारे फाटक खोलने पड़ते हैं और यदि उनको न खोलें तो बहुत बड़े स्तर पर तबाही मच जायेगी, सारे बैराज टूट जायेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, अनुरक्षण के कार्य पूरे कर लिये गये हैं, कहीं पर कोई कमी नहीं रह गयी है। संवेदनशील स्थानों पर बाढ़ नाव इत्यादि का पूरा प्रबन्ध कर लिया गया है, बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गयी हैं। इस बार एन0डी0आर0एफ0, सभी जिलाधिकारी और सिंचाई विभाग के सभी अधिकारियों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर दिया गया है। 40 जिलों में स्थिति स्पष्ट करने के लिये निर्देशित कर दिया गया है। किसी को भी इस समय कोई छुट्टी नहीं दी जायेगी और हाई तकनीक का भी हम प्रयोग कर रहे हैं। कहीं पर ऐसी कोई स्थिति आ जाये तो हम आधुनिक प्रणाली का भी उपयोग करेंगे। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की योगी सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। बाढ़ से इस बार न जनहानि होगी और न धनहानि होगी। धन्यवाद।

[02:00] वित्तीय वर्ष (2017–2018) के आय व्ययक पर साधारण चर्चा

श्री अध्यक्ष–

अब वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक पर जो साधारण चर्चा जारी है, उस पर आते हैं। अब माननीय मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी आप बोलिये।

महिला कल्याण, परिवार कल्याण मन्त्री (श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक की साधारण चर्चा में बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मान्यवर, चार माह पूर्व प्रचण्ड बहुमत के साथ जनता का आर्शीवाद लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 325 सदस्यों के साथ सरकार में आई और पिछले चार दिनों से लगातार बजट पर चर्चा चल रही है। बजट की चर्चा में हमारे नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने अपने मत रखे और हर व्यक्ति यही पूछ रहा है, सरकार पर टिप्पणी कर रहा है कि आपने चार माह में क्या किया। आपने बर्बाद कर दिया, आपने कुछ नहीं किया। तो मैं सोच रही थी और मैंने इन सबके कार्यकाल के बारे में सोचा कि तीन बार ये पहले

सरकार बना चुके हैं। आप अपने पहले छह महीने याद करिये कि आप पहले छह माह में क्या करते रहे। अध्यक्ष जी मैं बताती हूं इन्होंने क्या किया। घरों की पुताई, सफाई, रंग–रोगन, जगह–जगह घूम–घूमकर ये अपना स्वागत कराते रहे। स्वागत भी साधारण स्वागत नहीं। एक मंत्री जी ट्रेन से प्लेटफार्म पर उतरे और घोड़े पर चढ़ गये। घोड़े पर चढ़कर पूरे शहर में घूम रहे थे। बैण्ड बाजा बजा रहे हैं, एक अन्य मंत्री जी के ट्रेन से उतरते ही रेलवे प्लेटफार्म पर गोलियां धड़–धड़ हवा में छोड़ना शुरू हो गई और जुलूस बैण्ड–बाजे के साथ शहर में घूमा। कई मंत्री तो नाचते गाते भी दिखे। रुपया फेंकते, न्यौछावर करते भी नजर आये। ऐसा–ऐसा स्वागत, ऐसा–ऐसा शो कि रोज शाम को टी0वी0 पर चर्चा इन्हीं लोगो की होती थी। फिर मैंने सोचा कि भई आखिर चार महीने में हम लोगों ने क्या किया। मैं बताती हूं कि चार महीने में हमने क्या किया हमारे मुख्य मंत्री जी ने चालीस दिन तक पूरे मंत्रिमण्डल को बैठाकर एक साथ हर विभाग की प्रस्तुति करवाई। छह से आठ घण्टे सारा मंत्रिमण्डल बैठकर एक–दूसरे के विभाग के कार्य व उसकी समस्याओं को समझता रहा। बारह बजे रात, एक बजे रात हम उठते थे।

(इस समय 02 बजकर 03 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए)

इन सभी मन्त्रियों व विधायकों ने पिछले चार महीनों में कितने ही जिलों का भ्रमण किया। अपने विभागों को स्ट्रीम–लाइन (सुयोजित) किया। अध्यक्ष जी बजट स्पीच में दो घण्टा नेता प्रतिपक्ष ने खूब झड़ी लगाई आरोपों की। ऐसा लगा कि हम लोगों ने सत्ता में आकर कोई गलती कर दी हो। मैंने फिर इनकी सरकार का पांचवा बजट उठाया, जो इन्होंने पिछले कार्यकाल में अंतिम वर्ष में प्रस्तुत किया था। उसका प्रारम्भ कैसे हुआ था सुन लीजिये। उस स्पीच में हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी बोले, ''जनता के लिए जिसके मन में प्यार नहीं है, जनतंत्र में वह कुर्सी का हकदार नहीं है।'' अब इसका बैरोमीटर कौन है ? बैरोमीटर कोई नेता या पार्टी और माफ कीजियेगा मैं और आप नहीं हो सकते। अध्यक्ष जी, बैरोमीटर जनता होती है जो तय करती है कि कौन नेता कैसा है, सरकार कैसी है। वो बैरोमीटर अगर हम लें तो थोड़ा मैंने उपरोक्त कथनी में परिवर्तन कर दिया है। मान्यवर, बोलना सही होगा ''जनता के मन में जिसके लिए प्यार और विश्वास नहीं है, वह सरकार बनाने का हकदार नहीं है।'' और यही हुआ। श्रीमन्, और यही हुआ। मान्यवर, आपने देखा नेता प्रतिपक्ष के भाषण के प्रथम 35 मिनट में आंकड़ों की बौछार हो गयी थी बोले हमने इतना किया आपने इतना किया। इतने आंकड़े बोले गये कि हम लोग कंफ्यूज हो गये। मा0 अध्यक्ष, जी हमने सोचा था कि एक और आंकड़ा आयेगा पर वह आया नहीं। मा0 अध्यक्ष जी, जो असली आंकड़ा था वह यह था कि पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ किया उसका प्रतिफल है कि वे 7 विधायकों के आंकड़े पर पहुंच गये, बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर वर्ष 2007 में आयी और वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर आयी और आज कहां पहुंच गये ? एक माचिस की डिब्बी में जितनी तीली होती हैं शायद उतनी संख्या आपकी हो गयी है और आप कहते हैं कि हमने आसमान में छेद कर दिया था। आप कहते हैं कि विकास की धारा बहा दी थी। अगर ऐसा होता तो जनता इतना कठोर परिणाम आपको नहीं देती। मान्यवर,

लोकतंत्र कैसे चलता है ? मान्यवर, विपक्ष बार–बार हमको यह याद दिला रहा है संसदीय परंपराओं की। हमको याद दिलाता है हमारे संविधान की। मा0 अध्यक्ष जी, संविधान चलता है संस्थाओं से। मान्यवर, संविधान चलता है लोकतांत्रिक संस्थाओं के बनने से और यह जो दोनों पार्टियां बैठी हैं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी इन दोनों ने पिछले पंद्रह साल जो सत्ता चलाई उसमें सारी संस्थाओं को चकनाचूर कर दिया। मान्यवर, लोकसेवा आयोग का क्या हुआ ? हमारी नौकरशाही का क्या हुआ ? जिसको हम कहते हैं कार्यपालिका इन्होंने हमारी कार्यपालिका को घुटने पर बैठा दिया। कानून की धज्जियां उड़ा दीं। मान्यवर, उन दिनों जो निर्णय कैबिनेट में हुए वे सारे निर्णय अलोकतांत्रिक हुआ करते थे। आपने सभी संस्थाओं का क्या किया ? सहकारिता विभाग में क्या हुआ ? क्या हुआ केंद्रीय योजनाओं का ? मनरेगा का क्या हुआ ? स्वास्थ्य मिशन का क्या हुआ ? मान्यवर, सिर्फ घोटाला ही घोटाला हुआ। मान्यवर, मेरा आरोप है किसी भी घोटाले में कायदे से एफ.आई.आर. तक नहीं की गयी। आप न्यायप्रियता की बात करते है। कानून की बात करते हैं। मैं आपके सामने खड़ी हूँ। एक दल की मैं प्रदेश अध्यक्ष थी। मेरा घर जलाया गया। तीन साल पहले उसकी रिपोर्ट आ गयी। उसकी एफ. आई.आर. नहीं की गयी एक दल की सरकार घर जलाती है तो दूसरी सरकार उन्हें बचाने का प्रयास करती है। यह मिलीभगत है। अब सब एक हो गये हैं। अध्यक्ष जी अब जनता इनको एक साथ निपटायेगी।

(मेजों की थपथपाहट)

मा0 अध्यक्ष जी, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद करने वाले लोग आज हमें लोकतंत्र समझा रहे हैं, संविधान समझा रहे हैं। मान्यवर, मुझे कष्ट होता है। हमें पुनर्निमाण करना होगा उन संस्थाओं का। उन व्यवस्थाओं का जो उ0प्र0 को महान बनाती थी। मान्यवर, बाईस करोड़ जनता को एक बार पुनः मजबूत करने की आवश्यकता है, और इस पर हम काम कर रहे हैं। मान्यवर, हमारी सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 के साथ आई। हमारी सरकार प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और सम्मान व अन्तोदय के सिद्धांत को लेकर आई है। ''सबका साथ, सबका विकास'' का सिद्धांत लेकर आई है। मान्यवर, हमारी सरकार भष्टाचार को बढ़ाने के लिए नहीं, अपराधियों के संरक्षण देने के लिए नहीं अपितु इन सबके सामने खड़े होकर इन सबको समाप्त करने के लिए आई है। मान्यवर, यहां सभी शेर बोलते हैं तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ले आऊँ।

शेर यूं है–''लाख दलदल हो पैर जमाये रखिये हाथ खाली ही सही ऊपर उठाये रखिये कौन कहता है कि छलनी में पानी रूक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बंनाये रखिये।'' हम पानी रोककर उत्तर प्रदेश में दिखायेंगे आपको। आपने कहा कि हमारी सरकार विकासशील नहीं है बजट बेकार है। छलावा है।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 मंत्री जी, अब समाप्त करें। अभी और लोग बोलने वाले हैं।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

मान्यवर, 36 हजार करोड़ रुपये की ऋणमाफी, आलू किसानों के लिए समर्थन मूल्य, गन्ना किसानों का नवासी प्रतिशत बकाया भुगतान करवाना, आर0टी0जी0एस0 द्वारा गेहूं खरीद का मूल्य किसानों को भुगतान करना, बुन्देलखण्ड की व्यवस्था, चार शुगर मिल्स को फिर शुरू करने का निर्णय लिया है, क्या यह छलावा है। 20 प्रतिशत अधिक विद्युत की व्यवस्था करना, 80 हजार किमी0 सड़कों को गड्ढामुक्त करना, 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस, स्वास्थ्य विभाग द्वारा पैरामडिकल, मेडिकल स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया खोलना, शिक्षा के लिए पहली बार जुलाई में युनीफार्म और बस्ते बांटने की प्रक्रिया शुरू करना, किताबें बांटना, एंटी भ–ूमाफिया स्क्वायड बनाकर हजारों हेक्टर जमीन को मुक्त कराना, 35,200 पुलिस में भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू करना। नमामि गंगे, स्वच्छ भारत अभियान को तीव्र गति से बढ़ाते हुए इसी साल 30 जनपदों को ओ0टी0एफ0 करने का लक्ष्य लाना। वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए साढ़े छः करोड़ वृक्षों का रोपण करना, स्वदेश और प्रसाद योजना के तहत हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं के माध्यम से पर्यटन के क्षेत्र में अग्रसर करना होना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलिकाप्टर सर्विस और वायु सेवा को इसी वर्ष प्रारम्भ करने के लिए कार्य करना। महिला सुरक्षा में 181 को 30 सीटर करना। 64 रेस्क्यू वाहन की व्यवस्था कर सभी 75 जनपदों में महिला सुरक्षा को बल देना....

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें। अभी और लोगों को बोलना है।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

बस समाप्त कर रही हूं। मान्यवर, अल्पसंख्यकों के लिए वजीफों हेतु बजट 537 करोड़ से बढ़ाकर 941.83 कर देना, मुस्लिम महिलाओं के लिए पहली बार हास्टल बनाने की सुविधा लाना, दिव्यांगों की पेंशन 300 से 500 कर देना। हाउसिंग का काम शुरू करना। नई औद्योगिक नीति, नई खनन नीति, नई ऊर्जा नीति और अब नई एक्साइज नीति, नई फेरी नीति लाना, डिजिटाइजेशन, कम्प्युटराजेशन को बढ़ावा देना आदि और अब चार महीने में क्या करें भाईयों बता दीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

हो गया बस, सब बता दिया आपने।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

पांच साल का काम तो पहले चार महीने में ही कर रहे हैं। राजकोषीय घाटे पर आ जाइये। मान्यवर, 2016–17 के बजट में राजकोषीय घाटा 4.04 प्रतिशत रखा गया और हमारे मा0 वित्त मंत्री जी ने उसको 2.97 प्रतिशत पर सीमित करने का आश्वासन प्रदेश को दिया है। अन्त में अध्यक्ष जी बताना चाहती हूं कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी की शताब्दी वर्ष को हम लोग गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। एक अंतिम शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी–'' नीव बिछा दी है, पत्थर लगा दी है, जिस दिन इमारत खड़ी कर दी उस दिन मंजिलें नहीं गिन पायेंगे आप।'' धन्यवाद।

मोहम्मद आजम खां–

एक मिनट शेर का जवाब सुन लें।

(माननीय अधिष्ठाता ने श्री गिरीश चन्द्र यादव को बोलने के लिए कहा और वह बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री मोहम्मद आजम खां–

एक शेर सुन लीजिए। मान्यवर, सारे भाषण में सबसे ज्यादा दर्द, माफ कीजिए, हमारी बहन हैं, हमारे साथ की, आपके वालिद साहब का एक बड़ा इतिहास रहा है, हम छात्र थे तब से उनके साथ रहे और उनको नेता मानते रहे। सबसे ज्यादा दर्द आपके घर के जलने का था, आपको कम था, हमें ज्यादा था।

''जलता था जो घर मेरा, कुछ लोग यह कहते थे,

क्या आग सुनहरी है, क्या आग सुहानी है।''

श्री अधिष्ठाता–

बहुत–बहुत धन्यवाद।

नगर विकास सहायता एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री गिरीश चन्द्र यादव)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मा0 आदित्य नाथ जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो 11 जुलाई, 2017 को बजट प्रस्तुत किया गया है, वह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसानों के हित में है, नौजवानों के हित में है, बेरोजगारों के हित में है, अनुसूचित जातियों के हित में है, पिछड़े वर्गों के हित में है, अल्पसंख्यकों के हित में है। यह बजट एक ऐतिहासिक बजट है। कुछ बातों का मैं दृष्टांत और उल्लेख करते हुए अपनी बात बताना चाहता हूं। जो लोग यह बात कहते थे कि धरती पुत्र, किसानों का बेटा, वह अखबारों में छपवाने का काम करते हैं। मान्यवर, इस बजट में हमारी सरकार ने 2017–18 में 36 हजार करोड़ रुपये का किसानों का ऋण माफ किया। सरकार ने लघु सीमांत कृषकों के ऋण माफ किये और उसके लिए बजट में प्राविधान किया गया है। अगर आपने सभी किसानों का ऋण माफ कर दिया होता तो यह 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था सरकार को क्यों करनी पड़ती? आप तो कहते है कि मैं किसान का बेटा हूं। मान्यवर, ऋण माफी से 86 हजार किसानों को लाभ मिला। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पहली बार किसानों के लिए 100 दिनों के अन्दर 36.99 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गयी जो पिछली बार से 4.5 गुना ज्यादा है और उस समय जो मण्डी समिति का एक अनुदान जो 3 रुपये थे, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने बढ़ा कर 10 रुपये करने का काम किया है, यह प्रदेश के किसानों के हित में फैसला सरकार ने किया है। बार–बार यह बात आती है कि गन्ना किसान–गन्ना किसान, गन्ना किसानों का भुगतान न होने के कारण गन्ना किसान आत्म हत्याएँ कर रहे थे, मुझे पार्टी की ओर से एक सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मैं इधर बिजनौर, सम्भल और बदायूँ के एरिया में गया हुआ था, तमाम विषय आए हुए थे, लेकिन पिछली सरकार ने गन्ना

किसानों के भुगतान पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं गन्ना मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने किसानों के प्रति, उनकी संवेदना और चिन्ता समझी और उन्होंने 22 हजार 682 करोड़ रुपये गन्ना किसानों का भुगतान 100 दिनों के अन्दर कर दिया। जो बात अभी कह रहे थे कि चीनी मिलें–चीनी मिलें, मान्यवर, चीनी मिलें तो आप लोग बेचने का काम कर रहे थे, बन्द करने का काम कर रहे थे। कुछ लोग इस बात का आश्वासन देकर सत्ता में आए थे कि जो चीनी मिलें बन्द हैं, बेंची गयी हैं, वह चालू करायेंगे, न तो वह चालू कराये और न ही जो बेंची गयी थी चीनी मिलें, उनको वापस लाए, उन्होंने कोई कार्यवाई नहीं की, लेकिन यह उत्तर प्रदेश की सरकार। गरीब किसान के प्रति समर्पित है, संकल्पित है, प्रतिबद्ध है, उनको निजात दिलाने के लिए 04 मिलें इसी वित्तीय वर्ष मे प्रारम्भ होने जा रही हैं, सरकार ने यह साहसिक निर्णय किया है। बिजली के क्षेत्र में मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि जब से मा0 योगी आदित्य नाथ की सरकार बनी है, हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने एक शेड्यूल जारी किया है कि मुख्यालय पर 24 घण्टे, तहसील स्तर पर 20 घण्टे और ग्रामीण अॅचल में 18 घण्टे बिजली दी जायेगी, यह व्यवस्था लागू कर दी और अभी तक की सरकारों में वी0आई0पी0 कल्चर था, मैं पूछना चाहता हूं पिछली सरकारों से कि क्या मैनपुरी, इटावा और सैफई के लोगों को बिजली की ज्यादा आवश्यकता थी और जिलों को आवश्यकता नहीं थी, यह भेद–भाव क्यों था। यह सामान्य नागरिक और जनता से जुड़ा हुआ सवाल था, बिजली गरीब हो, अमीर हो सबकी आवश्यकता की चीज थी इस पर ध्यान नहीं दिया और मैं योगी आदित्य नाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस वी0आई0पी0 कल्चर व्यवस्था को समाप्त कर दिया और पूरे प्रदेश को समान रूप से बिजली आपूर्ति करने का निर्देश जारी किया है इन सौ दिनों के कार्यकाल में। दूसरा उदाहरण अभी ट्रान्सफार्मर गांवों में जल जाते थे, शहरों में जल जाते थे तो लोग चन्दा लगाकर उस ट्रान्सफार्मर को बदलवाने का काम करते थे, लेकिन मा0 योगी आदित्य नाथ जी ने निर्णय किया, सरकार ने यह निर्णय किया कि वह ट्रान्सफार्मर एक टोलफ्री नम्बर सरकार ने जारी किया है 1912 जिस पर कम्प्लेण्ट कर देने पर अगर उसकी कम्प्लेण्ट दर्ज हो गई तो 24 घण्टे के अन्दर शहरों में और 48 घण्टे के अन्दर ग्रामीण अॅचलों में वह ट्रान्सफार्मर बदल दिये जायेंगे, यह सरकार ने करने का काम किया है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षेप करिये।

श्री गिरीश चन्द्र यादव–

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में, नेता प्रतिपक्ष जी चले गये, मैं जानना चाहता था कि आप बेसिक शिक्षा मंत्री थे, जब गांव का लड़का वह होमगार्ड जैसी ड्रेस आपने उपलब्ध कराई थी, वह भी एक ड्रेस, नंगे पांव बेचारा आता था और कान्वेण्ट स्कूल का विद्यार्थी निकलता था, तो उसके सिर झुक जाते थे, उसके अभिभावकों के सिर झुक जाते थे,

लेकिन ये गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार, अल्पसंख्यकों की सरकार 22 करोड़ जनता की सरकार ने यह निर्णय किया कि उन गरीबों को दो यूनिफार्म, जूता–मोजा और बैग भी दिलवाने का सरकार ने बजट में प्राविधान किया है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब आप समाप्त करें। अभी और लोग भी बोलने के लिए बैठे हुए हैं।

श्री गिरीश चन्द्र यादव–

मान्यवर, थोड़ा अवसर और दे दीजिए, अभी दो बिन्दु हैं। अभी आवास की बात हुई, बहुत खास विषय आया था आवास के लिए मैं पिछली सरकार से पूछना चाहता हूं, मंत्रिपरिषद् की बैठक जब चल रही थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अगर लोगों के आवास बन गये होते उत्तर प्रदेश सरकार से तो कई लाख लोगों के आवास बन गये होते, लेकिन उस सरकार ने एक भी प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित नहीं किया, गरीबों के प्रति घड़ियाली आंसू बहाने का सिर्फ काम करते थे और इन्होंने गरीबों के प्रति कोई काम नहीं किया। सड़क के मामले में मैं बताना चाहता हूं पूर्व की सरकार जब बनी थी तो एक बयान आया था लोकप्रिय मा0 मंत्री जी का कि 15 दिनों के अन्दर उत्तर प्रदेश की सड़के गड्ढा मुक्त हो जायेंगी, लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पांच साल बीत गये, पूरे प्रदेश की सड़के गड्ढा मुक्त नहीं हुईं, बल्कि गड्ढा युक्त हो गईं, लेकिन जब से मा0 योगी आदित्य नाथ जी की सरकार बनी और लोक निर्माण मंत्री मा0 केशव प्रसाद मौर्या जी ने निर्णय किया और ऐतिहासिक निर्णय किया कि पूरे प्रदेश में सड़कें 15 जून तक गड्ढा मुक्त होंगी और अभियान चला कर 72 हजार किलोमीटर सड़कें गड्ढ़ा मुक्त करने का काम सरकार ने किया है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें, अभी बहुत लोग बोलने को बाकी है, बहुत लम्बी लिस्ट है।

श्री गिरीश चन्द्र यादव–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, कुछ समय और दे दें, एक विषय और है, अभी बात आ रही थी मेडिकल के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में विपक्ष के लोग बड़े चिन्तित थे।...

माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी ने एडवान्स लाइफ सपोर्ट 150 एम्बुलेन्स व्यवस्था इन 100 दिनों के अन्दर उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया और जिसमें आदमी आई0सी0यू0 में हो जाता था, वह रिफर हो जाता था उसके इलाज के लिए बी0एच0यू0 और पी0जी0आई0 जाना पड़ता था जिला अस्पतालों में वह व्यवस्था नहीं थी लेकिन इन 100 दिनों के अन्दर 150 एडवान्स लाइफ सपोर्ट सरकार ने उपलब्ध कराई।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बस करें, बहुत लम्बी लिस्ट है सबको बोलने का मौका दें।

श्री गिरीश चन्द्र यादव–

मान्यवर, बस मैं अन्तिम बात कहना चाहता हूं, अन्तिम बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि दिव्यांग जनों की बात हो रही थी, पिछली सरकार थी, उसका नाम विकलांग विभाग था, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस विभाग का नाम बदलकर इन 100 दिनों के अन्दर दिव्यांग जन कल्याण विभाग किया और उनको जो पेंशन मिलती थी, वह 300 रुपये मिलती थी, इस सरकार के बजट में प्राविधान किया है उसको बढ़ाकर 500 रुपये किया है। मैं अन्तिम बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय यह जो बजट प्रस्तुत है यह उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता को समर्पित बजट है। गरीबों के कल्याण के लिए है और उनके उन्नयन के लिए है, उनके विकास के लिए है।

श्री पारस नाथ यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने 2017–18 के बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां दूध दही की नदिया बहा करती थीं जिसे देखने के लिए विदेशी चर्चा करते थे और विश्व बन्धुत्व का सपना देखता था। वह मुल्क गुलामियों की बेड़ियों से आर्थिक रूप से ही नहीं खोखला हुआ बल्कि इसकी संस्कृति और सभ्यता पर भी कुठाराघात हुआ। लेकिन हम नमन करते हैं उन मनीषियों और चिन्तकों को जिन्होंने आजादी के बाद इस मुल्क को चलाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पद्धति का दस्तावेज लिखा जिसे हम संविधान कहते हैं। संविधान निर्माताओं ने उस समय भी कहा था कि मुल्क को चलाने के लिए हमने तीन पिलर का इन्तेजाम किया है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका की जहां हमने एक योग्यता का पैमाना रखा है। दुख के साथ उस समय लोगों ने कहा था विधायिका के लिए कोई योग्यता का पैमाना हमने नहीं रखा। लेकिन काश उन मनीषियों की आत्मा में आज जरूर पीड़ा होती होगी जब संघीय ढ़ाचे की व्यवस्था के तहत देश की सबसे बड़ी पंचायत और गांव की पंचायत को एक साथ जोड़ने पर जो उन मनीषियों और चिन्तक जो आज हमारे आपके बीच में नही हैं। इतिहास पुरूष हो गये, उनकी आत्मा को पीड़ा होती होगी। बजट पर चर्चा हो रही है। मुझे कोई गुमान नहीं निवेदन के साथ बताना चाहता हूं मैं भी 7 बार इस विधानसभा में आया हूं और दो बार देश की बड़ी पार्लियामेन्ट में भी जा चुका हूं। लेकिन इस तरह की बहस और चर्चा के लिए मन्दिर नहीं बना था। इस मन्दिर में नये सम्मानित सदस्य सीखने की लालसा से आते हैं। हमारे पुराने सम्मानित सदस्य चाहे मंत्रिमण्डल में हो चाहे विपक्ष में बैठे हों उनके भी मन में कुछ कहने की बात होती है लेकिन कोई अन्तर नहीं रहता। गांव की भाषा में अगर हम कहे अधिष्ठाता महोदय तो अगर पक्ष का व्यक्ति बोलता है तो अपनी तारीफ अपनी पीठ थपथपाता है और विपक्ष का बोलता है तो एक दूसरे की आलोचना। एक हफते से बजट पर चर्चा हो रही है। किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए जो बजटीय व्यवस्था की जाती है।

....उस बजट की व्यवस्था में क्या गुण है, क्या दोष है, कितना खर्च होता है, कितना लेखा–जोखा होता है, उसको हम रख करके अगर उस पर बात करें तो अच्छा है। कुछ हमारे सम्मानित सदस्य यहां तक इस स्तर पर भाषण को लाए, मैं भाषणों को देख रहा था कि जिसको नहीं बोलना चाहिए यहां पर उपस्थित होंगे कि नहीं, मैं नहीं पहचानता। एक सम्मानित सदस्य सत्ता के गुमान में आकर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के नाम को लेकर यहां जिस तरीके से टिप्पणी की, वह निन्दा का विषय है बल्कि उनको यह सोचना चाहिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस पद को सुशोभित किया। हमको, उनको दोनों को और सदन के सम्मानित सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि बड़े भाग्य से आप यहां आए हैं और वह मुख्यमंत्री हुए। उनके नाम की टिप्पणी इस तरीके से घटिया किस्म की बात को सोच के करोगे कि उनका नाम कोई नहीं रखेगा। शायद हमको आपको इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मौका मिले तो शायद वह पद मिल सकता है। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं आप जिसके लिए पीठ थपथपाते हैं। आपके ही मंत्रि मण्डल का एक साथी पूर्वांचल का साथी नाम नहीं लेंगे, धरने पर उतारू हो गए एक जिलाधिकारी के स्थानान्तरण के लिए। आप काम कर रहे हो। अगर आप काम कर रहे हैं, घटनाएँ नहीं हो रही हैं। लॉ ऐण्ड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पर आप इतनी हथेड़ी बजा रहे हैं। जनता से जाकर हकीकत को पूछें। अभी हमारी बहन, जहां रहीं, वहां से कहीं दूसरी जगह चली गईं और जहां गईं वहां की पीठ थपथपा रही हैं और जिस तरीके से कह रही थीं कि हमने 4 महीने में इतना काम कर दिया। अच्छा है, काम की उम्मीद है, 22 करोड़ की जनता को ही नहीं, पक्ष और विपक्ष सबको। आप काम करें, हम स्वागत करेंगे लेकिन आरोप–प्रत्यारोप से इस सदन का जो समय है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बरबाद हो रहा है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, उस पर मुझे चिन्ता है और हर व्यक्ति को चिन्ता करनी चाहिए। जिस बात को लेकर के आप यहां पर आए हो क्योंकि पिछली पंक्ति में बैठे व्यक्ति के वोट से आए हो क्योंकि ये वह मुल्क है जिसमें गांधी जी ने कहा था कि जब तक रोटी, कपड़ा और मकान का इंतजाम नहीं होगा तब तक इस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। निचले पायदान पर, पिछली पंक्ति पर बैठने वाले व्यक्ति के होठों पर जब तक मुस्कान नहीं आएगी तब तक आजादी का असली मकसद पूरा नहीं होगा। मा0 वित्त मंत्री जी, बजट में न कटौती है, बड़ा प्रदेश है, आप बड़ा बजट लेकर आए हो, बड़ा काम करो क्योंकि पेट को रोटी चाहिए। **भूखे भजन न होंय गोपाला, यह लो अपनी कण्ठी माला।** पेट को रोटी चाहिए और रोटी का झगड़ा है। उसी गैर बराबरी के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप यहां विपक्ष की राजनीति में नेता विरोधी दल हो करके बातों को उठाते थे। मुझे अफसोस है कि आपका बजट भाषण देख करके, इतने घटिया शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारे नए लोग क्या उम्मीद करेंगे जो सीखने के लिए आए हैं। हम लोग भी सीखना चाहते हैं। आप लोगों से एक नसीहत चाहते हैं। मैं इसलिए इस बात को कहना चाह रहा हूं क्योंकि मेरे मन में दर्द है। **जाके पैर न फटी बेवाई, ऊ का जानै पीर पराई।** इस पीड़ा को लेकर आया हूं। गांव से निकला था, नहीं समझा था कि एम0एल0ए0, एम0पी0, मिनिस्टर बनूँगा। **हानि–लाभ, जीवन–मरण, जस–अपजस बिधि**

हाथ। गुमान मत करो, **आए हैं तो जाएँगे राजा, रंक, फकीर।** इस बजट पर जो चर्चा का विषय था उस पर अगर मैं एक दृष्टि डालूँ तो बड़ा बजट है, बड़ा काम होना चाहिए। बजट बहुत, धन बहुत लेकिन अगर उसका प्रबन्धन सही नहीं होगा।....

... मैनेजमेण्ट सही नहीं होगा तो कोई भी बजट बड़ा–से–बड़ा बजट हो उससे कोई काम नहीं हो सकता। अब अगर आप दिल पर हाथ रखकर देखें बहुत पैसे वाले भी बहुत काम नहीं कर सकते। इस बड़े बजट को लाने के बाद भी जिस तरीके से दिल पर हाथ रखकर आप इसको खर्च करने का मैनेजमेण्ट अगर सही नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से बजट आता रहेगा, जाता रहेगा और वह पिछली पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति यह महसूस करता रहेगा कि हमारे लिए जो लोग गए थे वह अपना काम कर गए, हमारे लिए क्या किया? इसलिए मेरा आपसे आग्रह है माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से सम्मानित सरकार के लोगों से कहना चाहूंगा कि आपका मैनेजमेण्ट क्या है, इस बजट में कहीं भी जिक्र नहीं है। लंबा–चौड़ा भाषण देकर, अधिकारियों को बगैर विश्वास में लिए आप काम करने की जो कोशिश कर रहे हैं। कानून–व्यवस्था में प्रतिदिन देख लीजिए आंकड़ा पेश हो चुका है, मैं आंकड़ों के जाल में और उस बाजीगरी में अपने को नहीं ले जाना चाहता। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जितना ही आप भाषण दे रहे हैं, उतनी ही वारदात और घटनाएँ बढ़ रहीं हैं, उतनी ही लूट–डकैती आज प्रत्येक दिन हो रहे हैं, हत्यायें हो रही हैं क्यों हो रही हैं? कौन–सी आपने जादूगरी चला दी है। हो सकता है कि योगी जी के मंत्रि–मण्डल में आने पर आप लोग यह महसूस करते होगे कि सब अपने आप हो जाएगा जादूगरी चल जाएगी। जादू की छड़ी लेकर आ गए हैं अरे धरातल पर देखिए। 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे बिजली की दुहाई दी जा रही है, गांव से आए हो मित्रों जरा गांव में जाकर पता कर लें 4 घंटे और 8 घंटे भी जो बिजली दी जा रही है उसमें आधे–आधे घंटे पर बिजली कट जाती है। बिजली आई और गई (सदस्यों के बीच में टोका–टाकी पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत हो जाएं। आप भी विचार रख रहे हैं और उधर से भी विचार आ रहे हैं।

श्री पारस नाथ यादव–

माननीय मैं कोई आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, न मैं ऐसी कोई बात बोल रहा हूं जिस पर आप नाखुशी जाहिर करते हो। मैंने यह निवेदन इसलिए किया कि सम्मानित हमारे सदस्यगण बड़े भाग्य से यहां आए हैं। हम लोग मिलकर कुछ करें ताकि आने वाले भविष्य में लोग हमें याद करेंगे। इतिहास उसी को याद करता है जो इतिहास बदलता है। अगर आप कुछ करेंगे तो ही आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण होगें। अगर आप कुछ नहीं करेंगे और इसी तरह से समय बीत जाएगा तो आने वाली पीढ़ी हमको और आपको गाली देगी। इसलिए मैं आपसे माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बजट की चर्चा में जो भी बातें हो रही हैं, वह इस संसदीय परम्पराओं से अलग हो रही हैं। अगर संसदीय परम्पराओं का पालन नहीं किया जाएगा तो उन आत्माओं को भी शांति

नहीं मिलेगी जो आज हमारे, आपके बीच में नहीं हैं इतिहास बन गए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि बजट का प्रबंधन इतना सही हो जो जनता की गाढ़ी कमाई का है, वह जनता के लिए उपलब्ध हो और जनता के हितों के लिए, रक्षा के लिए हो। बाढ़ का हाहाकार, अभी माननीय मंत्रिगण बहस कर रहे थे। मैं बहुत बोलता नहीं और न बहुत बोलूँगा लेकिन इतना निवेदन जरूर करूंगा अधिष्ठाता महोदय इस सदन के सम्मानित सदस्यों से कि आप जिनके लिए चुनकर आए हो, जिनके लिए कुछ करना चाह रहे हो, उनके लिए कुछ करो। हमने जो कुछ किया था उसकी आप आलोचना कर रहे हैं लेकिन हम तो शेर–शायरी नहीं जानते लेकिन कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं। एक व्यक्ति जब कह रहा था तो मैंने भी सुन लिया और मैंने भी उसको याद कर लिया किः–

''चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गईं होंगी,

यही इल्जाम लग रहा है मुझपर बेवफाई का,

मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने पॉवों से,

वहीं दावा करे इस चमन की रहनुमाई का।''

क्या कर रहे हो? इस तरीके से समाज को बांटने की कोशिश तथा गैर–बराबरी को और गैर–बराबरी में परिणित करने की कोशिश करते रहेगे तो निश्चित रूप से समाज का उद्धार नहीं होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बजट पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए और इन सम्मानित सदस्यों से मैं अनुरोध करते हुए कि जनता के लिए काम करें आपका इतिहास बनेगा, धन्यवाद।

'श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

आदरणीय अधिष्ठाता जी, वर्ष 2017–18 के आय–व्यय पर जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट रखा, नेता प्रतिपक्ष ने जो अपनी बात रखी, उससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। अधिष्ठाता जी, 1984 के बाद 2017 में इस सरकार को प्रचण्ड बहुमत मिला। जनता की इच्छाओं, आशाओं के अनुरूप यह सरकार अपना पहला बजट नहीं दे पाई। आपके जो लोक संकल्प पत्र में था कि लघु और सीमांत किसानों का फसलीकरण आप माफ करेंगे, पहली कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख तक का कर्जा आप माफ करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी की पिछली सरकार में जो 5 लाख किसान दुर्घटना बीमा था अगर आपने उसको बढ़वाने का काम किया होता तो निश्चित तौर पर हम इस बजट को सराहते। 5 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली घटना हुई है, हमारे सभी माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं, वह चाहे सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के हों, जून के महीने में जब किसी की बेटी की शादी थी, किसी के बेटे के शादी थी, किसी के भाई की शादी थी, भूमि विकास बैंक के द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में हजारों किसानों को जिला कारागार में अपराधियों के साथ 14 दिन तक निरूद्ध कर दिया गया। उनकी गलती यह थी कि अपनी खेती के लिए जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर्जा लिया था उसकी वापसी नहीं कर पाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस जून के महीने में कितने प्रमुख उद्योगपति जेल गए, कितने बड़े व्यवसायी जेल भेजे गए। एक लाख, डेढ़ लाख, दो लाख, ढाई लाख बहुत होगा तो किसान के ट्रैक्टर का कर्जा 5 लाख का होगा लेकिन किसानों को जेल की में अपराधियों के साथ रखा गया। मान्यवर, यह पहली बार हुआ। 2012 से 2017 तक कोई भी बकाया के चक्कर में किसान जेल नहीं भेजा गया। न किसी किसान का खेत नीलाम हुआ, न किसी किसान का ट्रैक्टर, इंजन तहसील तक खींच कर लाया गया। किसान की बात हो गयी, लोक संकल्प पत्र में आपने कहा था कि हम कन्याओं को कन्या विद्या धन देंगे, छात्रों को लैपटाप देंगे। आपके प्रथम बजट में न लैपटाप की व्यवस्था है, न कन्या विद्या धन की व्यवस्था है। आपने इंजीनियरिंग कालेज खोलने की बात कही थी, मेडिकल कालेज खोलने की बात कही थी जो पिछली सरकार के द्वारा मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज अर्द्धनिर्मित है उनको पूरा करने के लिए आप बजट नहीं दे पाए। पूरे प्रदेश में खनन पर बात हुई। निश्चित तौर पर अगर कहीं गलत हुआ तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। बालू, गिट्टी, मौरंग आज एक दुर्लभ चीज हो गयी है। अगर किसी को अपना मकान बनाना है, दुकान बनानी है तो उसे मौरंग नहीं मिल रही है, बालू नहीं मिल रही है और मिल रही तो जो ट्राली 2 हजार में है, वह 5 हजार में मिल रही है। बजट पर चर्चा हो रही थी, खनन का एक सवाल था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि 10 ट्राली अपने खेत से मिट्टी उठाकर के दूसरी जगह गिराने का अधिकार है।

जिसके पास खेत नहीं है, जो दुकानदार है, जो मजदूर है, जो भूमिहीन है, जो शिक्षक है, जो वकील है, जो व्यापारी है अगर उसे 10 ट्राली मिट्टी अपने दरवाजे पर पाटनी हो, अपने छप्पर के नीचे पाटनी हो, प्लीन्थ एरिए की जमीन तक पाटनी हो, वह मिट्टी कहां से लायेगा। माननीय अधिष्ठाता जी, यह बजट दिशाहीन है। इस बजट में मजदूर का, किसान का, अल्पसंख्यक का, पिछड़े वर्ग का और समाज के बहुत बड़े तबके का ध्यान नहीं रखा गया है। हमारे तमाम सदस्य इस हाउस में आए हैं, चुनाव में आपने भी तमाम वायदे किए होंगे कि वापस आता हूं नल लगवा दूंगा, आपको आवास दे दूंगा। प्रधानमंत्री आवास बी0पी0एल0 सूची के आधार पर मिल रहे हैं। जिन लोगों का बी0पी0एल0 सूची सर्वे 2011 में नाम छूट गया है उनको आवास देने की व्यवस्था आपने नहीं की। पिछली सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में उन लोगों का जिनका बी0पी0एल0 की सूची में नाम नहीं था लोहिया आवास योजना के अन्तर्गत उनको आच्छादित किया जाता था। अच्छा होता कि जो बी0पी0एल0 सूची में नहीं है और पात्र लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है उनके मकान के लिए भी इस बजट में कोई आच्छादन की व्यवस्था होती। मैं तो कहना चाहूंगा आपके जो पुराने साथी हों उनसे पूछ लीजिए पिछली सरकारों में माननीय विधायकों को नल मिला करते थे, रि–बोर हुआ करता था लेकिन अब एक नल आपको नहीं मिला, एक रि–बोर आपको नहीं मिला लोहिया आवास आप योजना को बदल दीजिए मुझे आपत्ति नहीं आप दीन दयाल जी के नाम पर किसी भी नाम पर दीजिए लेकिन आप किसी को आवास नहीं दे सकते हैं

आपकी क्षमता किसी को आवास देने की नहीं है, आपकी क्षमता किसी को नल देने की नहीं है। किसी को एक नल देने की हैसियत हम विधायकों की नहीं है। गिट्टी मॅहगी हो गयी, मौरंग मंहगी हो गयी, बालू मॅहगी हो गयी, लागत मंहगी हो गयी क्षेत्रीय विकास विभाग के बजट बढ़ावे की बात इस बजट में नहीं है और हमारे सत्ता दल के साथी जो व्यक्तिगत तौर पर मिलते हैं वह कहते हैं कि नल होता तो अच्छा होता, आवास होता तो अच्छा होता अब डर है पार्टी का कि कहीं सामूहिक रूप से ऐसा कह दे या हाउस में ऐसा बोल दें तो कहीं टिकट न कट जाय। साथियों, जनता ने हमको यहॉ भेजा है जनता की जनभावनाओं को, जनता की आशाओ और अपेक्षाओं के अनुरूप इस प्रदेश का समुचित विकास हो ऐसा इस बजट में कहीं नहीं प्रतीत होता है। न किसान का हित है, न मजदूर का हित है न व्यापारी का हित है। कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है निश्चित तौर पर यह बजट दिशाहीन है, यह सरकार का आइना नहीं है। नेता प्रतिपक्ष द्वारा बजट पर जो बात रखी गयी है मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद।

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज–

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपना दल एस से इलाहाबाद सोरांव से जीतकर आया हूं और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल का विधायक हूं और पहली बार विधान सभा में बोल रहा हूं इसलिए मैं अपने उद्‌बोधन से पहले खण्ड–खण्ड भारत को अखण्ड भारत बनाने वाले लौहपुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महराज, गूंगों को जुबान और भारत का संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कमेरों, पिछड़ों और दलितों को स्वभिमान की परिभाषा बताने वाले डॉ0 सोने लाल पटेल जी को शत–शत नमन करता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मंत्रिमण्डल के अथक प्रयासों से तैयार प्रदेश के इस बजट ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की गठबन्धन की यह सरकार सबका साथ, सबका विकास का यह नारा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं देती है बल्कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने का भी काम करती है। बदले की भावना और तुष्टिकरण की राजनीति से ऊपर उठकर तैयार हुई इस बजट में नमामि गंगे योजना के तहत मॉ गंगे को स्वच्छ बनाने की दिशा में उठाये गये ठोस कदम मानसरोवर यात्रियों के अनुदान राशि को 50 हजार से एक लाख रुपये कर देने से जहॉ हिन्दू समाज की भावनाओं को सम्मान दिया गया है दूसरी तरफ अल्पसंख्यक छात्र छात्राओ।को मिलने वाली छात्रवृत्ति की मद को 791 करोड़ 83 लाख और दूसरी मद में 150 करोड़ की व्यवस्था सुनिश्चित कर यह साबित कर दिया गया कि भाजपा अल्पसंख्यक समुदाय की शैक्षिक और धार्मिक विकास के प्रति भी गम्भीर है। अधिष्ठाता महोदय, सबका साथ सबका विकास के नारे का सम्मान करते हुये प्रदेश की 22 करोड़ जनता ने प्रदेश के सर्वागींण विकास की जिम्मेदारी हम विधायकगणों को दी है। प्रदेश के 403 विधान सभा क्षेत्रों में से 86 सुरक्षित सीटों से चुनकर आये विधायकों की जिम्मेदारी निचले तबके

दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति और भी बढ़ जाती है। जब तथाकथित दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक हितैषी दलों के विरूद्व भाजपा गठबंधन को प्रचंड बहुमत के साथ जनता इस सदन में भेजती है। मान्यवर, मैं भी 86 विधायकों में से एक हूं जो अनुसूचित जाति की सुरक्षित सीट से जीतकर आया हूं। मान्यवर, गरीबी में जन्म लिया हूं, उसी में पला बढ़ा हूं और इस सदन तक पहुॅचा हूं। गरीबी के दर्द को बहुत करीब से महसूस करता हूं। यहॉ तक पहुॅचने में मेरे लिये अगर कोई चीज सहायक हुयी है तो वह है शिक्षा। इसलिये मेरा मानना है कि जिस दिन समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुंच जायेगी उस दिन प्रदेश का विकास खुद–ब–खुद हो जायेगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी की बजट पुस्तिका के पेज नं0 29–30 पर उल्लिखित छात्र–छात्राओं के लिये स्कूल बैग आवंटन हेतु 100 करोड़, स्कूल ड्रेस के लिये 300 करोड़, पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु 123 करोड़ 96 लाख बजट का प्रावधान करना निसंदेह सराहनीय है। उससे भी ज्यादा प्रशंसनीय यह है कि प्रदेश सरकार अहिल्याबाई निशुल्क शिक्षा योजना के तहत सभी वर्गो की बेटियों को उच्च शिक्षा निशुल्क प्रदान करने के लिये 21.12 करोड़ रुपये के बजट को प्रस्तावित किया है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुरोध सहित अपनी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा परिषद् के जो स्कूल हैं, उसमें बच्चे जमीन पर बैठते हैं, उनके लिये बेंच की व्यवस्था की जाय। इसी बजट में पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना की मद में 142 करोड़ और दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिये 1061 करोड़ 32 लाख का बजट और अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिये 941.83 करोड़ का प्रावधान निसंदेह प्रशंसनीय है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहॉ पर मैं अनुरोध के साथ सुझाव देना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की भांति अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र–छात्राओं के लिये भी छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति की योजना में पर्याप्त बजट की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय। क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अनुसुचित जाति एवं जनजाति के बच्चे अन्य वर्गो के मुकाबले बहुत पिछड़े हैं। इसी क्रम में बजट भाषण के पेज नं0 24, 25 एवं 26 पर किसानों और गांव के विकास के लिये प्रस्तावित तमाम योजनायें निश्चित तौर पर गांव और किसानों के विकास के लिये सार्थक साबित होगीं। महोदय, जब किसानों की बात चली है तो यहॉ पर मैं सरकार का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र सोरांव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह अपना दल के संस्थापक कमेरों के मसीहा स्व0 डा0 सोनेलाल पटेल जी की कर्मभूमि रही है। बहन अनुप्रिया पटेल जी के आर्शीवाद से मैं उस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा हूं। यह क्षेत्र पूर्णतः कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, जहॉ के किसानों को साग–सब्जी, अनाज बेचने के लिये सोरांव से लगभग 40 से 50 किमी0 दूर मुंडेरा मंडी परिषद् जाना होता है। जबकि सोरांव विधान सभा क्षेत्र के शिवगढ़ में एक नवीन मंडी परिषद् पहले से प्रस्तावित है, परन्तु किन्हीं कारणों वश पिछली सरकारों ने उस नवीन मंडी परिषद् की स्थापना के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई। सरकार से मेरा अनुरोध है कि

सोरांव विधान सभा क्षेत्र में एक नवीन मंडी परिषद् की स्थापना के लिये भी बजट का प्रावधान किया जाय।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट भाषण के पेज नं0 46 एवं 47 पर औद्योगिक विकास एवं हथकरघा की मद में करोड़ों रुपये की योजनाओं का प्रावधान किया गया है साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2017–18 में वस्त्रोद्योग में 25 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है जो बेरोजगारी की समस्या से निपटने में सार्थक होगा। सरकार की यह मंशा कामयाब हो, इसकी शुभकामनायें देते हुये मै अनुरोध के साथ सुझाव देना चाहता हूं कि सोरांव विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मऊआइमा में स्थित दशकों से बंद पड़ी सरकारी कताई मिल खुलवाने की दिशा में भी ठोस कदम उठायें जायं और इसके लिये पर्याप्त बजट की व्यवस्था की जाय। इस मिल के बंद होने से लगभाग 4 हजार लोग बेरोजगार हो गये हैं ..

(इस समय 02 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

.... मान्यवर, बजट भाषण के पेज नम्बर 36–37 पर दुग्ध विकास और पशुपालन के सम्बन्ध में प्रस्तावित बजट सार्थक और सराहनीय है। मेरा सुझाव है कि ग्राम्य विकास के अन्तर्गत पेयजल की व्यवस्था के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी की टंकियों की स्थापना कराना सुनिश्चित किया जाए। मंहगाई के इस दौर में क्षेत्र के विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए विधायक निधि में प्रस्तावित बजट को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही साथ हर ग्रामीण विधान सभा में 5–5 सौ हैण्डपम्पों की व्यवस्था यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाए तथा गांव के विकास के प्रति राजनैतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही की भूमिका अदा कर रहे जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए भी बजट में मानदेय की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार से मा0 वित्त मंत्री के भाषण के पेज 20–21 पर उल्लिखित महिला कल्याण और बाल विकास के सन्दर्भ में कही गई बातें स्वस्थ समाज के लिए बेहद प्रासंगिक हैं। स्वस्थ समाज की स्थापना में अहम भूमिका निभा रही आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सेविका और आशाबहुओं के मानदेय को भी बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार–प्रसार की दिशा में सरकार के द्वारा उठाये जा रहे कदम सराहनीय हैं। अनुरोध सहित मेरा सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार–प्रसार की दिशा में कार्यरत् शिक्षा प्रेरकों के मानदेय को भी बढ़ाने की कृपा किया जाए। प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त अभियान के मद में प्रस्तावित बजट भी निःसंदेह सराहनीय है लेकिन उन कार्यों के मद का भुगतान ठेकेदारों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के भौतिक सत्यापन के बिना न किया जाए क्योंकि देखने को मिला है कि अफसर और ठेकेदार मिलीभगत से सरकार के इस अभियान में बेहद लापरवाही बरत रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सोरांव विधान सभा क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि राजनैतिक उदासीनता का शिकार रहा सोरांव आज भी सस्ते और सुलभ चिकित्सा सुविधाओं से बहुत दूर है। विशेष तौर पर सोरांव विधान सभा क्षेत्र में

अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों और जांचों की व्यवस्था कराना सुनिश्चित कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र में कम से कम पांच महानगरीय बस संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए। इसी प्रकार विद्युत आपूर्ति के लिए नये विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना और आजादी के बाद से आज तक विद्युतीकरण से दूर रहे सोरांव विधान सभा क्षेत्र में 45 प्रतिशत गांवो में शीघ्र–अतिशीघ्र विद्युतीकरण कराने की दिशा में ठोस कदम उठाये जाएं। मा0 अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र में भाजपा सरकार के छोटे से सहयोगी दल अपना दल एस के विधायक के तौर पर आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और अपनी वाणी को विराम देते हुए अपेक्षा करता हूं कि मेरे द्वारा किये गये अनुरोध और सुझाव को मा0 मुख्य मंत्री जी और मंत्रिमण्डल के मा0 सदस्यगण गम्भीरता से लेंगे और सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना के साथ प्रदेश के विकास का स्वर्णिम इतिहास रचेंगे।

श्री अध्यक्ष –

मा0 सदस्य आप समाप्त करें। मा0 सदस्य श्री राकेश सिंह जी आप प्रारम्भ करें।

'**श्री राकेश प्रताप सिंह** –

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपके प्रति सादर आभार व्यक्त करता हूं।

डा0 जमुना प्रसाद सरोज –

मान्यवर, एक शेर रह गया है उसे बोल लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष –

ठीक है।

डा0 जमुना प्रसाद सरोज –

मान्यवर, एक शेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

ना मस्जिदों की बात हो, ना शिवालयों की बात हो।

सबसे पहले गरीब जनता के निवालों की बात हो।

बहुत–बहुत धन्यवाद्।

श्री राकेश प्रताप सिंह –

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपके प्रति सादर आभार व्यक्त करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 वित्तमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए एक शायर की बहुत ही सुन्दर दो पंक्तियों का उल्लेख किया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे,

मुझे यकीं है कि पानी यहीं से निकलेगा।

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे आपको यह अवगत कराते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि पिछले चार महीने की लगभग यह सरकार हुई है। इनकी नीतियों और इनके बजट को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी एड़ियां रगड़ने से रेत से पानी तो नहीं निकलेगा लेकिन जनता का तेल जरूर निकल गया है। माननीय वित्त मंत्री जी आपके लोक कल्याण पत्र 2017 में अर्थव्यवस्था का मतलब न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, पीने का स्वच्छ पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा होनी चाहिए, ऐसा उल्लेख किया गया है। परन्तु माननीय वित्त मंत्री जी के बजट में रोटी, कपड़ा, मकान, पीने का स्वच्छ पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु कोई विशेष प्राविधान नहीं किया गया है। वर्तमान बजट में रोटी मंहगी और आम आदमी से दूर हो जायेगी। कपड़ा, मकान, शिक्षा, पानी एवं स्वास्थ्य के लिए बजट में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि वह आम आदमी को राहत प्रदान कर सके। अस्पतालों में आम आदमी को दवायें एवं जरूरी स्वास्थ्य सुविधायें नहीं मिल पायेंगी। माननीय अध्यक्ष जी, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपके और इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि स्वास्थ्य की व्यवस्था यह है कि मेरे क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ सोनू यादव का, वह बुरी तरह से जख्मी हुआ और वह मेड़िकल कॉलेज ट्रॉमा सेण्टर आता है और वहीं से उसको उतारा जाता है स्ट्रेचर पर रखा जाता है और वहीं से उसको बलरामपुर अस्पताल भेज दिया जाता है। बलरामपुर अस्पताल में वह भर्ती होता है, 24 घंटे तक वहां उसको रखा जाता है, 24 घंटे बाद फिर उसको मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया जाता है। मेडिकल कॉलेज में उसको बेड नहीं मिल पाता है, वह आदमी मायूस होकर सुल्तानपुर जाता है और उसका वहां हाथ कट जाता है। यह स्वास्थ्य की स्थिति है। उक्त बजट में सुरक्षा पर भी कोई अतिरिक्त प्राविधान नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश की कानून–व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, प्रदेश में चारों तरफ जंगलराज है। कल मेरी एक बहिन जो मंत्री हैं, उन्होंने बोलते हुए कहा, माननीय नेता विरोधी दल के छलवा शब्द पर टिप्पणी करते हुए कि छलवा नहीं, चारों तरफ जलवा है। मुझे खुशी होती अगर उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता का जलवा आज उत्तर प्रदेश में होता। मुझे खुशी होती अगर इनके मंत्रिमंडल का जलवा उत्तर प्रदेश में होता, मुझे खुशी होती मा0 मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश में जलवा होता, मुझे खुशी होती कि 325 विधायकों का उत्तर प्रदेश में जलवा होता।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिये।

श्री राकेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जलवा तो नहीं है इनके किसी भी व्यक्ति का, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में गुण्डे, माफिया, अराजकतत्वों का पूरी तरह से जलवा व्याप्त हो चुका है, यह सरकार के संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा। मा0

अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्जमाफी करने का वायदा करके यह सरकार पूर्ण बहुमत में आयी है परन्तु बजट में किसानों के साथ धोखा किया गया है। किसानों के पूर्ण कर्ज को माफ करने का वायदा किया गया था परन्तु अब किसानों में भी भेदभाव करके केवल लघु एवं सीमान्त किसानों का 31–03–2016 तक लिये गये फसली ऋण के सापेक्ष 31–03–2017 तक की अवशेष राशि में से केवल 01 लाख रुपये तक ही सरकार अदायगी करेगी यानी किसानों के साथ सरकार घोर छलावा कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

राकेश जी पांच मिनट हो गये हैं।

श्री राकेश प्रताप सिंह–

आज उत्तर प्रदेश का किसान अपने–आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसानों को मिलने वाले अनुदानित बीज पर भी सरकार द्वारा अनुदान समाप्त कर दिया गया है जिससे आज अन्नदाताओं के पास आत्महत्या जैसी स्थिति के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। उदाहरण के तौर पर एक तरफ जहां डीजल, पेट्रोल और शराब को जी0एस0टी0 से बाहर रखा जाता है, वहीं दूसरी तरफ यूरिया, डी0ए0पी0, पोटाश और किसानों द्वारा खेतों में प्रयोग की जानी वाली दवाईयों पर जी0एस0टी0 लगाकर किसानों की कैसी हमदर्द सरकार है, यह प्रमाणित हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, स्वच्छता के कार्यक्रम के माध्यम से यह सरकार 31 दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश के 31 जनपदों को व 02 अक्टूबर, 2018 तक पूरे उत्तर प्रदेश को ओ0डी0एफ0 यानी खुले में शौच मुक्त करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिये, यह लाइट जल रही है।

श्री राकेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। वर्तमान विधवा पेंशन 1000 करने का वायदा किया था लेकिन बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। गरीबों के लिए मात्र 335 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जबकि पिछली सरकार में 10346 करोड़ 30 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। समाजवादी पेंशन योजना के लिए 3327 करोड़ रुपये की व्यवस्था पिछली सरकार ने की थी जिसके सापेक्ष उत्तर प्रदेश के 55 लाख गरीब महिलाओं को पेंशन दी जाती थी और उनके परिवार के चेहरों पर मुस्कान और खुशहाली लाने का काम कर रही थी। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान सरकार ने अगले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की विकास दर को 10 प्रतिशत पहुंचाने का लक्ष्य रखा है जबकि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश जी की सरकार बनी थी तब उन्होंने उत्तर प्रदेश की विकास दर को साल दर साल बढ़ाने का काम किया था। उत्तर प्रदेश की विकास दर 2013 में 4.7 प्रतिशत थी, वर्ष 2014 में 4.75 प्रतिशत थी, वर्ष 2015 में 7.42 प्रतिशत हो गई थी, वर्ष 2016 में 7.56 प्रतिशत हो गई थी। माननीय अध्यक्ष जी, नोटबंदी के बाद भारत सरकार का आंकड़ा है कि दो प्रतिशत विकास दर घटी है आप बताइये कैसे यह पांच सालों मे

विकास दर को 10 प्रतिशत पहुंचायेंगें। मान्यवर, कहना तो बहुत कुछ था लेकिन मैं एक शेर कह कह अपनी बात को समाप्त कर दूंगा।

देखभाल कर करे सियासत ऊँचे मकसद वाले लोग

आओ हम सब गले मिलें इस साजिश को नाकाम करें।

मेरे सामने ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं मैं दो तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें। उपेन्द्र जी, आप कहें।

श्री राकेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, कहा गया कि 48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। घंटों और मिनटों के आंकड़े में आपने सदन को बहुत अच्छा समझा दिया था।

श्री अध्यक्ष–

आपका शेर हो गया, आपने कहा था कि शेर कहकर समाप्त दूँगा।

श्री राकेश प्रताप सिंह–

ग्राम मूँगीं में पिछले 10 दिन से हमारी विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज है उस विधान सभा में 25 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर पिछले 15 दिन से जला है।

श्री अध्यक्ष–

यह आप लिखकर दे दीजियेगा। माननीय राकेश जी स्थान ग्रहण करिये। मैंने उपेन्द्र जी को बुला लिया है।

जल सम्पूर्ति, भूमि विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री उपेन्द्र तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2017–2018 के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री जी को अपनी तरफ से जो आपने बजट प्रस्तुत किया, मैं कह सकता हूं कि आजादी के 70 साल के इतिहास में इतना बढ़िया बजट आज तक कभी नहीं पेश किया गया था। उत्तर प्रदेश के गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान महिलाओं और साथ–साथ उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में जो बजट है, इसके लिये मैं अपने बड़े भाई राजेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से अपने मित्र भाइयों को बताना चाहता हूं। भोजपुरी में एक कहावत कही गई है।

'कि सूप हॅसें तो हॅसे चालन के ना हॅसे के चाहि जाहे मा बहत्तर छेद'

यह लोग लगातार पन्द्रह वर्षों से इस उत्तर प्रदेश की विधान सभा में बजट प्रस्तुत करते हुए चले आ रहे हैं लेकिन अगर इनका बजट ठीक होता, अगर उत्तर प्रदेश की जनता के हित में होता तो शायद हमारी समझ से आज इन लोगों को यहां पर बैठने की

जरूरत नहीं पड़ी होती और आज इनको बार बार आरोप नहीं लगाना पड़ता(सत्ता पक्ष से मेजो की थपथपाहट) और इसलिये माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं कि पिछले सरकार के सबसे ज्वलन्त जो सबसे ड्रीम्ड प्रोजेक्ट इनका था जो पूरे पांच साल का, वह था समाजवादी पेंशन। जिसको ले करके इन्होंने ढ़िंढोरा पीटा और मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि अगर समाजवादी पेंशन उत्तर प्रदेश में जांच करा लिया जाय तो उत्तर प्रदेश की एक किसी भी गरीब जनता को नहीं मिला होगा। या तो इसका लाभ इन लोगों ने लिया है या फिर इनके साथ रहने वाले लोगों ने लिया है जिन्होंने समाजवादी पेंशन के नाम पर जो धन है उसको लूटने का काम किया गया है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश ही नहीं हिन्दुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, जिन्होंने आप लोग भी जाते होंगें गांव देहात में, हम सब लोग भी जाते हैं गांव देहात में। निरीह कमजोर लोग जिनको खाने के लिये भोजन नहीं, सोने के लिये बिस्तर नहीं, पहनने के लिये कपड़ा नहीं वह लोग कहते थे कि मेरी पेंशन बना दी जाय। व्यवस्था थी कि जिसका नाम बी0पी0एल0 सूची में होगा। अगर एक बी0पी0एल0 सूची धारक अगर मरता था तो उसकी जगह में उस गांव के दूसरे व्यक्ति को एड किया जाता था। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को अगर किसी ने समझने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने किया, और इस वी0पी0एल सूची की क्राइटेरिया को खत्म किया और ऑन लाइन पेंशन देने की व्यवस्था को शुरू किया, साठ साल से ऊपर की उम्र का जो व्यक्ति होगा जो आय प्रमाण–पत्र 19 हजार का होता था, उसकी क्राइटेरिया 46 हजार 80 रुपये देहात के लिए, शहरों के लिए 56 हजार 80 रुपया, ऑन लाइन पेंशन देने की व्यवस्था चाहे जितना लोग ले सके। माननीय रामगोविन्द चौधरी जी,हम लोगों के बड़े भाई हैं उस समय समाज कल्याण मंत्री थे, यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2016 को लागू हो गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था को 16 मई 2016 को लागू किया गया। लेकिन इसको धरातल पर इसलिए नहीं उतारा गया जिस समाजवादी पेंशन की चर्चा थी जो समाजवादी पेंशन उत्तर प्रदेश के गरीबों को नहीं दिया गया होगा,उससे ज्यादा पैसा फिल्मी दुनिया की हीरोइन विद्या वालेन को समाजवादी पेंशन के प्रचार प्रसार में दिया गया था। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी,इधर काफी दिनों से हम सुन रहे हैं कि पूर्व की सरकार किसानों की मसीहा रही है,किसानों की हितैषी रही है,नेता जी ने यह किया, नेता जी ने वो किया,पता नहीं किसानों का कितना कर्जा माफ किया उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं हमारी भाषा रामगोविन्द भइया समझेंगे क्योंकि हम लोग पुरविया लोग हैं बलिया वाले लोग, एक कहावत है कि– रात भर सोहर गवाई कि लड़का हुआ है और जब सुबह देखा गया तो कुछ था ही नहीं, यही हाल यहां सब वा, आज लगातार 15 वर्षों से लगातार पांच वर्षों से नेताजी का नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने यह कर्जा माफ कर दिया। अखिलेश यादव जी ने कर्जा माफ किया पूरे प्रदेश में इन लोगों ने साइकिल चलाकर कर्जा माफी की घोषणा किया था,लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कितने किसानों का खाता,भूमि विकास बैंक में निहित है,सिर्फ इन्होंने भूमि विकास बैंक के किसानों का खाता जो था और यह

पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि भूमि विकास बैंक में खाता किन लोगों का है। जो इटावा, मैनपुरी , कन्नौज में रहने वाले लोग हैं व्यक्तिगत संस्था चलाते हैं उन्हीं लोगों का खाता था और पिछली सरकार में वैसे ही लोगों का कर्जा माफ करने का काम किया था। (मेजें थपथपाईं)मैं धन्यवाद् देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को, जिन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकार बना दीजिए और जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और आजादी के सत्तर साल के इतिहास में मैं कह सकता हूं कि इतना बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश ही नहीं हिन्दुस्तान के किसी कोने की सरकार ने नहीं लिया होगा। जो 36 हजार करोड़ रुपया 86 लाख लोगों का कर्जा माफी करने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी और योगी जी ने किया है।इसी लिए माननीय अध्यक्ष जी अभी बिजली के सवाल पर हमारे भाई राकेश जी चर्चा कर रहे थे बड़े भाई रामगोविन्द चौधरी जी बलिया के रहने वाले हैं। बलिया की धरती पर पैदा होने का हम लोगों को नाज है और इस बात को पहले भी विपक्ष के रूप में मैंने उठाया था इसलिए कि बलिया की धरती मुनि बलेश्वर कागा की धरती रही है। यह चित्तू पाण्डेय मंगल पाण्डेय की धरती रही है।लोकनायक जय प्रकाश नारायण से लेकर जनेश्वर मिश्रा और चन्द्रशेखर की धरती रही है पिछली सरकार में 6–6 मंत्री बलिया जनपद के थे और उत्तर प्रदेश के कितने जनपदो में 24 घंटा बिजली मिलती थी? केवल पांच जनपदों में, कौन–कौन से जनपदों में इटावा,कन्नौज,रामपुर,मैनपुरी और आजमगढ़ मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इन जनपदों का कौन सा इतिहास रहा है,कौन से स्वर्णाक्षरों में अंकित है और अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के अगर किसी भी संसाधन पर पहला हक है तो वह बलिया जनपद वासियों का है, लेकिन वह पिछली सरकारों ने नहीं किया मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को,माननीय अपने ऊर्जा मंत्री जी को जिन्होंने बलिया जनपद में ही नहीं,वी0आई0पी0 कल्चर में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी महानगरों और जिला मुख्यालयों को 24 घंटा, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटा और ग्रामीण अंचलों में 18 घंटे बिजली देने की व्यवस्था सुनिश्चित किया है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी थोड़ा सा संरक्षण चाहता हूं स्वास्थ्य के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि तमाम हमारे मित्रों ने कहा, बलिया के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं पिछली सरकार में ट्रामा के नाम पर बहुत ड्रामा हुआ। पूरे प्रदेश में मैंने देखा जो ट्रामा सेन्टर बनने के नाम पर जो ड्रामा इस सदन के दो मंत्रियों ने किया था हमारे रामगोविन्द भइया भी भीष्म पितामह की भूमिका में मूकदर्शक थे मैंने कई बार कहा, कि बलिया जल रहा है बलिया का चीर हरण हो रहा है लूट और भ्रष्टाचार हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री

जी को भी अवगत कराया था लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी को, जिनको हारने के बाद मंत्री बनाया था उन्हीं को बर्खास्त करना पड़ा। और जो सदन के दो लोग थे पिछली बार बलिया जनपद को ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किए आज उन लोगों को भी छोड़कर दूसरी तरफ चले आए हैं। इसके बारे में भी सोचना होगा।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

अध्यक्ष जी सड़क के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। पूर्व के हमारे लोक निर्माण मंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की जिस सड़क में गड्ढा होगा वहां के एक्सिएन को जे0सी0बी0 मशीन लगाकर उस गड्ढे में खुदवाकर डालने का काम करूंगा माननीय अध्यक्ष जी उदाहरण के तौर पर हूं बड़े भाई माननीय राम गोबिन्द चौधरी जी भी गवाह हैं कि पहला उत्तर प्रदेश का विधायक मैं रहा हूंगा कि सर पर खाची लेकर अपनी आठ सड़कों को बनाने का काम किया। इसीलिए हम लोगों की सरकार ने किया कि ऐसी नसीहत इस सदन के किसी अन्य व्यक्ति को न हो इसलिए माननीय योगी जी और माननीय केशव मौर्य जी के नेतृत्व में गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान 15 जून के पहले ले लिया गया था वह काम इस सरकार ने पूरा किया है। अध्यक्ष जी मैं थोड़ा सा संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें। मैंने दूसरे सदस्य को बुला लिया है।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

कानून व्यवस्था के नाम पर मैं कहना चाहता हूं जिस राज्य में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक जिस राज्य में सी0ओ0 से लेकर कप्तान तक सुरक्षित न हो सरेआम हत्या की जा रही हो जिस राज्य में आम जनता से लेकर विधायक सांसद और मंत्री तक सुरक्षित न हो सरेआम गोलियां चलाई जा रही हों सी0ओ0 को हजरतगंज थाने से बोनट पर घसीटते हुए हजरतगंज चौराहे पर लाया जा रहा हो आज वह लोग भी कानून के राज की बात करते हैं मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस सदन में बैठने वाला व्यक्ति या उत्तर प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति माननीय योगी जी ने स्पष्ट कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून अपने हाथ में लेने वाले व्यक्ति की जगह उत्तर प्रदेश में नहीं होगी कानून का राज स्थापित होगा। माननीय अध्यक्ष जी बेसिक शिक्षा के बारे में हमारे गिरीश भाई कह रहे थे हम जानते हैं कि हमारे बड़े भाई राम गोबिन्द जी के यहां फैसला नहीं होता था यह बेसिक शिक्षा मंत्री थे लेकिन जरूर सरकार के लोगों ने फैसला करा दिया होगा क्योंकि बच्चों को पहनने वाली ड्रेस होमगार्ड की तरह करने का फैसला इनका नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष जी मानसिकता से माहौल बनता है जो पिछली सरकार में होमगार्ड की ड्रेस पहनाकर बच्चों का भविष्य बनाने की बात करते थे आज

आप देख रहे होंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में कान्वेंट की तुलना करके ड्रेस दी गई। अन्त में श्री चन्द्रशेखर जी के नाम पर बलिया में विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा पिछली सरकार में की गई थी।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

आजमगढ़ के अन्दर भी अस्पताल की बात चल रही थी मैं कहना चाहता हूं समाजवादी सरकार ने विवाद देने का काम किया है ट्रस्ट की जमीन पर चन्द्रशेखर जी के नाम पर विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा हुई थी लेकिन उसको मूर्त रूप देने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने किया है इसके लिए पांच करोड़ रुपया रिलीज किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

'**श्री प्रेम सागर पटेल–**

माननीय अध्यक्ष जी सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं पूर्वांचल राज्य के एक छोटे से जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां से जीतकर आया हूं जो भारत और नेपाल के बार्डर पर स्थित है। महोदय मैं जहां से जीता हूं वहां भूख और गरीबी नंगी आंखों से देखी जा सकती है। महोदय, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जनमत दिया तब उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण थी गरीबों और पिछड़े समाज में अपने हमदर्द के रूप में हमें देखा था और आज जब माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया तो साफ दिखाई देता है कि सरकार की निगाह सूबे के उस समाज पर रही है जिसे विकास की दौड़ में कहीं पीछे छोड़ दिया गया था मुझे यह कहने में गर्व है कि इस बजट में उनका ध्यान रखा गया है जिन्होंने हमें अपना विश्वास दिया वह किसान जो अपनी हड्डी और खून से जमीन को सींचता है और हमारे लिए अनाज उगाता है वह दिव्यांगजन जो अपनी पूरी ताकत से प्रदेश के विकास में वही भूमिका निभाता है जो हर सामान्य जन निभाता है किसानों की कर्जमाफी का फैसला इस सरकार के लिए आसान नहीं था मान्यवर, इससे खजाने की सेहत बिगड़ सकती थी मगर यह सरकार की सोच और विश्वास था जिसने न सिर्फ 36 हजार करोड़ की व्यवस्था कर दी बल्कि विकास के किसी भी काम से समझौता होने नहीं दिया साथ ही साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर 968 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए इसके लिए माननीय योगी जी की सरकार को निश्चित ही धन्यवाद देना चाहिए। पूर्वांचल का वह गन्ना किसान जो साल भर मेहनत करके हमारे लिये मीठा बनाता है, वह धार्मिक व्यक्ति जो भगवान की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आराधना करते हुये सच्चे मन से प्रदेश के विकास में अपना योगदान देता है, उन सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। महोदय, गन्ना किसानों का दर्द किसी से छिपा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इस पर खूब राजनीति की मगर गोरखपुर और बस्ती मण्डल की बदहाल चीनी मिलों की सुध नहीं ली। बसपा सरकार में चीनी मिलों को बेचने का ही टेण्डर कर दिया गया। इस सरकार ने मुंडेरवा और पिपराईच चीनी मिलों को जिंदा करने के लिये जो कदम उठाया है उससे पूर्वांचल के लाखों गन्ना किसानों की जिन्दगी बदल जायेगी।

मान्यवर, मैं बीते दो दिनों तक अपने क्षेत्र में था, मैंने गन्ना किसानों की आंखों में एक बार फिर चमक देखी, एक सुनहरे भविष्य का सपना उनकी उदास आंखों में एक बार फिर पलने लगा है। किसी भी सरकार के लिये इससे ज्यादा संतोष की और क्या बात होगी। सरकारी स्कूलों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। गांव के गरीब को अच्छी शिक्षा मिले, साथ ही साथ उन बच्चों को अपने स्कूल में जाने की खुशी भी हो, इसीलिये बेसिक शिक्षा परिषद् के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को एक जोड़ी जूता, एक जोड़ी मोजा, एक स्वेटर उपलब्ध कराने के लिये 300 करोड़ रुपयों की व्यवस्था कर दी गयी है जो भारत के भविष्य को एक दिशा देगी। यह बच्चे गरीब घरों से आते हैं और ललचाई आंखों से कान्वेंट स्कूलों के बच्चों को ड्रेस पहने स्कूल जाते हुये देखते थे। सरकारी स्कूलों में जाने वाले इन बच्चों के तन पर चढ्ढी–बनियान होती थी, इनके पैरों में फटी बिवाई होती थी। योगी जी ने इनके दर्द को समझा है। मान्यवर, पंचायत गांव के विकास की पहली मंजिल होती है। पंचायत अगर मजबूत होती है तो गांव के मजरे तक उनका असर पड़ता है। अच्छा काम करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन राशि देने का प्राविधान किया गया है, इससे ग्राम प्रधानों में निश्चित रूप से विश्वास पैदा होगा। यह सरकार बेहतर और साफ–सुथरा कार्य कर रही है। इसके अलावा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 100 करोड़ रुपयों की व्यवस्था इस सरकार की तरफ से की गयी है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने गरीबों की भावनाओं को भी खूब समझा है। किसी भी माता–पिता के लिये उसकी बेटी की शादी एक बड़ा सपना होता है। पैसे के अभाव में वह दर–दर की ठोकरें खाता है, हर किसी के सामने हाथ फैलाता है, उनकी आंखों में याचना होती है। मान्यवर, ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी एक बड़ा प्रश्न बन गया है। गांव के नौजवान शहरों में जाकर मजदूर बन जाते हैं, अपनी जवानी से पहले उन पर बुढ़ापा छा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिये 2900 करोड़ रुपयों का प्राविधान करके मा0 मुख्य मंत्री जी ने सूबे के नौजवानों को एक बड़ी सौगात दी है जो उनकी जिन्दगी बदल देगा। मान्यवर, अन्त में मैं इस बात को जरूर उठाना चाहूंगा कि हमेशा अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति, उनका शोषण करने वाले विपक्षी दल भाजपा पर अल्पसंख्यक विरोधी होने का इल्जाम लगाते रहे हैं, लेकिन मा0 योगी जी ने इस बजट में उन्हें भी आईना दिखाने का काम किया है। मदरसों के लिये इस बजट में 394 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। प्रधान मंत्री जी के सबका साथ और सबका विकास के तहत मा0 मुख्य मंत्री जी हर वर्ग की बेहतरी के लिये समान रूप से

काम कर रहे हैं। एक गरीब किसान समर्थक बजट के लिये मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बोलने के लिये जो समय प्रदान किया उसके लिये आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री मसूद अख्तर–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने सरकार के वर्ष 2017–18 के इस बजट की चर्चा में बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कई दिन से बजट पर चर्चा चल रही है, मैं कहना चाहूंगा कि यह बजट युवा, गरीब, मजदूर, व्यापारी, किसान व आमजन के लिये निराशाजनक बजट रहा है। युवाओं के लिये लैपटाप और वन जीबी नेट फ्री देने के लिये कहा गया था, लेकिन उनकी बात धोखा साबित हुयी है। इस बजट में गरीब और मजदूर के उत्थान के लिये भी कोई खास व्यवस्था नहीं की गयी है। पूरे उत्तर प्रदेश में सात लाख व्यापारियों के लिये महज 80 लाख का बजट ऊंट के मुॅह में जीरा साबित हुआ है।

आज जान और माल की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सबसे जरूरी चीज है। जानमाल की सुरक्षा के लिए मार्डन तरीके से क्राइम हो रहा है, लेकिन पुलिस को उससे निपटने के लिए आधुनिक उपकरण के लिये ऐसा कोई प्राविधान इस बजट में नहीं रखा गया है कि हमारी जानमाल की सुरक्षा के लिए पुलिस को मार्डन तरीके के उपकरण उपलब्ध कराये जाये। मान्यवर, जहां तक स्वास्थ्य का मामला है तो सरकार ने इस बजट में मण्डल स्तर पर जहां पर मेडिकल कालेज नहीं हैं वहां पर तीन सौ बेड के चिकित्सालय का इसमें प्राविधान किया है। मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा और आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि जो मेडिकल कालेज पहले से बने हुये हैं उनमें जहां पर मूलभूत सुविधायें नहीं हैं उनका भी प्राविधान इसमें करने का कष्ट करें। मान्यवर, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था 'जय जवान, जय किसान।' किसान और जवान का यह नारा देश के सवा सौ करोड़ लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। सीमा पर हमारे जवान हमारी सुरक्षा करते हैं और इस देश का किसान सवा सौ करोड़ लोगो के लिए अनाज का उत्पादन करके उनको खिलाने का काम करता है। मान्यवर, जो भी सरकारे चुनाव पूर्व किसान भाइयों के लिए बड़े–बड़े वायदे करती हैं और चुनाव जीतने का काम करती हैं। मौजूदा सरकार ने भी बहुत बड़े–बड़े वायदे किसानों के लिये किये हैं, लेकिन उन्हें महज छत्तीस हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं जो किसान के लिए बहुत कम है। मान्यवर, त्याग और तपस्या का दूसरा नाम किसान है। पूरी जिंदगी किसान मिट्टी से सोना उगा कर तपस्या करने में अपना पूरा जीवन लगा देता है। तपती धूप, कड़ाके की ठण्ड और वर्षा में भी उसकी यह साधना कभी नहीं टूटती है। इसलिये किसान के लिए बहुत कुछ होना बाकी है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था अगर इस देश की कहीं टिकी हुई है तो वह किसानों पर ही टिकी हुई है। इतिहास गवाह है कि जब–जब भी इस देश पर विपदा आई है तो यहां के किसान ने इस देश

को भुखमरी की कगार से बाहर निकाला है। आज भी सत्तर परसेण्ट जनसंख्या गांव में निवास करती है जो ज्यादातर किसान हैं। मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए और बहुत सी सुविधायें जो अब तक नहीं हैं। सरकार ने वायदा किया था कि उनकी आय को हम दोगुना करेंगे। उनकी सिंचाई के लिए समुचित व्यवस्था कराना, सस्ते बीज और उवर्रक उपलब्ध कराना आदि मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। मैं सरकार को भी एक काम के लिए बधाई देना चाहता हूं। हमारे गन्ना मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं इनको मैं बधाई देता हूं कि 129 चीनी मिलों में से तीन चीनी मिलों ने ब्याज सहित किसानों का बकाया दिलाने का काम किया है। और जहां बंद चीनी मिले पड़ी हैं वहां इन्होंने हमारे जनपद में भी दया शुगर मिल को चलवा करके किसानों के लिए सराहनीय काम किया है। लेकिन मान्यवर, एक मांग जो बहुत जरूरी है मैं आपके माध्यम से अपने गन्ना मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि वर्ष 1966 में गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया का केन कन्ट्रोल आर्डर आया था, उसमें यह कहा गया था कि जो मिलें चौदह दिनों तक पेमेण्ट नहीं करेंगी वह ब्याज सहित किसान के बकाये का मूल्य देने का काम करेंगी।.....

श्रीमन्, वह ब्याज सहित किसान का मूल्य देने का काम करेगी। मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि 2004 में भी गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया का एक आर्डर आया था और हर साल नोटिफिकेशन होता है कि जो चीनी मिलें वक्त पर किसानों को गन्ना मूल्य या ब्याज सहित गन्ना मूल्य नहीं देंगीं। उक्त चीनी मिलों के द्वारा जो किराया किसान से काटा जाता है वह किराया किसान से नहीं काटा जायेगा। मान्यवर, मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि इसको लागू कराने का काम करें। मान्यवर मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि किसानों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। किसान ही इस देश का अन्नदाता है। मान्यवर, यहां सभी शेर कह रहे हैं तो मैं भी आखिर में एक शेर कहना चाहता हूँ। उस बहन के लिए जो हमें अभी छोड़ कर इधर से उधर चली गयी है। मैं उनके लिये कहना चाहता हूँ कि ''हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था हमारी कस्ती वहां डूबी जहां पानी कम था''।

'**श्री जटाशंकर त्रिपाठी**–

मा0 अध्यक्ष महोदय, 'जोरदार–जानदार–शानदार–जिंदाबाद' कुशीनगर के एक मुशहर समाज से दशरथा मांझी के इस डायलॉग के साथ ये लाईन हम प्रस्तुत कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आचार की शुद्धता के साथ, विचार की शुद्धता के साथ, व्यवहार की शुद्धता के साथ आने वाले पांच सालों के लिए विपक्षी दल के नेता के लिए मैं पहले से ही खेद और क्षमा व्यक्त कर रहा हूँ। यदि हमारी लाईनों में कभी इनको कोई तकलीफ हो तो मुझे क्षमा करेंगे। मान्यवर, जी0एस0टी0 के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार का अंतरिम बजट आया है। अंतरिम बजट का मतलब पॉकेट मनी के हिसाब से हमारा बजट आया है और पॉकेट मनी के बजट में हमने 100 दिन का चैलेंज लिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जी.एस.टी के बजट के बाद अगर चैलेंज स्वरूप हमारी सरकार ने 100 दिन का बजट लिया है तो मुझे लगता है कि यह सबसे ज्यादा काबिले तारीफ बात होनी चाहिए और इस 100 दिन के बजट में हमने जो कुछ भी किया है वह हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों ने इसे देखा है। मान्यवर, महामहिम डा0 अब्दुल कलाम साहब से लेकर के और कबीर एकेडमी की बात हमने अपने बजट के संज्ञान में रखी है। मान्यवर, अगर हम अपनी बात कहें तो कुल जी0डी0पी0 के घरेलू उत्पाद में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग तीन रुपये के आस पास यदि हमारी क्षमता 100 रुपये के पॉकेट की है तो तीन रुपया ही हमने बाहर से कर्ज के तौर पर अपने ऊपर लोन लिया क्योंकि इसके पहले हमारी सरकार ने 28 रुपये के आस पास हमारे ऊपर कर्जा पहले से ही लादकर रखा था। मान्यवर, मैं चार लाइनों में ही अपनी बात कह देता हूँ कि ''यह सुनेंगे तो सुलग जायेंगे बात जो मेरे जुबां तले है न बोलूं तो कलेजा सुलगे और बोलूं तो जुबां जले''।

मैं केवल दो लाइनें और बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के साथ हमारे प्रदेश के साथ हमारे देश के साथ जो अन्याय हुआ है। पिछले 15 सालों को रावणराज न कहूं तो ठीक होगा लेकिन 14 सालों के बनवास के बाद जो युवा नेतृत्व के साथ जो संविदा आधारित नौकरियां देने का जो प्रचलन हुआ है अगर यही हालात रहे तो आने वाले 20–40 साल के बाद हमारे पास अराजपत्रित, राजपत्रित अधिकारी कहीं नजर नहीं आयेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि शुरुआत की उस जड़ को देखने की जरूरत है कि संविदा आधारित नौकरी की शुरुआत कहां से हुयी है। और उस शुरूआत के बाद से युवाओं को किस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय से संबंधित नहीं है। आपकी बात आ गयी। अब श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह जी अपनी बात कहें।

'श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ''गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।'' आप जैसा श्रेष्ठ गुरू हम जैसे पहली बार चुन कर आये सदस्यों के लिए आज अध्यक्ष की पीठ पर विराजमान है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद मिला। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपने को बजट से सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों का बजट है। यह अन्त्योदय को छूता हुआ बजट है। सबका साथ सबका विकास के सपने को साकार करता हुआ बजट है। इसमें हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी की जो मनोभावना है वह मैं चार लाइनों के साथ शुरू करना चाहता हूं। ''कुरूक्षेत्र में खड़े पार्थ को मैं समझाने निकला हूं घायल पड़े जटायु को मैं गोद उठाने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निकला हूँ मैं निकाला हूं सबरी की कुटिया में दीप जलाने को पत्थर पड़ी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकला हूं।'' मान्यवर, इस उद्देश्य के साथ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है। मान्यवर, इस बजट में सबसे अधिक मन को छूने वाली बात जो है इसका उल्लेख बजट में किया गया है। शहीद होने वाले जवानों के नाम पर विद्यालय, अस्पताल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आदि का नामकरण किया जायेगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यहां ऐसी सरकार है जिस सरकार का एक–एक कार्यकर्ता भारत माता की जय के लिए काम करने वाला है। मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं कि भारत माता को डायन कहने वाले लोग और वंदे मातरम का विरोध करने वाले लोगों की सोच इस प्रकार की नहीं हो सकती। मान्यवर, इको टूरिज्म के माध्यम से वन्य अभ्यारण में सुविधायें देने की बात की गयी है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उसमें आपकी कृपा हमारे जनपद को भी मिली। जहां दुधवा नेशनल पाक्र को भी इससे जोड़ा गया है। मान्यवर, पिछली सरकारों में गांव देहातों में चरागाह हों चाहे ग्राम समाज की जमीन हो चाहे शहर के खाली पड़े हुये मकान हों उन पर कब्जा करने का काम किया गया। हमारी सरकार ने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन करके साढ़े छः हजार हे0 भूमि छुड़वाने का कार्य किया है। मान्यवर, हमारी विधान सभा क्षेत्र में भी एक दूसरे राजनीतिक दल के बड़े नेता से 22 एकड़ जमीन जो चरागाह की कब्जा किये हुये थे वह छुड़वाने का काम किया गया है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे नेता विरोधी दल सदन में मौजूद नहीं हैं। मान्यवर, यह एक पाठशाला है। इस पाठशाला में प्रधानाचार्य के रूप में आप विराजमान हैं मगर मा0 नेता विरोधी दल भी एक शिक्षक के रूप में यहां पर उपस्थित हैं। हम लोग पहली बार चुनकर आये हैं। इनसे वाकपटुता सीखी है। मान्यवर, लेकिन इनसे कुछ और भी सीखा है और वह सीखा है जब पहली बार सदन चला था तो इन्होंने सीटी बजाना सिखाया था।

... और दूसरी बार जब सदन चला तो झूठ बोलना सिखाया है और अपने झूठ पर टिके रहने की बात सिखाने का काम किया है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 100 दिन की सरकार को इन्होंने किसान विरोधी बताने का काम किया है। कैसे मान लें, मान्यवर, इनकी सरकार में, मैं भी एक किसान हूं, किसान के मन की व्यथा मैं जानता हूं। मैंने स्वयं झेला है, खाद के लिए लाठियां खाईं हैं, तेल के लिए लाठियां खाईं है, बीज समय पर नहीं मिला, हमारे गेहूं की खरीद नहीं हुई, छोटे–मोटे किसानों की तो बात छोड़ दीजिए, जो प्रबुद्ध काश्तकार थे, उनका तक गेहूं नहीं खरीदा गया। मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, इनसे साढ़े चार गुना अधिक गेहूं की खरीद की गयी है। मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, पिछली सरकारों ने चीनी मिलों को बेचने का काम किया है। मैं अपने गन्ना मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पुरानी बन्द पड़ी चीनी मिलों को चलाने का काम किया है और एक बहुत अच्छा श्लोगन कि– 'गन्ना विभाग किसान के द्वार, तुरन्त सदस्यता पहली बार।' मान्यवर, मैं भी गन्ना किसान हूं, गन्ना किसान की सदस्यता लेने के लिए बीसों बार समितियों का चक्कर लगाना पड़ता था और इस श्लोगन के माध्यम से एक चेतना

आयी है। मान्यवर, मैं एक बात और कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, इन्होंने तो सब चौपट ही किया है, इनके कार्यकाल में किसानों का यह हाल था कि–

'हम तो ठहरे निपट अभागे, आधे सोये, आधे जागे।
कितनी बार हुए अपमानित, इसका सही हिसाब हमारे पास नहीं है।
ऐ नागफनी को बांट सको तो आ जाना,
ये धागों बिंधे गुलाब हमारे पास नहीं हैं।'

श्री अध्यक्ष–

बहुत अच्छी कविता है, अब आप बैठ जाइये।

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह –

मान्यवर, आधा सेकेण्ड और दे दीजिए। मान्यवर, ये लोग अपने को असली गो पालक कहते हैं। यह अपने को गो पालक कहने का काम करते हैं, मैं बताना चाहता हूं, इन्हीं की सरकार में, मैं एक राजनीतिक दल का पदाधिकारी होने के नाते अपने लखीमपुर जनपद की एक मात्र गो सदन मोहम्मदी को देखने चला गया तो मान्यवर, मैंने देखा कि गायों की जो चरहियां थीं, उनमें गोबर भरा था, भूसा नाम की चीज नहीं थी, पीने को पानी नहीं था और मान्यवर, मेरे सामने एक गाय ने बछड़ा जना, गाय भी मर गयी, बछड़ा भी मर गया। कहीं गाय ऐसी पड़ी थी, जिसके पैर कटे हुए थे। मान्यवर, मैंने मात्र पूछ दिया कि यह सब क्या है? मान्यवर, इस आधार पर यह गो पालक कहने वाले लोगों ने मेरे खिलाफ सैकड़ों धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। ऐसे मुकदमें दर्ज कराये जैसे लगा कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। मान्यवर, मेरे खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। आज यह अपने को कहते हैं कि हम ही असली गो पालक हैं। मान्यवर, हमारे बजट में गोशालाओं को एक अच्छा बजट दिया गया है। मेरा विश्वास है कि मेरे यहां के गो सदन को भी कुछ न कुछ मिलेगा। मान्यवर एक अन्तिम बात कहते हुए समाप्त करूंगा। मान्यवर, सम्पर्क मार्ग, पुल आदि के लिए अच्छे बजट की व्यवस्था की गयी है, मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में भी लगभग 50 गांवों को छूती हुई, जो मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, उस व्यवस्था के तहत् जमुनिया घाट पर एक पुल बनेगा, मेरा यह विश्वास है कि इस सरकार के माध्यम से वहां पर पुल बनेगा, आपका आशीर्वाद होगा। मान्यवर, मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे उत्तर प्रदेश की इस विधान सभा में पहली बार बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मान्यवर, मैं पहली बार इस विधान सभा में जीत कर आया हूं, इसलिए आज बजट भाषण पर अपने विधान सभा की कुछ ऐसी परेशानियां आपके सामने रखना चाहता हूं और

आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से चुनाव के पहले और चुनाव के बाद बातें हुईं, उससे यह लगा कि शायद सारे मसले और सारी परेशानियां सरकार बनने के बाद हल हो जायेगी, लेकिन मान्यवर, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा के बराबर में चमरौवा विधान सभा और रामपुर सदर है। ...

...इन तीन विधान सभाओं को जोड़ने वाला एक पुल, लालपुर का पुल जो सन् 1932 में नवाब रामपुर ने बनवाया था और उसके बाद से अभी तक नहीं बना था। पिछली सरकार ने करीबन 30 करोड़ की लागत से उस पुल को स्वीकृत किया था और उसका काम शुरू हुआ था, मान्यवर उस पुल का आधे से ज्यादा काम उसके पिलर्स बन चुके थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद उस पुल को और उसके साथ बनने वाले बैराज के काम को रोक दिया गया। मान्यवर, वह पुल और बैराज जो बना है उससे सिर्फ लोगों के आने–जाने की परेशानी ही कम नहीं होती, बल्कि रामपुर में छः ब्लाक हैं, छः में चार ब्लाक डार्क–जोन घोषित हो चुके हैं, उस बैराज के बनने का सबसे बड़ा फायदा जो होता वह किसानों को होता और वह डार्क–जोन खत्म हो जाता और किसान अपनी फसलों की सिंचाई कर सकते थे और उन्हें बेहतर तरीके से उगा सकते थे, लेकिन धन न भेजे जाने की वजह से पिछले तीन महीने से उस पुल का काम रुका हुआ है और जो पैसा उस पुल में अभी तक लग चुका है, वह भी बिल्कुल बरबाद होने की कगार पर है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा, उत्तराखण्ड से बिल्कुल मिली हुई है और जो उत्तराखण्ड का इण्डस्ट्रियल एरिया है, वहां से इण्डस्ट्रियल वेस्ट बहता हुआ आता है, उसकी वजह से इतना प्रदूषण होता है कि ऐसे 30 गांवों में जिनमें आप बोर कर लीजिए, हैण्डपम्प लगा लीजिए, ट्यूब्वेल लगा लीजिए, लेकिन वहां पर काला पानी आता है और वह पानी इतना प्रदूषित है कि उसे पीना तो छोड़िये किसान उसे अपनी फसलों तक में भी नहीं डाल सकते। मान्यवर, अपनी ही विधान सभा की परेशानी आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि स्वार विधान सभा आज भी उन इलाकों में से है और उन विधान सभाओं में से है जिसके बहुत से ऐसे मजरे और गांव आज भी हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची है और मैं चाहता हूं कि अगर ऊर्जा मंत्री जी सदन में मौजूद हों तो वह इस चीज को दिखवा लें, क्योंकि बिजली आज बहुत जरूरी हो गई है, लोगों को जिन्दगी गुजारने के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, हर किसी के लिए और जो भी उस दिशा में उसे दिखवा सकते हों तो उसे दिखवा लें। मान्यवर, स्वार विधान सभा में दो नगर पंचायतों की घोषणा हुई थी और उन्हें पिछली सरकार ने नगर पंचायत बनाया भी था, नरपतनगर और दड़ियाल को, लेकिन मान्यवर अभी उसके सन्दर्भ में भी कोई ऐसा फैसला नहीं आ सका है और वह रूक गया है। मान्यवर, मैं और एक बात का जिक्र करूंगा, अभी एक जिक्र हुआ कि समाजवादी पेन्शन कोई अच्छी योजना नहीं थीं, मान्यवर आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि समाजवादी पेन्शन योजना एक ऐसी योजना थी जिसकी तारीफ मा0 सुप्रीमकोर्ट तक ने की थी और मान्यवर, डायल 100 आज भी एक ऐसा एडवांस रिसपांस सिस्टम था जिसकी तारीफ आज भी उत्तर प्रदेश के अधिकारी केन्द्र सरकार की मीटिंग में जाकर करते रहे हैं। मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया, आप सबका छोटा

हूं, कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, बहुत अच्छा बोले।

श्रीमती सरिता भदौरिया–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्राप्त कराया, मैं आपके प्रति बहुत–बहुत आभार व्यक्त करती हूं। हमारी सरकार के द्वारा मा0 वित्त मंत्री जी के निर्देशन में या उन्होंने जो बजट प्रेषित किया इस विधान सभा के अन्दर वह बजट सर्व–व्यापी है, सर्व–स्पर्शी है और ऐतिहासिक है, इसलिए मैं उनको बहुत–बहुत धन्यवाद् देती हूं। हम आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय के मार्ग पर चलने के लिए पूरी सरकार हमारी प्रतिबद्ध है, हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति का विकास हो, उसको विकास से जोड़ा जाय, रोटी–कपड़ा और मकान केवल व्यक्ति की ऊपरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, लेकिन आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद का दर्शन यह कहता है कि व्यक्ति को केवल रोटी–कपड़ा और मकान ही देकर संतुष्टि नहीं मिलती, व्यक्ति की मन, बुद्धि और आत्मा का विकास भी करना हमारी जिम्मेदारी है और उसको भी हमको करना चाहिए, हम उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं।...

हमारा मन बुद्धि और आत्मा के विकास के लिए हमारे बार–बार जो चर्चा में विधान सभा के अन्दर हमारे बजट पर आता है कि समाजवादी पेंशन को समाप्त किया गया। हमारी बेरोजगारी भत्ता जो पिछली सरकार में मिलता था उसको समाप्त किया गया। मैं उस ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि किसी भी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देकर उसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को बैठा कर पेंशन देकर उसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। संतुष्ट किया जा सकता है, उसके मन के लिए उसके मन का सुख चाहिए, उसकी आत्मा का सम्मान चाहिए और उसकी बुद्धि का ज्ञान चाहिए वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने बजट के अन्दर प्रेषित करने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 22 करोड़ जनता प्रसन्न है उनके बीच से लघु और सीमान्त किसानों को उठाकर 36 हजार करोड़ रुपये ऋण माफी की योजना का निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। आदरणीय महोदय हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हम इस निर्णय का सम्मान करते हैं। किसानों की कर्ज माफी, महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति की बात हमारे बजट के अन्दर की गयी है। इसके पहले की जो सरकारे थीं किसी भी सरकार ने महिलाओं की इस व्यवस्था पर कभी ध्यान नहीं दिया हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी भी बैठे हैं, इससे पहले की सरकार महिलाओं पर टिप्पणियां किया करती थी। भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि हम भारत को स्वच्छ देखना चाहते हैं। उनकी तीन बहुत महत्वाकांक्षी योजनायें पूरे देश में पूरे प्रदेश में लोगों को आकर्षित करती हैं। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे के माध्यम से गंगा

को स्वच्छ करेंगे, उन्होंने कहा कि हम इस देश में बेटियों को जन्म लेने का अधिकार प्रदान करायेंगे। इस देश में बेटियां जन्म लें इस देश में बेटियां पढ़े और बढ़े उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को हम इस देश में लाना चाहते हैं। आदरणीय मान्यवर मैं बजट पर ही बोलूंगी। उन्होंनें खुले में शौच से मुक्ति कराकर इस देश की महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। प्रदेश में उनकी असेवित तहसीलों में एक–एक कौशल प्रशिक्षण के केन्द्र को स्थापित करने की बात हमारे इस बजट के अन्दर कही गयी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के अन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु 21 करोड़ 12 लाख की व्यवस्था हमारे बजट के अन्दर की गयी है। स्वच्छ भारत शहरी योजना में एक हजार करोड़ की व्यवस्था हमारे बजट के अन्दर की गयी है। पण्डित दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्तियों के लिए 385 करोड़ रुपये की व्यवस्था हमारे बजट के अन्दर की गयी है। प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना के अन्तर्गत शहरी मिशन हेतु 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था हमारे बजट के अन्दर की गयी है। 318 करोड़ 75 लाख के बजट की व्यवस्था हमारे आजीविका शहरी मिशन हेतु दी गयी है। प्राईमरी स्कूल के बच्चों के लिए जो ड्रेस कोड बनाया गया है वह भी निर्णय ऐतिहासिक है। आदरणीय महोदय मैं इटावा से आती हूं मैं आपको बताना चाहती हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछली सरकार ने 127 करोड़ कुल खर्च किये जिसमें से 103 करोड़ केवल एक हेवरा विद्यालय को देने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को संज्ञान में लेते हुए इस पर आपित्त उठाने का काम किया था। जो लोग बजट की बात करते हैं मैं उनको बताना चाहती हूं कि हमारे भाई ने अभी कहा मैं भी कहना चाहती हूं कि–

'कुरूक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं,
और घायल पड़े जटायू को हम गोद उठाने निकले हैं,
हम निकले हैं सिबरी की कुटिया में दीप जलाने को
और दीन, दुखी, निर्बल, निर्धन को उनका अधिकार दिलाने को'

आज हम इस बजट के साथ उत्तर प्रदेश की इस विधानसभा क अन्दर आये हैं। मैं विश्वास के साथ कहती हूं कि हमारी सरकार का यह बजट ऐतिहासिक बजट है और यह बजट उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए आने वाले समय में एक ऐतिहासिक बजट साबित होगा। 'अब हवायें ही करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिये में जान होगी वह दिया जल पायेगा।' यह बात साबित करेगा यह बजट। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि आज जो महिलाओं की व्यवस्था के लिए महिला कल्याण मंत्रालय ने जो 181 टोल फ्री नम्बर किया है जो रैस्क्यू गैंग की व्यवस्था की है, इसके पहले महिलाओं के सम्मान की बात किसी ने नहीं की। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हम कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करती है और महिलाओं के सम्मान के लिए बात करती है इसलिए आज इस ऐतिहासिक बजट पर चाहे वह किसानों के हित की बात हो, महिलाओं के हित की बात हो।

....नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देकर कभी सम्मानित नहीं करना चाहिए बल्कि नौजवानों को कौशल विकास योजना के अन्तर्गत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जो व्यवस्था हमारी सरकार ने की है, हमारे बजट में की है इसलिए मैं आपके माध्यम से आदरणीय वित्त मंत्री जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी को बहुत–बहुत बधाई देना चाहती हूं इस ऐतिहासिक बजट के लिए और अन्त में आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं। मैं इस ऐतिहासिक बजट का समर्थन करती हूं। यह बजट सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और सबका साथ, सबका विकास करने वाला है, यह पथअन्त्योदय है, लक्ष्य अन्त्योदय है, यह पं0 दीन दयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने वाला है। आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी।

श्री रोशन लाल वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। अभी पिछले तीन–चार दिनों से विपक्ष की तरफ से कृषकों, किसानों के ऊपर बात चल रही थी बहुत बढ़–चढ़ के। मा0 अध्यक्ष जी, 2015–16 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हमारे जनपद शाहजहांपुर में और पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न तरीके से दुर्घटनाओं में 18 हजार कृषकों की मौतें हुई हैं जिसमें इन्होंने घोषणा की थी कि जो भी कृषक दुर्घटना के तहत जो भी उस दुर्घटना के तहत किसानों की मृत्यु होगी तो हम 5 लाख रुपया कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत देंगे। हमारे जिले जनपद शाहजहांपुर में 179 कृषक जो बेचारे असहाय, निर्धन, बेसहारा और पूरे उत्तर प्रदेश में जांच करा लीजिए 403 विधान सभाओं में 18 हजार कृषकों की दुर्घटना से मौतें हुईं हैं और इन लोगों ने उनको कृषक दुर्घटना बीमा के तहत पैसा नहीं दिया। मा0 अध्यक्ष जी, मैं पिछली सरकार में पूरे 5 साल तक नियमों के तहत विधान सभा में भी लगातार अपनी मांग उठाता रहा। तिलहर मुख्यालय जाने के लिए एक मात्र सड़क है, वह 2011–12 में कटी थी। वह सड़क पचासों हजार कृषकों के फसल बेचने के लिए, कृषकों के तहसील मुख्यालय जाने के लिए आवश्यक थी। मैं 5 साल तक लगातार मांग करता रहा लेकिन उसमें एक भी बात नहीं मानी गई। किसानों की तरफ से हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने इस बजट में कह दिया कि इस बजट में कुछ नहीं है। हिन्दुस्तान की आजादी के 70 साल में पहली बार किसानों का इतना बड़ा कर्ज माफ हुआ है। अभी नशा बन्दी पर, शराब बन्दी पर काफी नोंक–झोंक हुई, काफी चर्चाएँ हुईं उस पर। सदन में गहमा–गहमी भी हुई, हम विपक्ष के लिए एक–दो बातें कहना चाहते हैं कि–

उधर कुछ लोग ऐसे हैं जो पहचाने नहीं जाते,
और मंगा कर रोज पीते हैं लेकिन मैखाने नहीं जाते।
(सदन में जोर की हंसी और वाह–वाह के स्वर)

श्री अध्यक्ष–

क्या आप डायरेक्ट चले आते हो ?

श्री रोशन लाल वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे जानकारी है। काफी नोंक–झोंक हुई। यहां पर हमारे मा0 संसदीय कार्य मंत्री खन्ना जी और हमारे मा0 नेता प्रतिपक्ष जी थे। इस पर हमें दो बातें याद आ गईं कि–

लड़ने का सीखा है हमने नया तरीका,

तुम चलाओ गन मशीनें, हम सीना अड़ा देंगे।

... माननीय अध्यक्ष जी, पांच सालों तक मैंने इस विधान सभा में नियमों के तहत और मांगों के तहत बहुत से प्रश्न लगाए, क्वेश्चन लगाए और माननीय अध्यक्ष जी मात्र 4 महीने अभी पूरे नहीं हुए सरकार को बने वह सड़क व पुल बनाने की कार्ययोजना आ गई और हमारी माननीय डिप्टी सी0एम0 साहब ने वह सड़क और पुल पास कर दिया। मैं बहुत–बहुत बधाई देता हूं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को और यहां पर एक विस्फोटक पर काफी चर्चा हुई।

श्री अध्यक्ष–

उसका बजट से सम्बन्ध नहीं है।

श्री रोशन लाल वर्मा–

बजट से सम्बन्ध नहीं है लेकिन चर्चा हुई है माननीय अध्यक्ष जी, उस पर हम दो लाइनें कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

उसको हमें बाद में बता दीजिएगा। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बिजली के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है आप उसके बारे में बताएँ।

श्री रोशन लाल वर्मा–

बिजली पर हमारे माननीय सत्तापक्ष के सदस्यगण हमारे माननीय मंत्रिगण बहुत कुछ विस्तार से जानकारी दे चुके हैं, बता चुके हैं। अगर एक ट्रान्सफार्मर पिछली सरकार में फूँकता था तो हम लोग लगातार एक्स0ई0एन0, जे0ई0 और ए0ई0 के पास दौड़ लगाते थे और महीनों–महीनों तक ट्रान्सफार्मर नहीं बदला जाता था। माननीय अध्यक्ष जी, यहां तक की हम लोगों ने कई बार धरना–प्रदर्शन तक किया। महीनों के बाद ट्रान्सफार्मर बदला जाता था उसके बाद आज हमारे माननीय सदस्य चाहे सत्तापक्ष के लोग हो, चाहे विपक्ष के लोग हो अगर ट्रान्सफार्मर कहीं फूँका तो 48 घंटे के अंदर अधिकारी ट्रान्सफार्मर बदलने का काम कर रहे हैं और बिजली के बारे में सब जानते हैं कि पिछली सरकार में मात्र 4–5 ही जिले ऐसे थे, जिनमें बिजली जाती थी, जो वी0आई0पी0 जिले थे। माननीय सदस्यों को सब जानकारी है। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं चार–पांच घंटा बिजली मिलती भी थी तो पता नहीं कब आई और कब चली गई। उसका कोई पता ठिकाना नहीं था। पहली बार 70 साल की आजादी के

बाद हमारी माताएँ व बहनें, जो काफी बड़ी–बूढ़ी थीं वह चूल्हा जलातीं थी तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। किसी ने अगर उन माताओं और बहनों की तरफ देखा तो वह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने आजादी के 70 साल के बाद हमारे गरीब, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गैस सिलेण्डर देने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, हमें मालूम है आप समय समाप्ति कहने वाले हैं उससे पहले मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। दो बातें और कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई शेर सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं।

श्री रोशन लाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, जब सब ने सुनाया है तो हमें केवल दो मिनट का समय दें। दो मिनट के अंदर सुनना चाहता हूं किः–

''है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर
और हम तैयार हैं, सीना लिए अपना इधर,
खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है,
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजु–ए–कातिल में है,
वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ऐ आसमां,
हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है।''

'श्री उमाशंकर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 2017–18 की बजट चर्चा में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं बजट की तरफ से नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राम गोविन्द जी द्वारा एवं बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री लालजी वर्मा जी एवं कांग्रेस के हमारे आदरणीय लल्लू जी ने जो अपने विचार रखे हैं, उससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं और मेरा कहने का आशय केवल यह है कि हम चूंकि न 2016–17 के बजट से तुलना करेंगे, न 2017–18 की तुलना करेंगे, न 2015–16 से तुलना करेंगे। हम उस पर नहीं जा रहे है, हम केवल उस पर जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र है। यह जो मेनडेट मिला है, इसी लोक कल्याण संकल्पपत्र के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचण्ड बहुमत में आयी है। इसके कुछ खास जो अंश है उस पर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। हालांकि एक हमारे विद्वान स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल इस बात की चर्चा की कि अभी यह टी–20

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है यह 5 दिवसीय मैच है। टी–20 और 5 दिवसीय में फर्क इतना है कि जैसे आपके लोक कल्याण संकल्प पत्र में था कि जो भी बच्चे अपना प्रवेश कालेजेस में लेंगे हम उनको लैपटॉप देंगे। मेरे पास पेज नम्बर भी है और उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है। इस साल के बजट में कहीं भी लैपटॉप देने की व्यवस्था नहीं की गयी है। अगर हम यह टी–20 नहीं मानेंगे तो चूंकि यह हमारा 2017–18 का बजट है तो वह बच्चे जो अपना प्रवेश लेकर निकल जाएंगे उन बच्चों को क्या हम अगले साल यह लैपटॉप दे पाएंगे, क्या उन बच्चों को बजट में ले आएंगे। यह सिर्फ इसलिए केवल कहा जा रहा था कि आपने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में चर्चा की है और हम केवल उसको याद दिलाते हैं। पहली बार जब हम लोग ऐसे बैठे थे तो इधर माननीय मौर्या जी हुआ करते थे और आदरणीय संसदीय कार्यमंत्री खन्ना जी होते थे। हम तो यह नहीं समझ पाते थे कि विपक्ष के लोग जो सत्ता में आ गए हैं उनको क्यों इस बात की याद दिलाते हैं। विपक्ष वाला तो चाहता है कि वह काम न करें तो अच्छा होगा, जल्दी जनता उनसे नाराज हो जाएगी। लेकिन माननीय मौर्या जी से भी पूछते थे, माननीय खन्ना जी से भी पूछते थे, हमारे राणा भाई भी इधर बैठते थे तो माननीय खन्ना जी यही कहते थे कि विपक्ष की यही जिम्मेदारी है, बाहर हम जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि आपने सरकार को याद क्यों नहीं दिलाया। यही बात हमारे माननीय मौर्या जी कहते हैं तो हमारा काम वही याद दिलाना है। हालांकि विपक्ष तो हमेशा चाहेगा कि आप लैपटाप कभी न बांटिए। आपने सम्पूर्ण किसानों का कर्जा माफ करने के लिए कहा था, ठीक है, आप कर्जा 1 लाख के औसत में रखें या बिल्कुल न रखे लेकिन हमारी भी जवाबदेही बनती है कि हम भी बाहर जाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि हमने आपकी बात को सदन में उठाया था। यह सरकार जो अपने कान में रूई डाले हुई थी, हमने उसको भी जगाने का प्रयास किया था। इसलिए इस बात को मैं याद दिला रहा हूं और हमारा काम याद दिलाना है। सरकार अगर अमल करती है तो वह सरकार के हित में होगा, सरकार यदि अमल नहीं करती है तो जिस तरह से हमारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय सम्मानित साथी हमारी बात को नहीं समझे, हम लोग जो भी बातें कहते थे तो आज हल्ला जो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, उस समय भी हल्ला कम नहीं होता था लेकिन यही आदरणीय खन्ना जी, मौर्या जी, सब लोग कहते थे कि घबराओं नहीं, यह लोग जितना हल्ला कर रहे हैं उतनी ही जल्दी इधर आ जाएंगे।

इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, दो–तीन समस्याएं इसी तरह की है। चूंकि संकल्प पत्र में यह था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 25 मेडिकल कालेज खोलने की व्यवस्था थी। हम लोग भी खुश हुए कि सरकार बन गयी और उसमें भी जब हमने देखा कि माननीय आदित्यनाथ योगी जी को, जो पूर्वांचल से, गोरखपुर से बिलांग करते हैं जब इनको मुख्यमंत्री जी का दायित्व मिला तो हम सारे पूर्वांचल के लोगों में एक आशा की किरण जागी कि कम से कम हम जिस जनपद बलिया से आते हैं।....

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि मैं बलिया जनपद से आता हूं बलिया जनपद में अगर किसी व्यक्ति को कोई आकस्मिक एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई घटना दुर्घटना हो

जाय तो उसे चिकित्सा के लिए 200 कि0मी0 की दूरी तय करनी होती है। यह मैं लगातार 5 सालों से यह बात रखता आ रहा हूं यदि उसे ब्रेन हैम्ब्रेज हो जाय तो ब्रेन हैम्ब्रेज की एक सीमा है 2 घंटे के अन्दर उसको इलाज मिल जाये तो उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है लेकिन मऊ और गाजीपुर का एक बड़ा हिस्सा और इधर देवरिया का एक बड़ा हिस्सा और पूरा बलिया का एक बड़ा हिस्सा इन सभी लोगों को 5 घंटे की दूरी तय करके या तो बनारस जाना पड़ेगा बीएचयू में या फिर गोरखपुर मेडिकल कालेज जाना पड़ेगा। लेकिन तब तक लोग अगर इन चारो जनपदों को मिला दिया जाय और अगर औसत माना जाय तो 20–25 लोग प्रति दिन मरते हैं। मेरा यह मानना था कि अगर बलिया को एक मेडिकल कालेज दे दिया जाय तो कम से कम 20–25 लोगों को जो प्रतिदिन का औसत है मरने का उसे हम लोग बचा सकते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, इस पूरे बजट में बलिया का कहीं भी उसमे नाम नहीं आया कि बलिया में कहीं मेडिकल कालेज खोला जायेगा लेकिन इसको हम मान लेते हैं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी है, हम मांग करते हैं कि इस पर आपका टेस्ट मैच चल सकता है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं मैं कहना चाहता हूं कि इस साल के लिए नहीं है लेकिन बलिया के लिए यह बहुत आवश्यक है। हमारे बलिया से तमाम माननीय सम्मानित विधायक भी आये हैं हम तो अपवाद में हम और माननीय राम गोविन्द जी आये हुए हैं। हम लोगो।को तो यही काम है कि आप नहीं सुनेंगे तो मैं आपको याद दिला दूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, जो अभी सुबह चर्चा हुई थी जो आपके संकल्प–पत्र में है और अभी माननीय हमारे वन मंत्री जी ने उस पर चर्चा भी किया था वनराज और नीलगाय पर। चूँकि यह भी संकल्पपत्र में था कि अवारा पशुओं से, मान्यवर, हमारे भाई बहुत परेशान हैं कि हमारा भी कम से कम इस बजट मे आ जाय। अध्यक्ष जी, मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं बहुत–बहुत धन्यवाद।

वित्त मन्त्री (श्री राजेश अग्रवाल)–

माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट की सामान्य चर्चा पर विशेषकर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द जी चौधरी, बसपा विधायक दल के नेता श्री लाल जी वर्मा, काग्रेस विधायक दल के नेता श्री अजय कुमार जी, अपना दल के श्री नीलरत्न जी पटेल, मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री सतीश जी महाना, श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, आदरणीय स्वामी प्रसाद जी मौर्य, श्रीमती अनुपमा जी जायसवाल और लगभग बहुत सारे प्रमुख इस आदरणीय सदन के सदस्य कुल मिलाकर लगभग 73 की संख्या में आप सब का यह जो बजट है इस बजट के ऊपर अपने बहुमूल्य विचार जो आपने रखे उसका मेरा मन से आभार है। मैं सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि लघु और सीमान्त किसान जिनके ऋण के भुगतान के लिए 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी थी लेकिन इतनी बड़ी धनराशि की व्यवस्था करने के बावजूद भी आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने जनता के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया, जनता के ऊपर किसी प्रकार का कोई कर का बोझ हमने नहीं डाला, यह वित्तीय अनुशासन था हमारा। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बजट मे, राजकीय सकल घरेलू उत्पाद से राजकीय ऋण ग्रस्तता

के प्रतिशत में कमी भी आई है पिछले वित्तीय वर्ष 2015–16 में यह अनुपात 30 प्रतिशत था।

... वहीं वित्तीय वर्ष 2017–2018 में यह अनुपात घटकर 28.6 प्रतिशत का अनुमान है। राज्य के वित्तीय संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिये हमने जहॉ एक ओर फिजूलखर्ची पर रोक लगाई है। वहीं दूसरी ओर बजट में व्यय की प्राथमिकताओं का भी निर्धारण किया है इसीलिये हमने विभिन्न योजनाओं के लिये बजट में आवश्यकता एवं प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्था की है। बजट की चर्चा में विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने लोक कल्याण संकल्प पत्र का भी हवाला दिया। यह भी कह दिया कि वायदों को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हमारी सरकार का यह पहला बजट है और हमने संकल्प पत्र में वर्णित कई योजनाओं के लिये व्यवस्था की है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण किसानों के फसली ऋण का भुगतान है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार आगामी वर्षो में संकल्प पत्र में किये गये सभी संकल्पों का पूरा करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से जो भी वायदे किये हैं उनको निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे।

माननीय नेता विरोधी दल द्वारा बजट की सामान्य चर्चा में कहा गया कि यह बजट दिशाहीन है, किसान विरोधी है, रोजगार विरोधी है, छात्र विरोधी है, महिला विरोधी है एवं मजदूर विरोधी है। मान्यवर, ऐसा प्रतीत होता है कि आदरणीय नेता विरोधी दल द्वारा बजट को ठीक से पढ़ा ही नहीं गया, मुझे तकलीफ है। हमारी सरकार ने बजट में सभी वर्गो के लिये बहुत विस्तृत व्यवस्था की है। चाहे वह किसान हो, छात्र–छात्रा हों, महिलायें हों या मजदूर हो मैं उनसे संबंधित कुछ योजनायें आपके समक्ष संक्षेप में रखना चाहता हूं। बजट में कृषि और सम्बद्व कार्यो हेतु 67,682.61 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष के बजट प्रावधान 29771.85 करोड़ रुपये की तुलना में 37910.76 करोड़ रुपये अधिक है। इसी प्रकार किसानों के फसली ऋण के भुगतान के लिये 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से कृषकों को कम ब्याज पर पैसा मिले इसलिये भी हमने 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। किसानों के लिये प्रमाणित बीजों पर अनुदान के लिये 65 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। सोलर फोटोवेलेटिक इरीगेशन पंप के लिये 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। रासायनिक उर्वरकों की व्यवस्था सुचारु रूप से होती रहे, इसके लिये भी 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये हमने 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि चीनी उद्योग जो उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा उद्योग है और इस चीनी उद्योग के कारण से हमेशा सदन में जब से मैं आया हूं मैनें देखा है कि कुछ न कुछ अलग प्रकार की बांतें, चर्चायें सदन में होती रही है। यह

भारतीय जनता पार्टी की अल्पकाल की सरकार ने बहुत कम समय के अंदर इस उद्योग के लिये एक प्रकार से जान फूंकी है, उसके अंदर चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिये बंद पड़ी सहकारी चीनी मिल पिपराइच के स्थान पर जो 3500 टी0सी0डी0 क्षमता की नई चीनी मिल जिसे 5000 टी0सी0डी0 तक विस्तारित किया जा सकेगा और कोजनरेशन प्लांट की स्थापना के लिये हमने 273 करोड़ 75 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। बंद सहकारी चीनी मिल मुंडेरवा के स्थान पर 5000 टी0सी0डी0 की क्षमता की नई चीनी मिल, जिसे 7500 टी0सी0डी0 तक विस्तारित किया जा सकेगा, कोजनरेशन प्लांट तथा आसवनी की स्थापना के लिये 270 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है और यही नहीं, सहकारी चीनी मिल रमाला की पेराई क्षमता भी हमने 5000 टन टी0सी0डी0 किये जाने हेतु 84 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये भी हमारी चिंता है और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिये भी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 बनाई गई है और इस नीति के क्रियान्वयन के लिये भी हमने 20 करोड़ की व्यवस्था की है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन बढ़े इस हेतु विशेष निवेश बोर्ड की स्थापना के लिये भी हमने 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस की स्थापना यह अपने आप में एक अद्भुत है और जिसके लिये 10 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गयी है। ....

.... लखनऊ में इन्क्यूबेटर्स की स्थापना के लिए पांच करोड़ रुपए की हमने व्यवस्था दी है। पारम्परिक स्वरोजगारियों के सहायतार्थ प्रस्तावित विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हेतु भी 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था दी है। बेरोजगार कृषि स्नातकों के लिए भी हमने व्यवस्था दी है लोगों को रोजगार उपलब्ध हों इसके लिए कृषि उद्यमी स्वावलंबी योजना की स्थापना की है और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए 218.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी इसी बजट में है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 2100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आजीविका मिशन में 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन रोकने के लिए और उन्हें अधिक रोजगार उपलब्ध हों इसलिए पन्डित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत 9 करोड़ 99 लाख रुपये की व्यवस्था हमने की है। मान्यवर, छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए सामान्य वर्ग के लिए 682 करोड़ 94 लाख रुपये और पिछड़े वर्ग के लिए 1203 करोड़ 36 लाख रुपये और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 941 करोड़ 83 लाख रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 1950 करोड़ रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 23.96 करोड़ रुपये, इस प्रकार कुल 4802.09 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट के अन्दर की गई है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग का आवंटन करने हेतु 100 करोड़ रुपये की योजना है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को एक जोड़ी जूता, दो जोड़ी

मोजा तथा एक स्वेटर उपलब्ध कराये जाने के लिए 300 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म तथा पाठ्य–पुस्तकों को उपलब्ध कराने हेतु 123 करोड़ 96 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, जो सबसे महत्वूर्ण है अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना, जिसके अन्तर्गत सभी लड़कियों के लिए ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी, इस हेतु बजट के अन्दर 21.12 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा समस्त कॉलेजों में फ्री वाई–फाई की सुविधा, हम जानते हैं कि बहुत बड़ी योजनाओं के अन्तर्गत यूनिवर्सिटीज में विशेष रूप से इस प्रकार की आर्थिक सहायता, वह आर्थिक सहायता पूरी नहीं हो रही थी इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने फ्री वाई–फाई पर जोर दिया है ताकि वह अपने लैपटॉप और कम्प्यूटर का प्रयोग पूरी तरह से कर सकें इसके लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट के अन्दर की गई है। मान्यवर, प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में छात्र–छात्राओं को माध्यमिक स्तर तक आधुनिक तकनीक के माध्यम से निःशुल्क गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश में 166 पन्डित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टरकॉलेजेज की स्थापना भी होगी और उसका संचालन किया जायेगा और इसके लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

मातृत्व लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भावस्था का पंजीकरण, प्रसव पूर्व जांच कराने वाली गर्भवती महिलाओं एवं स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने वाली महिलाओं तथा बच्चों के प्रथम चरण का टीकाकरण पूर्ण कराने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है और इसके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है। गर्भवती महिलाओं तथा पांच वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए शबरी संकल्प अभियान के अन्तर्गत 262 करोड़ रुपये की बजट के अन्दर व्यवस्था की गई है। प्रदेश के 19 जनपदों के सभी विकास खण्डों में वर्ष 2017–18 में ग्रामीण स्तर पर महिलाओं और बच्चों के उत्थान एवं सशक्तीकरण योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए महिला एवं बाल विकास अधिकार मंच की स्थापना की गई है। महिलाओं की सहायता के लिए 181 महिला हेल्पलाइन का विस्तार किया गया है। निराश्रित विधवाओं के लिए वृन्दावन में एक वृद्धाश्रम बनाने की बात और इसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 राजकीय आश्रय सदनों की निराश्रित महिलाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं को जो पूर्व में हैं, बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की गई है। पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत भी 3220 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था है। बालिकाओं के सशक्तीकरण, जिसको ''सबला'' कहा गया है के अन्तर्गत 222.28 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए शबरी संकल्प अभियान के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं तथा पांच वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पुष्टाहार दिये जाने के लिए 262 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की गई है। .....

...माननीय नेता विरोधी दल द्वारा कहा गया कि पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं के भरण–पोषण एवं बच्चों की शिक्षा का बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सादर संज्ञान देना चाहता हूं कि या तो बजट ठीक से पढ़ा नहीं, निराश्रित विधवाओं के भरण–पोषण अनुदान के लिए 1129 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की गयी है, (सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपायी।) जिसका बजट भाषण के पृष्ठ–52 पर स्पष्ट उल्लेख है। सरकार द्वारा नई फेरी नीति, जिसके अंदर ठेला, खोमचा, रेड़ी, सड़क पर सब्जी बेचने वालों के व्यवस्थित पुनर्वास की दृष्टि से लायी गयी है, इसके अंदर उनका रजिस्ट्रेशन भी कराया जायेगा और व्यवस्थित पुनर्वास कराया जायेगा। मान्यवर, दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके लिए 4500 करोड़ रुपये की और प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी क्षेत्र है उसके लिए 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी इस बजट में की गयी है। (सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपायी।) दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गयी है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1885 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट के अंदर की गयी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत 2100 करोड़ रुपये की व्यवस्था पूरी तरह से की गयी है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आजीविका मिशन हेतु 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी इस बजट के अंदर की गयी है। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के लिए पं0 दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी हमने की है। बंधुआ श्रमिकों के बारे में भी चिंता करते हुए, उनके पुनर्वास के लिए बजट में 10 करोड़ 71 लाख रुपये की व्यवस्था भी मान्यवर, इस बजट में की गयी है। माननीय नेता विरोधी दल के द्वारा एक बात और कही गयी, उन्होंने कहा बजट के साहित्य के बारे में, साहित्य ऐसा होता है कि पुराने विधायक जो हैं इनको पढ़ने में कठिनाई होती है। मैं नहीं जानता था कि यह कठिनाई उनको आज अचानक कैसे दिखाई दे गयी। लेकिन इसे पोथी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए जो उन्होंने कहा, हमने विचार किया और विचार करने के बाद मैं आपके समक्ष अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले वर्ष तक बजट के अनुमानों को हजार रुपये के गुणांक में प्रदर्शित किया जाता था, जिससे कि बजट को पढ़ने में प्रायः दिक्कतें आती थीं। बजट को पढ़ने में सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने बजट अनुमानों को लाख रुपयों में (दशमलव के दो अंकों तक) प्रदर्शित किया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बजट साहित्य लैण्ड स्केप में मुद्रित होता था जिस कारण बजट परेशानी के साथ पढ़ा जाता था, उसको दायें–बांये किया जाता था, उसको घुमाना पड़ता था। उसको समाप्त करके इस असुविधा को दूर किया है और इसका मुद्रण पोट्रेट में करने का प्रयास किया है। अब बजट को घुमाना नहीं पड़ेगा बल्कि सीधा–सीधा पढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा और इसको पुस्तक की तरह बहुत आसानी से पढ़ सकेंगे।

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल, अब आप घुमा नहीं सकते।

(माननीय नेता विरोधी दल ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि जो बजट पुस्तिका में है वही वित्त मंत्री जी कह रहे हैं। अब मा0 मुख्यमंत्री जी बोलें।)

श्री राजेश अग्रवाल–

मान्यवर, भारत सरकार में वित्तीय वर्ष 2017–2018 से बजट में आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है तथा राजस्व एवं पूंजीगत वर्गीकरण को ही रखा गया है। तद्नुसार राज्य सरकार के बजट में भी वर्ष 2017–2018 से आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। बजट में आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर के वर्गीकरण को समाप्त करने की पहल भारत सरकार द्वारा की गयी है, जिसका अनुसरण राज्य सरकार ने पूरी तरह से किया है। मान्यवर, नेता विरोधी दल द्वारा सामान्य चर्चा में कहा गया कि यह बजट समाजवादी पार्टी की सरकार के बजट की नकल है। मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने किस प्रकार कह दिया, जबकि 2017–2018 का यह बजट 3 लाख, 84 हजार, 659 करोड़, 71 लाख रुपये का है और कहा गया कि अब तक का बजट जो इस सदन में पेश किया गया वह सबसे बड़ा बजट है। 2016–17 का बजट जो माननीय अखिलेश जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में पेश किया था.....

..... वह 3,02,687.83 करोड़ रुपये अर्थात् पिछले बजट से 81,972.38 करोड़ रुपये से अधिक दर्शाया गया है। किसानों को अगर कर्जमाफी 36,000 करोड़ रुपये और सातवें वित्त आयोग का 35,000 करोड़ रुपया जोड़कर 71,000 हजार करोड़ रुपये घटाने पर केवल 10,972.48 करोड़ रुपये की ही वृद्धि होती है इसको कोई नकार नहीं सकता है। मुद्रास्फीति की दर यदि इसकी गणना की जाय तो यह बजट पिछले वर्ष से काफी कम है। मान्यवर, हमारा बजट पिछले वर्षों के बजट से निःसन्देह बढ़ा है। यह तथ्य पर आधारित है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। माननीय नेता विरोधी दल ने बजट के आकार को कम दिखाने की दृष्टि से बजट के आकार में से किसानों की कर्जमाफी एवं सातवें वेतन आयोग के खर्चों को घटाकर तुलना की है। जबकि वास्तविकता यह है कि ऋण माफी और सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर लिये गये निर्णय से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय भार भी पूरी तरह से बजट का हिस्सा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बजट किसानों, दुर्बज वर्ग, महिलाओं, बालिकाओं, बुर्जुगों और युवा वर्ग के लिये उत्प्रेषित है। माननीय नेता विरोधी दल एवं माननीय सदस्य श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव जी द्वारा बजट की सामान्य चर्चा पर कहा गया था कि दवाओं में कमी हो गई है। अस्पतालों में दवा नहीं मिल रही है। जांच में पैसा लिया जाता है आदि आदि। डॉक्टर्स शहर में चले जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर्स नहीं हैं। मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल और माननीय सदस्य श्री यादव जी को उठाये गये बिन्दु के बारे में कहना चाहता हूं कि यह तथ्यात्मक नहीं है। तथ्य तो यह है कि मरीजों को पहले की अपेक्षा आसानी से दवाइयां मिल रही हैं। जांच आदि भी निःशुल्क हो रही है। मंडल मुख्यालयों के अतिरिक्त

18 जनपदों में भी डायलिसिस की सुविधा स्थापित करायी गई है। प्रदेश मे 150 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलन्स की निःशुल्क सुविधा दिनांक 13 अप्रैल, 2017 से प्रारम्भ की गयी है, जिसका लाभ गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों को मिल रहा है। हमारी सरकार आने पर प्रदेश में एक नयी कार्य संस्कृति बनी है जिसका सर्वाधिक प्रभाव स्वास्थ्य विभाग पर पड़ा है। सभी अस्पतालों में चिकित्सक समय से पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों की कमी को देखते हुए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। इससे डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। माननीय नेता विरोधी दल द्वारा बजट पर सामान्य चर्चा में कहा गया है कि एक और समाज का अंग है जो गरीबी, बेबसी और लाचारी से अपना जीवन–यापन करता है, वह है मछुआ समुदाय। 750 मछुआरों को लोहिया आवास आदि इस प्रकार की बात कही हैं। उन्होंने मछुआ समुदाय के लिये 2 लाख से भी अधिक निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना हम लोगों ने लागू की थी, ऐसा भी उन्होंने चित्रण किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं के वर्ष 2016–2017 में पूर्व सरकार के कार्यकाल में भारत सरकार द्वारा ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज के अन्तर्गत 33 जनपदों में 666 मछुआ आवासों के निर्माण की धनराशि प्रदेश को आवंटित की थी परन्तु पूर्व सरकार के द्वारा इन आवासों के लक्ष्यों के जनपदवार एवं पूर्व चयनित 33 जनपदों के स्थान पर मात्र 6 जनपदों तक ही सीमित रह पाया। समयान्तर्गत निर्णय न होने के कारण कार्यवाही विलम्बित रही। अब 2017–2018 में प्रदेश के 33 जनपदों में 666 मछुआ आवासों का निर्माण किये जाने की कार्यवाही तेजी से प्रक्रिया में है। तालाब, नदी, पोखरे और झील का पट्टा केवल मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को दिये जाने की व्यवस्था राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 1995 के अनुसार मछुआ समुदाय के इच्छुक पात्र व्यक्तियों को 0.2 हेक्टेअर से 2.0 हेक्टेअर तक व्यक्तिगत रूप से और 2.0 हेक्टेअर से अधिक मछुआ समुदाय की पंजीकृत मत्स्यजीवी सहकारी समितियों को प्रथम वरीयता के आधार पर आवंटित किया जाता है। यह व्यवस्था भी अभी यथावत् प्रभावी है। मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल का यह कहना भी ठीक नहीं है कि मछुआ दुघर्टना बीमा योजना समाप्त कर दी गई है। योजना चल रही है और इसके लिये हमने बजट में 20. 34 लाख रुपये की व्यवस्था भी पूरी तरह से की है। माननीय नेता विरोधी दल द्वारा बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था में भी बजट पर सामान्य चर्चा में कहा कि गरीब आदमी भी चाहता है कि हमारा घर प्रकाशित हो, हमको बिजली मिले।

लेकिन मैं पिछली सरकार के, देश के नेता माननीय मायावती जी और उसी के साथ साथ श्रीमन् पूर्व मंत्री अखिलेश जी ने जो एम0ओ0यू0 किये थे और उसको पूरा करवाने का जो काम था सारी व्यवस्था उन्होंने कर ली। उन्होंने मार्च में ही घोषणा की थी कि 18 घंटे गांव, 20 घंटे तहसील और 24 घंटे महानगरों को बिजली देने का काम करेंगें।...

..आपने अपने ए0एम0यू0 में हस्ताक्षरित किया है कि मुख्यमंत्री जी मैं आपसे कहता हूं कि आप हर जिले का शिड्यूल मंगा लीजिए।इस प्रकार की चर्चा आपके माध्यम

से आई। गांव में बिजली नहीं मिल रही है हालांकि अभी मांग बहुत अधिक नहीं है बिजली की आपूर्ति खराब है मैं आपके माध्यम से बिजली आपूर्ति के बारे में कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने 2010 में कुल आठ प्रोजेक्ट के लिए ए0एम0यू0साइन किया था। जिसमें 7 प्रोजेक्ट के ए0एम0यू0 का तीन बार समय से विस्तार किया गया, लेकिन अभी तक वह पूर्ण नहीं हो पाये। ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ऊर्जा क्षेत्रों में जितने भी कार्य अनुबन्ध किए गए हैं वह सभी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया से किए जाने हैं। ए0एम0यू0 समाप्त करने की कार्यवाही वर्तमान सरकार ने की है। वर्तमान सरकार ने गांव में 18 घण्टे, तहसीलों को 20 घंटे तथ महानगरों को 24 घंटे बिजली देने का काम रात्रिकालीन व्यवस्था में आरम्भ किया है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि गत वर्ष जहां अधिकतम पावर 348 मिलियन यूनिट प्रतिदिन आपूर्ति की गयी थी वहां इस वर्ष जून माह में 391 मिलियन यूनिट प्रतिदिन आपूर्ति की गयी है। मेगावाट की दृष्टि से भी गत वर्ष जून माह में अधिकतम लोड 15.501 मेगावाट था जबकि इस वर्ष अधिकतम लोड 17.886 मेगावाट जून माह के अन्तर्गत आया। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 18 घंटे, तहसील तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 20 घण्टे, जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का शिड्यूल है।माननीय नेता विरोधी दल द्वारा चर्चा में मान्यवर बच्चों के यूनीफार्म के बारे में कहा गया। आपने कहा कि यूनिफार्म नहीं बांटे हैं, बैग नहीं बांटे हैं बैग दूसरे प्रदेश में चले गये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क वितरित की जाने वाली यूनिफार्म का रंग खाकी था। हमने वर्तमान शैक्षिक सत्र में वितरित की जाने वाली यूनिफार्म का रंग एवं डिजाइन परिवर्तित कर उसे कान्वेन्ट स्कूल के बच्चों की तरह डिजाइन कर शीघ्र वितरित किये जाने के आदेश दिए हैं।

(मेजें थपथपाई गई)

यूनिफार्म वितरण जुलाई माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।इसी के साथ मान्यवर, कक्षा–1 से कक्षा–8 तक के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क बैग उपलब्ध कराने की भी बात है। निःशुल्क बैग की आपूर्ति प्राप्त कर बैग वितरण सुनिश्चित हो रहा है। कक्षा–1 से कक्षा–8 तक छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जा रही हैं जुलाई माह में पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हो जाएंगी। ऐसा लक्ष्य रखकर सरकार चल रही है। जहां तक अध्यापकों की कमी है मैं अवगत कराना चाहता हूं कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के अध्यापन हेतु लगभग 3.99 लाख अध्यापक कार्यरत हैं। छात्र अध्यापक अनुपात 1.29 है तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1.64 लाख अध्यापक तैनात हैं। छात्र अध्यापक का अनुपात 1.21 है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में छात्र अध्यापक अनुपात 1.30 एवं 1.35 निर्धारित है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा में अध्यापकों की कमी नहीं है। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा अधिवक्ताओं के बारे में कुछ चर्चा की गई मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने 40 करोड़ और आर्थिक

सहायता के लिये 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। लेकिन इस समय कोई व्यवस्था नहीं है आपने चिन्ता व्यक्त की।संकल्प पत्र में हर एक घर को निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण की भी बात आपने की। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपये तथा युवा अधिवक्ताओं के लिए कार्पस फण्ड हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत 14 से 35 आयु वर्ग के इच्छुक युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिलाये जाने की भी व्यवस्था है।वित्तीय वर्ष 2017–18 में कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये 150 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था है। जबकि गत वर्ष इस कार्यक्रम हेतु मात्र 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। मैं मा0 नेता विरोधी दल और माननीय लालजी वर्मा नेता विधायक दल बहुजन पार्टी द्वारा कि बहुत सी बजट में कटौती की गई है। उन्होंने कुछ मौलिक बिन्दु उठाने की भी बात रखी थी।...

मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राज्य की प्राप्तियों को राजस्व व्यय एवं पूॅजीगत व्यय दोनों में आवश्यकतानुसार बजट में रखा जाता है राजस्व व्यय में राज्य के वचनबद्ध व्यय एवं आवश्यक योजनाएं सम्मिलित होती हैं राजस्व व्यय के उपरान्त अवशेष संसाधनों को पूॅजीगत व्यय के लिए उपयोग किया जाय। निश्चित रूप से वर्ष 2017–18 में राजस्व व्यय में वृद्धि हुई है परन्तु बताना चाहता हूं कि राजस्व व्यय हमारी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार है। पूॅजीगत परिव्यय में हमने अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के दृष्टिगत व्यवस्था की है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा विकास प्रभावित नहीं हुआ है और यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य का विकास आगे भी कभी प्रभावित नहीं होने देंगे। माननीय नेता विरोधी दल ने यह भी कहा था कि किसानों को समय से खाद मिले उसके लिए हमने 100 करोड़ की व्यवस्था की थी मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि रसायनिक खादों के लिए और रसायनिक खाद के भण्डारण के लिए 100 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है। किसानों को मुफ्त सिंचाई हेतु 500 करोड़ की व्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है जब भी कोई नई सरकार आती है वह अपनी प्राथमिकताएं एवं जनता से किए हुए वायदों के अनुसार योजनाएं बनाती है जिन्हें क्रियान्वित करती है इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। क्योंकि बार–बार कुछ विषय आ रहे हैं विशेषकर एक विषय आया है कि हमने कुछ योजनाओं को बन्द किया है मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की किसी भी योजना को बन्द करने की बात नहीं है। विशेषकर समाजवादी पेंशन योजना की बात कई माननीय सदस्यों ने उठाई है मैं 13 अप्रैल 2017 का आपकी आज्ञा हो तो यह पढ़ना चाहता हूं कि 4 जुलाई 2014 का एक गजट नोटीफिकेशन जिसके अन्दर सुसंगत शासनादेशों का संदर्भ है उसमें कहा गया है कि यह पूर्व नाम समाजवादी पेंशन योजना है इसमें लिखा है कि लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में अभियान के रूप में भौतिक सत्यापन कराए जाने हेतु अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर योजना से हटाए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे। हम लोग इसकी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। अगर कहीं पर वह अपात्र पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से इसके बारे में चिन्ता होगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से किसानों के लिए अधिक से

अधिक उनको खाद मिले 100 करोड़ की व्यवस्था के बारे में मैंने कहा रसायनिक खादों के बारे में कहा और मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है यह अवधारणा लेकर हम इस कार्य को कर रहे हैं अन्त में एक बात माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी की आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यह भारी भरकम बजट 10.9 प्रतिशत बढ़ाकर जो प्रस्तुत किया है उसके बारे में चर्चा की बात की थी। मान्यवर, मैं बजट में प्रस्तावित पूॅजीगत परिव्यय के बारे में पहले ही बता चुका हूं स्वास्थ्य शिक्षा पेयजल अन्य विकास कार्यो में कटौती के सम्बंध में अवगत कराना है कि हमने स्वास्थ्य शिक्षा पेयजल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बजट में पर्याप्त व्यवस्था की है। जिससे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में वित्तीय वर्ष 2016–2017 में 6974 करोड़ चौंतीस लाख रुपए की व्यवस्था थी जबकि वित्तीय वर्ष 2017–18 में हमारी सरकार ने 7,194.57 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। शिक्षा में 2016–17 में 94, 807 करोड़ 86 लाख रुपये की व्यवस्था थी जबकि वित्तीय वर्ष 2017–18 में हमारी सरकार ने 62 हजार 350.78 करोड़ की व्यवस्था की।ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल की व्यवस्था के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में 2100 करोड़ की व्यवस्था है जबकि वित्तीय वर्ष 2017–18 में हमारी सरकार ने 3800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी का एक विषय और आया था चर्चा में कि तीन महीने की जो राजस्व प्राप्तियां हैं उसका भी जरूर उल्लेख करें मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इतना बताना चाहता हूं कि राजस्व प्राप्तियां अभी तीन माह में अपेक्षानुसार नहीं हुई हैं। परन्तु राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम करापवंचन पर प्रभावी रोक लगाएंगे ऐसा पूरा–पूरा विश्वास करके चल रहे हैं। संसाधनों में वृद्धि के लिए हमने संसाधन समिति का गठन किया है जो जनता पर कर का बोझ डाले वगैर आय के नए स्रोत तलाशेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वित्त मंत्री जी अभी कितना समय लेंगे।

श्री राजेश अग्रवाल–

मैं बस दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। राज्य की आय का मुख्य स्रोत मूल्य संवर्धित कर जिसका स्थान राज्य वस्तु एवं सेवा कर ने ले लिया है।

...उल्लेखनीय है कि हमारा राज्य मुख्यतः एक कन्ज्यूमिंग स्टेट है, अतः राज्य वस्तु एवं सेवा कर से राज्य की आय में काफी वृद्धि अनुमानित है। हमारे पूरे प्रयास रहेंगे कि राजस्व प्राप्तियों का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। मैं कांग्रेस के नेता श्री अजय कुमार लल्लू जी के बारे में भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने इंसेफलाईटिस की चर्चा की। मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं कि वैक्टर जनित रोगों के लिये जिला टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। इंसेफलाईटिस एक बहुत गम्भीर बीमारी है और यह सरकार पूरी तरह से उसके ऊपर कार्य कर रही है। लगभग–लगभग 7 जनपद जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं वहां पर कार्य बहुत तेजी से प्रारम्भ हो चुका है। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 104 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कार्य कर रहे हैं और इसके साथ हम लोगों ने 38 जनपदों का लक्ष्य भी पूरा किया है। अपनी सरकार का यह बजट जो मैंने आपके माध्यम से रखने का प्रयास किया था, जिसका हमारा लक्ष्य था अन्त्योदय प्रण है, अन्त्योदय पथ है और

पथ जो हमारा है वह अन्त्योदय है। अन्त में मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता विरोधी दल, आप कुछ स्पष्टीकरण चाहेंगे?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, पहले मा0 मुख्यमंत्री जी बोल लें, उसके बाद हम बोल लेंगे। परम्परा यही है कि या तो मा0 मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री जी के पहले बोल लेते या मा0 मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बजट पेश किया होता या वित्त मंत्री जी के भाषण के पहले मा0 मुख्यमंत्री जी का भाषण हो गया होता। अन्तिम भाषण तो मा0 मुख्यमंत्री जी का होगा तो जब वित्त मंत्री जी का भाषण हो गया और हमारा हो गया तो मा0 नेता सदन के बोलने का कोई औचित्य ही नहीं रह जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मुख्य मंत्री जी।

(सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)

ख04रू45, मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की इस सरकार के इस पहले बजट पर सदन में बड़ी सारगर्भित चर्चा हुई। हमारे मा0 वित्त मंत्री जी ने सदस्यों के द्वारा उठाये गये प्रश्नों खासतौर से विपक्ष के हमारे मा0 सदस्यों के द्वारा उठाये गये प्रश्नों का, उनके द्वारा व्यक्त की गयी आशंकाओं का समुचित जवाब दिया है। पूरी चर्चा में 74 मा0 सदस्यों ने भाग लिया है, जिसमें सत्ता पक्ष के 46 मा0 सदस्य थे और विपक्ष के 27 मा0 सदस्य थे। मा0 वित्त मंत्री जी ने उसका जवाब दिया है। अब 75वें नम्बर पर इस पूरी चर्चा में भाग लेकर के मुझे लगता है कि इसके बाद किसी सदस्य के पास कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिये। महोदय, मैं इस सम्पूर्ण चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों के प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं, साधुवाद भी व्यक्त करता हूं (सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपाई गयीं) कि इतनी बड़ी संख्या में मा0 सदस्यों ने भाग लिया है। राज्य के विकास के प्रति यह उनकी अभिरूचि को प्रदर्शित करता है और यह भावना इस बात को भी इंगित करती है कि राज्य के विकास के प्रति मा0 सदस्यगण रूचि ले रहे हैं। अन्त्योदय के प्रणेता पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि कुछ लोगों की मनमानी हरकत को लोकतंत्र नहीं कहते।...

... लोकतंत्र वह है जिसमें राष्ट्रीय नवरचना में आम लोगों का योगदान होता है। राष्ट्र नवरचना के कार्यों का शुभारम्भ ग्रामीण अंचल से ही होना चाहिये। जीवन का मूल एवं प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत और विकास का क्रम भी यही है। पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी का यह जन्मसती वर्ष है और 25 सितम्बर को उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार भी पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी की जन्मसती वर्ष के अवसर पर होने

वाले कार्यक्रमों के इस पूरे समारोह में भागीदार बनेगी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने मुगलसराय नगर का नाम और वहां के रेलवे जंक्शन का नाम पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा है। यह हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी की जन्मशती वर्ष में प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होता है। प्रचण्ड बहुमत के साथ सरकार बनती है और उनके अन्त्योदय के उस मंत्र से प्रेरणा प्राप्त करके इस सरकार ने जो पहला बजट प्रस्तुत किया है वह बजट इस प्रदेश के गांवों को, इस प्रदेश के गरीब को, इस प्रदेश के दलित को, इस प्रदेश की महिला को, प्रदेश के युवा को और प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के हर तबके के लिए समर्पित बजट है और मैं इसके लिए अपने वित्त मंत्री और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से साधुवाद देता हूं। यह बजट प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, इसके लिए भी वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। महोदय, यह बजट वित्तीय वर्ष 2017–18 का इसलिये भी अविस्मरणीय होगा क्योंकि पहली बार प्रदेश के इतिहास में उत्तर प्रदेश की राजनीति का केन्द्र बिन्दु उत्तर प्रदेश का किसान बन रहा है। प्रदेश में नारे तो बहुत लगते थे, राजनीतिक दलों ने घोषणायें भी बहुत की थी, लेकिन किसान कभी राजनीति के एजेण्डे का हिस्सा नहीं बन पाया था। दुर्भाग्य है कि पिछले बीस वर्षों के अंदर, पच्चीस वर्षों के अंदर प्रदेश के राजनीति का केन्द्र बिन्दु जाति बनी, परिवार बना, तमाम चीजें बनी, सामाजिक ताने–बाने को छिन्न–भिन्न करके प्रदेश के विकास को अवरूद्ध कर दिया। आजादी के समय देश के अंदर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय का प्रदेश आज देश के अंदर सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है।

इस जातिवाद की राजनीति के कारण, इस परिवारवाद की राजनीति के कारण और इस जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को तिलान्जली देने के लिए ही जनता ने हमे यहां भेजा है और इसीलिये हम लोगों ने किसानों को केन्द्र में रखकर कृषि आधारित बजट बनाया है। पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय से प्रेरणा प्राप्त करके हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुये इस प्रदेश के गांव, इस प्रदेश के गरीब, इस प्रदेश के किसान, इस प्रदेश के मजदूर और प्रदेश की महिला और युवाओं को समर्पित बजट प्रस्तुत कर सके इसलिये बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया मैं उनको और उनकी पूरी टीम को बधाई दूँगा। हमारे सामने एक चैलेन्ज था। महोदय चैलेन्ज इस रूप में कि छत्तीस हजार करोड़ रुपये और छियासी लाख लघु और सीमान्त किसान। मुझे लगता है कि देश के अंदर बहुत सारे राज्यों की आबादी छियासी लाख नहीं होगी और दुनिया के अंदर बहुत सारे देश हैं जिनकी आबादी भी छियासी लाख नहीं है, लेकिन छियासी लाख लघु और सीमान्त किसानों के फसली ऋण माफ करने का बीड़ा हमने उठाया है। लोग कहते थे कि कैसे करेंगे, कहां से लायेंगे। हमारे पत्रकार मित्र भी और विपक्ष में बैठे लोग हंसते थे और कहते थे कि यह लोग कर ही नहीं पायेंगे। यह लोग हंसी के पात्र बन जायेंगे। श्रीमन्, जैसे ही हम लोगों ने बैठकर लघु और सीमांत किसानों के फसली ऋण को माफ करने का हमारी कैबिनेट ने फैसला लिया तो रिजर्व बैंक ने भी कह दिया कि कोई बांड जारी नहीं होगा। मान्यवर, बैंकर्स पीछे

भागने लग गये थे। उसके पीछे कारण था कि प्रदेश की विश्वसनीयता को दांव पर लगाया था हमारे इन मित्रों ने। मान्यवर, प्रदेश पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। एफ0आर0बी0एम की जो लिमिट थी ये पहले ही उसको पार कर चुके थे इसलिए कोई भी प्रदेश को लोन देने को तैयार नहीं था। मान्यवर, हम लोग जब अपने वित्त मंत्री के साथ तथा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ बैठे थे तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोगों को कुछ करना है। खजाना खाली है, लेकिन कार्य करके हम लोग कुछ तो करेंगे और तब हम लोगों के मन में सूझा था कि ''वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हों नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हों'' (मेजों की थपथपाहट)। मा0 अध्यक्ष जी, हम लोगों ने तय किया कि हम बाहर से पैसा नहीं मांगेंगे। हम बैंको से ऋण भी नहीं लेंगे। हम प्रदेश के किसी भी नागरिक को गिरवी नहीं रखेंगे। हां, प्रदेश को स्वावलम्बी बनायेंगे, आत्मनिर्भर बनायेंगे। आपको याद होगा हमारे एक–एक मंत्री और हरेक ने काम करना प्रारम्भ किया। मेहनत करना प्रारम्भ किया। हमने सबसे सहयोग लिया क्योंकि विरासत में खजाना खाली था और इतनी राजनीतिक घोषणाएं थीं, ऐसा लगता था कि जैसे प्रदेश का चीर हरण करके रख दिया हो इन लोगों ने। और, उसके बाद जो स्थितियां हमारे सामने थी हम लोगों ने कहा इन स्थितियों के कारण इस 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान हम लोग अपने बजट से करेंगे। मान्यवर, मैं हमेशा इस बात को सोचता हूं उ0प्र0 बाईस करोड़ आबादी का प्रदेश है। इसका बजट तीन लाख करोड़ का है, इस तीन लाख करोड़ रुपये में हम क्या दे पायेंगे उ0प्र0 की जनता को प्रदेश में स्वास्थ्य, प्रदेश में शिक्षा, प्रदेश में सड़क, प्रदेश में शुद्ध पेयजल, प्रदेश की अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो हम इसके ढांचागत विकास की बात कैसे कर पायेंगे ? मान्यवर, इसीलिए पहली बार प्रयास हुआ कि लगभग चार लाख करोड़ रुपये का भारी–भरकम बजट बनाने का प्रयास हो और उ0प्र0 इतिहास में पहली बार तीन लाख चौरासी हजार करोड़ रुपये से ऊपर का बजट इस सरकार ने प्रस्तुत किया है। मान्यवर, यह बजट जिसमें हम लोगों ने 36 हजार करोड़ रुपये का लघु और सीमांत किसानों के फसली योजना की माफी तय की है। साथ ही साथ प्रदेश के उन कर्मचारियों का जिनके बल पर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मान्यवर, उनको तीस हजार करोड़ रुपये का सेवंथ पे कमीशन का भुगतान भी इस बजट में शामिल किया गया है। मान्यवर, मैं जानता हूं कि अगर दुर्भाग्य से यह लोग सत्ता में आये होते तो प्रदेश के कर्मचारी वेतन नहीं पाते क्योंकि इनके इतने फिजूल खर्चे थे और इतनी वित्तीय अनुशासनहीनता थी कि यह लोग कुछ नहीं कर पाते, लेकिन बेहतर वित्तीय अनुशासन कैसा होना चाहिए वह इस बजट में प्रस्तुत किया गया और इसीलिए मैं यह कह सकता हूं कि यह बजट किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब या किसी के तुष्टिकरण के लिए नहीं बल्कि प्रदेश की हर बहन, हर बेटी, हर महिला, हर मां, हर किसान, हर नौजवान, हर मजदूर और प्रदेश के हर युवा के लिए समर्पित यह बजट है जिसके लिए मैं अपने वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर के देश के अंदर उ0प्र0 का बजट इस रूप से

प्रस्तुत किया। महोदय, अगर आप देखेंगे कि बजट प्रस्तुत होने के बाद देश के अंदर सबसे लोकप्रिय किन्हीं कार्यक्रमों को सफलता मिली है उसमें से उ0प्र0 का विधान सभा में रखा गया यह बजट भी एक है। महोदय, देश जानता है कि हमारी नीयत में खोट नहीं है।

हम अच्छा करना चाहते हैं और इसलिए देश के अंदर जो लोकप्रिय घटनायें बजट के दिन थीं उनमें से उत्तर प्रदेश का बजट भी एक था। क्योंकि हर व्यक्ति ने इस बात को सराहा है हर तबके ने वित्तीय संस्थाओं ने इसको सराहा है। जो लोग बजट प्रस्तुत होने से पहले हम लोगों से बातचीत करने में संकोच करते थे आज वह लोग आफर कर रहे हैं कि हम लोगों को नहीं मालूम था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार का चमत्कार हो रहा है।

अब हम आना चाहते हैं हमें भी अवसर दिया जाये। अब वह लोग आना चाहते हैं। एक विश्वास के संकल्प को इस बजट ने प्रदर्शित किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह बजट आम आदमी के विश्वास का प्रतीक है। यह बजट जनसामान्य की आकांक्षाओं का प्रतीक है और यह बजट हर वर्ग की उम्मीदों का बजट है। इस बजट में हर समुदाय का ख्याल रखा गया है। कोई नहीं कह सकता है कि सरकार ने हमारे हितों के लिए कोई प्राविधान बजट में नहीं किया है। हर तबके को इसमें महत्व दिया गया है। हर एक के लिए इस प्रकार की व्यवस्था दी गयी है। बजट के दिन मैं नेता प्रतिपक्ष की बात को सुन रहा था। यह परिपाटी है कि बजट के दिन नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे तो मुझे यहां रहना ही था। मैं देखकर चौंक रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष सीधे बलिया से चले आये हों और उन्होंने पढ़ा भी नहीं हो, देखा भी नहीं हो, उन्होंने अपना एक केवल राजनीतिक भाषण देना शुरू कर दिया। यह भी नहीं है वह भी नहीं है यह खोखला है इसका उपेक्षा कर दिया गया उसका उपेक्षा कर दिया गया। लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष को और विपक्ष में बैठे हुए सभी सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हमने बजट को एक संतुलित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और उसमें किसी भी तबके की कोई उपेक्षा नहीं की है। उसमें सबको बराबर सहभाग करने का प्रयास किया गया है और उस क्रम में कृषि एवं सम्बद्ध कार्यों के लिए 67682.61 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो गत वर्ष में मात्र 29 हजार 771 करोड़ 85 लाख रुपये मात्र था। महोदय गत वर्ष कृषि एवं सम्बद्ध कार्यों के लिए इन्होंने जितना प्राविधान किया था उसकी तुलना में हम लोगों ने 37910.76 करोड़ रुपये अधिक का प्राविधान किया है। ग्राम्य विकास, भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था का देश है और उत्तर प्रदेश उसकी आत्मा है। उत्तर प्रदेश में अगर हम ग्रामों का विकास नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ग्राम्य विकास के लिए भी हम लोगों ने जो प्राविधान किया है। 18222.61 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो गतवर्ष की तुलना में 07 प्रतिशत अधिक बजट है। जो पिछली बार इन्होंने व्यवस्था की थी उससे 07 प्रतिशत अतिरिक्त का प्राविधान हमने इस बजट में किया है। पंचायती राज के लिए 14867.74 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो गतवर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है।

शिक्षा की योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में इन्होंने व्यवस्था की थी 49807.86 करोड़ की, जबकि इस वर्ष हमने 62350.78 करोड़ की व्यवस्था की है। छात्रवृत्ति योजना, जो छात्रवृत्ति की आप बात कर रहे थे। छात्रवृत्ति में आप कह रहे थे कि इनका काट दिया उनका कर दिया। छात्रवृत्ति में हम लोगों ने इस बार 4802 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो गतवर्ष की तुलना में 04 प्रतिशत अतिरिक्त है। महोदय, टेक्निकल एजूकेशन में और जो वोकेशनल एजूकेशन है उसमें भी हम लोगों ने 06 सौ उन्यासी दशमलव 30 करोड़ और 994.55 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो पिछले वर्ष की तुलना में 02 प्रतिशत और 18 प्रतिशत अधिक है।

... कौशल विकास के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, यानी इनकी तुलना में लगभग ढाई सौ गुना ज्यादा है। (मेजें थपथपाई गईं) कौशल विकास से इनको कोई मतलब नहीं। वैसे भी आज के समाजवादियों को शिक्षा का विरोधी माना जाता है, इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं, इसलिए शिक्षा का बजट ये लोग कम करते रहे हैं। कौशल विकास से इनको कोई मतलब नहीं, यानी देश के अन्दर पहली बार कौशल विकास की बात हो रही है। गांव के राजमिस्त्री को भी हम प्रशिक्षित करके, दुनिया के अन्दर वह जा करके अपनी उस कला का प्रदर्शन कर सके, इस दृष्टि से कौशल विकास एक अभिनव योजना है। गांव में क्या नहीं है? परम्परागत रूप से वे पेशे चले आ रहे हैं, लेकिन उनके स्किल को कभी सरकारों ने महत्व नहीं दिया। पहली बार देश के आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के अन्दर स्किल डेवलपमेण्ट का एक अलग मंत्रालय गठित करके देश के स्किल को आगे बढ़ाने का कार्य किया, उसके प्रशिक्षण की योजना तैयार की और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी महोदय, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस था और उस दिन हमारे सहयोगी मंत्री, श्री चेतन चौहान जी ने और उनके मंत्रालय ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, उस कार्यक्रम में यानी गांव में कार्य करने वाले, गांव की उन बालिकाओं ने, गांव के नौजवानों ने जिनकी प्रतिभा को कभी सरकारों ने जानने का प्रयास नहीं किया।

उन्हें प्रशिक्षण दे करके उनको रोजगार के साथ कैसे जोड़ा। वे बालिकाएं कहती थीं कि हमने हाई स्कूल पास किया था, घर में बैठे थे, कोई पूछने वाला नहीं था, निराशा होती थी, हमें पता लगा कि सरकार ने कार्यक्रम प्रारम्भ किया है, 03 महीने हम लोगों ने ट्रेनिंग ली और हमें रोजगार मेले में रोजगार मिला, आज हम 12 हजार से 15 हजार रुपये घर में बैठे–बैठे कमा रहे हैं और ऐसे 03 महीने के दौरान हम लोगों ने 6 लाख से अधिक नौजवानों का पंजीकरण कराया है और हम लोगों का लक्ष्य है कि इस वर्ष हम लोग 10 लाख नौजवानों को स्किल डेवलपमेण्ट में प्रशिक्षित करके उनको हम नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। हम लोगों ने इसीलिए पैसे की व्यवस्था इसके लिए की है। स्किल डेवलपमेण्ट इसी दृष्टि से आवश्यक है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा यही है। 10 लाख नौजवानों को हम इस वर्ष प्रशिक्षित करने जा रहे हैं और 05 वर्ष में हम 70 लाख नौजवानों को यह व्यवस्था देने जा रहे हैं, देने की व्यवस्था कर रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 2016–17 में 6974.34 करोड़ रुपये

की व्यवस्था थी, जब कि इस वर्ष हम लोगों ने 2017–18 में 7194.57 करोड़ रुपये की व्यवस्था इसमें की है। नगर विकास के लिए, जिसमें मुख्यतः अवस्थापना सुविधाओं के विकास की योजनाएँ हैं, इसमें गत वर्ष 8267.80 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी जब कि इस वर्ष हम लोगों 13189.01 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो गत वर्ष की तुलना में 60 प्रतिशत ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था के लिए गत वर्ष 2100 करोड़ रुपये की व्यवस्था इन्होंने की थी, जब कि इस वर्ष हम लोगों ने 3800 करोड़ रुपये की व्यवस्था इसके माध्यम से की है और इसके साथ ही बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल और विन्ध्य क्षेत्र, इसके लिए 2800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की है, जिसमें हम सर्फेस वाटर की सप्लाई इन क्षेत्रों में कर सकें। प्रदेश में सड़कों के अनुरक्षण और उन्हें गड्ढा मुक्त करने के लिए 3972 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो गत वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। महोदय, इसके अलावा प्रदेश के अन्दर, विकास से मुझे लगता है, आप लोगों का कोई लेना–देना तो नहीं रहा होगा और इसीलिए प्रदेश के अन्दर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो एयरस्ट्रिप थी, इनके बारे में वैसे आप लोग विकास से बहुत दूर हैं, विकास से दूरी बनाये रखते हैं।

...क्योंकि समाजवादियों का एक आचरण होता है, वह चाहते हैं कि विकास न हो, स्वयं का विकास हो, परन्तु देश का प्रदेश का न हो, इसलिए एयर स्ट्रिप के बारे में कुछ नहीं किया आप लोगों ने, हम लोगों ने तो शुरू कर दिया है और हम लोगों ने बजट में ही व्यवस्था किया, 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था हम लोगों ने की है, हम प्रदेश के अन्दर रीजनल कनेक्टिविटी के माध्यम से एक दूसरे महानगर को हवाई सेवा के साथ जोड़ने वाले हैं। अभी हम लोगों ने मथुरा–वृन्दावन आप लोगों ने तो मथुरा–वृन्दावन तक को नहीं छोड़ा, उसका विकास तक वंचित कर दिया। मथुरा–वृन्दावन का कैसे हवाई सैर लोग कर सकें और परिक्रमा को देख सकें, जो बुजुर्ग हैं, वह लोग कैसे कर सकें, गोवर्धन की उस परिक्रमा को भी हम लोगों ने उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया है, बहुत शीघ्र हम इसको और भी स्थानों पर प्रारम्भ करने जा रहे हैं। हम लोग जेवर में इण्टर नेशनल एयर पोर्ट देने जा रहे हैं, आगरा के एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए धनराशि की व्यवस्था इस बजट में हम लोगों ने कर दिया है। लखनऊ के एयरपोर्ट का भी विस्तार करने जा रहे हैं, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी इन सब के बारे में कार्य–योजना लेकर के आये हैं और इस बजट में व्यवस्था हो रही है। इन्होंने कहा कि महिला विरोधी है यह बजट, पता नहीं मा0 रीता जी ने बजट में इनको जवाब दिया कि नहीं दिया।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

जवाब दिया है।

श्री योगी आदित्यनाथ–

दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महिला एवं बाल विकास की योजनाओं के लिए यानी रेस्क्यू वैन भी रीता जी ने मात्र 100 दिन में 64

अतिरिक्त चलवा दी हैं प्रदेश में, 181 हम जब एण्टी रोमियो स्क्वायड का गठन करते हैं तब सबसे अधिक परेशानी आप ही लोगों को होती है और जब 181 नम्बर हम लोग जारी करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको परेशानी होनी ही होनी है और इसीलिए 100 दिन के अन्दर 64 रेस्क्यू वैन प्रदेश के अन्दर चलाकर के महिलाओं की सुरक्षा के प्रति एक नई जागरूकता पैदा करने के साथ–साथ हमने बजट में भी महिला एवं बाल विकास की योजनाओं के लिए 6353.56 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो गत वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत अधिक है। निराश्रित विधवाओं के भरण–पोषण और उनके अनुदान के लिए 1129.78 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो गतवर्ष की तुलना में 77 प्रतिशत अधिक है। आप किस उसकी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उनके लिए व्यवस्था नहीं है, हम कह रहे हैं हमने जो व्यवस्था की है आपसे कई गुना ज्यादा की है, कहीं ज्यादा की है और इसीलिए अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ जो संचालित योजनायें हैं 23690. 86 करोड़ रुपये की हम लोगों ने व्यवस्था की है जो गत वर्षों की तुलना में पांच प्रतिशत अधिक हम लोगों ने व्यवस्था की है। वृद्धा पेन्शन, किसान पेन्शन योजना के लिए भी 1885 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, जे गतवर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। महोदय द्वियांगों के भरण–पोषण अनुदान के लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो गतवर्ष की तुलना में 70 प्रतिशत अधिक है और पुलिस की व्यवस्था के अन्तर्गत 16116.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो गतवर्ष की तुलना में सात प्रतिशत अधिक व्यवस्था इसमें की गई है। प्रदेश विकास करेगा कैसे, जब केन्द्र के साथ इनका कोई समन्वय नहीं था, यह केवल झूठे नारे देते थे, झूठी घोषणायें करते थे और केन्द्र के द्वारा जो कल्याणकारी योजनायें घोषित की गई होती हैं, उन योजनाओं के साथ कभी भी समन्वय स्थापित कर के इन लोगों ने कभी समन्वय नहीं किया, इसका परिणाम क्या था, प्रदेश में किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, नौजवानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, महिलायें योजनाओं से वंचित होती थीं, बालक उन योजनाओं से वंचित होते थे, बालिकायें उन योजनाओं से वंचित होती थीं और यह सौभाग्य है उत्तर प्रदेश का कि केन्द्र और प्रदेश में एक समान विचार वाली, एक समान विचारधारा वाली सरकार है और उसका लाभ प्रदेश की सरकार लेने जा रही है और उसका लाभ प्रदेश की सरकार लेने जा रही है। तीन वर्ष की केन्द्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार का कार्यकाल देश की आजादी के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जायेगा। हर पखवाड़े एक नई योजना। प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं हमे इन आम नागरिकों को स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना चाहिए इसलिए हमारी योजनाओं का केन्द्र बिन्दु लोक कल्याण होना चाहिए लोक लुभावन नही। लोक लुभावन नारे कुछ दूरी तक और कुछ देर तक समाज को और कुछ लोगों को भले ही लुभा सकते हों लेकिन कल्याण किसी का नहीं कर सकते और उस लोक कल्याणकारी अभियान से ही प्रेरणा प्राप्त करके हम लोग यह कर पा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसी अभियान से प्रेरणा प्राप्त करके हम

कुछ कर पा रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने यह तय किया कि केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ प्रदेश के अन्दर जोड़कर प्रदेश के नागरिकों को मिलना ही चाहिए और उसके लिए हर विभाग उस स्तर पर कार्य कर रहा है। महोदय सी0आर0एफ0 एक योजना है केन्द्रीय सड़क निधि। केन्द्रीय सड़क निधि में प्रदेश का जो हिस्सा था, आबादी के अनुसार मुश्किल से प्रदेश को सवा दो सौ करोड़ प्रदेश का हिस्सा था और उसमें भी यह होना चाहिए था कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जो पैसा केन्द्र सरकार दे रही है। उसका यू0सी आपको भेजना पड़ेगा, हर साल भेजना पड़ेगा। श्रीमान जी लोग तो पैसा खर्च कर लेते थे दूसरे कार्यों में। आया सड़क के लिए पता लगा कि सैफई में स्टेडियम में खर्च हो गया। आया सड़क के लिए स्वीमिंग पूल में खर्च हो गया, सैफई महोत्सव में खर्च हो गया। प्रदेश में जनता भूखों मर रही है। प्रदेश में यहां की जनता स्वास्थ्य की सुविधा में मर रही है। प्रदेश में जनता पेय जल के अभाव में मर रही है। प्रदेश में सड़के, अच्छा हुआ गनीमत करिये कि श्वेत पत्र लेकर यह सरकार नहीं आई। जिस दिन श्वेत पत्र जारी हो जायेगा मुझे लगता है कि अभी तक तो हम लोगों ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की है कहीं ऐसा न हो कि उत्तर प्रदेश सपा बसपा मुक्त हो जाये। गनीमत करिये। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जायेगी। जिस निर्ममता के साथ प्रदेश के साथ इन दोनों दलों ने जिस निर्ममता के साथ लूट–घसोट की है, जिस प्रकार से नोचा है, मुझे लगता है कोई सभ्य समाज उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। करना भी नहीं चाहिए और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि योजना किसी और के लिए पैसा ही नहीं आता था क्योंकि यहां से यू0सी0 नहीं जाता था। हम लोगों ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी समय पर प्रस्तुत किया और एक साथ प्रदेश की सड़कों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये हम लोग केवल सी0आर0एफ0 के अन्तर्गत लेकर आयें हैं। प्रदेश के अन्दर भी सड़के चौड़ी बन सकें, गांव के लोग भी शहरों की तरह अच्छी सड़कों पर चल सके। उस परिकल्पना को साकार करने के लिए फिर बात–चीत हुई एक योजना बनाई और उस योजना के अन्तर्गत तब फिर यह कार्य प्रारम्भ हुआ और उसी प्रकार से अन्य योजनाओं के लिए भी महोदय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए हम लोगों ने जो केन्द्र सरकार के सहयोग से उस योजना में कार्य किया जाना था उसमें हम लोगों ने भी धनराशि दी, केन्द्र सरकार से भी आया है 968.57 करोड़ रुपये की हमने व्यवस्था की है जो गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक भी है और केन्द्र के साथ मिलने के साथ इस योजना का लाभ प्रदेश की जनता को बहुत बेहतर तरीके से मिल पायेगा। इसी प्रकार से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत ही 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था हम लोगों ने की है जो गत वर्ष की तुलना में 12 गुना अधिक है। आप अनुमान करिये कि 12 गुना अधिक होने के बाद क्या स्थिति होगी। स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता से आप लोगों का बहुत रिश्ता नहीं है क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं और इसीलिए आप लोगों ने तो मां गंगा को भी नहीं छोड़ा है और अब लोग गायत्री नाम भी अपने परिवार में रखना बन्द कर देंगे। महोदय, पहली बार हो रहा है कि गंगा जी के किनारे जो 1627 गांव थे, इन गांवों

को खुले में शौच से मुक्त करना था लेकिन इन लोगों ने कोई रुचि नहीं ली, कार्य ही नहीं किया। देश के अन्दर प्रदेश की जो स्वच्छता की रैंकिंग आई तो 100 गन्दे शहरों में 52 उत्तर प्रदेश के थे। ये आपकी विरासत है। 1627 गांवों के बारे में कोई चिन्ता नहीं। एक भी जिला ऐसा नहीं था जिसको ये लोग ओ0डी0एफ0 घोषित कर चुके हों। कोई रुचि ही नहीं थी।

ये सरकार आई 100 दिनों के अन्दर गंगा किनारे 1627 गांव ओ0डी0एफ0 घोषित हो गए हैं, खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। अब भारत सरकार स्वयं, भारत सरकार के मा0 ग्राम्य विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी का पत्र आ गया है कि इसके हम उत्तर प्रदेश में आकर के ही उन सभी सम्मानित ग्राम प्रधानों को और जनप्रतिनिधियों को, इसमें हमारे विधायकों ने भी योगदान किया है। हमारे मंत्रीगण गए हैं और वे लोग उसके लिए इन लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं। जो 1627 गांव ओ0डी0एफ0 घोषित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के अन्दर हमारे लगभग 2 जनपद ऐसे हैं जो ओ0डी0एफ0 घोषित हो गए हैं और हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग 31 दिसम्बर तक प्रदेश के 30 जिलों को ओ0डी0एफ0 घोषित करें। इसमें मैं आपका भी सहयोग चाहूँगा। आपका भी सहयोग इसमें मिले। सरकार के साथ मिल करके चलिए विकास होगा। विकास की योजनाओं को लेकर के चलिए। मैं बहुत सारी योजनाओं को आपके लिए भी ले आया हूं। आप अगर इन योजनाओं को लेकर जाएंगे तो अगली बार यहां आ पाएंगे। अन्यथा अगर हमारा कोई जनप्रतिनिधि ही वहां चला गया तो दोबारा आना भी कठिन हो जाएगा और इसलिए मैं ये सब योजनाएं आप ही के लिए लेकर आया हूं क्योंकि हमारे सब लोग तो जा रहे हैं, सब मा0 सदस्य जा रहे हैं, जगह–जगह जा रहे हैं और इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने 3255 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो गत वर्ष की तुलना में 100 प्रतिशत अधिक है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र में इसमें हम लोगों ने 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो गत वर्ष की तुलना में 67 प्रतिशत अधिक है। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसमें 2990.88 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष की तुलना में दुगना है। प्रधान मंत्री आवास योजना कितनी बड़ी योजना है और हमारे नेता प्रतिपक्ष, महोदय मैं देख रहा था, उस दिन कह रहे थे कि हमने 700 कुछ मकान बनाए, पीठ थपथपा रहे थे। मैं सोच रहा था कि 700 कुछ मकान बनाने पर ये श्रीमान जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कैसे इस प्रदेश का कल्याण होगा। इस प्रदेश के अन्दर अगर आप 2011 की सूची ही देखेंगे तो 24 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास अपना आवास नहीं है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट देखेंगे तो 24 लाख से भी अधिक ऐसे परिवार हैं और 700 मकान दे दिए, इसी में आप पीठ थपथपा रहे हैं। मात्र 100 दिन के अन्दर हमारे ग्राम्य विकास मंत्री ने कितना काम किया है और हम लोगों ने ग्राम्य विकास मंत्रालय ने 100 दिन के अन्दर 6 लाख अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और उनका पैसा जा चुका है। इस वर्ष 10 लाख लोगों को हम आवास देने जा रहे हैं और मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा, आप अपनी विधान सभा में जाइए, उन गरीबों को सर्टिफिकेट बांटिए। यहां न

कोई जाति भेद है, न कोई वर्ग भेद है। जो उस सूची में आएगा, हम लोगों ने कोई भेदभाव नहीं किया। जो पात्रता की सूची में है उसको दो, जो बचेगा हम उसको बाद में जरूर देंगे। मुछआ आवास में भी आप लोगों ने उनका हक ही मार दिया। आदरणीय कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वर्ष 1991 में उन्होंने उस समय पट्टे किये थे पोखरों के, तालाबों के, नदियों के, घाटों के और उस व्यवस्था को मछुआ समुदाय को उन्होंने दिया था। निषाद है, केवट है, बिंद है, मल्लाह है, मांझी है, इन सभी जातियों को उन्होंने उस समय ये पट्टे आवंटित करने की व्यवस्था की थी और इन लोगों ने वर्ष 2015 में वह व्यवस्था ही समाप्त कर दी है। सारा लाभ उनका भी हड़पने का प्रयास किया है। क्या प्रदेश के अंदर केवल 700 के आस पास ही मछुआ समुदाय के लोग हैं। इतनी बड़ी आबादी और उस आबादी को 700 मकान देकर के लोग पीठ थपथपा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उन सभी लोगों के लिए हमने अपने इस विभाग से जुड़े मंत्री से कहा है, श्री जय प्रकाश निषाद से हम लोगों ने कहा है कि जाइये, सर्वे कराइये उस समुदाय को भरपूर आवास दिलाने की व्यवस्था करिए। कहीं कोई पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी और यह व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। महोदय, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए भी हम लोगों ने 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो गत वर्ष की तुलना में 10 गुना अधिक है। अनुमान कर लें आप कहां हैं आप? महोदय, अमृत योजना के अंतर्गत प्रदेश के 61 शहर चयनित हुए हैं, उन 61 शहरों में पेयजल, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से भारत सरकार के सहयोग से योगदान होना है। कोई रूचि नहीं थी। हम लोगों ने 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो गत वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना है और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो गत वर्ष की तुलना में डेढ़ गुना से अधिक है। यह व्यवस्था हम लोगों ने यहां पर की है। महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु हम लोगों ने 4942.60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो गत वर्ष की तुलना में 42 प्रतिशत अधिक है और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 19444. 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है। यानि हर एक मद में पहले से अधिक पैसा दिया गया है। पहले से बेहतर व्यवस्था दी गई है और इसीलिए हम लोग कहेंगे अपने विपक्ष के मित्रों से कि प्रदेश के अंदर विकास में आप लोग थोड़ा रूचि लें तो प्रदेश का विकास हो जाएगा और इसीलिए सड़क बन रही है आपका स्वागत है आप आइये अपने विधान सभा क्षेत्र में उनका निरीक्षण भी करिए, उनका उद्घाटन करने में भी अपना योगदान दीजिए। बिजली की व्यवस्था ऐसा तो नहीं है अब कि किसी गांव विशेष में या किसी जिले में बिजली जलेगी। हमारे विद्युत मंत्री ने तो 75 के 75 जिलों को बिजली दे दी है। हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली जलेगी, हर तहसील मुख्यालय और बुदेलखण्ड में 20 घंटे बिजली रहेगी और हर ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली बिना भेदभाव के जाएगी यह व्यवस्था समान रूप से दी है। (मेजों की थपथपाहट) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आपके समय में 15000, 20000 रुपये देने पर भी बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता

था। हम लोगों ने बिजली का कनेक्शन उनको फ्री में कराने की व्यवस्था की है, शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में।

आप लोग एक साल में 5000 ट्रान्सफार्मर नहीं बदल पाये थे। हमारे ऊर्जा विभाग ने 100 दिन में 8000 से ज्यादा ट्रान्सफार्मर बदले भी हैं और उनकी क्षमता भी बढ़ाई है। पॉवर फॉर ऑल के एम0ओ0यू0 पर हम लोगों ने साइन किये हैं और पॉवर फॉर ऑल के उस एम0ओ0यू0 पर इसलिए साइन किये हैं जिससे प्रदेश के अंदर हर तबके को बिजली मिल सके। 15 वर्ष प्रदेश में जो अराजकता के दिन थे, लूट–खसोट के दिन थे। इसको विराम लगाने के लिए 100 दिन में 18000 से अधिक छोटे–बड़े मजरों में विद्युतीकरण का कार्य भी ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा सम्पन्न किया गया है। कार्य को एक नई गति देने का प्रयास हुआ। एक व्यवस्था देने का प्रयास हुआ और इसलिए मैं कहूंगा आपसे कि आप लोग भी जाइये। आप लोगों ने विद्युतीकरण का कार्य कैसे किया था। आप लोग जाते थे एक वर्ग विशेष के यहां जाते थे, वहां जाकर कहते थे कि चौराहे पर आ कर अपना कनेक्शन चेक करवा लो और शेष लोगों के घर–घर में जा कर अपमानित करने का काम करते थे, ऐसी व्यवस्था यहां नहीं हो रही है। हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया है, हमने बिजली समान रूप से दी है। अगर देवांशरीफ में बिजली जलेगी तो महादेवा में भी जलेगी। हमने कोई भेदभाव नहीं किया, दोनों जगह समान रूप से बिजली मिलनी चाहिए। हम लोगों ने नहीं कहा कि कोई वी0आई0पी0 जनपद है। अगर सुरेश खन्ना जी के यहां शाहजहांपुर में बिजली 24 घण्टे रहेगी तो रामपुर जिला मुख्यालय पर भी बिजली 24 घण्टे रहेगी। यही लोकतंत्र है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं, चंद लोगों की मनमानी लोकतंत्र नहीं होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसी लोकतंत्र की, इसी प्रकार के मनमानेपन की भर्त्सना की थी और यही हम कहने के लिए आए हैं कि हम आप सबका आह्वान करेंगे आप लोग जाइए, गांव–गांव में जाकर उन गरीबों को, गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को बिजली का कनेक्शन दिलवाइए। टोल फ्री नम्बर जारी हुआ है, ट्रांसफार्मर जलता है तो महीने नहीं बदल पाता था। यहां पर 48 घण्टे ग्रामीण क्षेत्र में, 24 घण्टे के अंदर शहरी क्षेत्र में बदलने का कार्य हो रहा है। यह व्यवस्था हुई है उसको और सुदृढ़ किया जायेगा। यह कार्य अचानक नहीं प्रारंभ हुआ है, लगातार इसको एक नई गति मिलेगी इसलिए मुफ्त कनेक्शन वितरण के लिए कैम्प लगाइए। गरीबों को मुफ्त बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराइए। एक अच्छी स्थिति पैदा होगी आने वाले समय के लिए भी आपके पास एक आधार बच पाएगा, नहीं तो सफाया तय है। महोदय, स्कूली बैग, यूनिफार्म जो लोग कभी दे नहीं पाते थे जो लोग आज हमसे कह रहे हैं कि अभी तक नहीं मिल पाया है। पिछली बार तो दिसम्बर तक बच्चों को किताबें नहीं मिल पायीं थीं, नवम्बर–दिसम्बर में किताबें बॅाटती थीं। यूनिफार्म के बारे में मैं पिछली बार कह ही चुका हूं अब जाइए, हर बच्चे को दो यूनिफार्म मिल रही हैं, दीजिए, बांटिए आप भी। मैं तो आह्वान करूंगा कि आप भी एक–एक विद्यालय गोद लीजिए। आदर्श विद्यालय के रूप में उसको बनाइए। उन स्कूलों के दिन बहुर सकें इस प्रकार की स्थिति पैदा करिए कि सरकारी स्कूल में जाने पर हर बच्चा

अपने आप को गौरान्वित महसूस कर सके। वह लावारिस नहीं है। गरीब और किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा ही वहां पढ़े, यह नहीं होना चाहिए। अच्छा होगा कि नेताओं का बच्चा भी वहां पढ़े और इसकी शुरूआत यदि आप कर सकें, इसलिए मैं कहूॅगा कि बांटिए। उन बच्चों को यूनिफार्म बैग, बुक्स, शूज़, सॉक्स सब दीजिए, हम लोग देने जा रहे हैं। क्या गरीब का बच्चा नंगे पैर जाता है तो आपको अच्छा लगता है क्या ? यह समाजवाद का नारा देकर के क्या समाजवाद आ जाएगा। समाजवाद वह होगा जब हर व्यक्ति के अंदर खुशहाली होगी और खुशहाली को लाने के लिए आगे आइए। हम लोग देने जा रहे हैं। मैं आह्वान करूंगा कि इस विधान सभा सत्र 28 के बाद, आपके पास पूरा अगस्त का महीना होगा। हम लोग आप लोगों के लिए रोक देंगे, उन बच्चों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। स्कूल चलो अभियान के साथ आप सब जुडेंगे अच्छा होगा। एक पारदर्शी व्यवस्था होगी। हम एक टीम भावना के साथ काम करना चाहते हैं इसलिए इसमें आपका आह्वान करना चाहेंगे। हम लोग दो और कार्यों में चाहेंगे, फसली ऋण मोचन का जो कार्यक्रम होगा। हर विधान सभा में 5 हजार से लेकर 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 30 हजार किसान इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। अगर आप अपने हाथों से सर्टिफिकेट बांटेगे, अच्छा होगा। मैं नेता प्रतिपक्ष को भी आपके सभी सहयोगियों को, हमारे बहुजन समाजवादी पार्टी और खैर लल्लू जी तो हमारे पड़ोसी ही हैं उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वह अपने क्षेत्र में जाएं। मैं सम्बन्धित विभाग से कहूंगा कि वह यद्यपि कृषि विभाग इसका नोडल विभाग है, कृषि मंत्री तो आपके पड़ोसी ही हैं, खैर उनके साथ तो आपकी रात को बैठक होती ही है। कोई बात नहीं दिन में यहां बोलिए, रात्रि को तो भोज चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूंगा कि आप लोग भी बांटिए, फसली ऋण मोचन के सर्टिफिकेट बांटिए, आप लोग कहते थे कि नहीं होगा, आखिर वह भी हो गया, अब सर्टिफिकेट ही बांट लीजिए।....

आवास योजना में महोदय इस वर्ष 12 लाख आवास हम लोग देने जा रहे हैं 10 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और 2 लाख शहरी क्षेत्र में और मैं चाहूंगा सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी विधान सभा क्षेत्रों में आवास वितरण के सर्टिफिकेट भी वितरण करें गरीबों को पात्र लोगों को सभी लोग बॉटे, अच्छा होगा। जनप्रतिनिधि जायेगा और कार्य में पारदर्शिता आयेगी, एक अच्छी स्थिति पैदा होगी आप लोग बोल सकेंगे कि हम यह काम कर रहे हैं।

आप लोग इसलिए छिपाते थे क्योंकि कार्य में पारदर्शिता नहीं थी हम लोग इसलिए प्रदर्शित कर रहें हैं क्योंकि कार्य में पारदर्शिता है और इसीलिए मैं आह्वान करूंगा कि आप सब इस योजना में सहभागी बने जिससे एक अच्छी स्थिति प्रदेश के अन्दर आये और उस स्थिति के लिए आप सबको, मैं आप सबका इस बारे में आहवा्न करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है हमारे वित्त मंत्री जी ने और इस बजट में जो प्रदेश के वित्त पोषण के लिए जो संशाधनों की व्यवस्था की गयी है इसमें राजकोषीय घाटे को भी कम किया गया है। जो राजकोषीय घाटा है जो अनुमानित

सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत पर सीमित रखा गया है जो पिछले वर्ष तक 3.01 परसेन्ट पर था यानि अपनी सीमा को क्रास कर चुका था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि श्रीमान् जी लोग प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाते हैं, फसल ऋण माफ करने की बात तो बहुत दूर है इनके लिए हम लोगों ने उस सीमा के अन्दर उसको रखा भी है बजट में 12 हजार 278 करोड़ रुपये की राजस्व की बचत भी की गयी है साथ साथ हम लोगो।ने जो आरबीएम की सीमा हैं उससे भी नीचे हम आये हैं और इसलिए वित्तीय संस्थायें आज आकर्षित हुई हैं उत्तर प्रदेश में। एक अच्छी स्थिति यहां पर पैदा की गयी है। संशाधन जुटाने के लिए हम अचानक नहीं जुटे हैं हम लोगो ने विगत सरकारों की जो फिजूलखर्ची थी उन पर बहुत कड़ाई से रोक लगाई है। अक्सर मंत्री बनने का मतलब यह होता था कि सरकारी खजाने पर करोड़ों का बोझ पैदा कर देना और उसको रोका गया। सभी मंत्रियों से कहा गया था कि देखो आवास तो मिलेंगे, व्हाईट वाश के अलावा और कुछ नहीं होना है न पर्दे बदलेंगे और न कुछ होगा, आप उसी ढंग से करेंगे। अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियो को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने अपनी व्यवस्था को उस सीमित दायरे में रखा हर एक उसमें बचत की गयी यह पैसा प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का पैसा है एक मुख्यमंत्री या किसी मंत्री का नहीं या किसी सरकार विशेष का नहीं और इसलिए वित्तीय अनुशासन होना चाहिए, फिजूलखर्ची पर रोक लगनी ही चाहिए इस दृष्टि से प्रयास इसमें किये गये है। इसके साथ साथ जो खर्चो में कटौती की गयी है, उन खर्चो में कटौती की गयी है जो अनावश्यक योजनायें थी जिनका प्रदेश के विकास से, प्रदेश की आम जनता से कोई मतलब नहीं था उन सबको सख्ती के साथ रोका गया और फिर बेहतर बजट और राजकोषीय प्रबन्धन के द्वारा जो कदम उठाये गये हैं उसका परिणाम है कि यह बजट हमारे वित्त मंत्री इस सदन में प्रस्तुत करने में सफल हो पाये और आज हम उस पर इस बजट का यहॉ पर जवाब भी दे रहे हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी योजनायें थी, जो मैं पहले भी कह चुका था कि केन्द्र की योजनाओं के साथ हम लोगों ने उसको जोड़करके उस कार्य को आगे बढ़ाया है और इसीलिए मैं पूरे सदन से इस बात का अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार ने कार्य करना प्रारम्भ किया है।

...आप 100 दिन के अंदर हमसे हिसाब मांगना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 100 दिन के अंदर हम आप लोगों के 10 वर्ष का भी हिसाब दे दें। लेकिन महोदय हम यह कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर एक विश्वास का माहौल पैदा करने का प्रयास हुआ है, आम जनता का विश्वास बहाल हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य में निवेश की भारी संभावनायें थीं, लोग निवेश करना नहीं चाहते थे, भाग जाते थे क्योंकि जंगलराज की सी स्थिति यहॉ पैदा कर दी गयी थी, एक अराजकता का सा माहौल प्रदेश के अंदर पैदा कर दिया गया था।

उस अराजकता और उस जंगलराज से मुक्ति के लिये आम जनमानस छटपटा रही थी। स्वाभाविक रूप से हम लोग उस चीज को आज फेस कर रहे हैं क्योंकि जो

लोग अवैध खनन् के कार्यो से मुक्त हुये हैं, अवैध वन कटान के कार्यो से जो लोग मुक्त हुये हैं, संगठित अपराधी गिरोहों का जो लोग संचालन करते थे वे लोग जो भू माफिया थे, हम लोगों ने एक एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स गठित किया है। महोदय, मुझे बताते हुये प्रसन्नता है कि एक लाख 53 हजार से अधिक मामले रिकार्ड हुये हैं और दो महीने के बाद जब हमारा अभियान चलेगा तो तब क्या स्थिति पैदा होगी, मुझे लगता है कि उसके बारे में इन भूमाफियाओं को सोच लेना चाहिये और इसीलिये हम कहना चाहेंगे कि भूमाफिया पोर्टल, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स प्रशासन को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो गरीब जहॉ पर रह रहा है उसके पास जमीन का पट्टा नहीं, उसके उस जमीन के पट्टे को, उस दलित को, उस गरीब, उस किसान के पट्टे को कम्फर्म करिये और राजनीतिक संरक्षण में जिन लोगों ने बड़ी–बड़ी जमीनों पर कब्जा किया है उनको सूचीबद्व करके एक पूरा एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के पोर्टल पर उसको सम्बद्व करिये और उसके बाद एक साथ बरसात के बाद अभियान प्रारम्भ करिये। प्रदेश के अंदर जवाहरबाग जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जायेगी और सख्ती के साथ इस प्रकार के तत्वों के साथ निपटने का कार्य हम लोग करेंगे। इसलिये एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स को राजनीतिक संरक्षण में सरकारी जमीनों पर, गरीबों की जमीनों पर और जो तालाब हैं, पोखरे हैं सभी जो भी, जिस पर किसी ने कब्जा किया हो यह सभी उसके दायरे में आयेंगे। जो भी इन पर काबिज होगा उन सबके साथ सख्ती से निपटने का कार्य सरकार करेगी और इसीलिये मैं उनको सूचित करना चाहूंगा कि पहले ही खाली कर लें क्योंकि फिर उसके बाद जब हमारा बुलडोजर चलेगा तो फिर कहीं कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास प्रारम्भ किया है। हम लोगों ने इस बात को पहले तय कर लिया है, हम लोग जो कार्यवाही कर रहे हैं उसमें यह सच है कि अराजक और जंगलराज की स्थिति आप लोगों ने विरासत में दी है। आदत अचानक सुधरती नहीं है, कभी–कभी बहुत सारे लोग बांतों से नहीं मान पा रहे हैं, मैं जानता हूं उसका इलाज क्या है। उसके लिये इलाज की तैयारी हो रही है और कानून को हाथ में लेने की इजाजत हम किसी को देने नहीं जा रहे हैं। हम लोगों का साफ है कि निर्दोषों को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो दोषी होगा उसको छोड़ेगे नहीं। कानून व्यवस्था पर आप लोग प्रश्न उठाते हैं मैं देखता हूं, रोज यहॉ पर आकर आप लोग एक मिनट के लिये वाकआउट कर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं और दिखा देते हैं कि हमने वाकआउट कर दिया। कानून व्यवस्था के बारे में आप कहते हैं। मैं देखकर के ताज्जुब था आपके समय में तो एफ0आई0आर0 ही लॉज नहीं करते थे लेकिन हम लोगों ने शतप्रतिशत एफ0आई0आर0 दर्ज करने का आदेश किया है। शतप्रतिशत एफ0आई0आर0 दर्ज होंगी और अगर कोई नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। एक बिगड़ी हुयी व्यवस्था को एक झटके में हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन यह ठीक होगा। जो ठीक नहीं होगा, उसको हम ठीक कर भी देंगे। इसलिये आप कल यहॉ पर कानून व्यवस्था की बात भी कर रहे थे महोदय, हत्या के ग्राफ में कमी आई है गत वर्ष की तुलना में, और यह कमी आई है लगभग 5.16 प्रतिशत। ....

.... रोड होल्ड–अप में 100 प्रतिशत की कमी आई है। दहेज मृत्युदर में कमी आई है और जो घटनाएं घटित हुई हैं, मैं यह नहीं कह सकता कि घटनाएं नहीं घटित हो रही हैं लेकिन जो घटनाएं घटित हो रही हैं तो उसमें शत–प्रतिशत अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं कोई उन्हें राजनैतिक संरक्षण नहीं दे सकता। दूसरा, जो घटनाएं घटित हो रही हैं वह किस रूप में, कल सम्भवतः यहां पर बयान पढ़ा नहीं गया है, यह आजमगढ़ की घटना है। महोदय, आजमगढ़ में 21 लोगों की दर्दनाक मौतें हुई हैं और जो मौतें आजमगढ़ में हुईं उसका मुख्य अभियुक्त मुलायम यादव है, इस व्यक्ति का समाजवादी पार्टी से क्या कोई सम्बन्ध नहीं है, यह व्यक्ति इससे पहले भी 2013 और उससे पहले भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और ये लोग उसको राजनैतिक संरक्षण देते थे। इनके संरक्षण में वह फलता–फूलता था, पिछले वर्ष उसके कारण आजमगढ़ में 60 लोगों की मौत हुई थी और तब भी इन लोगों ने उसको बचाया था। ऐसे नरपिसाचों को बचाने का जो पाप इन लोगों ने किया उसकी प्रदेश की जनता भुक्तभोगी है, उसका दुस्साहस वहीं से बढ़ा था। आजमगढ़ की घटना के बाद उसके द्वारा फिर पुलिस अधिकारियों को फोन किया जाता है क्योंकि पिछली बार भी उसने फोन किया था तो वहां के थानाध्यक्ष और वहां के एस0पी0 का ट्रांसफर कर दिया गया था। इस बार फिर उसने फोन किया, हमें जानकारी मिली, हम लोगों ने अधिकारियों से कहा था कि जो अपराधी हो उसको छोड़ना मत और अपराधी कितना भी बड़ा क्यों न हो जो निर्दोष लोगों का हत्यारा है उसको किसी भी समय छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आज पकड़ा गया है, ये मुलायम यादव है, ये पिन्टू यादव है, ये सब कौन लोग हैं, 14 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है आप कहेंगे कि जाति विशेष के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, यह जाति विशेष का है। कल आपके सदस्य रायबरेली का मुद्दा उठा रहे थे, रायबरेली में क्या यह सच नहीं था कि दोनों तरफ के लोग आपकी ही पार्टी से जुड़े लोग थे, क्या यह सच नहीं था और क्या सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठेगी। अगर नृशंस हत्या होगी तो कोई भी होगा, सरकार कार्रवाई करेगी और सख्त कार्रवाई करेगी ऐसे अपराधियों के खिलाफ, जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है हम लोग कार्रवाई करेंगे। सीतापुर की घटना, कौन है वह अपराधी, कौन लोग हैं, कौन बचा रहे थे सीतापुर के निर्दोष व्यापारियों की हत्या के जिम्मेदार लोगों को, अगर हम बोलने लग जायेंगे तो बहुत सारे लोग एक्सपोज हो जायेंगे, इस राजनैतिक शिष्टाचार को बने रहने दो। मैं कहूंगा कि अपराधियों को संरक्षण देना बन्द करें, हम लोग बहुत कड़ा कानून बनाने जा रहे हैं, अपराधी ही नहीं, अपराधी के संरक्षणदाताओं को भी आने वाले समय में हम कानून के दायरे में लायेंगे। इस सदन में और शेषन में अवसर मिलेगा तो हम कानून बनायेंगे अन्यथा अगले शेषन में बनायेंगे। बहुत जल्दी ही हम शेषन बुलायेंगे, औपचारिकता नहीं निभायेंगे, हम पलायन करने वाले लोग नहीं हैं, हम फेस करेंगे और इसीलिए उसका मुकाबला करने के लिए मैं कह रहा हूं कि एक सख्त कानून हम लोग बनाने जा रहे हैं, प्रदेश के हर नागरिक को जीने का अधिकार है और जो भी उनके जीने के अधिकार में खलल डालने का प्रयास करेगा उसका जीना सरकार हराम कर देगी। महोदय, हम लोग पूरी व्यवस्था किये हैं, क्या स्थितियां थीं प्रदेश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर डेढ़ लाख पुलिस के पद खाली हैं। पुलिस के डेढ़ लाख पद खाली हैं, प्रदेश का नौजवान बेरोजगार

है लेकिन इन लोगों की कारगुजारियों का परिणाम है, क्या कोई ऐसी नियुक्ति प्रदेश में 10 वर्ष के अन्दर हुई जिस पर उंगली न उठी हो, कोई ऐसी नियुक्ति आप बता दीजिए जिस पर उंगली न उठी हो। डेढ़ लाख पुलिस के पद इसलिए नहीं भरे गये क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। प्रदेश के युवाओं को वंचित किया गया। आज आप लोग ले करके चलते हैं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, वित्तविहीन शिक्षकों को ले करके धरना–प्रदर्शन करके अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वे सब नियमित शिक्षक के रूप में भर्ती नहीं हो पाये हैं इसके लिए आप लोग दोषी हैं, यह सरकार नहीं। इस सरकार को मात्र तीन महीने हुए हैं आज चार महीना पूरा हो रहा है अध्यक्ष जी। मात्र चार महीने हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं, हम तो उनके लिए करना चाहते हैं। अगर हम उनको वित्त देते हैं तो इसका मतलब या तो उन सभी विद्यालयों का अधिग्रहण हमको करना पड़ेगा। क्योंकि प्रबन्धन का जो अण्डरटेकिंग है वह यह है कि हम सरकार से कोई वित्त नहीं लेंगें। इसमें से मुझे लगता है कि अधिकतर सदस्य जिन्होंने कोई न कोई स्व वित्त पोषित विद्यालय संचालित किये होंगे/कर रहे होंगे उनका अण्डरटेकिंग होता है कि हम कोई वित्त सरकार से नहीं लेंगे। अगर सरकार वित्त देगी तो फिर उसका अधिग्रहण भी कर सकती है। क्यों आप किसी प्रबन्धन के स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने का प्रयास किये हैं, क्यों भड़काने का प्रयास किये हैं और क्यों इस प्रदेश के उन शिक्षित नौजवानों को, शिक्षित बेरोजगारों को भिखमंगा आप लोग बना रहे हैं। क्यों बनाया आप लोगों ने? शिक्षकों की जगह खाली है। आपने यू0पी0 पी0सी0एस0 की स्थिति क्या पैदा कर दी है? उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े हो गये हैं और मैं कह सकता हूं कि यू0पी0पी.सी.एस. की 2012 से अब तक की सभी नियुक्तियों की हम सी0बी0आई0 से जांच कराने जा रहे हैं। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयी।) आप लोगों ने छला है प्रदेश को। प्रदेश के नौजवानों के साथ अन्याय किया है और इसीलिए इसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी, लोग कटघरे में खड़े होंगे और याद रखना हरियाणा के अंदर एक नेता केवल शिक्षक भर्ती में पिछले 10 वर्षों से जेल के अंदर सड़ रहे हैं। कहीं प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति न आ जाये। (मेजों की थपथपाहट) यह स्थिति आप लोगों ने प्रदेश के अंदर पैदा की है। ये सारी जांचें होंगी। हम प्रदेश के नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगें और इसीलिए हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को इन डेढ़ लाख भर्तियों पर रोक लगानी पड़ी थी। हम लोग आये तो कहा कि क्यों नहीं भर्ती हो रही है? तो पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट का रोक है। हम लोगों ने कहा कि माननीय न्यायालय में नया शपथ–पत्र दाखिल करिये, क्यों रोक लगी है। पता लगा कि मेरिट में गड़बड़ी की गयी और मेरिट के पुराने कागज भी जला दिये गये। आप क्या मानते हैं कि कागज जला देने से कोई बच जायेगा? कभी नहीं? कल श्री लालजी वर्मा, हमारे मा0 नेता बहुजन समाजवादी पार्टी कह रहे थे..

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं, बहुजन समाज पार्टी।

श्री योगी आदित्यनाथ–

ठीक है, बहुजन समाज पार्टी। अरे, अब तो एक ही हो गये आप लोग। बहुजन वो हैं, समाजवादी ये हैं। जब एक ही हो गये हैं तो क्या बोलूं मैं ? दो पार्टी बोलने के बजाए एक ही बोल लूं। अपना अस्तित्व या तो बनाये रखिये, नहीं तो तय है। देखिये ये तो तय है, हमें प्रसन्नता होगी आप दोनों एकजुट हो जांय क्योकि हमारा दायरा बढ़ जायेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बार–बार कहते हैं कि हमें 42 से 60 प्रतिशत जाना है। तो 60 प्रतिशत का लक्ष्य हम लोग देख ही रहे हैं कि कब आप लोग एक में मिलें, हम उसको झटके। आप कल कह रहे थे कि कापियां जलायी गयी हैं बहुत सारी जगह, पत्र जलाये गये, फाइलें जलायी गयी। यह सब वही करामात हैं, ये वही करामात है जो इन लोगों ने किये हैं। डेढ़ लाख पुलिस की भर्तियों में भी यही हुआ। हम लोगों ने एफीडेविट दुबारा दिया। सरकार पर कोर्ट ने विश्वास जताया। मैं आभारी हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का और माननीय उच्चतम न्यायालय में एफीडेविट दी है, हमारी प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। हम लोग 3 वर्ष के दौरान ये डेढ़ लाख भर्तियां करने जा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) एकदम ट्रांसपेरेण्ट व्यवस्था होगी। कोई नहीं कह सकता कि कोई जाति, कोई मत या मजहब के आधार पर भर्तियां होगी। हम लोग करेंगे, भर्तियां होगी एकदम पारदर्शी तरीके से होगी और उस व्यवस्था के अंतर्गत 33,200 पुलिस कर्मियों में, जिसमें 30,000 पुलिस कांस्टेबिल के और 3200 सब–इंस्पेक्टर की भर्ती हम इस वर्ष करने जा रहे हैं। महोदय, यह लोग बहुत बार बहुत सारी बातें कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों के बारे में आदेश जारी किये थे 2014 में और उसके बाद 2017 में भी। यह लोग कभी उस पर क्रियान्वित नहीं किये। इन लोगों को उससे मतलब नहीं था। अधिकारी घंटों उनके कोर्ट में खड़े रहते थे, कभी इनको सम्मान से कोई मतलब ही नहीं था। एक अधिकारी का किसी कोर्ट में खड़े होने का मतलब किसी आवश्यक कार्य से हो तो ठीक है लेकिन एक मुलजिम के रूप में, एक अपराधी के रूप में वह खड़ा रहे, किसी योजना को, न्यायालय के किसी आदेश के क्रियान्वयन न होने के कारण खड़ा हो, यह किसी भी सरकार के लिये डूब मरने जैसी स्थिति है। हम लोग भी फेस कर रहे हैं इन लोगों के कारनामों के कारण इन सब स्थितियों से। और यह स्थितयां पैदा हुई थीं, लगातार इस तरह की स्थितियां थीं, हम लोगों ने कहा कि 24 घंटे के अंदर यह सब बूचड़खाने बंद होने चाहिए और बंद हुआ है और हम लोग फिर कह रहे हैं कि हम प्रदेश के अंदर इल्लीगल स्लॉटर हाउसेस नहीं चलने देंगें। सुप्रीम कोर्ट और एन0जी0टी0 ने जो डायरेक्शन जारी किये हैं उसके विरूद्ध किसी को भी चलने की इजाजत नहीं दी जायेगी और प्रदेश के अंदर सख्ती के साथ हम इन आदेशों को लागू करेंगें। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर फिर से कोई ऐसा व्यक्ति पैदा न होने पाय जिसके नाम पर लोग अपने परिवार में नाम रखना ही बंद कर दें, ऐसी स्थिति हम लोग नहीं पैदा होने देना चाहते इसलिये हम लोगों ने ई–टेंडरिंग कर दी हर कार्य में। ई–टेंडरिंग की व्यवस्था, कठिनाई जरूर है लेकिन यह व्यवस्था हम लोग लागू करने जा रहे हैं खनन में भी, और ऐसी पुख्ता व्यवस्था करने जा रहे हैं कि प्रदेश का राजस्व भी बढ़ेगा, प्रदेश के अंदर रोजगार भी बढ़ेगा, प्रदेश के अंदर जो अभी कुछ लोगों

के द्वारा दाम बढ़ा दिये जा रहे हैं न वह गलतफहमी में हैं। उनको नहीं मालूम जब डंडा शुरू होगा, हम लोग तो खाली हो ही रहे हैं विधान सभा सत्र के बाद। यह सब जांच करने जा रहा हूं। उन लोगों की भी जिन लोगों ने बालू, मौरंग और गिट्टी के दाम बढ़ाये हैं उनके खिलाफ अब डंडा प्रारम्भ होगा(मेजों की थपथपाहट) आम जनता का जो भी शोषण करेगा, गरीबों के हितों पर जो भी कुठाराघात करेगा और विकास की योजनाओं में जो भी बाधक बनेगा, उसके खिलाफ सख्ती के साथ सरकार पेश आयेगी और यही कहने के लिये आज हम सब यहां पर आये हैं कि यह व्यवस्था जहां हम लोगों ने लागू की है वहीं प्रदेश के अंदर रोजगार का सृजन हो एक नई औद्योगिक और निवेश नीति को ले करके हम लोग आये हैं। हम लोगों ने व्यवस्था दी है। लोगों ने निवेश के लिये अब आना प्रारम्भ किया है। जो लोग भाग चुके थे उन लोगों ने आना प्रारम्भ कर दिया है। आपने देखा होगा बजट में ही हमारे वित्त मंत्री जी तमाम घोषणाएं कर रहे थे और उसमें हम लोग चीनी उद्योग के बारे में। चीनी उद्योग आप लोगों के समय में एकदम डाउन चला गया था। जो उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य था, वापस लाये हैं।(मेजों की थपथपाहट)। यह 24 हजार करोड़ रुपये का भुगतान भी आप ही करवाये हैं चलिये यह मैं मान लेता हूं, क्यों। (हॅसी) पहली बार हो रहा है। पिछले वर्ष आप लोग केवल 13 हजार करोड़ रुपये का भुगतान कर पाये थे किसानों का। इस बार 23 हजार करोड़ रुपये का भुगतान गन्ना किसानों का हो चुका है। जो लगभग हजार करोड़ रुपये का बचा है उसको भी नोटिस जारी हो चुका है और नोटिस जारी होने के साथ–साथ हम लोग यह भी भुगतान कराने के लिये कृतसंकल्पित हैं। किसानों को उनके गन्ना का दाम मिले यह हम लोग करने जा रहे हैं। साथ साथ नई चीनी मिल भी लगाने जा रहे हैं। गोरखपुर में पिपराइच, कुछ लोगों को गोरखपुर के विकास का याद आ गया। मुझे अच्छा लगा कि चलो इसी बहाने लोगों को विकास उनके मुॅह से निकल गया लेकिन गोरखपुर में पिपराइच चीनी मिल आप लोगों ने बेच दी थी। हम लोग फिर से एक नई चीनी मिल लगाने जा रहे हैं। बस्ती में लगाने जा रहे हैं। हम रसड़ा में भी कार्य करने जा रहे हैं। माननीय सदस्य उमाशंकर सिंह के क्षेत्र में भी कार्य करने जा रहे हैं। हमने तो भेद–भाव नहीं किया कि आप ब0स0पा0 के हैं। आप लोग बोलिये ना, विकास के बारे में तो आप बात करते ही नहीं हैं। कांग्रेस की समस्या यहीं से शुरू होती है कि वह विकास के बारे में कभी बात ही नहीं करती हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मुददा उठाते हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ–

मुद्दा उठाने से बात नहीं बनती है भाषण में बात रखनी चाहिए ना सही ढंग से। हम लोग प्रदेश के अंदर, हम लोग मझोला के बारे में कार्य पीलीभीत के अन्दर करने जा रहे हैं। सांझापुर में लोगों ने रुचि दिखाई है। हमारे यहां पर बागपत में रमाला चीनी मिल के विस्तारीकरण की योजना हमारी है और भी अन्य क्षेत्रों में इन चीनी उद्योग को

फिर से पुनर्स्थापित करके, और यही नहीं, चीनी उद्योग के साथ–साथ सेकेन्ड जेनरेशन के इथनोल उत्पादन के लिए भी, आप लोग संभवतः नहीं समझ पायेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि आप लोग जो पुआल जला देते हैं यह पुआल अब जलेगा नहीं, हम इसका भी पैसा किसानों को दिलवायेंगे।

(मेजें थपथपाई गईं)

इससे हम इथनोल बनाने जा रहे हैं, किसान को उसका लाभ मिलेगा, बगास का पैसा भी किसान को मिलेगा, इसका भी लाभ किसान को मिलने जा रहा है। हम उससे इथनोल बनायेंगे। हम उससे भी आगे थर्ड जेनरेशन का भी प्रदेश के अन्दर चार नये प्लान्ट हम लाने वाले हैं। प्रत्येक की कीमत होगी 1200 करोड़ रुपये, पूरब, पश्चिम, मध्य में और बुन्देलखंड हर जगह लगाने का प्रयास करेंगे। जिससे अब हम लोग ग्रीन डीजल और पेट्रोल उससे निर्माण करना प्रारम्भ कर देंगे। निर्भरता बन्द हो जाएगी, जो लोग आतंकवाद को फाइनेंस करने जा रहे हैं ना, इनकी कमर को तोड़ डालेंगे, इस सरकार की नई प्रौद्योगिकी नीति से, कार्य प्रारम्भ हुए हैं नई औद्योगिक नीति इसी भाव के साथ आई है, बुन्देलखंड का औद्योगिक विकास होगा। एक्सप्रेस हाईवे के साथ जोड़ने हम जा रहे हैं उसको, बुन्देलखंड में पहली बार हुआ है बुन्देलखंड में पानी का संकट नहीं आया है, नहीं तो आपके समय में भारत सरकार को ट्रेन से पानी भेजना पड़ा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ट्रेन से पानी भेजे थे और तब भी इन लोगों ने वहां के लोगों को प्यासा रखा था और वहां की जनता ने अच्छा जवाब दिया कि इसका पूरा सफाया कर दिया।

(मेंजें थपथपाई गईं)

लेकिन बुन्देलखंड में पानी के लिए इस बार व्यवस्था किये हैं ग्राम्य विकास मंत्रालय के द्वारा। साथ–साथ वहां पर हम लोग आने वाले समय में सरफेस वाटर का उपयोग हो सके, वहां पर जल प्रबन्धन की उचित व्यवस्था हो सके, केन्द्र बेतवा को जोड़ने के एम0ओ0यू0 पर साइन करके हम लोगों ने अपना शेयर देने की अपनी प्रतिबद्धता भी केन्द्र सरकार के सामने दोहरा दी है। हमने उसमें साइन भी कर दिए हैं। आने वाले समय में बुन्देलखंड से पलायन नहीं होगा, प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र होगा और वह स्थिति हम बुन्देलखंड के अन्दर पैदा करने जा रहे हैं। आप लोग तो हर कार्य में तलाशते थे कि कितना प्रतिशत मुझे मिलेगा। यहां ऐसा नहीं हो सकता है हम लोगों ने इसलिए ई–टेण्डरिंग से जोड़ दिया है। हम लोग आपके बलिया को भी जोड़ने जा रहे हैं। बलिया को जोड़ेंगे, लखनऊ से बलिया यात्रा में मात्र तीन घंटे में हम आपको बलिया पहुंचायेंगे। हम उसमें अयोध्या को भी जोड़ेंगे। काशी भी जुड़ेगी और गोरखपुर भी जुड़ेगा,नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ होंगे फिर– (हंसी)

इसीलिए जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं यह घोषणायें नहीं, जब एक वर्ष के पूरे कार्यक्रम के साथ जब हम लोग आएंगे और एक वर्ष के पूरे कार्यक्रम पर जब हम इस सदन में चर्चा करायेंगे,उस समय आप लोगों की समझ में आएगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के साथ आपने कितना बड़ा अन्याय किया था। कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के साथ

आप लोगों ने कितना बड़ा अन्याय किया था। उत्तर प्रदेश को कहां ले गए थे। हम लोग प्रदेश को नई तकनीक के साथ जोड़ना चाहते हैं। पता नहीं आप समाजवादियों को तकनीक से कोई परहेज तो नहीं है वैसे मोबाइल फोन का उपयोग तो आप लोग करते हैं लेकिन उस सबके बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से प्रेरणा प्राप्त करते हुए हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर, हम लोगों का मानना है कि आधुनिक तकनीक का जो प्रयोग है वह प्रशासन को अधिकाधिक जवाबदेह बनाता है पारदर्शी, अनिवार्य और कुशल बनाने के लिए आधुनिक तकनीक आवश्यक है। डिजिटल इंडिया का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है यह इसी उद्देश्य से है प्रशासन को अधिकाधिक जवाबदेह, पारदर्शी और कुशल बनाने की दृष्टि से जो एक अभियान पूरे देश के अन्दर प्रारम्भ हुआ है हम लोगों ने उसी से प्रेरणा प्राप्त की है और उसके तहत हम लोग यहां पर ई आफिस की व्यवस्था करने जा रहे हैं मैं तो चाहूंगा कि विधान सभा में यह व्यवस्था लागू हो जाए। मैं जानता हूं आप विरोध करेंगे जब आप विरोध करेंगे तो हम लोग आपको एक्सपोज करेंगे क्योंकि लैपटाप के नाम पर जनता को बेवकूफ आप बनाते थे ई हास्पिटल बलिया में बैठे–बैठे आप लोग एस0जी0पी0जी0आई0में समय ले सकते हैं के0जी0एम0यू0 में समय ले सकते हैं बी0एच0यू0 में भी समय ले सकते हैं क्योंकि तब तक हम आप लोगों के लिए एक्सप्रेस हाईवे वाराणसी तक बना चुके होंगे। आधुनिक तकनीक के साथ इस व्यवस्था को जोड़ने का कार्य हम लोगों ने प्रारम्भ किया है प्रदेश ने 15 वर्षों में बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से अपमान झेला है। अयोध्या का नाम आता था तो ऐसे लगता था कि करेण्ट लग जाता हो सत्ताधारी दल के लोगों को मैं सोचता था कि समाजवादी पार्टी के लोग कम से कम मथुरा, बृंदावन, गोवर्धन बरसाना आदि क्षेत्रों का ही विकास करा पाएंगे लेकिन इन लोगों ने तो उसको भी नहीं बख्शा वहां पर जवाहरबाग जैसी घटना करा डाली। विकास नहीं कराए विनास जरूर करा दिया। मैं सोचता था कि बहुजन समाज पार्टी भगवान बुद्ध का बड़ा नाम लेती है बौद्ध सर्किट के बारे में कुछ सोचेगी कुछ कर देगी कुशीनगर में ही कुछ हो जाए श्रावस्ती कपिलवस्तु है सारनाथ है कौसाम्बी है, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी स्थान दुनियां के अन्दर हैं सारे के सारे ज्यादातर भारत के अन्दर हैं और वह भी उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश को इस बात के लिए गौरव की अनुभूति करनी चाहिए वहां भी यह लोग कोई विकास नहीं किए। वहां पर विकास का मतलब ही कुछ और था विकास भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ा हो ऐसा नहीं था भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर हम आगे बढ़ सकें उससे जुड़ा हुआ विकास नहीं था वह विकास कैसा था उसका जवाब तो पिछले विधान सभा चुनाव में जनता ने दे दिया है और 2019 के लोक सभा चुनाव में और बेहतर जवाब जनता देने जा रही है। यह कुछ नहीं कर पाए हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने भारत सरकार की स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना में रामायण सर्किट बौद्ध सर्किट कृष्णा सर्किट आध्यात्मिक सर्किट इन सभी को लिया है। पहली बार यह हो रहा है नवरात्रि में देवी मंदिरों में बिजली मिल सके सफाई की व्यवस्था हो सके आप लोग वह भी नहीं कर पाते थे। आप लोगों ने तो देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा हम तो

आएंगे ही जब भगवान हमारे साथ थे इसलिए हम यहां पर हैं। भगवान आपसे दूर भागे हैं इसलिए आप वहां पर हैं ईश्वर से प्रार्थना करिए कि इससे ज्यादा भगवान आपसे दूर न हों अगर दूर होंगे तो पता नहीं आप कहां होंगे। लेकिन आपने देवी–देवताओं को भी नहीं बख्शा। हम लोग तैयार कर रहे हैं। अयोध्या के विकास का, काशी के विकास का, काशी दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी है। इस बजट में काशी में एक सांस्कृतिक केन्द्र हो जो पूरे भारत की सांस्कृतिक विशेषता को समेटे हुये दिखायी दे रहा हो, इसके लिये 200 करोड़ की व्यवस्था हमनें की है। उसको और आधुनिक बनाने का हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं। हम लोग अयोध्या का विकास करेंगे। आप हम पर कुछ भी आरोप लगाते रहें, हमें संकोच नहीं है, हम इस सब की चिन्ता नहीं करते हैं। अयोध्या का भी विकास होगा, काशी का भी विकास होगा, वाराणसी का भी विकास होगा, मथुरा का विकास होगा, चित्रकूट का विकास होगा, विन्ध्यांचल का विकास होगा, गोरखपुर का विकास होगा, देवीपाटन का विकास होगा, कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, नैमिषारण्य, शाकुम्भरी देवी, और भी जितने ऐसे स्थल हैं उन सबका विकास हम लोग करने जा रहे हैं। महोदय, साथ ही साथ यहां की लोक संस्कृति को भी बढ़ावा देने के लिये हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोगों ने बजट में इसका प्राविधान कर दिया है। वर्ष 2019 में प्रयागराज कुम्भ आने वाला है, अर्द्धकुम्भ है। बजट में इसके लिये हमनें 500 करोड़ की व्यवस्था की है। वर्ष 2019 में आयेगा, इसके लिये हमनें इस बार बजट में व्यवस्था की है और हम लोग प्रयागराज कुम्भ को एक ऐसे इवेंट के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश के इस गौरवशाली सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ झूमती हुयी दिखायी दे। उसका एक कार्यक्रम बनने जा रहा है। मेला विकास बोर्ड बनाने की दिशा में कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है, क्योंकि प्रयागराज में केवल कुम्भ और अर्द्धकुम्भ ही नहीं होता है, हर साल माघ मेला होता है, हर संक्रान्ति को, हर पूर्णिमा को स्नान होता है। हर पर्व और त्यौहार में लोग जाते हैं, भारी संख्या में श्रद्धालुजन आते हैं। चोरी–छुपे तो आप लोग भी जाते होंगे, सभी लोग जाते होंगे। यह अच्छी बात है, जाना चाहिये। जाने–अनजाने में अगर पाप हो जाएं तो कम से कम धुलने के लिये एक स्थान तो मिल ही जाता है। इसीलिये प्रयागराज कुम्भ को ऐतिहासिक बनाने की दिशा में सरकार ने एक पहल प्रारम्भ कर दी है और हम इस कार्य को करेंगे। इस दिशा में हम लोग भारत सरकार से भी सहयोग ले रहे हैं और भारत सरकार भी इसमें उदारतापूर्वक सहयोग कर रही है। तब तक प्रयागराज में बहुत कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। अलग–अलग क्षेत्रों की अलग–अलग सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, हम लोग हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं कि बोली और भाषाएं हैं आखिर इसका विकास सरकार नहीं करायेगी तो और कौन करायेगा। भोजपुरी का है, अवधी का है, बुन्देलखंडी का है, ब्रज का है, और भी यहां की हमारी जो स्थानीय लोक भाषाएं हैं, लोक बोलियां हैं, लोक संस्कृति, लोक कला, लोक कार्यक्रम, इन सबके विकास के लिये भी बजट में प्राविधान किया गया है और साथ–साथ अन्त्योदय के प्रणेता पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी के जन्मशती वर्ष पर भी हम लोग विशेष आयोजन करने जा रहे हैं। मैंने पहले बता दिया था

कि मुगलसराय का नाम बदल कर पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर, जंक्शन का नाम पं0 दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन तो रख ही दिया है, वहां पर उनका एक भव्य स्मारक बने, इस दृष्टि से भी सरकार कार्य करने जा रही है और प्रयास होगा कि 25 सितम्बर को उसका लोकार्पण हो। लोगों की प्रेरणा का श्रोत जहां पर समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े हुये व्यक्ति के बारे में सोचा जा सके और वास्तव में उस प्रेरणा को क्रियान्वित किया जा सके, उस दिशा में एक नया प्रयास वहां से हम लोग प्रारम्भ करने जा रहे हैं। इन लोगों ने अयोध्या में रामलीला का मंचन बंद कर दिया था, मुझे अयोध्या के संतों ने बताया था तो मैंने कहा कि आप क्या उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी रामलीला करायेगी। अरे, रावणलीला करने वाले लोग रामलीला करायेंगे।

यह नहीं हो पायेगा। यह हम लोग करवायेंगे। हम लोग आये और हम लोगों ने वहां पर रामलीला प्रारम्भ करवा दी। अयोध्या में अनवरत्, अखण्ड रामलीला। सरयू जी का बड़ा महात्म है। कहते हैं कि जब इस धरती के जब सारे तीर्थ पाप से आच्छादित हो जाते हैं तो सरयू जी में ही स्नान करने को लोग आते हैं। आधुनिक अयोध्या का जो दृष्टान्त आता है उसके अवतरण की बात आती है तो सरयू जी के स्नान से ही वह प्रारम्भ होती है, प्रयागराज जब स्नान करने के लिए वहां आते हैं। सरयू जी की आरती हो हम लोगों ने यह व्यवस्था फिर से प्रारम्भ की है और हमने एक ऐसी व्यवस्था अयोध्या के अंदर की है कि देश और दुनिया का कोई भी श्रृद्वालु यहां आये तो लगे कि अयोध्या में हम आये हैं। अयोध्या की उस परम्परा को पुर्नस्थापित करने की दिशा में एक नया प्रयास है और बजट में उसका प्राविधान किया गया है। चित्रकूट के लिए एक व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने मथुरा और वृन्दावन के लिए भी व्यवस्था की है। हम इन सभी क्षेत्रों के लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं और भी हमारे जितने धर्मस्थल हैं उन सबके लिए भी व्यवस्था इसमें की गई है। साथ–साथ इन सभी कार्यों के लिए हम लोगों ने इसमें व्यवस्था दी है। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में जानकारी के अभाव में अक्सर लोग बोलते हैं। एक माननीय सदस्य मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि कोई ऐसी योजना नहीं है जिस योजना में अनुसूचित जाति के किसी नौजवान के लिए कोई रोजगार का अवसर हो। मैंने कहा कि इसमें तो भारत सरकार की दो योजनायें बहुत अच्छी हैं। अगर आप भारत सरकार की इन योजनाओं को कभी देखे होते, समझने का प्रयास किये होते, राजनीतिक पूर्वाग्रह से उबर गये होते तो यह परिस्थितियां नहीं आती, पूछना नहीं पड़ता आप लोगो को। यह योजना हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैण्ड–अप योजना। स्टैण्ड अप योजना में प्रत्येक बैंक की शाखा को इस बात के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए उन्हें निर्देशित किया है कि प्रत्येक बैंक की शाखा एक–एक अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी एक नौजवान को या परिवार को और एक महिला को गोद लेकर उन्हें स्वाबलम्बन बनाने की ओर अग्रसर करेगी, उन्हें स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य करेगी। दस लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक का उन्हें उस बैंक के द्वारा ऋण दिया जायेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 16500 से अधिक बैंक हैं और अगर दो अनुसूचित जाति/जनजाति का एक व्यक्ति और एक

महिला जो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग की हो सकती है, अगर दो ले लें तो एक साल में तैतीस हजार लोग सीधे–सीधे स्वरोजगार, स्वाबलम्बन और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा जानकारी ले लें। हमें प्रयास करना चाहिये कि हमारी विधान सभा में जो बैंक हैं उनमें से दो, चार, छह, दस बैंकवालों से कहना चाहिये कि स्टैण्ड अप योजना में आपने किस–किस को चिन्हित किया है आप हमें उनका नाम बताओ हम अपने हाथो से उनको ऋण वितरित करेंगे। सर्टिफिकेट आप वितरित करिये, यह आपका अधिकार है। हम आपसे कह रहे हैं। स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी के सामने हमने कहा है कि हमारे माननीय सदस्यगण जो सर्टिफिकेट वितरित करना चाहेंगे उनके हाथो से आप वितरित करवाइये। मुद्रा योजना के अंतर्गत जो नौजवान रोजगार के लिए, कुटीर उद्योग के लिए अपने सामान्य कारोबार के लिए बैंको से सहयोग लेना चाहता है उनको सहयोग देने की दिशा में प्रयास करिये। जनप्रतिनिधि थोड़ा भी रूचि ले लेगा, जनपद स्तर के जिलाधिकारी की कमेटी के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत कर देगा, तो हो जायेगा। आपको लगता है कि वहां नहीं हो रहा है तो स्टेट लेबल की कमेटी के पास लेकर आइये हम लोग उस पर कार्यवाही करायेंगे। लेकिन अभी इन योजनाओं की जानकारी तो हो। और भी बड़ी अच्छी योजना है जिनके माध्यम से हम लोग अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं। महोदय, इस दृष्टि से यह बजट हर तबके के लोगों के लिए, मुझे लगता है, हर जाति, हर वर्ग, हर पंथ, हर सम्प्रदाय और मुझे लगता है कि समाज का हर तबका इसके अंतर्गत आ चुका है। इसलिये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का ''सबका साथ, सबका विकास'' की अवधारणा को समेट करके यह चलता है क्योंकि हमारा जो मूल मंत्र है वह यही है। मैं केवल आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे जर्मन दार्शनिक मार्टिन लूथर किंग की एक बात याद आती है। उन्होंने एक बात कही थी कि जिस दिन हम सच्चाई को देखकर भी बोलना नहीं चाहते उसी दिन से हमारे पराजय की शुरूआत हो जाती है। श्रीमन, मुझे लगता है कि आपके पास एक अवसर है।

इस सच्चाई को स्वीकार करिये सरकार ने किया है। सरकार कर रही है और सरकार अच्छा करेगी। मान्यवर, उस अच्छाई को ध्यान में रखकर के हम केवल एक बात कहना चाहते हैं तमाम प्रकार के आरोप लोग लगाते हैं और लगायेंगे। मान्यवर, विपक्ष का काम है आरोप लगाना क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है कुछ तो यह लोग करेंगे। आपको अच्छी योजना में सहयोग नहीं करना है। रोज आकर बैठ जायेंगे यहां पर। मान्यवर, जब कोई प्रश्न अच्छा चलने लग जाता है तो तुरंत खड़े होकर कहने लगते हैं कि हम तो 'वॉक आऊट' कर रहे हैं। बाहर जाकर प्रेस के सामने बोलकर फिर वापस चले आयेंगे लेकिन इन सबकी परवाह किये बगैर हम लोग चाहेंगे कि पक्ष और विपक्ष मिलकर प्रदेश के विकास कार्यों में रूचि लें, आगे बढ़ें। मान्यवर, लोकतंत्र के जो पहिये वह जब साथ चलेंगे तो विकास तीव्र गति से होगा। वैसे भगवान ने इतनी संख्या यहां दी है कि हम लोग तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए महोदय, मुझे केवल एक बात कहनी है कि किसी को भी संकोच नहीं होना चाहिए क्योंकि राष्ट्रवाद हम लोगों का संस्कार है। ''वसुधैव–कुटुम्बकम'' हम

सबका धेय है। अपनी संस्कृति की रक्षा करना हम सबका संकल्प है। सामाजिक समता मूलक समाज की स्थापना यह हमारा चिंतन है और ''सर्वे भवन्तु सुखिनः'' यही हमारी नीति है। और, इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आप सब लोग मिलकर उ0प्र0 का विकास और उ0प्र0 को देश के विकसितम् राज्यों में स्थापित कर सकें। सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में स्थापित कर सकें इस दृष्टि से मैं आप सबका आह्वाहन करूंगा। मान्यवर, मैं एक बार पुनः अपने उन सभी मा0 सदस्यों को और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राम गोविंद चौधरी जी, बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री लाल जी वर्मा जी, कांग्रेस के नेता श्री अजय कुमार 'लल्लू' जी समेत उन सभी 73 सदस्यों को हृदय से धन्यवाद दूंगा, साधूवाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छी चर्चा को आगे बढ़ाया है। मान्यवर, एक रचनात्मक चर्चा के लिए सदैव हम किसी भी कार्य में, किसी भी मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में हो आप चर्चा करने के लिए कहेंगे सरकार हमेशा खड़ी रहेगी और जब आवश्यक समझेंगे तो मैं आपके बीच में चर्चा के लिए खड़ा रहूंगा। उसमें कहीं भी पीछे हटने की स्थिति नहीं होगी। मैं इसमें सभी का सहयोग चाहूंगा। मान्यवर, मैं आप सबको हृदय से साधूवाद दूंगा उन सभी 73 मा0 सदस्यों को जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और मैं एक बार पुनः अपने वित्त मंत्री और मंत्रीमंडल के सभी सहयोगियों को एक अच्छे बजट को बनाने में सहयोग देने, बेहतर वित्तीय प्रबंधन में सहयोग देने, फिजूल खर्चे को रोकने, प्रदेश के अंदर एक आदर्श व्यवस्था प्रदान करने के लिए उनके द्वारा दिये जाने वाले सहयोग के लिए मैं हृदय से बधाई दूंगा और वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने एक बेहतर प्रयास किया है उनको बधाई देते हुए, साधूवाद देते हुए आप सबसे प्रदेश के विकास में सहयोग की अपेक्षा करूंगा बहुत–बहुत धन्यवाद (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)।

श्री अध्यक्ष–

अगर कोई स्पष्टीकरण हो तो पूछ सकते हैं।

'श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, एक विश्वसनीयता का संकट आया है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि आप दिन में यहां बोलते हैं और आप रात को मंत्री जी के साथ डिनर करते हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि डिनर का आयोजन आपने सर्वदलीय बैठक में किया था। अगर इस तरह के डिनर में इस तरह की प्रतिक्रिया है तो महोदय ऐसे डिनर में हम सब लोगों को आमंत्रण करने का कष्ट न करें। जिसमें इस तरह की तीखी टिप्पणी हो।

श्री अध्यक्ष–

भई, ये शाही जी आपको खिलायेंगे आप चिंता न करिये। आप प्रसन्न रहिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित वित्त मंत्री जी ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया था और उस पर मैंने अपनी जो बात सदन के समक्ष रखा था। उसमें पक्ष और विपक्ष के जितने भी मा0 सदस्यों ने अपने विचार रखे उन सबको मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं और कम से कम नये सदस्यों को तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

बोलना तो बहुत लोग चाहते थे उनमें कुछ छूट गये हैं उनको भी धन्यवाद दे दीजिए।

'श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, एक–आध स्पष्टीकरण पूछने की तो परम्परा है लेकिन भाषण की परम्परा नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

हां बजट में तो स्पष्टीकरण ही होता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, पिछले चार–पांच बजट का भाषण निकलवा लीजिए और उसको देख लीजिए। जो परम्परा है उसी तरह से चलेंगे नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे। आपकी मर्जी, खत्म करिये।

श्री अध्यक्ष–

आप कहें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मा0 नेता सदन ने मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पिछले दस वर्षों से भर्ती में, मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 2008 में पुलिस की जो भर्ती हुयी थी पूरे देश में उसकी प्रशंसा हुयी। उतनी पारदर्शी भर्ती आज तक कभी हुयी ही नहीं है। जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुयी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, इन्होंने पुलिस की भर्ती की बात की। जरा चीनी मिलों के बारे में और बता दें कि उसमें कितनी पारदर्शी हुयी थी।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैंने सबको बधायी दी। नये जो मा0 सदस्य हैं उन्होंने अच्छे सुझाव दिये और यह पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में हुआ कि बजट की सामान्य चर्चा पर मा0 सदस्यगण चाहे पक्ष के चाहे विपक्ष के हों उन्होंने अपने विचार रखे। मैंने थोड़ा 2016–17, 2017–18 का बजट का तुलनात्मक विवरण सामने प्रस्तुत किया। साहब मा0

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नये सदस्यों के समय को कटौती करने के लिये मंत्रिमण्डल का हर कनिष्ठ से वरिष्ठ सदस्य तक भाषण देने खड़ा हो गया। यह पहली बार हुआ। यह रिकार्ड है। कहने की बात नहीं है। कोई हम योगी जी थोड़ी हैं जो कुछ भी बोल दें।

(कई सदस्यों के टोकाटाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 राम गोविन्द जी आप हमारी तरफ देखकर बोलिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, यह रिकार्ड है कि सभी मा0 मंत्रीगण एकदम युद्ध में कूद पड़े। कुछ मा0 मंत्रीगण ने तो ऐसा भाषण दिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, परम्परा यह रही है कि नेता सदन के बोलने के बाद नेता विपक्ष या कोई भी नेतागण अगर चाहें तो एक–आध स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं यह परम्परा रही है। मान्यवर, भाषण हो रहा है। लेकिन भाषण हो रहा है, मान्यवर। हम तभी खड़े हुए, हम आपका समय खराब नहीं करना चाहते हैं, न माननीय किसी सदस्य का, लेकिन परम्परा यही है, मान्यवर, कि केवल स्पष्टीकरण एक–दो पूछ लें लेकिन अगर भाषण होंगे तो फिर यह गलत परम्परा पड़ेगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी थोड़ा बर्दाश्त करें, थोड़ा सह लें, क्यों तकलीफ हो रही है, दो मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे एक पुराने मित्र हैं महाना जी, उन्होंने कहा कि इनको गणित ठीक याद नहीं है। ठीक है, हम लोग पिछड़ी जाति के लोग हैं, हम लोगों को कहां गणित का ज्ञान है, हम लोगों को कोई ढंग ही नहीं है। ढंग तो महाना जी को है, जब भाठा चलाते थे तो कौड़ी बांटते थे, उसके बाद प्लाटिंग करने लगे, उनको ज्ञान है। उसका तो माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वयं समाधान कर दिया कि अंको में 'लाख' यह ऊपर ही लिख दिया जाता है। वित्त मंत्री जी, ऊपर ही लिख दिया जाता है कि अंको को 'लाख' में, उन्होंने कहा कि लाख कहां से कह दिया। महाना जी, पहले बजट की किताब तो पढ़ लिए होते और माननीय हमारे जो मित्र हैं, ये श्रम मंत्री जी, इन्होंने तो हद ही पार कर दी, उनको पता ही नहीं है कि नेता विपक्ष हैं कि मंत्री हैं? (हॅसी) इतना भी ज्ञान नहीं। उसमें कोई बात नहीं, आज मैंने नेता सदन का भी भाषण सुना, मैं केवल एक बात कह कर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। एक प्राइमरी स्कूल में एक नए टीचर ट्रांसफर होकर गए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह तो स्पष्टीकरण नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

सुन लीजिए, सुन लीजिए।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' कुछ कहने का प्रयास करते रहे)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस समय माननीय वित्त मंत्री बोले थे, उस समय मा0 राम गोविन्द चौधरी से यह कहा गया था कि आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें, तो आपने मना कर दिया था। अब सवाल यह है कि नेता के बोलने के बाद मान्यवर, परम्परा यह रही है कि एक–दो बातों पर जो नेता जी ने बोला, उसके ऊपर एक–दो बातों पर स्पष्टीकरण मांग लें। मान्यवर, यह तो परम्परा रही है लेकिन नेता जी के बोलने के बाद फिर से भाषण शुरू हो, यह इस सदन की परम्परा कभी नहीं रही, कार्यवाही मान्यवर, देख लें।

श्री अध्यक्ष–

हां, फिर उसके बाद आपको फिर से भाषण करना पड़ेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, फिर भाषण शुरू होगा तो इसका तो कोई अन्त नहीं है। आप एक–दो स्पष्टीकरण पूछ लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

यह तो उल्टा हुआ खुद। आप बैठ जाइये, हम एक कहानी ही सुना रहे हैं और कुछ भाषण नहीं दे रहे हैं। मैंने महाना जी का भाषण सुना और बहुत से माननीय सदस्यों का भाषण सुना, सबसे बढ़िया भाषण, सुना नहीं, पढ़ा, माननीय श्रम मंत्री जी का। वह मेरे पास ले आए और आज नेता सदन का भाषण सुना और सारे लोगों का भाषण सुना, उसी पर हमें एक किस्सा याद आ गया कि एक टीचर नए–नए ट्रांसफर होकर गए थे प्राइमरी स्कूल, एक लड़का बगीचा में गया, खड़े–खड़े पेशाब करने लगा, उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि इस तरह क्यों किया, बैठ कर पेशाब क्यों नहीं किया? उसने कहा कि चलता हूं आपके बाप के पास। जब उसके घर गए तो कुछ कहने के पहले ही देख रहे हैं कि उसके पिता जी चारपाई पर खड़े होकर वहीं से पेशाब कर रहे हैं। (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

यह कहानी कुछ शालीन कम नहीं है? आप बहुत बड़े नेता हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने सोचा कि अरे, यह लड़का तो लड़का, बाप भी, तो उन्होंने कहा कि हम इसके बाबा के यहां चलते हैं, उसके घर चले गए, असली डेरा पर से, घर गए तो बाबा छत से पेशाब कर रहे थे। (हंसी गूंजी)

श्री अध्यक्ष–

और यह सब आप लगातार देखते रहे? (हंसी)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय सदस्यों का भाषण सुना, माननीय मंत्रियों का भाषण सुना, माननीय नेता सदन का भाषण सुना और मैं उसी निष्कर्ष पर आया कि जो मास्टर कह रहा है, वह ठीक कह रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पक्ष और विपक्ष का आपस में कोई दुश्मनी का रिश्ता नहीं है, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष मिलकर के सरकार चलाने का कार्य करते हैं। हम तो आपको केवल सरकार को अवगत कराते हैं, चाहे जो भी विपक्ष में रहता है, सरकार को अवगत कराता है समस्याओं से कि भाई यह कमी है इसको आप देखो, सरकार देखती है, नहीं देखती है तो विपक्ष में आ जाती है, लेकिन आज नेता सदन जी जो दो–चार बात मैंने आपकी सुनी वह हमको ठीक नहीं लगीं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मा0 नेता सदन हम तो लोक सभा में कभी चुन कर नहीं गये हैं, लेकिन मैं आपको विश्वासपूर्वक कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा हिन्दुस्तान की सभी विधान सभाओं से बड़ी है और इसका आसन और इसकी बनावट लोक सभा से भी बढ़िया है, हमको लगता है कि आप लोक सभा से जब विधान सभा में आये हैं तो इसकी भव्यता और इसकी सिटिंग की व्यवस्था जो देखे हैं तो आप चकाचौंध में पड़ गये हैं, क्या हमको कहना है, क्या नहीं कहना है, यही आपको समझ में नहीं आ रहा है। श्रीमन् कानून–व्यवस्था जितनी दृढ़ता से आप उसको कन्ट्रोल करें हम लोग आपके साथ हैं, कौन जन–प्रतिनिधि चाहेगा, कौन जो चुनाव जीत कर आया है वह चाहेगा कि देश की कानून–व्यवस्था, प्रदेश की कानून–व्यवस्था खराब हो, सहयोग मांगिये हम देते हैं, लेकिन कानून–व्यवस्था कभी दम्भ से समाप्त नहीं होगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा, विकास के लिए काम करना पड़ेगा। आपकी कई बातें विरोधाभासी हुईं, नहीं होना चाहिए, विपक्ष तो एक तरह से सरकार का सहयोगी होता है। एक बात आप कहने जा रहे थे कि आपकी चीनी इतनी हुई, हमारी चीनी इतनी हुई। अरे सरकार गन्ना बोया जाता है कब? आप तो उस क्षेत्र के हैं ही, अभी पेराई भी शुरू नहीं हुई आपने चीनी बढ़ा दिया अभी अपने भाषण में। चार महीने आपकी सरकार बने हुई, पूरे प्रदेश की जनता को विकास पर आगे बढ़ा दिया। मा0 अध्यक्ष जी, एक आदमी, नऊ गया बाल बनाने, उन्होंने कहा कि भाई हमारा बाल गिन दो, उन्होंने कहा कि मैं तो बना दे रहा हूं आप खुद ही गिन लीजिएगा। पांच साल में हम देखेंगे आपने कितना विकास किया।

(विरोध में सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यगण अपनी–अपनी बातें कहने का प्रयास करने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

माननीय अध्यक्ष जी एक आदमी चूँ नहीं किया विपक्ष का, आप इसी से अन्दाजा लगा लीजिए, ये बजट अनुशासित नहीं होगा मा0 मुख्यमंत्री जी, अभी मा0 वित्तमंत्री कह चुके हैं कि बजट बड़ा छोटा नहीं, बजट में अनुशासित होना चाहिए, खर्च का उसका तरीका होना चाहिए और देख लीजिए आप जब भी बोले हैं, आपके वित्त मंत्री जी जब बोल रहे थे, आप जब बोल रहे थे, पूरा विपक्ष बिल्कुल चुप–चाप आपको सुन रहा था और अब आप इन्हें देख लीजिए, इस फौज से आप कौन विकास की उम्मीद करते हैं और मा0 नेता सदन जी मैं कई बार कह चुका हूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं आपका सम्मान करता हूं, ऐसी कृपा करिये कि वह सम्मान आपका बना रहे, क्योंकि आप

पीठाधीश्वर हैं, केवल नेता ही नहीं हैं और आपकी जो बोली है, पूरा सदन भी सुन रहा था, वह न नेता सदन की तरह से है, न पीठाधीश्वर की तरह से है, प्रेम से थोड़ा बोलिये, पता नहीं आपके संसदीय कार्यमंत्री को क्या हो गया है, थोड़ा प्रेम से बोलिये, एक सन्त को कभी दम्भ नहीं आना चाहिए, आप योगी हैं तो हम लोग भी पुजारी हैं, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितना भी विकास में आप हमसे सहयोग मांगेगे, विपक्ष का, विपक्ष आपका पूरा सहयोग देगा लेकिन हमेशा विपक्ष को आप भ्रष्ट, बेइमान, जंगलराज तो मैं अगर यह बात कहूं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि चार महीने में इस पार्टी की सरकार ने और पार्टी ने प्रदेश को लूट कर कंगाल बनाने के रास्ते पर पहुंचाने का काम किया है। लूट, भ्रष्टाचार, डकैती, छिनैती, घूसखोरी बढ़ गयी है और पैसा कमाने का एक जरिया लोगों के पास बन गया है। ये हमेशा लांछन लगायेंगे और हम सुनते रहेंगे?

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री राम गोविन्द चौधरी जी आप बहुत वरिष्ठ हैं। आप कृपया बैठें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह स्पष्टीकरण नहीं है, यह तो भाषण है। माननीय अध्यक्ष जी, अगली मद ले लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम गोविन्द जी आप बैठें, इस तरह की उत्तेजना उचित नहीं। क्या आप ज्यादा उत्तेजित हो गये थे? आप बहुत प्रतिष्ठित पद पर हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, यही मै कह रहा हूं कि कभी भी ऐसी बात किसी भी माननीय सदस्य की तरफ से नहीं होनी चाहिए। जैसे जब तक नेता सदन ने बोला यों हाथ करके (अपने पीछे हाथ से इशारा करते हुए) जैसे कि सारा कुकर्म विपक्ष ने किया है और ये बिल्कुल देवलोक से आये हैं। बताइये अध्यक्ष जी आपको गुस्सा आयेगा कि नही आयेगा।

श्री अध्यक्ष–

हमको नहीं आयेगा।

(अनेक सदस्यों द्वारा विरोध स्वरूप खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, अगला मद ले लें। मान्यवर हमारा अनुरोध है कि अगला मद ले लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं अगली मद ले रहा हूं।

[06.44] नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

अब हम नियम–51 की सूचनायें लेते हैं।

आज दिनांक 19–07–2017 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 58 सूचनायें प्राप्त हुई।

पहली श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा अन्तर्गत सुजानपुर रजवहे में मददअलीपुर स्थित जर्जर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महविद्यालय में 25 प्रतिशत तक सीटें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ के ग्राम जोगापट्टी तहसील लालगंज में अल्गू पुत्र शिवनाथ द्वारा भूमि पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद उन्नाव के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था ठीक किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी इं0 हर्षवर्धन बाजपेई की उ0प्र0 लोक सेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, छठवीं श्री ओमकार सिंह यादव की जनपद बदायूं में ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत अमराई ग्राम पंचातय में आई0टी0आई0 के अधूरे निर्माण कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तथा आठवीं श्री रितेश पाण्डेय की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नागपुर में एक्स रे की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, नौवीं श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा अन्तर्गत तिगरी धाम में गंगा नदी में स्टीमर एवं गोताखोर की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में तथा दसवीं श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद लखनऊ के ग्राम सेमरा तहसील व परगना लखनऊ के गाटा संख्या 215 पर बने तालाब पर भू–माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईः–

1 श्री प्रेम सागर पटेल,

2 श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू',

3 श्री जटाशंकर त्रिपाठी,

4 श्री मो0 रिजवान,

5 श्री दलवीर सिंह,

6 श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही,

7 श्रीमती साधना सिंह,

8 श्री रमेश चन्द्र बिन्द,

9 श्री सत्यवीर त्यागी,

10 श्री योगेन्द्र उपाध्याय,

11 श्री रवीन्द्र जायसवाल,

12 श्री अगयश रामसरन वर्मा,

13 डा0 जी0एस0 धर्मेश,

14 श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,

15 श्री जगन प्रसाद गर्ग,

16 डा0 संगीता बलवंत,

17 श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट,

18 श्री बाला प्रसाद अवस्थी,

19 डा0 श्याम बिहारी लाल,

20 श्रीमती जय देवी,

21 श्री वीरेन्द्र यादव,

22 श्री नफीस अहमद,

23 श्री अमिताभ बाजपेई,

24 श्री राम प्रताप सिंह,

25 श्रीमती आराधना मिश्रा ''मोना'',

26 श्री सजंय कुमार गुप्ता,

27 श्री राकेश सिंह,

28 श्री हाकिम लाल बिन्द,

29 श्री प्रभुनारायण सिंह यादव,

30 श्री मोख्तार अंसारी,

31 श्री आजाद अरिमर्दन,

32 श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई',

33 श्री आशुतोष उपाध्याय,

34 श्री संजय गर्ग,

35 श्री तसलीम अहमद,

36 श्री संगम लाल गुप्ता,

37 श्री मनोज कुमार पाण्डे,

38 श्री शारदा प्रसाद,

39 श्री राकेश राठौर,

40 श्री मनीष असीजा,

41 श्री अजय कुमार लल्लू,

42 श्री लालजी वर्मा,

43 श्री रामअचल राजभर

44 श्री रामवीर उपाध्याय,

45 श्री पारस नाथ यादव,

46 श्री राहुल प्रकाश,

47 श्री धर्मराज यादव उर्फ सुरेश यादव तथा

48 श्री उमाशंकर सिंह।

जनपद–सीतापुर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि द्वारा 01 अरब 16 करोड़ के घोटाले की जांच सी0ए0जी0/टी0ए0सी0 से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञान तिवारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

श्री ज्ञान तिवारी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक.....

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मन्त्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश खन्ना–

[13–07–2017 को नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है कि "मेरी विधान सभा क्षेत्र एवं जिला पंचायत सीतापुर में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक प्राप्त करायी गयी धनराशि के सापेक्ष जिला पंचायत द्वारा जो विकास कार्य कराये गये हैं, उनमें नियमावली एवं शासनादेश का उल्लंघन करते हुए सरकारी धन लगभग 01 अरब 16 करोड़ का बन्दर बांट किया गया है। कराये गये कार्यों में शासनादेशों के विरुद्ध गांवों के अन्दर फर्जी विकास कार्य किया जाना, धार्मिक स्थलों पर निर्माण कार्य किसी व्यक्तिगत संस्था को लाभ पहुंचाये जाने के मन्तव्य से कराया जाना, इण्टरलाकिंग मार्गों में उखड़े हुए खडंजों की ईटों का प्रयोग, लागत से ज्यादा का भुगतान कराया जाना एवं स्वीकृत मास्कलाइटों एवं सोलर लाइटों को व्यक्तिगत लोगों के घरों पर लगाया जाना सम्मिलित है।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर मैं जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उनके प्रतिनिधि के द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की जांच कराये जाने हेतु सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं।"

इस सम्बन्ध में मा0 सदस्य विधान सभा का शिकायती पत्र पूर्व में प्राप्त हो चुका है, जिसमें उल्लिखित तथ्यों की जांच टी0ए0सी0 से कराये जाने हेतु आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को निर्देश दिये गये हैं। जांच आख्या प्राप्त होने पर उसके परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा लिये गये निर्णय से मा0 सदन को यथासमय अवगत कराया जायेगा।]

जनपद–बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के विकास खण्ड म्याऊ के ग्राम चितरी एवं सिमरिया दे दूखाम में बाढ़ के खतरे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजीव कुमार सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

श्री राजीव कुमार सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा.....

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[दिनांक 13–07–2017 को नियम–51 के अन्तर्गत निम्नवत् सूचना दी गयी हैः–

"जनपद बदायू अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र दातागंज के विकास खण्ड म्याऊ के दो गांव क्रमशः चितरी एवं सिमरिया देदूखाम जो रामगंगा किनारे बसे होने तथा रामगंगा से दोनों गांवों को बाढ़ का खतरा बना है जिससे कभी भी राम गंगा के कटान से गांव कट सकता है। जिससे भारी जन–धन की हानि होने की संभावना है। इसका जनहित में समाधान होना अति आवश्यक है।

अतः नियम–51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।"

2–मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मुरादाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर दी गयी सूचना पर वक्तव्य निम्नवत् हैः–

दोनों ग्रामों को बाढ़ से बचाने हेतु बाढ़ अनुरक्षण के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधन से बल्ला पाईलिंग का कार्य कराकर कटान से सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

बाढ़काल के उपरान्त सर्वेक्षण कर परियोजना तैयार की जायेगी। परियोजना के सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर आवश्यक कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।]

जनपद–पीलीभीत में गजरौला में तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, चूंकि इस सदन में समूचे विपक्ष की आवाज को नहीं सुना जा रहा है। अतः मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करता है।

(तत्पश्चात् नेता विरोधी दल सभी विपक्षी दलों के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, श्री अगयश राम सरन वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा.....

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

नोटः– [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 13–07–2017 को दी गयी सूचना में यह मांग की गयी है कि "जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत तहसील पीलीभीत में पांच कानूनगो परिक्षेत्र, 105 लेखपाल परिक्षेत्र एवं 474 राजस्व गांव में तहसील बीसलपुर में पांच कानूनगो परिक्षेत्र, 103 लेखपाल परिक्षेत्र एवं 471 राजस्व गांव हैं तथा तहसील पूरनपुर में 5 कानूनगो परिक्षेत्र, 108 लेखपाल परिक्षेत्र एवं 496 राजस्व ग्राम हे इस प्रकार जनपद तीनों तहसीलों में संपूर्ण कानूनगो परिक्षेत्र लेखपाल परिक्षेत्र 316 राजस्व गांव 1441 है 94 राजस्व गांव शाहजहां से पृथक कर पीलीभीत से संबद्ध हैं इसलिए तहसील परिक्षेत्रों का परिसीमन अपरिहार्य है एक तहसील सृजन हेतु कम से कम 80 लेपाल परिक्षेत्र तथा 35 राजस्व गांव होने चाहिए इस प्रकार जनपद में मात्र एक नवीन तहसील परिक्षेत्र का सृजन संभव है उचित होगा कि जनपद की तीनों तहसीलों के मध्य स्थल को प्राथमिकता नवीन तहसील परिक्षेत्र नामकरण हेतु होनी चाहिए जहां कि थाना, शिक्षा मण्डी एवं भिन्न–भिन्न व्यापारी प्रतिष्ठान एंव सरकारी संस्थाएं हों, इस दृष्टि से गजरौला नामक स्थान सबसे उपयुक्त है परन्तु राजनैतिक कारणों से दो तहसील परिक्षेत्र कलीनगर व अमरिया सृजित कर दिये गये हैं इस प्रकार तहसीलों में सम्मिलित ग्रामों के भारी अन्तर है तथा पूर्व की तहसीलों मुख्यालयों के गांव नवीन सृजित तहसीलों से संबद्ध कर दिये गये हैं इस प्रकार जनसामान्य को आने–जाने में असुविधा है।

अतः नियम–51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कर वक्तव्य दिलाये जाने की कृपा की जाये।"

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में मण्डल/जिला/तहसीलों का सृजन/पुनर्गठन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 तथा अन्य सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अन्तर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार अध्यक्ष, राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति राजस्व परिषद के माध्यम से आख्या सहित प्राप्त होने पर शासन स्तर पर न्याय विभाग एवं वित्त विभाग के परामर्श से मा0 मंत्रि परिषद् के अनुमोदन से किया जाता है। तद्नुसार ही जनपद पीलीभीत में अधिसूचना संख्या 1749/1–5–2016–21/2016, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 से "तहसील कलीनगर" एवं अधिसूचना संख्या 1750/1–5–2016–21/2016, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 से "तहसील अमरिया" का सृजन किया गया है।

3–जनपद पीलीभीत में नई तहसील "गजरौला" का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति सहित राजस्व परिषद की आख्या/नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 तथा अन्य सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अन्तर्गत विचार कर यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद–मुजफ्फरनगर में किसान गंगा सहकारी चीनी मिल, मोरना की उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री अवतार सिंह भड़ाना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री का वक्तव्य

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 सदस्य, विधान सभा ने अपनी सूचना में मुख्यतः यह उल्लेख किया है कि जनपद मुजफ्फरनगर.....

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्के मीरापुर विधान सभा क्षेत्र स्थित किसान गंगा सहकारी चीनी मिल मोरना में 500 से अधिक लोग कार्यरत है जिसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता 2500 टी0सी0डी0 है। यदि इस सहकारी चीनी मिल की उत्पादन क्षमता दुगनी कर 5000 टीसडी कर दी जाये तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसानों को अपना गन्ना बाहर की चीनी मिलों को भेजने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा और इससे रोजगार की प्रचुर सम्भावना बनेगी। इससे राज्य सरकार एवं सहकारी चीनी मिल के राजस्व की बढ़ोत्तरी भी होगी।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में मा0 सदन को अवगत कराना है कि मोरना मिल की स्थापना 1250 टी0सी0डी0 पर वर्ष 1984–85 में हुई थी इसके उपरान्त वर्ष 1995–96 में क्षमता विस्तारीकरण 2500 टी0सी0डी0 पर किया गया। इस चीनी मिल की वर्तमान पेराई क्षमता 2500 टी0सीडी0 है तथा विगत 04 सत्रों (2013–14 से 2016–17) में क्रमशः 13000 हेक्टे0, 12720 हेक्टे0 12640 हेक्टे0 एवं 12110 हेक्टे0 तथा गन्ना उत्पादन क्रमशः 93.17 लाख कुन्टल 92.75 लाख कुन्टल, 90.90 लाख कुन्टल एवं 92.00 लाख कुन्टल रहा है। गन्ना क्षेत्रफल कम होने के कारण लगभग 98 प्रतिशत गन्ना मिल गेट पर आपूर्ति होता है तथा कुल उत्पादन का औसतन 45 प्रतिशत गन्ना मिल द्वारा पेरा गया है। मोरना चीनी मिल का गन्ना क्षेत्रफल निकटवर्ती निजी क्षेत्र की 03 चीनी मिलों खाईखेड़ी, टिकोला एवं मन्सूरपुर से घिरा हुआ है, जिसके कारण क्षेत्रफल में वृद्धि की सम्भावनायें लगभग नगण्य है एवं फलस्वरूप 5000 टी0सी0डी0 पेराई क्षमता के अनुरूप गन्ने की उपलब्धता कठिन है।

इस चीनी मिल की संरचना अर्थात मशीनरी फाउण्डेशन्स, ब्वायलर आदि वर्तमान में इस अनुरूप नहीं है कि उक्त चीनी मिल की क्षमता 5000 टी0सी0डी0 पर विस्तारित

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किया जा सके। ऐसी स्थिति में क्षमता विस्तारीकरण की किसी भी योजनाक` लिए पूरा नया संयंत्र लगाना आवश्यक होगा जिसके लिए कोजनेरेशन सहित लगभग रु0 300 से 325 करोड़ की आवश्कयता होगी। क्षमता विस्तारीकरण वित्तीय व्यवस्था पर आधारित है जबकि मिल की नेटवर्थ दिनांक 31–03–16 को रु0 128.16 करोड़ से ऋणात्मक होने के कारण विस्तारीकरण के लिए किसी वाहय वित्तीय संस्था/बैंक से ऋण मिलना सम्भव नहीं है। वर्तमान में इस मिल की पेराई क्षमता के विस्तार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है परन्तु सरकार गन्ना किसानों के हितों के लिए कटिबद्ध है।,

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास की सई नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 13–07–2017 को दी गई सूचना में अवगत कराया गया है कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास जनपद प्रतापगढ़.....

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां पर एक ओर पेयजल की गम्भीर समस्या है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों/सम्पर्क मार्गों के अभाव में आवागमन की भी परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है। सई नदी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मध्य से होकर गुजरती है जिसके कारण विकास खण्ड लालगंज का जो क्षेत्र सई नदी के दूसरी तरफ पड़ता है वहां के लोगों को ब्लाक मुख्यालय आने–जाने में पुल के अभाव में परेशानी होती है, –वर्षाकाल के दौरान तो यह स्थिति और भी अधिक विस्फोटक हो जाती है, और लोगों का विकास खण्ड लालगंज मुख्यालय पहुंचना पूरी तरह असम्भव हो जाता है, जिसके कारण जहां जनहित के कार्य प्रभावित होते हैं और क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है वहीं लोगों को भी अपना कार्य कराने में दिक्कतें आती है। अतः भौगोलिक दृष्टिकोण से भी लोगों को अत्यन्त परेशानी उठानी पड़ती है। क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने के लिये तथा लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के उद्देश्य से जनहित में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तहसील लालगंज के अन्तर्गत 'मंगापुर उदयपुर' के नाम से एक नया विकास खण्ड स्वीकृत किया गया, इससे जहां क्षेत्र का चतुर्दिक विकास होगा वहीं लोगों को भी सुविधा होगी। जनहित में नवसृजित 'मंगापुर उदयपुर' का निर्माण जनहित में अतिशीघ्र किया जाना अति आवश्यक है ताकि लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके और क्षेत्र का चतुर्दिक विकास हो सके।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस विलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये वक्तव्य की मांग करती हूं।

टिप्पणी–

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्तावित सेतु के डाउनस्ट्रीम में 03 किमी0 पर मुस्तफाबाद–जमालपुर–सलवन मार्ग पर सई नदी पर महुआ घाट पर 119.20 मी0 लम्बाई का सेतु निर्मित है। प्रस्तावित सेतु के अपस्ट्रीम में 07 किमी0 पर परसदेपुर–सलोन मार्ग पर सई नदी पर गाड़ीघाट पर 154. 33 मी0 लम्बाई का सेतु निर्मित है।

वर्तमान में प्रचलित मानकों के अनुसार प्रस्तावित सेतु के 10 किमी0 की दूरी पर सेतु के निर्मित होने की स्थिति के दृष्टिगत प्रश्नगत सेतु का निर्माण किया जाना अनुमन्य नहीं है।

जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में विद्युत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि विधान सभा 162 बांगरमऊ, जनपद–उन्नाव.....

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[के विकास खण्ड फत्तेपुर–चौरासी में कोई भी विद्युत उपकेन्द्र नहीं है तथा कई जगह के 11000 के0वी0 लाइन के विद्युत तार खराब है। कृपया निम्न समस्याओं के समाधान हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

1–विकास खण्ड फत्तेपुर–चौरासी, जनपद–उन्नाव में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करना।

2–ग्राम–बरूवाघाट से दुर्गापुरवा तथा 11000 के0वी0 लाइन के नये तार एल्यूमिनियम के लगाना।

3–मऊ फीडर से परशुरामपुर तक नये तार 11000 के0वी0 लाइन के बदलकर एल्यूमिनियम के लगाना।

आख्याः–

नोटः– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद–उन्नाव के विकास खण्ड फत्तेपुर चौरासी–84 (टाउन एरिया) में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र (1x5 एम0वी0ए0) आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है जिसके निर्माण हेतु प्रशासन से भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जा चुका है। भूमि प्राप्त होते ही उपकेन्द्र के निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

33 के0वी0 लाइन ग्राम–बरूवाघाट से दुर्गापुरवा एवं मऊ फीडर से परशुरामपुर तक के जर्जर तारों को बदलने हेतु प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। प्राक्कलन की धनराशि रु0 53.81 लाख है। बजट में धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त उक्त योजना के अन्तर्गत यह कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।,

जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु पानी की टंकी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजभूषण राजपूत द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 13–07–2017 को दी गई सूचना द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद महोबा .....

श्री सुरेख राणा–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[के विकास खण्ड–चरखारी के अन्तर्गत ग्राम सालट, नरेड़ी, टोला सोमय, बलचौर में पेयजल की भीषण समस्या है। इन ग्रामों में लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनहित में इन ग्रामों में पेयजल के लिए पानी की टंकी बनाना अति आवश्यक है, ताकि ग्रामीण की समस्या का समाधान हो सके।

2–अवगत कराना है कि जनपद–महोबा के विकास खण्ड चरखारी के सालट ग्राम में 39, टोला सोयम ग्राम में 16 एवं बलचौर ग्राम में 16 इण्डिया मार्का–प्प हैण्डपम्प अधिष्ठापित है, जो चालू स्थिति में हैं। इसके अतिरिक्त पेयजल की समस्या के स्थायी निदान हेतु उर्मिल बांध के सतही स्रोत से नरौरा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना, जिसकी अनुमानित लागत रु0 7144.59 लाख है, का विरचन किया गया है। उक्त ग्राम समूह पेयजल योजना में उक्त तीनों ग्राम सम्मिलित है। योजना की स्वीकृति एवं धनावंटन का कार्यवाही प्रगति पर है।

ग्राम–नरेड़ी में 20 इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जो चालू स्थिति में हैं। साथ ही इस ग्राम हेतु टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट (टी0टी0एस0पी0) आधारित ग्राम पेयजल योजना माह मार्च, 2016 से चालू है। इस योजना के अन्तर्गत एक नलकूप एवं

04 स्थलों पर 2 किलोलीटर क्षमता के टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट (टी0टी0एस0पी0) का निर्माण कराया गया है।]

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत मेलसर रूदौली उमापुर मार्ग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद फैजाबाद .....

श्री सुरेख राणा–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत भेलसर रूदौली उमापुर मार्ग पर समपार संख्या–143 रूदौली रेलवे स्टेशन क्रासिंग पर स्वीकृत उपरगामी सेतु के निर्माण हेतु 32 करोड़ रु0 की धनराशि सेतु निगम, उ0प्र0 को अवमुक्त हो चुकी है। परन्तु अभी तक उक्त सेतु का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया, जिसके कारण क्षेत्रवासियों की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। आये दिन जाम की समस्या से छात्र, नवजवान, व्यापारी व सबसे ज्यादा गम्भीर रूप से पीड़ित मरीजों को लखनऊ व फैजाबाद मुख्यालय पर इलाज हेतु पहुंचाने में घंटों क्रासिंग पर ही खड़ा रहना पड़ता है। रूदौली प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है शुकुल बाजार, मिल्कीपुर, कुमारगंज सहित दूसरे क्षेत्रों के भी व्यापारियों व अन्य लोगों के सबसे करीब रेलवे स्टेशन रूदौली है। इस जाम की गम्भीर समस्या के निदान के लिए ऊपरीगामी सेतु के निर्माण के कार्य को शीघ्र पूरा कराने की मांग क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही है। सेतु निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की इस कार्य के प्रति बरती जा रही लापरवाही के कारण क्षेत्रवासियों में व्यापक आक्रोश व्याप्त है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य दिलायें जाने की मांग की गयी है।

जनपद फैजाबाद में उत्तर रेलवे के रूदौली यार्ड में जफराबाद–लखनऊ सेक्शन कि0मी0 1006/3–4, भेलसर–रूदौली मार्ग पर समपार सं0–143बी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु की स्वीकृति शासनादेश संख्या–27/2017/205(1)/23–11–2016–1/2(212)/2016, दिनांक 02–01–2017 द्वारा लागत रु0 3258.71 लाख पर निर्गत की गयी है, जिसमें रेलवे का अंश रु0 902.26 लाख एवं पहुंच मार्ग की लागत रु0 2356.45

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लाख प्राविधानित है। उक्त रेल उपरिगामी सेतु के लिए तैयार की गई जी0ए0डी0 पर रेलवे विभाग से अनुमोदन प्रतीक्षित है। इस सम्बन्ध में रेलवे विभाग में कार्यवाही प्रचलित है। रेलवे विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः

दिनांक 19 जुलाई, 2017

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्रश्न सख्या–52 का उत्तर पीछे पृष्ठ–59 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2017 के 3-बुधवार के लिये निर्धारित श्री केसर सिंह, मा0 सदस्य,
विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-52 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, जनपद बरेली को कार्यवार स्वीकृत/आवंटित धनराशि एवं पूर्ण कराये गये कार्यो पर व्यय धनराशि का विवरण।

(धनराशि रूपये में)

क्र0	मद का नाम	स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत एवं पूर्ण कराये गये कार्य	स्वीकृत एवं पूर्ण कराये गये कार्यो पर व्यय धनराशि	अन्य कार्य पर व्यय धनराशि का विवरण	
					कार्य का नाम	व्यय की गयी धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राज्य वित्त आयोग	5,60,40,450.00	1-निर्माण कार्य इन्टरलाकिंग ब्रिक्स रोड जमील अहमद के मकान से मुंशी अख्तर के मकान तक ।	2,41,361.00	1-वेतन पर व्यय	2,94,58,767.00
2	13वॉ/ 14वॉ वित्त आयोग	49,92,754.00	2-निर्माण कार्य बाउन्ड्रीवाल टंकी एवं ईदगाह के पास ।	56,021.00	2-अन्य विविध कार्यो यथा पथ प्रकाश हेतु डीजल क्रय, विज्ञापन प्रकाशन, पर्व पर मिष्ठान वितरण, विद्युत उपकरणों की मरम्मत, सफाई व्यवस्था, अन्य मरम्मत पर व्यय	2,90,60,527.00
3	बैंक से प्राप्त ब्याज	1,56,075.00	3-निर्माण कार्य सी0सी0 मरम्मत व हौदिया नाली मरम्मत नगर पालिका ईदगाह के पास ।	3,08,788.00		
4	अवस्थापना विकास निधि 2 प्रतिशत	8,45,502.00	4-निर्माण कार्य बिजलीघर के पास स्थित दुकानों की छत पर दुकानों का निर्माण ।	3,27,317.00		
			5-निर्माण कार्य सी0सी0 वी0वी0सिंह के मकान से योगेन्द्र सिंह के मकान तक वार्ड नं0-2	91,985.00		
			6-नि0का0 इन्टरलाकिंग ब्रिक्स रोड गणेश के मकान से सालिकराम के मकान तक।	1,79,865.00		
			7-नाली निर्माण कार्य मनोहर लाला के मकान से आसिफ की दुकान तक ।	98,776.00		
			8-निर्माण कार्य इन्टरलाकिंग ब्रिक्स मुल्लाजी नल वालों से इरशाद अलीं तक ।	70,083.00		

पी0एस0यू0पी0–एल0 278 विधान सभा (534)–8–2–2018–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।